हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 02 सितम्बर, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

02.09.2026/1100/एच.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 4192 (स्थगित)

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगित प्रश्न है और पिछले तीन सत्रों से लग रहा है। इसके कुछ भाग की जानकारी तो अलग-अलग प्रश्नों के माध्यम से आ भी चुकी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके इसको विलोप ही कर दें क्योंकि इस प्रश्न की जानकारी आनी तो है नहीं और जो जानकारी चाहिए थी, वह अलग-अलग प्रश्नों के माध्यम से आ चुकी है।

Speaker : Since Hon'ble MLA Shri Vipin Singh Parmar ji is also tagged, if the same request comes, then we take the decision accordingly.

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, पिछले लगभग तीन सत्रों से यही उत्तर आ रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही हैं। हालांकि, बीच में बहुत से प्रश्नों के उत्तर यहां पर आए भी हैं और यह इतना बड़ा जटिल प्रश्न भी नहीं है। हम मात्र यह जानना चाहते हैं कि जब से आपने एच0पी0आर0सी0ए0 का गठन किया और आप यहां इस माननीय सदन में कई बार कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल की सिफ़ारिशों के बाद अलग-अलग विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के पद सृजित कर दिए गए हैं, तो यही जानकारी हम लेना चाहते हैं कि कितने विभागों में पद स्वीकृत होने के बाद राज्य चयन आयोग में आपने सारी प्रक्रिया को पूरा कर दिया है? ऐसे कितने पद सृजित हुए? कितने लोगों को रोजगार मिला है? कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनके एग्जाम या टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक प्लेसमेंट नहीं मिली है? इसका उत्तर तो दे दीजिए। इसके अलावा कितने ऐसे पद हैं, जिन्हें कैबिनेट ने स्वीकृत किए हैं और राज्य चयन आयोग के पास पहुंच चुके हैं तथा उनके ऊपर प्रक्रिया शुरू हो गई है? आप टेस्ट की प्रक्रिया के बारे में भी यह कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं। तो क्या यह कंप्यूटर-बेस्ड प्रक्रिया आपने पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरी कर ली है या अभी भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ही आप ले रहे हैं?

02.09.2026/1100/एच.के.-एन.जी./2

कृपया करके यह सब जानकारी तो दे दीजिए। हालांकि, हमारे मन में बहुत से प्रश्न हैं। जब प्रश्न का उत्तर आएगा तब हम आपसे और बहुत कुछ भी जानना चाहते हैं। लेकिन आप यह तो बताइए, ताकि हिमाचल प्रदेश के जो नौजवान रोजगार की लाइनों में खड़े हैं या जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, उनको भी इसकी जानकारी दी जा सके। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्य चयन आयोग बनने से पहले सब-ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जिस प्रकार की धांधलियां हुईं और कई पोस्ट कोड्स के पेपर वहां होने थे, कई पोस्ट कोड्स का रिव्यू होना था, क्योंकि नया बोर्ड बना और नई प्रक्रिया शुरू हुई है, इसलिए सभी प्रकार की सूचना एकत्रित की जा रही है। माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी वरिष्ठ सदस्य हैं। **दिसंबर में जो अगला सेशन होगा या मार्च में जो बजट सेशन होगा, उसमें पूरी सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी।** धन्यवाद।

अगला प्रश्न---------पी0बी0 द्वारा......जारी

02.09.2026/1105/एच0के0/पी0बी0/1

प्रश्न संख्याः 4268

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब देने से क्यों कतरा रही है? हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है? पहले प्रश्न का उत्तर भी यही था कि सूचना एकत्रित की जा रही है। जब से प्रश्न लगा है तब से सूचना एकत्रित की जा रही है और अब आप कह रहे है कि दिसम्बर में या उसके बाद मार्च माह में होने वाले बजट सत्र में सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। मार्च में भी यही कहा जाएगा कि सूचना आगे देंगे और तब तक सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तथा सूचना उपलब्ध नहीं हो पाएगी।किसी को सूचना से वंचित रखना भी अपराध है।

जहां तक प्रश्न संख्याः 4286 का सवाल है तो इसमें केवल साधारण-सी बात पूछी गई है कि आप जब से हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं और व्यवस्था परिवर्तन का दौर चला है तब से अभी तक आपने कितने शिलान्यास और कितने उद्घाटन किए हैं? इन दो बातों की सूचना मांगी गई है। यह सूचना रिकॉर्ड में होती है। मुख्य मंत्री की प्रत्येक मूवमैंट रिकॉर्ड में होती है। शिलान्यास और उद्घाटन तो रिकॉर्डेड होते ही हैं। यह एक मिनट का काम है लेकिन इसके बावजूद सूचना नहीं दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, आखिरकार हम लोग सूचना के लिए कहां जाएंगे? सदन के अंदर सूचना नहीं मिल रही है। मैं समझता हूं कि यह बहुत विचित्र परिस्थिति है। यदि मैं सरल और सीधी भाषा में कहूं तो यह पांच मिनट का काम है और सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है लेकिन आप इसे उपलब्ध नहीं करवाना चाह रहे हैं।मुख्य मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें कि ये सूचना उपलब्ध क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं? मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनहित की जो सूचना जनप्रतिनिधि मांगते हैं उसे छुपाने से आपका क्या लाभ होने वाला है? आप वह सूचना उपलब्ध क्यों नहीं करवा रहे हैं? यदि हम सदन के अंदर वह सूचना हासिल नहीं कर सकते और प्राप्त नहीं कर सकते तो उसे कहां से हासिल कर सकते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदन में विपक्ष की यह बड़ी विचित्र बात है। पहले सवाल पर पहले माननीय सदस्य ने अपना विड्रॉ कर लिया और दूसरे माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछ लिया। यह अच्छी बात है। हम दूसरे माननीय सदस्य को पूरा जवाब देंगे। यहां भी बड़ी विचित्र बात है कि माननीय सदस्य ने कहा कि सूचनाएं बाद में एकत्रित

02.09.2026/1105/एच0के0/पी0बी0/2

की जाएंगी और विपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर जी ने उस पर आपत्ति की है। हम कोई तथ्य और सूचना नहीं छुपाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको विस्तृत सूचना मार्च महीने में उपलब्ध करवा दी जाए क्योंकि अभी कई भवन बन रहे हैं और कई शिलान्यास इनके समय हुए हैं तथा कई भवन उद्घाटन के लिए लंबित पड़े हैं।...(व्यवधान) आप पहले मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान) मैं आपको वही कह रहा हूं कि मार्च, 2027 में सूचना

उपलब्ध करवा दी जाएगी और वर्ष 2028 में भी हम ही उपलब्ध करवाएंगे। आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कई भवन उद्‌घाटन के लिए लंबित पड़े हैं। सूचनाएं तो शीघ्र ही एकत्रित की जा रही हैं। कुछ सूचनाएं तो आपने स्वंय ही एकत्रित की हैं और आज पहले वाले प्रश्न के संदर्भ में आगे चर्चा भी होनी है। उस चर्चा का जवाब जब श्रम एवं रोजगार मंत्री जी देंगे और उसमें जहां मुझे जरूरत होगी वहां मैं भी जवाब दूंगा। मैं इतना कह सकता हूं कि पहले प्रश्न में हमने पूर्व सरकार से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं और दूसरे प्रश्न में हमने पूर्व सरकार से ज्यादा शिलान्यास और पट्टिकाएं उस आधार पर की हैं जहां बजट का प्रावधान किया गया है।

02.09.2026/1105/एच0के0/पी0बी0/3

प्रश्न संख्याः 4674

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में पंचायत घर बनाने के लिए जो राशि आबंटित की गई है उसकी टेंडर प्रक्रिया में बहुत विलंब हो रहा है। अभी तक सात पंचायत घर ऐसे हैं जिनके लिए एक वर्ष पहले बजट आबंटित किया गया था लेकिन उनकी टेंडर प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। दूसरा, मैं एक और विषय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

02.09.2026/1110/एच0के0-ए0पी0/-01

प्रश्न संख्या 4674 जारी .....श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी .....

कुछ पंचायत घर बन चुके हैं लेकिन उनके लिए फर्नीचर का इंतजाम नहीं है। तीसरा, जो पंचायत घर बनाए जा रहे हैं उनके लिए जमीन डोनेट की जा रही है। एफ0आर0ए0 में आप इसको स्टेट से रिकमेंड करके केन्द्र सरकार को भेजें ताकि जो 13 पंचायत घर एफ0आर0ए0 में आते हैं। अगर पंचायत घर उसमें आएगा तो पंचायत घर बहुत सुंदर बनेंगे। लोग पांच-आठ-दस-बीस बिस्वा जमीन डोनेट कर रहे है और उस जमीन में

पंचायत घर बनाए जा रहे हैं। एफ0आर0ए0 में पंचायत घर बनाने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस है और एफ0आर0ए0 में पंचायत घरों को अलॉट नहीं किया जा रहा है। अगर पंचायत घर एफ0आर0ए0 में आते हैं तो ये फॉरेस्ट की अच्छी जगह पर बन सकते हैं और सुंदर बन सकते हैं। जिन पंचायत घरों का काम कम्प्लीट होने वाले हैं, उनमें से कुछ पंचायत घरों का 90-95 प्रतिशत तक काम हो चुका है। उन्हें कम्प्लीट करने के लिए थोड़े-थोड़े पैसे चाहिए। मंत्री महोदय, यह आश्वासन दें कि जिन पंचायत घरों में 70 प्रतिशत से ज्यादा काम हो चुका है, उनको कम्प्लीट किया जाए और उनमें फर्नीचर भी दिया जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह वर्मा जी को बताना चाहूंगा कि गत तीन वर्षों में, हालांकि प्रश्न तो इन्होंने कुछ और पूछा था कि कितने पैसे आए है। कितनी-कितनी धनराशि आई है और कितनी व्यय हुई है। उसका विस्तार से उत्तर हमने टेबल पर ले किया है। लगभग 3,64, 66, 000 रुपये गत तीन वर्षों में केवल चौपाल विधान सभा क्षेत्र में आए हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की पहल से नये पंचायत भवनों को बनाने की राशि को 33 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.14 करोड़ रुपये किया गया है। उसी के तहत ये राशियां सभी विधान सभा क्षेत्रों में लगभग बराबर-बराबर दी जा रही हैं। आपने दो-तीन प्रश्न पूछे हैं। आपने पूछा कि एफ0सी0ए0 में पंचायतें बनाने के लिए लोग जमीन डोनेट कर रहे हैं और उसमें

02.09.2026/1110/एच0के0-ए0पी0/-02

एफ0सी0ए0 का प्रोविजन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचायत कम्युनिटी सेंटर के नाम से सभी लोग एफ0आर0ए0 करवा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन हुई थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग भी हुई थी। वर्ष 2022-23 में एक नोटिफिकेशन आई थी जिसे विद-ड्रॉ किया गया था। लेकिन अब बहुत आसान प्रक्रिया से एफ0आर0ए0 के तहत पंचायत कम्युनिटी सेंटर पास हो रहे हैं। अभी ठियोग में भी ऐसा एक केस हुआ है और उसमें एक महीने के अंतराल में ही डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने उसकी सारी कोऑर्डिनेट फॉर्मेलिटीज पूरी करके सैंक्शन दी है। आप जो डोनेट वाली जमीन की बात कर रहें है, वह लोगों की स्वैच्छिक इच्छा है। अगर जमीन डोनेट करनी है तो मिनिमम क्राइटेरिया दस

बिस्वा का है। पहले हम देखते थे कि गांव में पंचायत की सबसे बेकार जमीन, दो-तीन बिस्वा में लोग कहते थे कि इसमें पंचायत घर बना लें। हमने मापदंड बनाए हैं कि दस बिस्वा से कम जमीन अगर डिपार्टमेंट के नाम नहीं होगी तो हम सैंक्शन नहीं करेंगे। इसी के तहत अनेक जगहों पर दो-तीन बीघा जमीन पंचायतों के नाम हो रही है। ठियोग की डिटेल अभी मेरे पास नहीं है कि वहां कितने एफ0आर0ए0 हुए हैं। मैं आपको ठियोग और चौपाल की डिटेल उपलब्ध करवा दूंगा। इसलिए एफ0आर0ए0 में आप लोग दस बिस्वा से ज्यादा जमीन की उपलब्धता के अनुसार फॉरेस्ट को अप्लाई करवाएं। इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं ताकि हम ब्लॉक से उसके पेपर्स जल्दी मूव करें। आजकल एक-से-डेढ़ महीने में यह प्रक्रिया पूरी हो रही है। मेरा सदन से भी निवेदन है कि एक बीघा से ज्यादा की जमीन ही लें और ग्राम पंचायतों को रूरल डेवलपमेंट के नाम या पंचायती राज के नाम जमीन करवाएं ताकि भविष्य में अगर कोई अन्य स्कीम आती है तो आपकी पंचायत में उसी जगह पर उसका निर्माण किया जा सके। इसके बाद आपने फर्नीचर की बात की है। जितनी भी नई पंचायतें प्रदेश में बनी हैं। अभी जो नई पंचायतें हमने नोटिफाई की हैं। उनके लिए पचास हजार रुपये हर पंचायत को देने का बजट पहले ही आ चुका है और हमने कुछ राशि अलॉट भी कर दी है। इसमें अलावा हमारे पास फर्नीचर के लिए कोई और प्रोविजन नहीं है। इसलिए नई पंचायतों को पचास-पचास हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। 16वें वित्त आयोग से पंचायतों को पैसे आएंगे। एम0एल0ए0 निधि में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने

02.09.2026/1110/एच0के0-ए0पी0/-03

फाइनेंस से नोटिफिकेशन करवा दी है कि सभी एम0एल0ए0 पंचायत घर के फर्नीचर आदि के लिए एम0एल0ए0 निधि से अमाउंट दे सकते हैं। नई ग्राम पंचायतों के लिए 50,000 रुपये देने का प्रावधान है, इसमें पुरानी पंचायतें नहीं हैं। (माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी की बात का उत्तर देते हुए।)

श्री ए0टी0 जारी .....

02.09.2026/1115/AT/YK/01

प्रश्न संख्या 4674 जारी……ग्रागीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जारी….

हम सभी नई ग्राम पंचायतों के लिए पचास हजार रुपये प्रति ग्राम पंचायत के हिसाब से राशि हमने पहले ही आवंटित कर दी है। अब विधायक निधि से भी आप लोग इसमें फर्नीचर के लिए राशि डाल सकते हैं।

श्री बलबीर वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कुछ पंचायत घर सब-ज्यूडिस हैं लेकिन उन पर स्टे नहीं लगा हुआ है। इसके बावजूद विभाग ने पिछले तीन-चार-पांच साल से उनमें कोई कार्य शुरू नहीं किया है। जैसे टीकरचरेन और पुंद्रचनौत के पंचायत घर हैं। इन पर स्टे नहीं लगा हुआ है, लेकिन वहां पर चार साल से कार्य नहीं हो रहा है और उन पंचायतों के लिए बजट भी उपलब्ध है। विभाग कहता है कि यह मामला सब-ज्यूडिस है। सब-ज्यूडिस होने का मतलब है कि कोर्ट की कार्यप्रणाली चलती रहेगी, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है। मेरा कहना है कि जिन दोनों कार्यों पर स्टे नहीं लगा हुआ है, उन कार्यों को शुरू किया जाए।

ग्रागीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: अध्यक्ष महोदय, विधायक निधि से पचास लाख रुपये तक की लिमिट अभी है। अगर सभी मेंबर चाहेंगे, तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं है। यह पहली बात है।

दूसरी बात, जो हमने कहा है कि 70 प्रतिशत कार्यों में से कुछ कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनके टेंडर नहीं लगे हैं। बजट पहले से ही पड़ा हुआ है। **मैं पूरी डिटेल मंगवाकर आपके साथ भी शेयर करूंगा और सदन में भी ले-डाउन करूंगा कि चोपाल विधान सभा क्षेत्र में कितने पैसे पड़े हुए हैं, जिसका कार्यों का काम शुरू नहीं हो पाया है और किस कारण से नहीं हो पाया है।** अगर कोई मामला सब-ज्यूडिस है और कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है पर उसमें स्टे नहीं है, तो उस पर लीगल ओपिनियन लेकर हम काम शुरू कर सकते हैं। **दूसरा, जितने भी पैसे पड़े हुए हैं और जिन मामलों में कोर्ट में कोई केस नहीं है, उनके आज से 45 दिन के अंदर, सभी के टेंडर लगा दिए जाएंगे।**

02.09.2026/1115/AT/YK/02

प्रश्न संख्या - 4675

श्री विनोद सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, JICA का मुद्दा पहले भी चर्चा में आया था। इसमें हमारी तरफ से जो फॉल्ट फाइंडिंग हुई है, उसमें हम यह पा रहे हैं कि इन्होंने पैरलल स्कीम्स को अपना लिया है और उसमें फंड के मिसएप्रोप्रिएशन की हमें शंका है। मैंने यह बात माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष भी रखी थी कि कोट-बेजा पंचायत और देवठी पंचायत में IPH द्वारा जो स्कीम बनाई गई है, उसकी पैरलल स्कीम को इन्होंने अपने स्तर पर दिखा रखा है। मैं समझता हूं कि इसका जो रिकमेंडेशन है और इसमें जो जवाब आया है, उसमें यह कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, उसमें कल्टीवेबल कमांड एरिया (Cultivable Command Area) को ध्यान में रखा जाता है और उसी के आधार पर ये प्रोजेक्ट लागू होते हैं। सर, अगर आप जमीनी स्तर पर देखें तो जो वास्तविक किसान हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। एक नेक्सस है, जिस पर न तो ऑडिट हो रही है और न ही उसकी क्वालिटी के सिस्टम की हमें जानकारी मिल रही है। इस प्रोजेक्ट की जो बेसिक स्ट्रेंथ है, जो इसका मूल उद्देश्य और वास्तविक लाभ है, वह सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। This is what I want to speak in the Hon'ble House.

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा Japan International Cooperation Agency (JICA) के बारे में बताना चाहता हूं। यह प्रोजेक्ट Japan International Cooperation Agency के माध्यम से चलाया गया है, जिसमें हमारा ODA (Official Development Assistance), शामिल है और हमारे कृषि विभाग के लोग इस प्रोजेक्ट को एक्जीक्यूट करते हैं।

शुरुआत में यह प्रोजेक्ट जून, 2021 से लेकर वर्ष 2029 तक का है। इसकी कुल एलोकेशन लगभग 110,006 करोड़ रुपये की थी। इसमें जापान का शेयर 807.3 करोड़ रुपये है और हिमाचल सरकार का शेयर 203 करोड़ रुपये है।

02.09.2026/1115/AT/YK/03

यह प्रोजेक्ट जब आया था, उस समय मैं IPH मंत्री था। उस वक्त भी यह प्रोजेक्ट मेरे पास आया था और मैंने उस समय इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हमने कहा था कि जब आप इस प्रोजेक्ट को एक्जीक्यूट करेंगे, तो हमारी जो पारंपरिक कुलें हैं, वे सारी की सारी that is managed by the humanity. हमारे लोग इन कुलों का रखरखाव करते हैं और इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लिया गया। इसका जो शुरुआती कॉन्सेप्ट है, उसमें पूरे क्षेत्र का सर्वे किया जाता है और लाभार्थियों को देखा जाता है।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी....

02.09.2026/1120/av/ag/1

प्रश्न संख्या : 4675------- क्रमागत-----कृषि मंत्री--------- जारी

पहले उस प्रोजैक्ट को जापान और हमारे एक्सपर्ट चिन्हित करते हैं तथा उस एरिया को मार्क कर लिया जाता है। वहां लाभार्थियों के समूह, महिला मण्डल और ऑर्गेनाइजेशन्ज बनाई जाती हैं तथा उसके बाद उस प्रोजैक्ट को एग्जिक्यूट किया जाता है। यहां पर जैसे माननीय विधायक ने कहा कि जायका प्रोजैक्ट के तहत कसौली विधान सभा क्षेत्र में 6 फ्लो इरिगेशन स्कीम्ज को लिया गया है जिनके ऊपर 4,95,44000/- रुपये खर्च होने हैं। ये कोई नई कुहलें नहीं हैं, ये एग्जिस्टिंग कुहलें हैं जिनकी रीमोडलिंग पर पैसा खर्च होना था। **अगर इसमें किसी किस्म की कोई ख़ामी है या काम सब-स्टेंडर्ड हुआ है तो इसकी पूरी जांच की जाएगी और दोषी को दण्डित किया जाएगा।**

श्री विनोद सुल्तानपुरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाह रहा हूं कि यह प्रोजैक्ट एग्जिस्टिंग प्रोजैक्ट है। इसकी क्वालिटी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रोजैक्ट को रीमोडल किया जा रहा है परंतु इसमें क्वालिटी वर्क नहीं हुआ है और न ही इसमें कोई चैक है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इसमें कोई आन्सरेबल नहीं है। मैं समझता हूं कि इसका ऑडिट होना चाहिए। इस प्रोजैक्ट के ऊपर इतना पैसा लगाया है

जैसे अभी माननीय मंत्री ने बताया है तो none (six schemes) of them have been completed. This is what I want to say.

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को आश्वस्त करना चाहता हूं कि **अगर इस प्रोजैक्ट में किसी प्रकार की डिस्क्रीपेंसी या काम सब-स्टेंडर्ड काम हुआ तो उसकी पूरी छानबीन की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध एक्शन प्रपोज होगा। वहां के जो ऑफिसर्ज इस जायका के प्रोजैक्ट को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इस प्रोजैक्ट की इंसपैक्शन रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर सब्मिट की जाए।**

02.09.2026/1120/av/ag/2

प्रश्न संख्या : 4676

अध्यक्ष : श्री दलीप सिंह (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 4677

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा विस्तारपूर्वक उत्तर दिया गया है परंतु मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं और हम इन प्रोजैक्ट्स को सीमित नहीं कर सकते। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बाड़ीधार, कांगरीधार और कठपोल इत्यादि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर रोपवे का पोटेंशियल है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में पोटेंशियल हैं क्या वहां के लिए भी रोपवे परियोजनाएं प्रस्तावित हैं या सरकार इस प्रकार का विचार रखती है?

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत): अध्यक्ष महोदय, इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 6 रोपवेज के टेंडर अवार्ड करके उनका काम शुरू कर दिया गया है। जिसमें पलचान-रोहतांग रोपवे 340 करोड़ रुपये, माता चिन्तपुरनी मंदिर रोपवे (ऊना) 76.50 करोड़ रुपये, बिजली महादेव रोपवे (कुल्लू) 278.62 करोड़ रुपये, बाबा बालक नाथ मंदिर रोपवे (हमीरपुर) 65 करोड़ रुपये, कुल्लू (ढालपुर)-पीज रोपवे 80 करोड रुपये और नड्डी व्यू-प्वाइंट (धर्मशाला)

जिपलाइन 7.41 करोड़ रुपये का है। माननीय सदस्य ने भी कई बार मुख्य मंत्री जी के समक्ष अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामला उठाया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह भारत सरकार की 'पर्वतमाला' स्कीम है। जिसके अंतर्गत हमने भारत सरकार को लगभग 40 प्रोजैक्ट्स भेजे हैं जिसमें माननीय सदस्य का बाड़ीधार का प्रोजैक्ट भी भेजा गया है।

श्री रणधीर शर्मा टी सी द्वारा जारी

02.09.2026/1125/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
प्रश्न संख्या : 4677..... क्रमागत्

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। यदि हमें पर्यटन के नये डेस्टिनेशन और नये पर्यटन केंद्र विकसित करने हैं तो पहाड़ों पर सड़कें बनाने के बजाय रोपवे बनाकर नये डेस्टिनेशन विकसित किए जाएं। इससे पर्यटकों को अधिक सुविधा होगी और वे अधिक आकर्षित भी होंगे। परंतु देखने में आया है कि रोपवे की कॉस्ट इतनी अधिक है कि प्राइवेट इन्वेस्टर इसमें अधिक रुचि नहीं लेते क्योंकि इसमें इन्वेस्टमैंट अधिक है और आउटपुट कम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में रोपवे को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर को कोई इनसेंटिव देने का विचार रखती है? क्या टैक्स रेट के संबंध में कोई ऐसा इनसेंटिव दिया जा सकता है ताकि अधिक-से-अधिक रोपवे हिमाचल प्रदेश में लगाए जा सकें?

दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र श्री नैना देवीजी में वर्ष 2009-10 में पंजाब से श्री आनंदपुर साहब और श्री नैना देवीजी मंदिर को जोड़ने के लिए एक रोपवे की योजना बनाई गई थी। इसमें पंजाब सरकार के साथ हिमाचल सरकार का समझौता हुआ था और दोनों सरकारों को इन्वेस्ट करना था तथा उस रोपवे का निर्माण करना था। परंतु वर्ष 2012 में सरकार बदलने के बाद उस

समझौते को रद्द कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने प्रयास किया कि प्राइवेट इन्वेस्टर उस रोपवे का निर्माण करें। टेंडर भी लगाए गए लेकिन हमारे इन्वेस्टर ने इसमें रुचि नहीं दिखाई क्योंकि इसकी कॉस्ट अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दो अलग-अलग समुदायों के तीर्थ स्थानों को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण रोपवे के निर्माण के लिए क्या सरकार अलग से विचार करेगी? क्या एशियन डवलपमैंट बैंक की सहायता के माध्यम से या पंजाब सरकार के साथ फिर से समझौता करके अथवा प्राइवेट इन्वेस्टर के माध्यम से इस रोपवे का निर्माण करवाने पर सरकार विचार करेगी? यह रोपवे भाई-चारे की भावना विकसित करने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

02.09.2026/1125/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मंत्री जी ने उद्योग मंत्री जी को इस विषय पर जवाब देने के लिए ऑथोराइज किया है और उन्होंने इसका रिप्लाई भी दिया है। मैं रोपवे के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हम काफी वर्षों से रोपवे के बारे में सुन रहे हैं। पूर्व मुख्य मंत्री श्री धूमल जी के समय में भी इस बारे में विचार किया गया था, इसमें चाहे श्री नैनादेवी जी की बात हो या शिमला में रोपवे की बात हो। शिमला में हम रोपवे लगाना चाहते थे लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत अधिक हो गई थी। इसकी 1,200 करोड़ रुपये की ई0ए0पी0 थी जो ब्रिक्स बैंक से स्वीकृत हुई थी लेकिन जब हमने टेंडर का आकलन किया तो इसकी लागत 2,700 करोड़ रुपये हो गई। एक-दो वर्ष तक उस पर फैसला नहीं हो पाया। जब फैसला नहीं हो पाया तो हमारे पास उसे कैंसिल करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा।

पिछले दिनों हमारी कैबिनेट की बैठक हुई। उस बैठक में हमने सभी प्रकार के मोड के ऑप्शंस को ओपन रखा है। हम पी0पी0पी0 मॉडल पर भी जाना चाहते हैं और ई0ए0पी0 के माध्यम से भी करना चाहते हैं। ई0ए0पी0 के लिए हमारा जो एलोकेशन 1,200 करोड़ रुपये का है उसकी तुलना में अब रोपवे की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अधिक हो गई है। इसलिए 1,200 करोड़ रुपये की ई0ए0पी0 के माध्यम से शिमला में तारादेवी से जुड़कर

जाखू और जाखू से आगे के क्षेत्रों को रोपवे से जोड़ने का प्रयास है जिससे ट्रैफिक का डी-कंजैशन भी होगा। इसी तरह जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, उन्हें भी हम रोपवे से जोड़ना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए मुख्य प्रॉब्लम पी0पी0पी0 मोड पर देने में है। आपने जो दो बातें की हैं उनमें एक यह है कि पी0पी0पी0 मोड पर देने के लिए किस प्रकार के इनसेंटिव दिए जाएं, क्या हम उन्हें बी0जी0एफ0 अर्थात वायबिलिटी गैप फंडिंग दे सकते हैं? लेकिन रोपवे में वे प्रति-पैसेंजर मांगते हैं। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि प्रति-पैसेंजर के आधार पर हमारी स्टेट को कितना फाइनैंशियल नुकसान होगा? ट्रेजरी से हर साल हमें 100 या 200 करोड़ रुपये प्रति पैसेंजर का देना पड़ेगा यानी खाली ट्रॉली पर भी भुगतान करना पड़ेगा। यदि रोपवे में खाली ट्रॉली जा रही है तो भी हमें तीन या चार पैसेंजर के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग देनी पड़ सकती है।

अध्यक्ष महोदय, पी0पी0पी0 मोड पर यदि कोई आना चाहे तो उसका जो टर्म ऑफ लीज है जैसे 30 साल है उसे 35 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि

02.09.2026/1125/टी0सी0वी0/ए0जी-3

ई0ए0पी0 से हमें 1,200 करोड़ रुपये मिले हैं जो शिमला शहर के लिए हैं। प्राइवेट क्षेत्र में तो हम प्रसन्न हैं और यदि आपके ध्यान में कोई प्राइवेट रोपवे वाला आना चाहता है तो हम चाहते हैं कि जो भी प्रोजैक्ट हैं उन पर प्राइवेट क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

2-9-2020/1130/NS-AS/1

प्रश्न संख्या : 4677 -------क्रमागत------मुख्य मंत्री -----जारी

लेकिन शिमला में हमारे पास 1200 करोड़ रुपये की एक किटी पड़ी है। उसके लिए मैं देख रहा हूं कि इसको कैसे खर्च करना है? हमारे पास अगर कोई प्राइवेट पार्टी आती है तो हम इस रोपवे को लगाने की तरफ बढ़ेंगे। सभी पर्यटक स्थलों पर जहां हिली टेरेन होती है वहां

रोपवे बहुत ज्यादा चलते हैं और हम इस कोशिश में हैं कि रोपवे के माध्यम से पूरे प्रदेश को जहां जरूरत हो वहां जोड़ा जा सके।

Speaker: The Honourable Chief Minister has explained everything thoroughly. जब गवर्नमैंट ने बोल दिया कि अभी हमारे पास तो कुछ नहीं है सरकार पी0पी0पी0 मोड में भी करने को तैयार हैं, प्राइवेट में भी अगर कोई आता है तो हम तैयार हैं। इसके बाद तो कोई सप्लीमैंटरी ही नहीं रहती है। बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। अब माननीय डॉ0 हंस राज जी आप क्या कहना चाहते हैं?

डॉ0 हंस राज : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चम्बा में खजियार से चम्बा चौगान तक रोपवे प्रस्तावित था। दूसरा, चौरासी टैंपल से भरमाणी माता का प्रस्तावित था और तीसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण रोपवे बनौडी से लेकर वाया साच पास पांगी है तथा इनके लिए भारतमाला में और अन्य योजनाओं मे भी प्रपोजलें भेजी गईं हैं, डी0पी0आर0 भी बनी और सबमिट भी हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि इनकी आज के समय में क्या वस्तुस्थिति है? मुख्य मंत्री जी क्या आप चम्बा के पर्यटन को या चम्बा के युवाओं के रोजगार को देखते हुए इस संदर्भ में कोई कदम उठाएंगे और चम्बा के इन तीन-चार महत्वपूर्ण रोपवेज को आगे प्रस्तावित करेंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने अपनी बात में सारी बातें कह दी थीं लेकिन फिर भी चम्बा के संबंध में और स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि आपके दिमाग में जो बातें हैं वे सब सदन में आएं और हमें भी पता लगे ताकि हम आगे बढ़ने से पहले जो क्वेरीज़ हैं उनको भी दूर कर सकें। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो प्रस्तावित होते हैं और मेरे पास तो कई रोपवे वाले आए, कोई दिल्ली मिलता है, कोई शिमला में मिलता है और कहते हैं कि हम ये कर देंगे लेकिन वे दोबारा मुड़कर नहीं आते। कई

2-9-2020/1130/NS-AS/2

विषय ऐसे हैं जिनको देखने की जरूरत है। जो भी रोपवे प्रस्तावित होते हैं वे सिर्फ प्रस्तावित ही होते हैं। कई तो ऐसे भी होते हैं जो एम0ओ0यू0 भी करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप एम0ओ0यू0 क्यों करना चाहते हैं? इसमें एम0ओ0यू0 करके वे फिर पैसा लेते हैं

और कहते हैं कि हमारा इस गवर्नमैंट से एम0ओ0यू0 हो गया। इसलिए हम सब विषयों की वस्तुस्थिति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि रोपवे हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। पिछली सरकार ने भी इस पर काम किया, रोपवे कॉर्पोरेशन बनाई और रोपवे कॉर्पोरेशन के बाद उनकी टैंडर प्रक्रिया में गए। लेकिन रोपवे की स्टडी के लिए वी0जी0एफ0 पर पैसेंजर खाली ट्रॉली का पैसा देना हमें ठीक नहीं लगा। हमें फालतू का पैसा खर्च करना ठीक नहीं लगा। अगर आप सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में कोई पार्टी है और ऐसा कोई जिसको आप भी लाना चाहते हैं तो आप लाइए। हम उसका स्वागत करते हैं कि वह अपने पैसे लगाकर कहीं भी हिमाचल में रोपवे लगा सकता है। हम उसको लैंड दे सकते हैं और अगर वह चाहे तो हाई-एंड होटल बना ले, रेस्टोरेंट बना ले, कोई भी टूरिज्म का प्रोजैक्ट बना ले। हम उसका स्वागत करेंगे।

अध्यक्ष : बहुत से माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं। इससे तो आप इस पर नियम-61 के तहत चर्चा ले आएं। अब माननीय सुधीर शर्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा कि एक रोपवे चामुंडा से हिमानी चामुंडा के लिए प्रस्तावित हुआ था। ऊषा ब्रेको नाम की कंपनी को मिला था। उसकी अद्यतन स्थिति क्या है? दूसरा, क्या पैसेंजर के साथ-साथ फ्रेट रोपवे के ऊपर भी सरकार विचार करेगी? तीसरा, क्या बीड़ के पास क्यूरी से बिलिंग के लिए सरकार के पास ई0आई0ए0 आई है और उसके ऊपर सरकार क्या विचार कर रही है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो मुझे माननीय सदस्य सुधीर शर्मा जी ने कहा है तो मैं उषा ब्रेको की बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं तब विधायक था और मैंने इस संबंध में सवाल पूछे थे। उषा ब्रेको कंपनी ने शिमला का रोपवे भी लिया और हिमानी चामुंडा का भी रोपवे लिया। वे चार साल तक घुमाते रहे। ऐसे रोपवे लगाने का कोई फायदा नहीं है। चार साल के बाद हमारी भी सरकार आई। एफ0सी0ए0 करवाओ, सारी

2-9-2020/1130/NS-AS/3

फॉर्मेलिटीज पूरी करवाओ, पैसे भी लो लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक तो मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो आप पैसेंजर और फ्रेट की बात कर रहे हैं तो हम फ्रेट के मामले में ओपन हैं। वह अपने पैसे से इन्वेस्टमैंट करता है, पैसेंजर ने अपने पैसे से जाना है, वह जितना भी टिकट रखना चाहता है, रख ले पर रोपवे लगा ले। यह कई चीजों में हमने यहां आकर पाया

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

02.09.2026/1135/RKS/As-1

प्रश्न संख्याः 4677 जारी-------मुख्य मंत्री जारी...

है कि कई मामलों में केवल लोन लेने के उद्देश्य से ही रोपवे परियोजनाएं प्रस्तावित की जाती हैं और फिर 10-10 वर्षों तक रोपवे नहीं लग पाता। इसलिए हमारी सरकार इस विषय में गंभीर है। **आपने जहां भी रोपवे लगाने की बात कही है, वहां सरकार खुले मन से रोपवे लगाने वालों का स्वागत करेगी।**

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चिंतपुरनी में जो आप रोपवे लगा रहे हैं वह केवल 700-800 मीटर का है और चिंतपुरनी बाजार को बाईपास करने तक सीमित है। उससे न तो किसी बड़ी चढ़ाई को बाईपास किया जाएगा और न ही क्षेत्र के लोगों को व्यापक लाभ मिलेगा। संपूर्ण क्षेत्र तथा स्थानीय लोगों का सरकार से अनुरोध है कि यह रोपवे किन्नू पेट्रोल पंप से चिंतपुरनी माईदास भवन तक बनाया जाए ताकि वहां के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ऐसा करने से एक बड़ी चढ़ाई बाईपास होगी और अत्यधिक ट्रैफिक की समस्या का भी समाधान होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी? वर्तमान प्रस्ताव ऐसा प्रतीत होता है मानो श्रद्धालुओं से 500 रुपये लेकर बैकडोर एंट्री करवाने की व्यवस्था की जा रही हो। इससे स्थानीय दुकानदारों को भी लाभ नहीं मिलेगा। श्रद्धालु दर्शन करके सीधे मंदिर से वापस चले जाएंगे। इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है कि यदि रोपवे किन्नू से बनाया जाए तो इसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर होगी। इससे एक बड़ी चढ़ाई बाईपास होगी और धर्मशाला मार्ग का एक हिस्सा भी बाईपास हो

जाएगा। यदि सरकार इस परियोजना को विस्तारित करने का प्रयास करे और इस संबंध में आश्वासन दे तो क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाएं पूरी होंगी। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया चिंतपुरनी क्षेत्र के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। ये वहां से विधायक हैं और माता चिंतपुरनी मंदिर के पुजारी भी हैं। इन्होंने जो सुझाव दिया है वह स्वागत योग्य है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा मानना है कि जहां से संभव हो वहीं से रोपवे बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में एक एम0ओ0यू0 भी हुआ है लेकिन अभी उसका इम्प्लीमैंटेशन नहीं हो पा रह

02.09.2026/1135/RKS/As-2

है। **माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर माननीय उप-मुख्य मंत्री से भी विस्तृत चर्चा कर विचार किया जाएगा।** मैं बार-बार यही कह रहा हूं कि आप चाहे 900 मीटर 1,000 मीटर या 1,500 मीटर का लंबा रोपवे लगाना चाहें, सरकार इसका स्वागत करेगी।

श्री केवल सिंह पठानिया (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, धर्मशाला की नड्डी व्यू प्वाइंट जिप लाइन परियोजना को मंत्रिमण्डल से स्वीकृति मिल चुकी है। यह पी0पी0पी0 मोड पर लगभग 7 करोड़ रुपये की परियोजना है और इसे हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी जिप लाइन परियोजनाओं में से एक बताया जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ लगते क्षेत्र गल्लू से नड्डी तक यह परियोजना प्रस्तावित है और इसके लिए 80 लाख रुपये अपफ्रंट मनी भी जमा करवाये जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि लोग यहां निवेश के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने रोपवे ऑफ फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ चार बैठकें की हैं। आज भी यह उत्तर प्राप्त हुआ है कि फॉरेस्ट क्लीयरैंस वर्ष 2026 तक प्रदान कर दी जाएगी जबकि अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान यह कहा गया था कि तीन माह के भीतर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री के प्रयासों से यह कंपनी यहां आई है और इसने अपना कार्यालय भी स्थापित कर लिया है। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस परियोजना की फॉरेस्ट क्लीयरैंस कब तक प्रदान कर दी जाएगी ताकि पी0पी0पी0 मोड पर आने वाले अन्य निवेशकों को भी यह विश्वास हो कि उनके मामले वर्षों तक रेवेन्यू या फॉरेस्ट विभागों में

लंबित नहीं रहेंगे। दूसरा प्रश्न धर्मशाला रोपवे से संबंधित है। धर्मशाला में जो रोपवे संचालित है उसे रोपवे कोर्पोरेशन वाले संचालित करते हो या पर्यटन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा हो लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? यह मेरे विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरता है। जहां से रोपवे प्रारम्भ होता है उसके नीचे बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया है जिसके कारण सुधेड़ क्षेत्र का मार्ग प्रभावित हुआ है और धर्मशाला की कनेक्टिविटी पूरी तरह ठप है। मैं चाहता हूं कि इन दोनों विषयों पर माननीय मुख्य मंत्री जी इंटरवीन करें। मेरा आग्रह है कि रोपवे की फॉरेस्ट क्लीयरैंस की प्रक्रिया समयबद्ध हो ताकि भविष्य में पी0पी0पी0 मोड के अंतर्गत आने वाले देश-विदेश के इन्वेस्टर भी यहां निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हों।

02.09.2026/1135/RKS/As-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है उस पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारा प्रदेश प्रकृति की दृष्टि से अत्यंत खूबसूरत है। यहां रोपवेज के माध्यम से हम ऐसे अनेक अनछुए पर्यटक स्थलों तक पहुंच सकते हैं जिनका अभी पर्याप्त दोहन नहीं हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में श्री केवल सिंह पठानिया जी का क्षेत्र भी शामिल है। हमारे पास स्विटजरलैंड से भी अधिक स्नो-बाउंड क्षेत्र उपलब्ध हैं। हमारे यहां वर्षभर बर्फ वाले अनेक क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को रोपवेज के माध्यम से पर्यटन से जोड़ा जा सकता है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

02.09.2026/1140/बी.एस./डी.सी.-1

प्रश्न संख्याः 4677 क्रमांगत...मुख्य मंत्री जारी...

जहां माननीय सदस्य ने नड्डी की बात की है यह एशिया की सबसे बड़ी जीपलाइन है हमने अभी इनके क्षेत्र में बनाई है। रोपवे के लिए इन्होंने बोला है कि अपफ्रंट प्रीमियम 80 लाख रुपये जमा करा दिया है। मेरा मानना है कि अगर एफ0सी0ए0 के कारण कुछ डिले होगा तो हम एफ0सी0ए0 को स्पीड अप करवाएंगे और तेजी से इसमें काम करवाने की शुरुआत

करेंगे। **क्योंकि मुझे अभी ध्यान में आया है कि आपके क्षेत्र में यह रोपवे है और जो भी एफ0सी0ए0 की कार्रवाई होगी उसमें तेजी लाएंगे। अन्य क्षेत्रों में भी मैंने बार-बार कहा है कि हम इस दृष्टिकोण से पर्यटन की दृष्टि से और ज्यादा इसमें बढ़ावा देंगे।**

02.09.2026/1140/बी.एस./डी.सी.-2

प्रश्न संख्या : 4678

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यहां आपने बी0डी0ओ0, प्रागपुर के वर्ष 2025-26 के जो आंकड़े दिए हैं उसमें केवल 51 मकान स्वीकृत हुए हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो मकान स्वीकृत हुए हैं उनमें कितने ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिनको अभी तक पहली किस्त भी जारी नहीं हुई है?

क्या आपके पास यह इन्फर्मेशन है कि जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है उसमें इस ऑफिस के अंतर्गत आने वाली पंचायतों में कुल कितने पात्र लोग हैं? बहुत-सी ऐसी पंचायतें हैं जहां मकानों की जरूरत है लेकिन किसी-न-किसी लापरवाही के कारण जो लोग हैं उनका वहां सर्वे ठीक नहीं हुआ। क्या आपके पास ऐसी कोई कंप्लेंट पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग बी0डी0ओ0 ऑफिसिज से आई है कि लोगों को मकान की जरूरत है लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही के कारण वे सर्वे में नहीं आए हैं?

अगर ऐसा है और कहीं गलती हुई है तो क्या आप उसको सुधारने के लिए दोबारा सर्वे करवाएंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न तो कुछ और ही पूछा था परंतु इन्होंने जो सप्लीमेंट्री पूछा है उसके अनुरूप बताना चाहूंगा कि प्रदेश में पिछले तीन वर्ष में कुल 87,710 आवासों की स्वीकृति प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई है और प्रागपुर में पिछले तीन वर्ष में 1108 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तर में वर्षवार इसका पूरा ब्योरा दिया है।

माननीय सदस्य जो वर्ष 2025-26 की बात कर रहे हैं कि केवल मात्र 51 परिवार ही एलिजिबल पाए गए हैं उसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो ऐप है वह गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का ही आवास प्लस मोबाइल ऐप है। उसमें जो अप्लाई करता है उसकी वेरिफिकेशन ऐप के द्वारा जियो कॉर्डिनेट्स के द्वारा और अन्य जो एक्सक्लूजन तथा इंक्लूजन के क्राइटेरिया हैं उनको देखकर होती है। इसका पूरा विवरण उत्तर में भी दिया गया है।

02.09.2026/1140/बी.एस./डी.सी.-3

अगर कोई पात्र व्यक्ति रह गया होगा तो उसको हम एक बार फिर से चेक करा लेंगे नहीं तो नैक्स्ट ईयर के अंतर्गत उनको लिया जाएगा। ऐसा हो सकता है, वैसे हमारे को ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं आई हैं कि बहुत ज्यादा पात्र व्यक्तियों को इसमें छोड़ा गया है।

जब आपदा आई थी तब मैं स्वयं गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के पास गया था। उस समय 93,000 मकान गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने आपदा के लिए सैंक्शन किए थे और वह ओवर एंड अबव थे। आप सभी को पता है कि 1.30 लाख रुपये मिलता है। इसमें 10 प्रतिशत स्टेट शेयर है और केन्द्र सरकार 1.17 लाख रुपये का शेयर आता है। इसके अतिरिक्त 20 हजार रुपये का टॉप-अप और 13 हजार रुपये को मिला करके 33 हजार रुपये का स्टेट गवर्नमैंट टॉप-अप उसके ऊपर देती है, प्लस स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बाथरूम भी उनको प्रदान किया जाता है।

अगर कोई छूट गया होगा तो उसके बारे में डिपार्टमैंट से चर्चा करके कि वह कैसे आ सकते हैं क्योंकि इसमें 10 प्रतिशत स्टेट का शेयर है और कुल गवर्नमेंट का शेयर 1,17,000 रुपये का आता है। 20,000 रुपये का टॉप-अप और 13,000 रुपये का स्टेट गवर्नमेंट टॉप-अप उसके ऊपर देती है। यानी कुल 33,000 रुपये का स्टेट गवर्नमेंट टॉप-अप दिया जाता है। प्लस स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक बाथरूम भी उनको प्रदान किया जाता है। क्योंकि इस वर्ष जो आप बोल रहे हैं कि इसमें कम लोगों को शामिल किया गया है। मैं पूरे हाउस को बताना चाहूंगा कि इसमें जनरल हाउस नहीं हुआ था। अभी सितंबर या अक्तूबर में जनरल हाउस होगा उसमें ये सारे मकान पास होकर तभी उनको स्वीकृति मिल पाएगी।

हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि कौन पात्र व्यक्ति छूट गए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी करेंगे ताकि इस वित्तीय वर्ष में नहीं तो अगले वित्तीय वर्ष में जो भी पात्र व्यक्ति हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकें।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

02.09.2026/1145/DT/DC-1
प्रश्न संख्या 4678 जारी..

श्री चंद्र शेखर : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथी ने जो प्रश्न उठाया है वह बड़ा वाजिब प्रश्न है क्योंकि कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ही बहुत-सी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले मकान में पहले मां के नाम पर मकान अनुमोदित हुआ और उसके बाद उसी परिवार के बेटे के नाम पर भी मकान अनुमोदित हो गया है। परंतु जो वास्तव में पात्र लोग हैं वह इससे वंचित हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ चाहे पंचायत सचिवों के स्तर पर गड़बड़ी हुई है चाहे उनसे निम्न के कर्मचारी के स्तर पर हुई है या फिर चाहे उसमें पंचायतों के पदाधिकारी के स्तर पर गड़बड़ी हुई है, लेकिन पात्र व्यक्ति कई जगह इस योजना के लाभ से वंचित रह गया है। इस बार जैसे ही नई पंचायतें बनीं वैसे ही जनरल हाउस बुला लिया गया और यह कहा गया कि जो पुराने अनुमोदन हैं या जो पुराना प्रस्ताव हैं, उसी को अनुमोदित किया जाए। उसके बाद ही इस विषय पर ज्यादा शोर मचा है। इसलिए मैं अपने आपको इस प्रश्न में शामिल कर रहा हूं। क्या माननीय मंत्री जी और सरकार इस बात को सुनिश्चित कर पाएगी कि जो गलत सर्वे हुए हैं उस सर्वे को पुनः करवाकर जो पात्र लोग हैं उनको इसी वर्ष इस सूचि में शामिल किया जाए? इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी नोटिफिकेशन जारी हो जिसमें करेक्शन की व्यवस्था हो जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा और उससे स्वस्थ वातावरण बनाने में हम सहयोग दे पाएंगे। यही मुझे पूछना था।

ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो लोग रह गए हैं उनके संबंध में हमारे सदस्य श्री चंद्र शेखर जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे पास भी कंप्लेंट्स आती हैं कि एक ही परिवार के दो-दो व्यक्तियों को कई बार मकान अलॉटिड कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे परिवार रजिस्टर में अपना नाम अलग परिवार के रूप में

दर्ज करवा लेते हैं। यह भी इसका एक बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर किसी को गलत तरीके से मकान मिला है तो उसके विरूद्ध आप अपीलेट अथॉरिटी के पा अपील कर सकते हैं। विभाग भी इस विषय को चेक करेगा क्योंकि अक्सर यह पाया गया है कि ग्राम पंचायत में वोट्स पाने के कारण प्रधानों द्वारा तथा पंचायत द्वारा इस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। अगर संभव हो सका तो जनरल हाउस के साथ-साथ हम लोग डायरेक्ट बी0डी0ओ0 से एप्लिकेशन्स लेकर वहां से वेरिफिकेशन भी करवा दिया करेंगे। जो लोग छूट गए हैं उनके लिए जो नेक्स्ट सर्वे

02.09.2026/1145/DT/DC-2

किया जा रहा है और जो नेक्स्ट पाँच वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश को टारगेट मिला है उसमें करीबन दो लाख अठारह हजार घरों का टारगेट भी हमें मिला है। यह अभी अंडर वेरिफिकेशन है और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इसकी प्रक्रिया चल रही है। जो लोग पात्र लोग छूट भी गए हैं उनसे नेक्स्ट जनरल हाउस में अप्लाई करवाकर उनकी भी वेरिफिकेशन करवा लेंगे। मैं भी चाहूंगा कि सभी एम0एल0ए0 इस विषय में जागरूक रहें क्योंकि जब कोई स्कीम आती है तो हम लोग ही पंचायत में अपना मैसेज अपने लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। हम डिपार्टमेंट की तरफ से तो इसे करेंगे ही लेकिन सभी माननीय एम0एल0ए0 से भी निवेदन रहेगा कि वे भी अपने-अपने ग्राम पंचायत में जो इस योजना के लिए पात्र व्यक्ति हैं, जो सभी गाइडलाइंस को पूरा करते हैं, उनके पेपर्स टाइमली जमा करवा दें।

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिला सिरमौर में सात ब्लॉक हैं—नाहन पच्छाद, पांवटा-साहिब, राजगढ़, संगड़ाह, शिलाई और तिलोरधार। कुल घर जो अब तक संकलित हुए हैं वे 9,703 हैं। वर्ष 2025-26 में केवल 179 घर सेक्शन हुए हैं। जो 9,753 घर संकलित हुए हैं उनमें से कितने घर अभी तक कंप्लीट हुए हैं, कितने घर अधूरे हैं और कितने घरों का काम शुरू नहीं हुआ है? काम न शुरू होने बाद भी अभी कितने घरों का काम अधूरा है? इस संबंध में मंत्री जी मुझे विधान सभा क्षेत्रबार जवाब दें, यह मेरा आग्रह हे। देने का आग्रह है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि सिरमौर में केवल 179 घर ही सैंक्शन हुए हैं। इन घरों की सैंक्शन हमारे हिसाब से नहीं होती है। कोई टारगेट नहीं है कि एक जिले का यह टारगेट है या एक ब्लॉक का यह टारगेट है। जो व्यक्ति अप्लाई करेगा और यदि वह पात्र व्यक्ति है तो उसका अपने आप ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा। मेरे पास अभी यह जानकारी नहीं है कि 9,753 में से कितने आवास का काम शुरू नहीं हुआ है। इसमें मुख्य कारण भूमि उपलब्ध न होना भी होता है।

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो घर अधूरे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूं।

02.09.2026/1145/DT/DC-3

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : हां। वास्तव में इसमें तीन चरणों में इसकी किस्त मिलती है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई मकान सैंक्शन होता है तो उसके लिए प्रथम किस्त 65,000 रुपये मिलती है। 52,000 रुपये लैंटर डालने पर मिलते हैं और 13,000 रुपये तथा 20,000 रुपये का टॉप-अप जब मकान पूरा कर लेते हैं तब मिलता है। इस प्रकार तीन चरणों में उनको पैसे मिलते हैं। परंतु कई लोग अप्लाई कर देते हैं और उनके नाम पर मकान सैंक्शन भी हो जाता है लेकिन उनके नाम जमीन ही नहीं होती है या फिर मकान बनाने के लिए सरकारी जमीन मांगते हैं।

एन0जी0 द्वारा जारी...

02.09.2026/1150/एच.के.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 4678............जारी------ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री......... जारी

यह थोड़ी-सी एक बेसिक प्रॉब्लम रहती है। इस वजह से भी शुरू नहीं हुए हैं। **मैं आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करवा दूंगा। सिरमौर जिले में 9,753 घर सैंक्शन हुए हैं। उनमें से कितने घरों का काम शुरू हो गया है और जो रह गए हैं, वे किस कारण से शुरू नहीं हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा।**

अध्यक्ष महोदय, जो 179 घरों की बात कर रहे हैं तो ये वित्तीय वर्ष 2025-26 में केवल डिजास्टर-अफेक्टेड फैमिलीज़ को भारत सरकार द्वारा दिए गए थे। इसलिए पिछले वित्तीय वर्ष में हमारा फिगर कम है।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो सप्लीमेंट्रीज़ आई हैं और मंत्री महोदय, मुझे लगता है कि यह बड़ा सीरियस मैटर है। चाहे माननीय सदस्य, श्री चंद्र शेखर ने कहा या माननीय सदस्य, श्री सुख राम चौधरी ने कहा। बीच में इसका ऑडिट होना जरूरी है। कई लोगों को दो किस्तें मिल गई हैं, काम बिल्कुल ठीक चला हुआ है, बिना मतलब से उनकी तीसरी किस्त नहीं दी जा रही है और डिले हो रहा है। एक बार इसके बारे में क्रॉस-चेक करना चाहिए व मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए, ताकि इसका पता चले और जो गलत हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। सर्वे में भी ऐसा ही हुआ है। मुझे लगता है कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आपसे मेरा एक प्रश्न भी है कि यह जो 7 लाख रुपये का विशेष राहत पैकेज दिया गया है, आपदा प्रभावित लोगों को जो 7 लाख रुपये मिलते हैं, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भी शामिल है? क्या इसको भी उसी में जोड़ा गया है? क्या 7 लाख रुपये में ही यह पैसा शामिल है या अलग से है? यानी जिसको 7 लाख रुपये मिले, क्या उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भी जोड़कर देते हैं?

02.09.2026/1150/एच.के.-एन.जी./2

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहली बात, अगर उन्होंने कभी अप्लाई किया था और वे पात्र व्यक्ति थे, तो इफेक्टेड फैमिली को भी मिला है। आप बोल

रहे हैं कि 7 लाख अमाउंट के बारे में तो यह भी इंक्लूडेड है। एक आदमी को एक ही स्कीम मिलेगी। बाकी जो टॉप-अप है, जैसे 20,000 रुपये और 13,000 रुपये का टॉप-अप है, तो 7 लाख रुपये में हिमाचल प्रदेश सरकार ने टॉप-अप किया है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो बातें रखी हैं और सभी सदस्यों का एक मत है। वैसे माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने तो पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है। एक बजट और इंक्वायरी से संबंधित बात रखी है। मैं भी जानता हूं कि पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त देने में थोड़ा समय लगता है और तीसरी किस्त में भी समय लगता है। **हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जिसका घर बन जाए, उसकी पूरी किस्त समय पर दे दी जाए।** क्योंकि क्या होता है कि एक किस्त के बाद उनके घर का काम फिर रुक जाता है और बेचारे गरीब आदमी के मिस्त्री भाग जाते हैं। दूसरी किस्त में समय लगता है। काफी समय से यह बड़ी समस्या बनी हुई है। माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से भी चाहूंगा कि इसकी समय-सीमा फिक्स की जाए। **दूसरा, जो आपने इंक्वायरी करवाने की बात कही है कि ऐसे किस्तें क्यों लेट होती हैं, तो इसका एक इंटरनल ऑडिट भी करवा सकते हैं। आपका सुझाव अच्छा है, ऑडिट भी करवाएंगे।** तीसरा, आपने जो टॉप-अप की बात कही। जब आपदा आई थी, उस समय 7 लाख रुपये और 8 लाख रुपये देने का तय किया गया था। हमने उसमें 1,17,000 रुपये भी इंक्लूड किए थे और उसके अलावा बाकी पैसा हमने दिया था।

02.09.2026/1150/एच.के.-एन.जी./3

प्रश्न संख्या - 4679

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से प्रश्न के 'क' भाग के माध्यम से जानने का प्रयास किया था कि 'वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग में कितने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी

कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं कार्यरत हैं तथा इनमें इन श्रेणियों के कितने पद रिक्त पड़े हैं?'। इसका जो उत्तर मुझे मिला है, उसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 376 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 935 पद रिक्त पड़े हुए हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैंने 'ख' भाग के माध्यम से जानने का प्रयास किया था कि 'गत तीन वर्षों में दिनांक 01.08.2026 तक कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए व कितनों को उनकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त ग्रेच्युटी प्रदान की गई?' इसका उत्तर आया है कि

पी0बी0 द्वारा......जारी

02.09.2026/1155/एच0के0/पी0बी0/1

प्रश्न संख्याः 4679 क्रमांगत... श्री हरदीप सिंह बावा...जारी

दिनांक 01 अगस्त, 2026 तक 143 कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान की गई है जबकि 45 कर्मचारियों को नियमित सेवा अवधि 5 वर्षों से कम होने के कारण ग्रेच्युटी प्रदान नहीं की गई है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूता हूं कि यह ग्रेच्युटी उन्हें कब तक दी जाएगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के 12 जिलों में 78 आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि किस प्रकार से रिक्तियां जल्दी भरा दी जाएंगी, as you all know that there are shortfalls और इन्हें उसका उत्तर भी मिल गया है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि महिला एवं विकास निगम के अंतर्गत जो सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं, उसमें 246 पद सुपरवाइजर के, 376 पद कार्यकर्ताओं के और 935 पद सहायिकाओं के रिक्त हैं।

इन रिक्त पदों को भरने का प्रयास किया जा रहा है और ये रिक्त पद निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत शीघ्र ही भर दिए जाएंगे।

जहां तक ग्रेच्युटी का सवाल है, as we know, Gratuity is given under a set formula. Mr. Speaker, Sir, it is given as per a set formula i.e. - Last drawn salary × 15 × Number of years of service ÷ 26. इसलिए जिनको ग्रेच्युटी नहीं मिली है जैसे 143 कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिल गई है और 45 कर्मचारियों को नहीं मिली क्योंकि उनकी 5 वर्षों की सेवा अवधि पूरी नहीं है। **परंतु फिर भी माननीय सदस्य ने जो ग्रेच्युटी का प्रश्न पूछा है, उस पर सरकार विचार कर रही है।**

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी, सरकार और यहां उपस्थित सभी माननीय विधायकों को बताना चाहूंगा कि मैंने ग्रेच्युटी के संबंध में जो बात कही है, उसमें 45 कर्मचारियों की नियमित सेवा अवधि 5 वर्षों से कम होने के कारण उन्हें ग्रेच्युटी प्रदान नहीं की गई है। मैं सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि देश की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार ने 44 श्रम कानूनों को निरस्त कर दिया है। पूर्व की कांग्रेस

02.09.2026/1155/एच0के0/पी0बी0/2

पार्टी की सरकारों के समय जो 44 श्रम कानून बने थे, वे निरस्त कर दिए गए हैं और उनकी जगह चार लेबर कोड्ज बनाए गए हैं। Ministry of Labour & Employment, Government of India की तरफ से चार लेबर कोड्ज में ग्रेच्युटी का जो इश्यू है, उसके अनुसार अगर किसी कर्मचारी ने एक वर्ष या दो वर्ष का कार्यकाल भी किसी इंडस्ट्री, पब्लिक सैक्टर, गवर्नमैंट सैक्टर या प्राइवेट सैक्टर में लगाया है, according to the Labour Codes. तो उसे ग्रेच्युटी दी जाएगी, es बाकी तो 44 श्रम कानूनों को रद्द कर दिया गया है और सरकार ने कर्मचारियों और मजदूरों का हाल खराब कर दिया है।...(व्यवधान) परंतु इन्होंने इन चार लेबर कोड्ज में केवल ग्रेच्युटी के इश्यू का काम किया है। ...(व्यवधान) मैं यह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह सैंट्रल एक्ट है तो क्या उन चार लेबर कोड्ज के तहत इन कर्मचारियों को भी आने वाले समय में ग्रेच्युटी दी जाएगी?

इसके अलावा प्रश्न के भाग (ग) में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील संख्याः नंबर 3153 वर्ष 2022 एस0एल0पी0 संख्याः 30193 वर्ष 2017 में मनीबेन बनाम सरकार के निर्णय अनुसार आंगबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को सेवानिवृति के उपरांत Payment of Gratuity Act, 1972 के अंतर्गत ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान देने का मामला वित्त विभाग से उठाया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक तरफ हमें भाग (ख) में यह कहा गया कि ग्रेच्युटी मिल गई है तो क्या इस केस में भी ग्रेच्युटी मिलेगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट भाषण में सेवारत कर्मचारियों तथा सहायिकाओं, जिसमें सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं, इनके मानदेय में all across the board 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की है।

दूसरी बात, माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ कानून केंद्र सरकार द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

02.09.2026/1200/एच0के0-ए0पी0/-01

प्रश्न संख्या 4679 जारी .....

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी .....

हमारी सरकार ने यह फैसला दिया था श्रम अधिकारी और स्वरोजगार अधिकारी का इसका भी सम्मान करते है। परंतु ग्रेच्युटी देने पर सरकार गंभीर है और इस पर विचार किया जाएगा।

प्रश्नकाल समाप्त

02.09.2026/1200/एच0के0-ए0पी0/-02

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से पुलिस कांस्टेबल (पुरुष एवं महिला) के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि इस विषय में किसी प्रकार की भ्रांति अथवा गलत धारणा न रहे। पुलिस कांस्टेबल (पुरुष एवं महिला) के पदों का विज्ञापन दिनांक 10 जुलाई, 2026 को जारी किया गया था तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई थी। इस निर्धारित अवधि के भीतर ही लगभग 65,000 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा चुका था। इसके पश्चात्, प्रदेश सरकार ने युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी अभ्यर्थियों को एकमुश्त एक वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय का लाभ पात्र अभ्यर्थियों को मिल सके, इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी 15 दिन बढ़ाकर दिनांक 21 अगस्त, 2026 कर दी गई। इस अतिरिक्त अवधि में लगभग 11,000 और आवेदन प्राप्त हुए तथा कुल आवेदनों की संख्या बढ़कर लगभग 77,000 हो गई।

अध्यक्ष महोदय, सरकार यहीं नहीं रुकी। प्रदेश के होम गाड्र्स के हितों और उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें भी एकमुश्त पांच वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की है। इसके साथ ही आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पुनः 15 दिन बढ़ाकर 5 सितम्बर, 2026 कर दिया गया है। इस बढ़ाई गई अवधि के दौरान लगभग 21,000 अतिरिक्त आवेदन प्राप्त हुए हैं। परिणामस्वरूप, दिनांक 01 सितम्बर, 2026 को सायं 7:00 बजे तक पुलिस कांस्टेबल पुरुष एवं महिला के पदों के लिए कुल 98,719 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। ये आंकड़े अपने-आप में यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऑनलाइन पोर्टल पूरी तरह से सुचारू रूप से कार्य

02.09.2026/1200/एच0के0-ए0पी0/-03

कर रहा है। पोर्टल के बारे में भी खबर आई थी कि पोर्टल बंद हो गया है, क्रैश हो गया है। इसलिए मैं यह बताना चाह रहा था। इसलिए यह कहना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऑनलाइन पोर्टल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। इस विषय का एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण व्यावहारिक पक्ष भी है, जिसे सदन के ध्यान में लाना आवश्यक है। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार इन पदों के लिए शारीरिक मानक परीक्षण (Physical Standard Test) तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण (Physical Efficiency Test) प्रदेश के सभी 12 जिलों में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित किए जाने हैं। हम सभी हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक एवं मौसमी परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हैं। यदि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बार-बार और आगे बढ़ाया जाता है तो आगामी शीत ऋतु के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया प्रारम्भ करना कठिन हो जाएगा। सरकार प्रदेश के युवाओं के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। हमने उन्हें अवसर देने के लिए आयु सीमा में छूट भी दी है और आवेदन की अवधि भी दो बार बढ़ाई है। अब हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबित रखने के बजाय इसे निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ताकि पात्र युवाओं को शीघ्र रोजगार का अवसर मिल सके।

02.09.2026/1200/एच0के0-ए0पी0/-04

अध्यक्ष : अब शून्य काल में विषय उठेंगे। Hon'ble Member you want to say something, is it statement, clarification or what? माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल : माननीय मुख्य मंत्री जी ने विस्तार से सारी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। डेट बढ़ाने का जो समय है वह पांच तारीख तक रखा गया है। अभी जब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रवास पर गया था तो कुछ बच्चे मुझसे मिले थे। उन्होंने निवेदन किया है कि पांच तारीख के बजाय इस डेट को आठ-दस दिन और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो

पोर्टल खुलता है उसमें कई बच्चों का नंबर नहीं आ रहा है और वे उससे वंचित रह जा रहे हैं। बीच में दो-तीन दिन छुट्टियां भी थी। उसके कारण भी कुछ मामले लंबित हुए हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि पांच तारीख के बाद का समय इसमें और बढ़ा दिया जाए, धन्यवाद।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

02.09.2026/1205/AT/YK/01

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत लोगों ने आवेदन कर लिया है। बार-बार पोर्टल बनाना उचित नहीं है। अभी चार दिन और हैं। आपके पास जो लोग आए हैं, उनको बोलें कि जल्दी से जल्दी आवेदन करें।

02.09.2026/1205/AT/YK/02

शून्यकाल

अध्यक्षः शून्यकाल में विषय उठाए जाएंगे। पिछले कल माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी का विषय रह गया था। इसके अलावा सात और विषय मेरे पास आए हैं। जो विषय कल दिए गए हैं, वही लिए जाते हैं, we have to send the notice to the respective Department also to find out their viewpoint. मैं सबसे पहले माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वे अपना विषय शून्यकाल के माध्यम से रखें।

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने वर्ष 2025 में अपने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कैडर की बायफर्केशन की है। एक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा चिकित्सा शिक्षा इस तरह से दो कैटेगरी में अपने कैडर को बायफर्केट किया है।

जब इस बायफर्केशन की प्रक्रिया की गई और कर्मचारियों से ऑप्शंस मांगे गए, तब तक कैडर बायफर्केशन की विस्तृत एस0ओ0पी0 जारी नहीं हुई थी। कोई स्पष्टता नहीं थी कि कैडर बायफर्केशन के क्या-क्या आफ्टरइफेक्ट्स कर्मचारियों पर हो सकते हैं, उनकी सीनियरिटी पर क्या फर्क पड़ेगा और प्रमोशन पर क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे सभी विषय उस समय विभाग द्वारा क्लैरिफाई नहीं किए गए थे और न ही स्पष्ट किए गए थे। इसलिए कर्मचारियों ने बायफर्केशन के लिए अपनी-अपनी ऑप्शन दे दी। परंतु ऑप्शन दिए जाने के बाद विभाग ने एस0ओ0पी0 जारी की और उसमें गाइडलाइन्स आईं। उन गाइडलाइन्स के आधार पर बहुत से कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी है। जिस कैडर को उन्होंने अडॉप्ट किया है, उसमें जाने के बाद उनकी सीनियरिटी प्रभावित होगी और उनके प्रमोशन पर भी फर्क पड़ेगा। इसलिए विभाग के कर्मचारी चाहते हैं कि कर्मचारियों को एक मौका और दिया जाए, ताकि वे अपनी ऑप्शन को रिव्यू कर सकें। जब विभाग ने एस0ओ0पी0 जारी की उसके बाद अभी तक कर्मचारियों द्वारा रखी गई यह मांग पूरी नहीं हुई है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों की बात माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी तथा माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष पहुंचाना चाहता हूं कि जो कैडर बायफर्केशन किया गया है, उसमें कर्मचारियों द्वारा दी गई ऑप्शन को रिव्यू करने का एक मौका और दिया जाए। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

02.09.2026/1205/AT/YK/03

अध्यक्षः माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है वह हेल्थ डिपार्टमेंट को सेपरेट कैडर में बांटने का है। Although, briefly I can tell him that the point which he has raised, will receive due attention, but it has a detailed reply. Speaker, Sir, my submission is that If the Hon'ble Member wants a detail reply, I can either send him a written reply which contains many pages and this is a normal pattern of any Zero Hour and which is also followed by the Parliament of India also. But the point which the Hon'ble Member has

told that is very much under our consideration and they should be given an option.

02.09.2026/1205/AT/YK/04

Speaker : You also send this reply to the Hon'ble Member and place it on the Table of the House also. Next issue is from the Hon'ble Member, Shri Satpal Singh Satti.

श्री सतपाल सिंह सत्तीः अध्यक्ष महोदय, मेरे अपने क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। रामपुर गांव हमारा ऊना से दो किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ता है, बिल्कुल डेढ़-दो किलोमीटर। उसका पुल तीन साल पहले उस समय टूट गया था, जब बहुत ज्यादा बारिशें हुई थीं। पुल के जो स्पैन बैठ गए थे, जिसके कारण पुल को बंद करना पड़ा और उसके बाद वहां पर बैली ब्रिज लगाया गया। उस क्षेत्र से जो रोड पंजाब के संतोषगढ़ से होते हुए आता है। रास्ते में इस रोड से बारह गांव जुड़े हुए हैं और इंडियन ऑयल का टर्मिनल भी है, जहां से रोज लगभग 400 तेल के टैंकर निकलते हैं। बहुत बार वहां ऐसा हो गया कि पुल टूट गया, बीच में गाड़ी फंस गई या खड्डु में गाड़ी फंस गई। तो ऐसी आशंका कई बार रहती है

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी....

02.09.2026/1210/av/ag/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती--------- जारी

क्योंकि वहां लगे बोर्ड के अनुसार उस पुल के ऊपर से केवल 18 टन तक माल ले जाने की अनुमति है। परंतु वहां कई क्रशर्ज भी हैं जहां अम्ब, गगरेट इत्यादि साइड से ट्रक पंजाब को 15-15, 20-20 टन बजरी इत्यादि लेकर जाते हैं। इस प्रकार से वह बेली ब्रिज कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है जिसके कारण उसको बंद भी करना पड़ा। उसके क्षतिग्रस्त होने से वहां के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनको बहुत घूमकर आना पड़ता है। मैंने उस ब्रिज के संदर्भ में मुख्य मंत्री जी से भी बात की है कि पैसा

देकर उसका काम शुरू किया जाना चाहिए। वहां दो रोड्ज एक मैहतपुर से ऊना और दूसरा संतोखगढ़ से ऊना के लिए एंट्री है। मेरा मानना है कि ऊना के अंदर एंटर करने वाली 40 प्रतिशत गाड़ियां उस पुल के ऊपर से गुजरती हैं। इसलिए उस पुल के कारण वहां लोगों को बहुत दिक्कते हैं। वह पुल कई बार बैठ चुका है, कहीं वह पुल गिर न जाए और कोई बड़ा हादसा न हो जाए। उस पुल के बारे में अखबारों में भी अनेकों बार खबरें आई हैं। हमने वहां पर एक-दो बार धरने भी दिए। वहां लगभग 12 गांवों के लोग परेशान हैं, मेरा मानना है कि ऊना विधान सभा की लगभग आधी जनसंख्या उस पुल से गुजरती है। आजकल बरसात होने के कारण खड्ड में बहुत पानी आ रहा है। पीछे वहां एक-दो कारें खड्ड में बहने से बच गईं मगर डाउन एरिया होने के कारण लोगों ने वे कारें निकाल दीं। वहां पर भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो इसलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि आप स्वयं इंटरस्ट लेकर उसका पैसा मंजूर करवाकर काम शुरू करवाएं। धन्यवाद।

02.09.2026/1210/av/ag/2

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि विभाग रामपुर ब्रिज (ऊना) के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रहा है। जब यह ब्रिज बह गया था तो हम उस समय वहां व्यक्तिगत रूप से गए थे तथा वहां पर फौरी तौर पर बेली ब्रिज इंस्टॉल करवा दिया था। हम उसका स्थाई समाधान करने हेतु प्रयासरत हैं। आदरणीय उप-मुख्य मंत्री ने भी इस विषय को कई बार हमसे और आदरणीय मुख्य मंत्री के समक्ष उठाया है। आज आपने भी इस विषय को सदन के अंदर उठाया है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि **इसकी पहली किस्त 5.30 करोड़ रुपये की लोक निर्माण विभाग के डीविजन, ऊना को सैंक्शन कर दी है। इसका कार्य शुरू हो जाएगा और इस पर भविष्य में जो अतिरिक्त खर्च आएगा उसको भी पूरा कर दिया जाएगा तथा जल्दी-से-जल्दी ऊना का वह रैगुलर ब्रिज बना दिया जाएगा।**

02.09.2026/1210/av/ag/3

अध्यक्ष : अगला मुद्दा माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार उठाएंगे।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई जा रही बस सेवाओं से संबंधित है। सुलह विधान सभा क्षेत्र में अधिकतर बस रूट्स जोकि वर्षों से चले थे, वे चाहे पालमपुर डिपो के अंतर्गत थे या फिर बैजनाथ, नगरोटा, धर्मशाला डिपो के अंतर्गत थे। वे तमाम रूट्स बंद हो गए हैं और मैं यहां पर उनका जिक्र करना चाहता हूं। उनमें बैजनाथ-शिमला, नगरोटा-बच्छवाई-डूहक-सुजानपुर, बैजनाथ-दिल्ली वाया भोडा-खडूल-स्नूहं, बैजनाथ-चण्डीगढ़ वाया ढाटी-स्नूहं, बैजनाथ-दिल्ली वाया खैरा इत्यादि बस सर्विसिज बंद हो गई। मैं यहां पर मुख्यता कुछ बसिज का हवाला दे रहा हूं। इसके अतिरिक्त बैजनाथ-शिमला वाया गढ़जमूला-पटवार थुरल से होकर जो बसिज चलती थीं, वे भी बंद कर दी गई हैं। मैं यहां पर जिन बसिज का जिक्र कर रहा हूं ये अधिकतर बसें ग्रामिण क्षेत्रों से होकर चाहे वे चण्डीगढ़ जाती थीं या दिल्ली जाती थीं। वहां नगरोटा-पालमपुर से कुगती-भरमौर तक बस जाती थी। धर्मशाला डिपो की बस पालमपुर से होकर थुरल और शिमला-रामपुर तक जाती थी। मैं यह तो लम्बी दूरी की बसिज का जिक्र कर रहा हूं।

टी सी द्वारा जारी

02.09.2026/1215/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री विपिन सिंह परमार... जारी

इसके अतिरिक्त बैजनाथ, पालमपुर, नगरोटा और धर्मशाला सहित सभी डिपो में बसें इतनी पुरानी और बीमारू हो गई हैं कि वे 12-12 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण और चंगर क्षेत्रों में ऐसी ही बसें भेजी जाती हैं जो सप्ताह में दो दिन वहां पहुंचती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि हाल ही में पालमपुर से क्यारवां-सनूहं की तरफ जाने वाली बस में आग लग गई और वह पूरी तरह जल गई। जब मैंने इस संबंध में जानकारी प्राप्त की तो बताया गया कि बसों में न तो स्टेपनी है, न गियर बॉक्स है और न ही बसों को चलाने के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय, जनता से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय को मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं तथा पालमपुर बस डिपो में नई बसों का फ्लीट बढ़ाया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक-चुस्त बसें भेजी जाएं। एक महत्वपूर्ण रूट पालमपुर से घनेटा का था जिसे बंद कर दिया गया है। पालमपुर से मैंजा होकर आने वाली बसें बंद कर दी गई हैं और नगरोटा से बछवाई होकर सुजानपुर तक पहुंचने वाली बस भी बंद कर दी गई है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि विपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों की बसें चुन-चुनकर बंद की जा रही हैं। जो बसें बंद की गई हैं या किसी-न-किसी कारण से बंद हो रही हैं उनमें यदि सप्ताह में केवल दो दिन ही बस आएगी तो यात्री टैक्सी का ही विकल्प चुनेंगे। ग्रामीण और शहरों में रहने वाले लोगों के पास पर्सनल व्हीकल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बसों का मैंने जिक्र किया है उन बसों को तुरंत बहाल किया जाए। इन बसों में महिलाएं, स्कूली बच्चे, व्यापारी और कर्मचारी सफर करते हैं। यह ठीक है कि वर्ष 1974 में जब एच0आर0टी0सी0 अस्तित्व में आई थी तब सैकड़ों योजनाएं शुरू की हैं और लगभग 28 वर्गों के लोगों को फ्री ट्रैवलिंग की सुविधा दी गई है। यह सुविधा तभी प्रभावी होगी जब बसों की हालत सुधरेगी। अध्यक्ष महोदय, नगरोटा, धर्मशाला, पालमपुर और बैजनाथ डिपो के संबंध में मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सुलह विधान सभा क्षेत्र के अलग-अलग क्षेत्रों में जो बसों के

02.09.2026/1215/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

रूट प्रभावित हुए हैं उन्हें तत्काल शुरू किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बस की सुविधा उपलब्ध हो सके। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए आपका आभार। धन्यवाद।

Speaker: Whether you (Industries Minister) want to intervene?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने अपना विषय विस्तार से रखा है। **We have noted it. Suitable reply will be given to you.**

02.09.2026/1215/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

अध्यक्ष : अब माननीय श्री आशीष शर्मा जी शून्यकाल के तहत अपना विषय उठाएंगे।

(जमली खड्ड तथा गसौती खड्ड के ऊपर बनाए जा रहे ब्रिजिज का कार्य जो बहुत धीमी गति से चल रहा है, को शीघ्र करवाने बारे अपना विषय उठाएंगे)।

श्री आशीष शर्मा : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से लोक निर्माण मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुख्य सड़क जाहू-हमीरपुर रोड पर दो ब्रिजिज का काम चल रहा है। मैंने आपसे कल भी इस विषय में चर्चा की थी। पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत ये ब्रिजिज जुलाई, 2025 में अवॉर्ड हुए थे और यह मुख्य सड़क है।

इसके साथ जो डाइवर्जन रोड बनाया गया है उसमें एक्जिस्टिंग ब्रिज तोड़ दिए गए हैं। इससे क्षेत्र के लोगों को बहुत असुविधा हो रही है क्योंकि स्कूल बसें भी वहां नहीं जा पा रही हैं और बरसात में टू-व्हीलर भी नहीं जा पा रहे हैं। एक ब्रिज जमली खड्ड पर तथा दूसरा गसौती खड्ड के ऊपर बनाया जा रहा है। इनमें से एक ब्रिज का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मेरा लोक निर्माण मंत्री जी से आग्रह है कि आप विभाग को निर्देश दें कि इसके निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। मैंने भी इस विषय में विभाग से कई बार बात की है लेकिन इस विषय पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक निर्माण मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इन ब्रिजिज को टाइम-बाउंड करके जल्दी-से-जल्दी पूरा किया जाए और यदि इसमें समय लगेगा तो डाइवर्जन रोड के लगभग 200-300 मीटर हिस्से में बरसात के बाद कृपया टारिंग करवाई जाए।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

2-9-2020/1220/NS-AS/1

श्री आशीष शर्मा -------जारी

ताकि वहां पर स्कूल बसें या टू-व्हीलर आराम से जा सकें, जब तक इन ब्रिजिज का काम कम्प्लीट नहीं होता। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप इसके लिए निर्देश दें ताकि यह कार्य जल्दी-से-जल्दी पूरा हो सके और लोगों को असुविधा न हो। धन्यवाद।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विधायक जी ने हमीरपुर में पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत ब्रिजिज का निर्माण करवाया जा रहा है उसकी धीमी गति के बारे में हमें जानकारी प्रदान की है। इस उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे विभाग का पूरा प्रयास रहता है कि हर स्कीम के तहत जो कार्य हो रहे हैं चाहे वे स्टेट हैड, पी0एम0जी0एस0वाई0, सी0आर0एफ0 या नाबार्ड में हो रहे हैं उनको निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूरा करने का प्रयास रहता है। मिसिंग ब्रिजिज के तहत इस स्कीम के अंतर्गत हमें बहुत से ब्रिजिज मिले हैं। पी0एम0जी0एस0वाई0 में ब्रिजिज का कार्य चल रहा है और लगभग 137 से 145 करोड़ रुपये के ब्रिजिज पूरे प्रदेश में मिले हैं जिसमें हमीरपुर के भी शामिल हैं। इनको पूरा करने की निर्धारित समयसीमा है और इसके लिए हमें केंद्र सरकार से भी गाइडलाइन्स प्राप्त हैं। मैं आज ही इस विषय में चीफ इंजीनियर, हमीरपुर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हमीरपुर से बात करूंगा कि इन्हें जल्दी-से-जल्दी पूरा करवाया जाए।

2-9-2020/1220/NS-AS/2

बरनेट गेरा-करेरी रोड की दयनीय स्थिति बारे उठाया गया विषय

अध्यक्ष : माननीय केवल सिंह पठानिया जी शून्य काल के तहत अपना विषय उठाएंगे।

श्री केवल सिंह पठानिया (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आज जो प्रश्न लगा था वह प्रश्न आया नहीं। पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के बोह में जो आपदा हुई तो मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी वहां पहुंचे। बोह गांव में लोक निर्माण मंत्री जी भी पहुंचे जिनका मैं तहेदिल से इस माननीय सदन में धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बरनेट-गेरा और करेरी रोड है और इन्होंने वहां पहुंचकर जब मशीनरी लगाने के लिए दिशा-निर्देश दिए तो 15 दिन के अंदर वह रोड़ भी ठीक हो गई। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि बरनेट गेरा-करेरी

रोड जिसके लिए मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी प्रश्न लगाया था और प्रश्न का जवाब आया था कि इसको बस योग्य बना दिया जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि जब से हिमाचल बना है पहली बार पी0डब्ल्यू0डी0 की रोड करेरी तक पहुंची है। एक महीना पहले वहां पहली बार छोटी बस करेरी में पहुंची है। बरनेट-गेरा रोड की दशा बहुत दयनीय है। पी0एम0जी0एस0वाई0 के दो पैके।ज इस पर लग चुके हैं और दो पैकेज लगने के बावजूद आज वहां छोटी बस चलाई गई है लेकिन रोड की स्थिति बहुत दयनीय है। दूसरा, आज मेरा प्रश्न लगा था और बार-बार अखबारों में भी आ रहा है कि धर्मशाला के साथ मैकलॉडगंज का जो एरिया है उसको जोड़ने वाली सुधेड़ और आंखनकोला रोड़ हैं और ये दोनों सड़कें मैकलॉडगंज को जोड़ती हैं। इस समय इन दोनों सड़कों की हालत बहुत खराब है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विशेष ध्यान दें और निकट भविष्य में जब भी जाएं तो इसे जरूर देखें। मैकलॉडगंज हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और सुधेड़-आंखनकोला की रोड बरनेट गेरा-करेरी, रावा और भोंटू की रोड़ से जुड़ती है। हम गूगल मैप में सुधेड़ से शॉर्टेस्ट रूट देखते हैं वह घरोह से आगे आंखनकोला होते हुए मैकलॉडगंज जाता है और इसके लिए आजकल अखबारों में भी आ रहा है। उसे अभी इन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर दिया है। मैं चाहूंगा कि इसके लिए मंत्री महोदय एन0एच0आई0 से भी टेकअप करें क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से जिला कांगड़ा में मैकलॉडगंज टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। दलाई लामा जी के द्वारा आज वहां पांच फ्लाइटें अवलेबल हुई हैं और इसके लिए दलाई लामा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन रोड पर विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

2-9-2020/1220/NS-AS/3

अध्यक्ष : माननीय लोक निर्माण मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आदरणीय विधायक जी ने आज विधान सभा सत्र में भी इस प्रश्न को लगाया था मगर because of the paucity of time वह नहीं लग पाया। फिर भी इन्होंने अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित मसले यहां रखे हैं particularly higher reaches of Shahpur जो धौलाधार वैली के साथ है और मैकलॉडगंज को जोड़ता है। उस पर निश्चित तौर से in terms of regional connectivity also मैं समझता हूं कि

यह बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी का कांगड़ा एयरपोर्ट को डवलप करना और टाउनशिप का निर्माण करवाना बहुत ही एम्बिशियस प्रोजैक्ट है,

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

02.09.2026/1225/RKS/As-1

लोक निर्माण मंत्री जारी....

उस दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि आने वाले समय में मैकलोडगंज से जोड़ने के लिए यह सड़क बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। We will explore all the possibilities for better regional connectivity in these areas और हम इसमें विभाग की ओर से रिपोर्ट प्राप्त करेंगे ताकि भविष्य में इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सके। माननीय सदस्य द्वारा प्राकृतिक आपदा का भी जिक्र किया गया है। आपदा के समय सरकार की ओर से पूरे क्षेत्र को पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया था। उस समय राहत कार्यों से लेकर सड़कों को बहाल करने तक सभी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाया गया था। अब हम इन विषयों पर भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जैसा कि माननीय विधायक जी भी समय-समय पर कहते रहे हैं कि धौलाधार एक्सप्रैस वे उस क्षेत्र का बहुत पुराना सपना था। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क है जिसकी परिकल्पना तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री प्रताप सिंह कैरों ने उस समय की थी जब हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। मुझे लगता है कि इस परियोजना को जीवित रखने की आवश्यकता है और भविष्य में जब भी इसे किसी योजना या प्रायोरिटी में शामिल करने का अवसर मिलेगा, हम उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। टूरिज्म की दृष्टि से यह सम्पूर्ण क्षेत्र अत्यन्त खूबसूरत है। कई स्थानों पर सड़कें पहले से निर्मित हैं जो डलहौजी को आगे कनैक्ट करती हैं किन्तु कुछ स्थानों पर इसे समग्र रूप से जोड़ने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। इसलिए हम इस पोसिबिलिटी को भी निश्चित तौर से एक्सप्लोर करेंगे और आने वाले समय में इसको गति देने का पूरा प्रयास करेंगे।

02.09.2026/1225/RKS/As-2

Speaker : The next issue will be raised by Smt. Reena Kashyap.

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक अत्यन्त गंभीर विषय सदन के समक्ष रखना चाहती हूं। पच्छाद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत अनेक ऐसे विद्यालय हैं जहां पर्याप्त अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण बच्चों का भविष्य खतरे में है। माननीय मंत्री जी, हमारे पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में 12 ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी अध्यापक कार्यरत नहीं है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रेनबाड़ू में पिछले एक वर्ष से कोई अध्यापक नहीं है जबकि वहां विद्यार्थियों की संख्या लगभग 40 से 50 है। इसी प्रकार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, घैंडू में भी पिछले एक वर्ष से कोई अध्यापक उपलब्ध नहीं है। यह अत्यन्त हैरानी का विषय है कि 12 विद्यालय ऐसे हैं जहां अध्यापक ही नहीं हैं। यदि विद्यालयों में अध्यापक नहीं होंगे तो बच्चे शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे? जब मैंने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो ज्ञात हुआ कि वहां के लोग स्वयं अध्यापक हायर करके उनका वेतन दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी, यह अत्यन्त गंभीर और चिंतनीय विषय है। मोटे तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि नारग ब्लॉक में 6 ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है जबकि विद्यार्थियों की संख्या अच्छी-खासी है। इसी प्रकार सराहां ब्लॉक में 5 विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है। राजगढ़ ब्लॉक में भी एक विद्यालय ऐसा है जहां अध्यापक उपलब्ध नहीं है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इन विद्यालयों में शीघ्रातिशीघ्र कम-से-कम एक अध्यापक की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। इसी प्रकार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जदोल-टपरोली में प्रिंसिपल का पद रिक्त है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कनोह में प्रिंसिपल, हिन्दी और पॉलिटिकल साइंस के प्रवक्ता के पद रिक्त हैं। हमारे डंग्यार विद्यालय में मुख्य अध्यापक का पद भी काफी लंबे समय से खाली पड़ा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सोडादयाड़ी में भी लंबे समय से प्रिंसिपल का पद रिक्त है और वहां लगभग 10 प्रवक्ताओं के पद काफी समय से खाली पड़े हुए हैं। इन पदों को भरने के लिए मुझसे एक बहुत बड़ा डेपुटेशन भी मिला था। इसके अतिरिक्त नैना-टिक्कर में भी अनेक पद रिक्त हैं

और कई विषयों के अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं। साओगा में भी अनेक प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इन सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरा

02.09.2026/1225/RKS/As-3

जाए। हमारे 12 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां अध्यापक ही उपलब्ध नहीं हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इन रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं सिरमौर, सिरमौर ही न रह जाए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इन खाली पदों को भरने की कृपा करें।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सिरमौर, सिरमौर ही रहेगा और यह हमारे हिमाचल निर्माता का गृह जिला है। पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक पीपल-टीचर रेशो हिमाचल प्रदेश की है। यानी यहां एक अध्यापक पर लगभग 10 विद्यार्थी हैं। माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन विडम्बना इस बात की है कि जो हमारे दुर्गम क्षेत्रों, चाहे वह चंबा जिला हो, शिमला जिला हो या सिरमौर जिला, वहां स्टाफ की कमी बनी हुई है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी..

02.09.2026/1230/बी.एस./डी.सी.-1

शिक्षा मंत्री जारी...

पीछे हमने इस दिशा में प्रयास भी किया था। विशेषकर कई ऐसे स्कूल हैं जहां टी0जी0टी0 मेडिकल और नॉन-मेडिकल के पदों को भरने की आवश्यकता है। श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने भी पीछे इस विषय को लेकर बात रखी थी क्योंकि ज्यादातर जो हमारे टीचर्स हैं वे निचले और मैदानी क्षेत्रों से संबंध रखते हैं।

हमने प्रयास किया था कि युक्तीकरण के माध्यम से भी विशेषकर जो हमारे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हैं वहां के स्टाफ को भरा जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डेमोक्रेटिक सेटअप में कई तरह के पोज एंड प्रेशर होते हैं। हमने प्रयास किया था लेकिन निश्चित रूप

से वर्तमान कार्यकाल के दौरान शिक्षा क्षेत्र की बात करूं तो आज की तारीख तक हमने लगभग 9,000 पद भरे हैं। इसमें प्रिंसिपल कॉलेज कैडर से लेकर जे0बी0टी0 तक के पद शामिल हैं।

मैंने अपने स्तर पर प्रयास किया कि पहली प्राथमिकता दुर्गम और फार-फ्लंग एरियाज़ को मिले लेकिन फिर मॉडिफिकेशन हो जाती है। अभी वर्तमान में हमारी टी0जी0टी0 आट्र्स और जे0बी0टी0 के 600 टीचर्स की प्रक्रिया प्रारंभ है और जो हमारे विदाउट टीचर्स स्कूल हैं उनकी संख्याः लगभग 150 के आसपास है। हमारे विभाग की प्राथमिकता रहेगी कि जो विदाउट टीचर्स स्कूल हैं पहले वहां टीचर जाएं और उसके उपरांत हमारी यह प्राथमिकता रहेगी कि जैसे आपने सिंगल टीचर स्कूल्स की भी यहां पर बात रखी है सिंगल टीचर स्कूल भी हमारे प्रदेश में लगभग 3,500 के आसपास हैं।

इन 3,500 में से लगभग 2,500 ऐसे हैं जहां बच्चों की इनरोलमैंट 15 से कम है। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि जहां इनरोलमैंट 15 से ऊपर है वहां दूसरा टीचर उपलब्ध हो। इसी तरह जो हमारे विदाउट टीचर्स स्कूल्स हैं उनको हम फिल-अप करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

प्रिंसिपल्स की भी हमारे कार्यकाल के दौरान रिकॉर्ड तोड़ प्रमोशन हुई है। लगभग 850 की एक ही गो में प्रमोशन हुई थी। हिमाचल के इतिहास में यह प्रथम बार हुआ होगा। आपने

02.09.2026/1230/बी.एस./डी.सी.-2

उस समय प्रश्न लगाया था। आपको याद होगा और मैं भूलता नहीं हूं। मैं याद रखता हूं कि जो प्रश्न आपने लगाया था उसके बाद लगभग 850 के आसपास एक ही लिस्ट प्रमोशन की निकली थी।

लेकिन वहां पर भी बाद में मॉडिफिकेशन चलती रही और वर्तमान में भी लगभग 384 ऐसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जहां पद रिक्त हैं। प्रमोशन के माध्यम से भी इन पदों को भरा जाएगा।

साथ-ही-साथ जहां लगभग 9,000 नियुक्तियां हो चुकी हैं वहां हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन और चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से आगामी एक वर्ष के अंदर जो वर्तमान सरकार का कार्यकाल है उसमें लगभग 6,500 पदों की प्रक्रिया भी चल रही है। इसलिए जब तक वर्तमान सरकार का कार्यकाल होगा मैं मानता हूं कि लगभग 15,000-16,000 टीचर्स हम अपने कार्यकाल के दौरान रखेंगे। यह आज तक का रिकॉर्ड है, धन्यवाद।

02.09.2026/1230/बी.एस./डी.सी.-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्रीमती रीना कश्यप जी ने कहा कि सिरमौर सिरमौर ही रहेगा। मैं कुछ बातें आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो अभी रिटन टैस्ट हो रहे हैं चाहे चाहे टीचर्स के लिए सी0बी0एस0ई0 का टैस्ट हो या कोई भी टैस्ट हो रहा हो मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि सिरमौर के युवा उसमें मैक्सिमम नंबर से सिलेक्ट हो रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ 25-30 प्रतिशत सीट्स ये ले रहे हैं। यह बड़ा शुभ संकेत है।

जिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की आप बात करते थे जिसको राज्य और केंद्र सरकार ने बहुत बैकवर्ड माना था लेकिन अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनका जब मैं आकलन करता हूं तो उसमें सिरमौर के जो बच्चे हैं और सिरमौर के जो युवा हैं वे पढ़-लिखकर बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। यह एक स्वागतयोग्य बात है।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह कुछ समय की बात है। हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा सिरमौर की पूरी व्यवस्था को परिवर्तित किया है। स्कूल में जहां सिंगल टीचर है वहां भी समय की परिस्थितियों के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। आप इंतजार कीजिए। जल्दी ही हम सिंगल टीचर्स के बारे में एक नीति पर कार्य कर रहे हैं और उस नीति को आपके सामने लेकर आएंगे।

शून्यकाल समाप्त

02.09.2026/1230/बी.एस./डी.सी.-4

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के अभी और भी विषय हैं जिनमें माननीय श्री त्रिलोक जम्वाल जी, माननीय श्री आर.एस. बाली जी और डॉ0 जनक राज जी के विषय शामिल हैं। All these pending issues which are listed for today under the Zero Hour, will be taken up tomorrow on priority.

कागज़ात सभा पटल पर

अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 110 की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः एस.जे.ई.-ए-ए(4)-2/2016-लूज, दिनांक द्वारा 21.04.2026 को अधिसूचित तथा दिनांक 04.05.2026 को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित; और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम का 31वाँ एवं 32वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें, वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित)।

02.09.2026/1230/बी.एस./डी.सी.-5

अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 45(4) के अन्तर्गत डॉ0 वाई0 एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब शिक्षा मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (संशोधित) की धारा-29 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सदन की समिति के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। श्री संजय रत्न, सभापति, स्थानीय निधि लेखा समिति, स्थानीय निधि लेखा समिति के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री संजय रत्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, प्राक्कलन समिति, के प्रतिवेदनों की एक-एक की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

1. समिति का **चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग** द्वारा ग्राम पंचायत नाया पंजोड़, विकास खण्ड शिलाई, सिरमौर अवधि 04/2018 से 03/2023 के लेखाओं पर तैयार विशेष अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की संवीक्षा पर बने **प्रथम मूल प्रतिवेदन,** चौदहवीं विधान सभा (वर्ष 2024-25) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विभाग द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है; और

02.09.2026/1230/बी.एस./डी.सी.-6

2. समिति का **5वां मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि राजकीय महाविद्यालय ठियोग, जिला शिमला में **बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना** के अन्तर्गत हिमुडा द्वारा निर्मित छात्रावास भवन के निर्माण की संवीक्षा पर आधारित तथा **आवास विभाग** से सम्बन्धित है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

02.09.2026/1235/DT/DC-1

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाएंगे। सबसे पहला प्रस्ताव श्री पवन कुमार काजल जी का है। श्री पवन कुमार काजल माननीय सदस्य अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय लोक निर्माण मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे। If Hon'ble Memeber Pawan Kumar Kajal is not satisfied, he can seek clarification with the permission of the Chair. श्री पवन कुमार काजल जी।

श्री पवन कुमार काजल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत सड़क एवं पुल निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रहे विलंब एवं क्षेत्रीय असंतुलन पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैंने जिस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया है वह नबार्ड से संबंधित सड़कों से है इसलिए इसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

Speaker : That is between the Hon'ble Chief Minister and the Hon'ble PWD Minister. You should get the reply, that is the only answer.

श्री पवन कुमार काजल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले दिनों नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत हुई सड़कों का विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार ब्यौरा मांगा था। पिछले चार वर्षों में

जो नाबार्ड के तहत सड़कें स्वीकृत हुई हैं या जल शक्ति विभाग की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं उनके बारे में मैंने जिला कांगड़ा के संबंध में जानकारी मांगी थी। कांगड़ा निर्वाचन क्षेत्र में नाबार्ड के तहत एक डी0पी0आर0, जयसिंहपुर की छः डी0पी0आर0, धर्मशाला की दो डी0पी0आर0, पालमपुर की चार, सुलह की एक, नगरोटा-बगवां की तीन, शाहपुर की पांच, इंदौरा की दो, फतेहपुर की दो, ज्वाली की एक, देहरा की तीन, ज्वालामुखी की तीन, जसवां-प्रागपुर की दो, नूरपुर की शून्य और बैजनाथ निर्वाचन क्षेत्र की दो डी0पी0आर0 स्वीकृत हुई हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह ये डी0पी0आर0 स्वीकृत हुई हैं उनमें कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की चार वर्षों में 12 करोड़ रुपये की, जयसिंहपुर में 35 करोड़ रुपये की चार 0, धर्मशाला में 13 करोड़ रुपये की दो, पालमपुर में 40 करोड़ रुपये की पांच, सुलह में 6

02.09.2026/1235/DT/DC-2

करोड़ रुपये की एक, नगरोटा-बगवां में 20 करोड़ रुपये की तीन, शाहपुर में लगभग 50 करोड़ रुपये की 6, इंदौरा में 15 करोड़ रुपये की तीन, फतेहपुर में 16 करोड़ रुपये की एक, ज्वाली में 11 करोड़ रुपये की एक, देहरा में 12 करोड़ रुपये की चार, ज्वालामुखी में 20 करोड़ रुपये की 3, जसवां- प्रागपुर की 11 करोड़ रुपये की एक और बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र की 12 करोड़ रुपये की दो डी0पी0आरर्ज0 स्वीकृत हुई हैं। नाबार्ड के तहत पहले भी डी0पी0आर0 अप्रूव होती थी और उसके बारे में आपको तो पता ही है। जब मैं इंडिपेंडेंट विधायक था तब भी मेरे विधान सभा क्षेत्र की पांच सालों में लगभग 25 करोड़ रुपये की छह-सात डी0पी0आर्ज0 अप्रूव हुई थीं। पिछली बार बीजेपी की गवर्नमेंट थी लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से विधायक था। उस समय भी पांच सालों में मेरे विधान सभा क्षेत्र की लगभग 25-30 करोड़ रुपये की 6-7 डी0पी0आर0 अप्रूव हुई थीं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

02.09.2026/1240/एच.के.-एन.जी./1

श्री पवन कुमार काजल......... जारी

परंतु यह पहली बार ऐसा हुआ है कि चार सालों में सिर्फ एक डी0पी0आर0 अप्रूव हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में कांगड़ा विधान सभा की डी0पी0आर0 की वस्तुस्थिति बताना चाहूंगा।

1. टियारा से कांगड़ा वाया शामीरपुर खास, टियारा देहरियां कपड़रिया, ऊपर टियारा देहरियां एवं काली मन्दिर कि0मी0 0/0 से 13/735 सड़क का सुधार एवं चौड़ीकरण की 786.30 लाख रुपये की डी0पी0आर0 दिनांक 18.11.2023 से नाबार्ड में पड़ी है।
2. इच्छी से पेहग वाया दोदान टियाली अब्दुलापुर, मांझी खड्ड पुल से भौंव कांगड़ा तक सड़क कि0मी0 0/0 से 9/0 की 609.75 लाख रुपये की डी0पी0आर0 दिनांक 06.08.2024 से नाबार्ड में पड़ी है।
3. बोहाल कावालू से कल्लारी पैथर जोगिन्दर सिंह स्वतंत्रता सेनानी घर तक लिंक सड़क कि0मी0 0/0 से 1/800 की 258.32 लाख रुपये की डी0पी0आर0 दिनांक 27.02.2024 से नाबार्ड में पड़ी है।
4. बांडला से रासूह चौक, गहलीयां तक लिंक सड़क कि0मी0 0/0 से 1/365 की 219.36 लाख रुपये की डी0पी0आर0 दिनांक 19.01.2024 से नाबार्ड में पड़ी है।
5. बिल गालुआ से नागाल तल्ला वाया हरिजन बस्ती गहलीयां, ग्राम पंचायत पलैरा तक लिंक सड़क कि0मी0 0/0 से 4/260 की 594.92 लाख रुपये की डी0पी0आर0 दिनांक 02.09.2023 से नाबार्ड में पड़ी है।
6. बारोटू से झिकला थटरेटा-ततवानी तक लिंक सड़क कि0मी0 0/0 से 2/170, गाज खड्ड पर 100.00 मीटर स्पेन पुल सहित की 223.24 लाख रुपये की डी0पी0आर0 दिनांक 01.07.2026 से नाबार्ड में पड़ी है।

02.09.2026/1240/एच.के.-एन.जी./2

7. राह से संगम वाया भन्यांकर तक लिंक सड़क कि0मी0 0/0 से 2/530 की 359.84 लाख रुपये की डी0पी0आर0 दिनांक 21.11.2025 से नाबार्ड में पड़ी है।
8. सलोल से दामन बेड़ा तक लिंक सड़क कि0मी0 0/0 से 1/900 की 258.32 लाख रुपये की डी0पी0आर0 भी नाबार्ड को चली गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण को कहना चाहूंगा कि किसी विधायक की जो अपनी लिमिट या किट्टी होती है, उस हिसाब से कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की लिमिट अभी बचती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री और माननीय लोक निर्माण मंत्री से जानना चाहूंगा कि मैंने जो ये डी0पी0आर्स0 पढ़कर सुनाई हैं, ये कब तक अप्रूव होंगी? इसी तरह मैंने उप- मुख्य मंत्री जी से भी पूछा था कि कांगड़ा जल शक्ति विभाग में कितनी डी0पी0आर0 हैं और वे कहां-कहां पहुंची हैं? जहां-जहां पर विपक्ष के विधायक हैं....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। आपका एक ही विषय एडमिटिड है। That is pertaining to the Public Works Department.

श्री पवन कुमार काजल : अध्यक्ष महोदय, यह नाबार्ड की बात है और इसमें दोनों विभागों, लोक निर्माण व जल शक्ति, की डी0पी0आर्स0 आती हैं।

अध्यक्ष : आपका दूसरा विषय कल लगेगा।

श्री पवन कुमार काजल : ठीक है, अध्यक्ष महोदय। सर, कांगड़ा विधान सभा की लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 60-70 करोड़ रुपये की बहुत इंपोर्टेंट डी0पी0आर्स0

लम्बित पड़ी हैं। आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या इसका कोई टाइम-बाउंड तय करेंगे? क्योंकि हमारी लिमिट भी अभी बची हुई है, इसलिए ये कब तक अप्रूव होंगी?

अध्यक्ष : माननीय लोक निर्माण मंत्री इस चर्चा का उत्तर देंगे।

02.09.2026/1240/एच.के.-एन.जी./3

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री पवन कुमार काजल ने आज यहां पर कुछ मसले नाबार्ड के संदर्भ उठाए हैं और जो डी0पी0आर्स0 लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही हैं, उनके बारे में अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित चर्चा की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक जी का बहुत मान-सम्मान करता हूं। मगर मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि हम भी विपक्ष में रहे हैं और हमें अपनी सोच को संकीर्ण नहीं रखना है। अपनी सोच को केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखना है। हम भी विपक्ष में थे। हमारी भी डी0पी0आर0 बनती थीं, मगर हमने कभी भी सरकार व विभाग की गतिविधियों को एक विधान सभा क्षेत्र के चश्मे से नहीं देखा।

पी0बी0 द्वारा......जारी

02.09.2026/1245/एच0के0/पी0बी0/1

लोक निर्माण मंत्री... जारी

हमने हमेशा हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र, चाहे वह कांगड़ा हो, चम्बा हो, सिरमौर हो या जनजातीय क्षेत्र हो, को समान चश्मे से देखा है।

आज ठीक है कि as a representative of a certain constituency, one is raising issues of his constituency which he ought to raise, but at the same time we have to understand कि जब हम इस विधान सभा के सदन पटल पर बात करते हैं तो हम प्रदेश के 75 लाख लोगों के बारे में बात करते हैं। केवल एक विधान सभा क्षेत्र या

एक इलाके की विकासात्मक योजनाओं को हाइलाइट करके दूसरे इलाकों की विकासात्मक योजनाओं को नीचा दिखाना किसी भी माननीय सदन या माननीय सदन के सदस्य को शोभा नहीं देता है। हमारी सरकार और सरकार की कार्यप्रणाली 68 विधान सभा क्षेत्रों के 75 लाख लोगों के लिए समान रूप से विकास कार्य करने में विश्वास रखती है।,

माननीय सदस्य ने कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र और जिला कांगड़ा के बारे में बात की है। अभी इन्होंने केवल नाबार्ड के बारे में बात की है। एम0एल0ए0 प्रायोरिटी के माध्यम से तथा आर0आई0डी0एफ0 के माध्यम से जो स्कीमें जाती हैं, उनके अतिरिक्त यदि हम holistic bird's-eye view से देखें whether it is CRF, whether it is PMGSY, whether it is State roads-the maximum allocation of budget- क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से भी कांगड़ा जिला बहुत बड़ा है और वहां 15 विधान सभा क्षेत्र आते हैं। इसलिए अधिकतम बजट आबंटन इस पूरे जिले में आने वाले हमारे तीनों सर्कल चाहे वह देहरा का हो, नूरपुर का हो या पालमपुर का हो, में विभिन्न योजनाओं के तहत किया गया है।

आज माननीय सदस्य ने जो विशेष उदाहरण यहां प्रस्तुत किए हैं, उनके संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जिला कांगड़ा में नाबार्ड के तहत लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत सड़कों एवं पुल निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रहे विलंब तथा क्षेत्रीय असंतुलन के संबंध में कहा है। उसमें जिला कांगड़ा में नाबार्ड-आर0आई0डी0एफ0 के तहत लोक निर्माण विभाग की कुल 38 सड़कें, 5 सड़कें पुल सहित तथा 2 पुल पिछले तीन वर्षों में कुल 302 करोड़ रुपए के स्वीकृत हुये हैं। वर्तमान में इन कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है- सड़कों के कुल स्वीकृत कार्य 45 हैं,

02.09.2026/1245/एच0के0/पी0बी0/2

जिनमें 4 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 38 कार्य प्रगति पर हैं तथा 3 कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुए हैं।

माननीय सदस्य ने विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में स्वीकृत कार्यों का पूरा ब्यौरा भी यहां दिया है। इनमें कांगड़ा में 2, जयसिंहपुर में 6, धर्मशाला में 2, पालमपुर में 4, सुलह में 1, नगरोटा बगवां में 3, शाहपुर में 5, इंदौरा में 2, फतेहपुर में 2, ज्वाली में 2, देहरा में 3,

ज्वालामुखी में 7, जसवां-परागपुर में 4 तथा बैजनाथ में 2 सड़कों के कार्य कार्यरत हैं। नूरपुर में अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर पूरे जिला कांगड़ा में 45 सड़कें कार्यरत हैं। इन 45 कार्यों में से 4 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, 38 कार्य प्रगति पर हैं तथा 3 कार्यों की निविदाएं विचाराधीन हैं, जिन्हें शीघ्र ही आबंटित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक कार्य संबंधित ठेकेदार के राज्य सभा सांसद निर्वाचित होने के कारण लंबित हुआ है। वर्तमान में इस कार्य की निविदा मण्डल कार्यालय में विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त 284 करोड़ रुपए मूल्य की 49 परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लंबित हैं तथा 91 करोड़ रुपए की 7 योजनाएं सलाहकार योजना के कार्यालय में विचाराधीन हैं। माननीय विधायकों द्वारा प्रस्तावित कुल 141 योजनाएं लंबित हैं। इनमें से 3 योजनाएं वन भूमि, 12 योजनाएं निजी भूमि तथा 7 योजनाएं निजी एवं वन भूमि के कारण लंबित हैं। 112 योजनाओं पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य विभिन्न स्तरों पर क्रियाशील है। 3 योजनाएं किसी अन्य मद से स्वीकृत की गई हैं तथा एक योजना को माननीय विधायक द्वारा वापस लिया गया है। इस संबंध में पूरा ब्यौरा यहां दिया गया है। मैं कुल मिलाकर यही कहना चाहूंगा कि जिला कांगड़ा में नाबार्ड के अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति किसी विशेष विधान सभा क्षेत्र के आधार पर नहीं दी जाती है। परियोजनाओं की प्राथमिकता, कार्य की आवश्यकता,

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

02.09.2026/1250/एच0के0-ए0पी0/-01

नियम-62 जारी ....लोक निर्माण मंत्री जारी .....

ग्रामीण सड़क संपर्क की आवश्यकता, जनसंख्या को होने वाला लाभ, भौगोलिक स्थिति तथा सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखकर प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और उन्हें अंतिम रूप से नाबार्ड के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की जाती है। किसी विधान सभा क्षेत्र के प्रति जानबूझकर किसी प्रकार का क्षेत्रीय असंतुलन नहीं किया जा रहा है। जिला कांगड़ा के सभी विधान सभा क्षेत्रों में आवश्यकता एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को स्वीकृति दी जाती है। विभाग का प्रयास है कि जिला कांगड़ा के सभी क्षेत्रों में

आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पुल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसी उद्देश्य से नए प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर नाबार्ड को प्रेषित किया जाए। वर्तमान में भी जिला कांगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के लिए नए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से मजबूत रूप से जोड़ा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों सहित माननीय विधायक जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं अल्टीमेटली प्लानिंग के माध्यम से और आगे नाबार्ड के माध्यम से इनकी क्लियरेंस होती है। इसमें किसी भी तरीके का राजनीतिक दृष्टिकोण या किसी भी तरीके के राजनीतिक चश्मे से इसे नहीं देखा जाता है। पूरे प्रदेश के हर जिले में संतुलन बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है और उसी तरीके से इस क्षेत्र में विकास की योजनाओं को आगे लिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि because this issue gives undue importance to regional context. हमें इस बात का भी ध्यान रखने है कि और मैं विधान सभा सचिवालय को भी कहना चाहूंगा कि इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब भी इस तरीके के कोई प्रश्न आते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का क्षेत्रीय संदर्भ न दिया जाए, क्योंकि इससे क्षेत्रवाद का विषय समय-समय पर हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले भी उठता आया है।जिला कांगड़ा के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने समय-समय पर बहुत कार्य किए हैं। वर्तमान में मुख्य मंत्री जी ने जिला कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल घोषित करने का प्रयास किया है। पूर्व में विधान सभा का संचालन और विधान सभा जो निचले हिमाचल में बनाई गई, जिला कांगड़ा में बनाई गई है। वह भी तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार, जब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे, उनकी सोच की वजह से वहां बनी है। We are the least number of people and हम उस

02.09.2026/1250/एच0के0-ए0पी0/-02

विचार से आते हैं जिसमें हम हिमाचल के हर क्षेत्र को समानता की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए विकास कार्यों के मामले में हम माननीय विधायक जी की सोच और उनके क्षेत्र के विकास में पूरी तरह उनका सहयोग करते हैं। मगर क्षेत्रवाद फैलाने का जो एक प्रयास इस विषय के माध्यम से किया गया है। उनकी न तो हम उस सोच से संबंध रखते हैं और न ही उस चीज को हम प्रदेश में बढ़ने की कोई इजाजत देंगे।

Speaker : Before that, the Hon'ble Member seeks the clarification, let me clarify. Rule-62 gives a chance to a member to raise an issue pertaining to his constituency if it is of utmost importance. This issue is pertaining to his constituency and this is an utmost important issue for him. So, Vidhan Sabha Secretariat has given a permission to raise his issue because Rule-62 says as such. There is no question of any regionalism and all that. He is raising the issue of his Kangra constituency only, not of Kangra district. He is trying to compare it with the rest of the constituencies. So, he has a right to explain all these things and it is the Government to respond to all his queries. Now, I will request Shri Pawan Kumar Kajal to seek his clarification, whatever he feel like.

श्री पवन कुमार काजल : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि जो प्रश्न पूछा गया, उसमें किसी को नीचा दिखाना या क्षेत्रवाद फैलाने जैसी कोई बात नहीं हुई। मेरा स्पष्ट सवाल अपनी विधान सभा को लेकर था कि पिछले चार सालों से मेरी विधान सभा में कोई भी डी0पी0आर0 अप्रूव नहीं हुई है। यह मेरा सीधा सा सवाल था। किसी को ऊंचा-नीचा दिखाने की कोई बात नहीं हुई। यह ठीक है कि विभाग ने जो उत्तर दिया, उसे आपने पढ़ा। लेकिन जो मैं कांगड़ा विधान सभा

श्री ए0टी0 जारी .....

02.09.2026/1255/AT/YK/01

श्री पवन कुमार काजल जारी ...

सभा क्षेत्र की वर्ष 2023 से छह-सात डी0पी0आर0 जो बहुत महत्वपूर्ण हैं।उन क्षेत्रों की आबादी लगभग 500-700 या इससे भी अधिक की है। फिर भी वहां की महत्वपूर्ण डी0पी0आर0 लंबित पड़ी हैं। मैं उनके बारे में पूछ रहा था।

अध्यक्षः श्री पवन कुमार काजल जी, आपने स्वयं जब अपना मुद्दा रखा था तो कहा था कि जब मैं इंडिपेंडेंट था, तब 25 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 हुई, जब मैं कांग्रेस में था, तब

भी इतनी हुई और अब मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, तब क्या हो रहा है? तो जवाब तो सब स्पष्ट है अब और कौन-सा जवाब चाहिए?

श्री पवन कुमार काजलः अध्यक्ष महोदय,मेरा मतलब है कि जो भी विधायक या जनप्रतिनिधि जीतकर आता है,उसकी अपनी एक किटी होती है, उसकी अपनी क्षेत्रीय निधि होती है। अध्यक्ष महोदय,अब मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि मेरी यह 4-5 डी0पी0आर0 बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको आप अप्रूव करेंगे। बस इतना-सा आश्वासन चाहता हूं।

लोक निर्माण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपको कहा कि I still stand by that. हमारे लिए 68 विधान सभा क्षेत्र एक बराबर हैं। हम किसी भी क्षेत्र के लिए प्लस या माइनस नहीं करते हैं। जहां आवश्यकता के अनुसार जो भी चीज़ होगी, उसको उसी दृष्टि से देखा जाएगा। आपके विधान सभा क्षेत्र की हमने अधिकतम डी0पी0आर0 बनाई हैं। जैसा मैंने आपको अभी अपने उत्तर में भी कहा, कुछ प्लानिंग स्टेज पर हैं, कुछ फॉरेस्ट की वजह से फंसी हुई हैं, कुछ निजी भूमि की वजह से फंसी हुई हैं और कुछ आपने वापस मांगी हैं। फिर भी हमारा काम, as Public Works Department, अधिकतम डी0पी0आर0 बनाकर उनको प्लानिंग विभाग को भेजने का है। उसमें हम हर विधान सभा क्षेत्र को समानता से देखते हुए आगे प्लानिंग विभाग को भेज देते हैं। आपके विधान सभा क्षेत्र के जितने भी ब्रिज, सड़कें हैं उनको हम एक्सपेडाइट करवाएंगे और प्लानिंग विभाग को भेजेंगे। प्लानिंग विभाग से आगे आप मुख्य मंत्री जी से बात करके उनको जल्द से जल्द स्वीकृत करवा लीजिए।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक लंच ब्रेक के लिए दो बजे तक स्थगित की जाती है। We will reassemble at 2 o'clock.

02.09.2026/1410/av/ag/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत अपराह्न 02.10 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : नियम-62 के अंतर्गत एक और विषय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अब माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और उप-मुख्य मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय उद्योग मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।
माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर, अब आप अपना विषय रखिए।

श्री चंद्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकाघाट और धर्मपुर में बसों की कमी से हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पूरे प्रदेश में यातायात में एच0आर0टी0सी0 का कॉन्ट्रीब्यूशन कई दशकों से अतुलनीय है। प्रदेश में जितनी ज्यादा जीवन रेखाएं खींची गईं यानी सड़कों का जितना ज्यादा जाल बिछा उससे यह लोड और ज्यादा बढ़ा है। इसको लेकर हर क्षेत्र की अपनी-अपनी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर जिसमें धर्मपुर और सरकाघाट दो एच0आर0टी0सी0 बस डिपो सर्विसिज देते हैं, मुझे उससे उत्पन्न विशेष परिस्थितियों से संदर्भित बात रखनी है। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।
अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 से पहले वहां सरकाघाट एक ही बस डिपो हुआ करता था। वर्ष 1982-83 में जब स्वर्गीय ठाकुर राम लाल मुख्य मंत्री थे, सरकाघाट उस वक्त का मण्डी जिला का दूसरा सबसे पुराना डिपो था। परंतु वर्ष 2022 तक इस डिपो में 280 बसिज का फ्लीट था। सरकार ने उस वक्त फैसला किया कि धर्मपुर को अलग डिपो मिलना चाहिए। इसलिए उसी फ्लीट में से धर्मपुर डिपो तथा सरकाघाट डिपो के लिए बसिज का डीविजन हुआ। जबकि आज भी सरकाघाट डिपो से ही हमारे विधान सभा क्षेत्र के लिए बसिज चलती हैं और धर्मपुर से अलग से चलती हैं। उस वक्त एच0आर0टी0सी0 का अपना 50 बसिज का फ्लीट था और जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत 21 बसिज मिली थीं। आज वस्तुस्थितियां बदल चुकी हैं। जब धर्मपुर का डिपो बना तो वहां पर टोटल 48 बसिज संग्रहित हुईं। इसके अतिरिक्त जिन बसिज की ज़ीरो वैल्यू हो चुकी थीं, वे बसिज भी बहुत सारे डिपो से वहां स्थानांतरित की गईं और धर्मपुर का डिपो जुगाड़ से खड़ा कर दिया गया। फिर

02.09.2026/1410/av/ag/2

दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को स्थितियां बदल गईं। जब धर्मपुर के अंदर डिजास्टर आया और उसमें लगभग 18 बसिज क्षतिग्रस्त हुईं। माननीय उप-मुख्य मंत्री का दौरा

टी सी द्वारा जारी

02.09.2026/1415/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर.... जारी

विशेष परिस्थितियों में हुआ और उन्होंने स्वयं मौके का जायजा लिया। इन 18 बसों में से 11 बसों को पुनः सड़कों पर लाया गया जबकि सात बसें पूरी तरह नकारा साबित हुईं। इन में 11 बसों में भी कुछ ऐसी बसें हैं जिनकी ज़ीरो वैल्यू हो चुकी है। इनमें तीन बसें ऐसी हैं जो 15 लाख से अधिक किलोमीटर चल चुकी हैं और दो-तीन बसें ऐसी हैं जो पांच से सात लाख किलोमीटर चल चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय, हालात लगातार बिगड़ते चले गए क्योंकि जो बसें पहले से खराब थीं उनकी स्थिति और विकराल हो गई। एक-दो घटनाएं ऐसी भी हुई, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य, श्री परमार साहब ने सुबह कहा कि चलती बस को आग लग गई, उसी तरह की परिस्थितियां धर्मपुर के अंदर भी पैदा हुईं। एक बस खड़ी करके ड्राइवर चाय पीने के लिए उतरा और पूरी बस में आग लग गई तथा बस पूरी तरह से जल गई। इसी तरह पिछले वर्ष नेरी-लांगड़ा जोगिन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र से एक बस क्रॉस हो रही थी। उसके दोनों अगले टायर निकल गए और संयोग से वह बस दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई।

अध्यक्ष महोदय, लोग रोजमर्रा में अपनी जान हथेली पर रखकर इन बसों में यात्रा कर रहे हैं। जब हमने परिस्थितियों का आकलन किया और जानकारियां जुटाईं तो उसमें और भी हैरतअंगेज जानकारियां सामने आईं। जो टाटा की बसों के लिए एमपैनल्ड वेंडर और टाटा के ऑथोराइज्ड डीलर हैं उनसे सामान नहीं लिया जाता है। यह दशकों से चली आ रही प्रैक्टिस है। कुछ सामान रामपुर से मंगवाया जाता है जबकि रामपुर धर्मपुर से 12 घंटे की दूरी पर है और इतने समय में तो दिल्ली से भी सामान आ सकता है। इसके लिए

रामपुर, हमीरपुर, जालंधर, नेर चौक और दाड़लाघाट के कुछ सात-आठ लोग एमपैनल्ड हैं और उनसे सामान मंगवाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, टेक्निकल लोगों ने बताया कि वहां से भरोसेमंद टूल्स नहीं आते हैं क्योंकि टाटा का जो अपना ऑथोराइज्ड डीलर है, वहां से सामान नहीं आता और

02.09.2026/1415/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

सामान एडवांस पेमेंट पर बाहर से लिया जाता है। इस प्रकार यह पूरी व्यवस्था जुगाड़ से चलाई जा रही है। जो बसें खराब पड़ी हैं उन पर अभी तक 16,47,000 रुपये ऑफ रोड खर्चा किया जा चुका है, जो मैकेनिकल डिवीजन द्वारा खर्च हुआ है। इस तरह से जेनुइन स्पेयर पार्ट भी नहीं पहुंच पाते हैं और जुगाड़ से ये स्पेयर पाट्र्स आ रहे हैं उससे स्थितियां और भी विकराल हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, पूरा विधान सभा क्षेत्र ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों में है कि यहां मात्र दो बसें हमीरपुर से आती हैं। एक बस नालागढ़ डिपो की और एक बैजनाथ डिपो की आती है। इसके अलावा बाहर से कोई बसें नहीं आती हैं। बड़े अर्बन क्षेत्रों और विकसित इलाकों में प्राइवेट बसों का काफी बड़ा जाल है इसलिए लोगों को उतनी दिक्कत नहीं होती है लेकिन वहां प्राइवेट बसों की भी बहुत ज्यादा सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दिक्कत तब और बढ़ गई जब उस डिपो में पहली बार रीजनल मैनेजर आया था और उसके बाद आज तक कोई रीजनल मैनेजर नहीं आया। हमारी अपनी वर्कशॉप रीजनल नहीं हो पाई और एच0आर0टी0सी0 का ऑफिस धर्मपुर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स-कम बस स्टैंड के ऊपर वाली मंजिल में पांच दुकानों में चल रहा है। ड्राइवर्स का पूरी तरह टोटा है और टेक्निकल स्टाफ में न मोटर मैकेनिक है, न फिटर, न इलेक्ट्रीशियन, न बैल्डर, न टायर मैन न ही कोई कारपेंटर है। ये कोई सोलन में है या नालागढ़ में है। जब हम अपनी दर्खास्त या उनकी दर्खास्त वहां पहुंचाते हैं तो कहा जाता है कि इनकी सोलन और नालागढ़ में कमी है। अध्यक्ष महोदय, वहां तो बहुत-सी प्राइवेट बसें चलती हैं और लोगों के पास अन्य साधन भी उपलब्ध हैं। इसके विपरीत यह पूरी तरह

ग्रामीण क्षेत्र है। लोगों के पास न टैक्सी की सुविधा है और न अपनी निजी कारों की सुविधा है।

अध्यक्ष महोदय, वहां चार सी0बी0एस0ई0 के स्कूल मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जी की कृपा से खुले हैं। उनमें 500-500 विद्याथियों की स्ट्रेंथ है लेकिन वहां बसें नहीं चल रही हैं। इसलिए लोगों को टैक्सियों से आना-जाना करना पड़ रहा है। इस समय स्थिति यह है कि 90 प्रतिशत बसें वर्ष 2017 तक ही अपनी जीरो वैल्यू तक पहुंच गई थीं।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

2-9-2020/1420/NS-AS/1

श्री चंद्र शेखर-----जारी

नई बसें हमारे पास आई हैं। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाइड्रो लिफ्ट हमारे पास नहीं है, व्हील अलाइनमैंट मशीनें, एयर कंप्रेशन की सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वेल्डिंग के सैट, इंजन टैस्टिंग इक्विपमैंट हमारे पास नहीं है और जो समय-समय पर स्पेयर पाट्र्स आने चाहिए, वे भी उपलब्ध नहीं हैं। क्लर्क, इंस्पैक्टर और स्टोर स्टाफ की सारी पोस्टें अभी तक खाली चल रही हैं। मैं लगातार प्रश्नों के माध्यम से भी ये स्थितियां माननीय सदन के समक्ष रखता रहा हूं और सरकार के समक्ष भी रखता रहा हूं। वहां जब प्रबंध निदेशक, जिंदल साहब का दौरा हुआ उसके बावजूद भी वहां स्थितियां नहीं संभलीं। मैं आज इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2022 में सरकाघाट डिपो को दो हिस्सों में बांटा गया और उसके बाद से वहां की स्थितियां बिगड़ी हैं। अब तो सरकाघाट का अपना डिपो भी बीमार हो गया है जो पहले स्वस्थ हुआ करता था। इसलिए ये स्थितियां बहुत अलार्मिंग हैं। चार वर्ष पहले सांडापतन पुल नया बना है और कोठीपतन का दूसरा पुल भी एक वर्ष पहले बन चुका है। माननीय विधायक किशोरी लाल जी और जोगिन्द्रनगर से आदरणीय प्रकाश राणा जी के साथ भी मेरी बातचीत हुई है। हमने रिक्वैस्ट की थी कि जो बसें लडभड़ोल और जोगिन्द्रनगर में शाम को 5.00 या 6.00 बजे आकर खड़ी हो जाती हैं उन बसों को आगे भेजा जा सकता है ताकि उस क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके और व्यवस्था में गुणात्मक और क्वांटिटेटिवली दोनों तौर पर सुधार हो

सके। ये दोनों बातें भी अभी तक वहीं की वहीं रुकी हुई हैं। संधोल के क्षेत्र के लिए जयसिंहपुर और सुजानपुर की तरफ बसों की फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़िया है लेकिन संधोल से धर्मपुर के लिए परिस्थितियां बहुत खराब हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज हमारे 16 रूट बंद पड़े हैं। मैं विशेष तौर पर सकलाना, मढ़ी, कमलाह, संधोल, मनुधार-मढ़ी, डिडलू-मंडप, भदरवाड़, ब्रेल, बदराणा व चांबी, कोटली, मंडी-कोटली, मंडी-रिकांगपियो, मंडी-धर्मपुर-सुंदरनगर, धर्मपुर-रिकांगपियो, सरकाघाट-मंडप, कमलाह-सरकाघाट, सियोह-सरकाघाट, धर्मपुर-पठानकोट, सरकाघाट-गरली, सरकाघाट-भलियाणा, सरकाघाट-नलियाणा और सरकाघाट-अनुस्वाई रूटों का विशेष तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। ये सारे रूट इस समय बंद पड़े हुए हैं। मेरे क्षेत्र में यह स्थिति है। वहां दिन में पांच-पांच

2-9-2020/1420/NS-AS/2

बसें खराब हो रही हैं तो इससे पूरे दिन की बनी हुई रूटीन भी प्रभावित हो रही है और लोगों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आश्वासन और भरोसा चाहता हूं कि जो उच्च स्तरीय टीम यहां बैठी है, जो हैडक्वार्टर में बैठी है, जो यहीं पर रिपोर्टें मंगवाते हैं और निचले क्षेत्रों का दौरा नहीं करते हैं तथा लंबे समय से एक ही कार्यालय के अंदर बैठे हुए हैं तो ये बहुत कुछ उनके द्वारा संचालित व्यवस्था है। निचले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकार बनाया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां से एक उच्च स्तरीय टीम गठित की जाए जो विशेष परिस्थितियों में जाकर स्थिति का जायजा ले। बाकी जगहों के लिए दस-दस इलैक्ट्रिक व्हीकल बसें मिली हैं लेकिन मेरे क्षेत्र के लिए वे भी नहीं मिली हैं। यदि मिल भी जाएंगी तो ये बसें नहीं चलेंगी। ये बसें क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि इन बसों के ट्रायल बड़ी समतल जमीन के ऊपर हुए हैं और कठिन परिस्थितियों में वे भी नहीं चल पाएंगी। ...(व्यवधान) इसलिए मैं लंबे समय से जो बात रखता आ रहा हूं उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से भरोसा और आश्वासन चाहता हूं कि उच्च स्तरीय टीम गठित करके इन परिस्थितियों का समाधान किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री, प्राधिकृत इसका उत्तर देंगे।

उद्योग मंत्री, प्राधिकृत : अध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्र शेखर जी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा अपने चुनाव क्षेत्र का रखा है और मैं इनकी बात से सहमत हूं क्योंकि सरकाघाट और धर्मपुर चुनाव क्षेत्र मंडी जिले के बहुत कठिन क्षेत्र रहे हैं और यह बात भी ठीक है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें नहीं थीं और जब सड़कें बनीं तब भी हिमाचल प्रदेश के विकास में एच0आर0टी0सी0 का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। एच0आर0टी0सी0 कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हिमाचल की सरकारों ने एच0आर0टी0सी0 को पैसे कमाने के लिए कभी नहीं बनाया बल्कि इसे समाज सेवा के लिए बनाया है। यह बात ठीक है और माननीय सदस्य ने सरकाघाट एवं धर्मपुर एच0आर0टी0सी0 डिपो में बसों की दयनीय स्थिति के कारण यात्रियों को हो रही असुविधा से संबंधित विषय नियम-62 के अंतर्गत उठाया है। मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि सरकाघाट डिपो में 70 बसों के स्वीकृत बेड़े के विरुद्ध 58 बसें उपलब्ध हैं

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

02.09.2026/1425/RKS/As-1

उद्योग मंत्री जारी....

जिनमें से 13 बसें अपने निर्धारित तय कि०मी० (जीरो बुक वैल्यु) चल चुकी है, 9 बसें 9 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है जिनके निर्धारित तय कि०मी० शेष हैं तथा JnNURM की 15 बसें 10 वर्ष की निर्धारित आयु के मापदण्ड को पूर्ण कर चुकी है तथा इनकी ठीक स्थिति होने के कारण मार्ग पर चलाया जा रहा है। वर्तमान में सरकाघाट क्षेत्र द्वारा 58 बसों से 74 रूटों को चलाया जा रहा है और संसाधनों व यात्रियों की कम उपलब्धता के कारण 17 रूट अस्थाई रूप से बन्द किये गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में धर्मपुर डिपों में 56 बसों के स्वीकृत बेड़े के विरुद्ध 47 बसें उपलब्ध हैं जिनमें से 11 बसें अपने निर्धारित तय कि०मी० (जीरो बुक वैल्यु) चल चुकी हैं। 10 बसें 9 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हैं जिनके निर्धारित तय कि०मी० शेष हैं और JnNURM की 9 बसें 10 वर्ष की निर्धारित आयु के मापदण्ड को पूर्ण कर चुकी है तथा इनकी ठीक स्थिति होने के कारण मार्ग पर चलाया जा रहा है। वर्तमान में धर्मपुर

क्षेत्र द्वारा 47 बसों से 57 रूटों को चलाया जा रहा है और संसाधनो व यात्रियों की कम उपलब्धता के कारण 9 रूट अस्थाई रूप से बन्द किये गए हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा हाल ही में खरीदी गई 297 Type-1 ई-बसों में से कुल 270 बसें निगम को प्राप्त हो चुकी है जिन्हें विभिन्न डिपुओं को आबंटित किया जा चुका है और शेष बसें जैसे ही निगम को प्राप्त हो जाएगी डिपुओं को आबंटित कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 30 Type-III ई-बसों, 250 साधारण डीजल बसों व 100 मिनी मिडी बसों की खरीद अभी प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में धर्मपुर व सरकाघाट में चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं हुआ है जिसके कारण धर्मपुर व सरकाघाट डिपो के लिये कोई भी ई-बस आबंटित नही की गई है। धर्मपुर में चार्जिंग स्टेशन का कार्य प्रगति पर है और इसकी स्थापना हेतु मु0 63,01,724/- रुपये की राशि विद्युत विभाग में जमा कर दी गई है। इसके अतिरिक्त सरकाघाट में भी चार्जिंग स्टेशन का कार्य प्रगति पर है और इस कार्य हेतु निगम द्वारा मु० 62,81,385/- रुपये की राशि विद्युत विभाग में जमा कर दी गई है। जैसे ही धर्मपुर व सरकाघाट में चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो जाएंगे, ई- बसें प्रदान करने के बारे विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान में धर्मपुर व सरकाघाट डिपो में बसों की कमी को दूर करने के लिये अन्य डिपुओं से डीजल बसें स्थानांतरित की जा रही है।

02.09.2026/1425/RKS/As-2

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पीड़ा व्यक्त की है, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। जैसा कि इन्होंने कहा कि स्पेयर पाट्र्स, स्टाफ, ड्राइवरों और मैकेनिक्स की कमी हैं तो एच0आर0टी0सी0 में भर्ती प्रक्रिया जारी है। हम प्रयास करेंगे कि दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहां-जहां कर्मचारियों की कमी है, वहां भर्ती के माध्यम से आवश्यक स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए। जैसा कि माननीय सदस्य ने अनुरोध किया है कि एच0आर0टी0सी0 के वरिष्ठ अधिकारी धर्मपुर एवं सरकाघाट चुनाव क्षेत्रों में जाएं ताकि वे वहां की वास्तविक स्थिति का आकलन कर सकें। वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आवश्यकताओं एवं कमियों से अवगत होंगे और जो भी कमियां पाई जाएंगी, उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

02.09.2026/1425/RKS/As-3

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी क्या आप कोई स्पष्टीकरण मांगना चाह रहे हैं?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, 01 सितम्बर को मैंने भी अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछा था कि वहां कितने बस रूट बंद पड़े हैं। मुझे जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसके अनुसार 17 बस रूट बंद पड़े हैं। एक विधान सभा क्षेत्र में 17 बस रूटों का बंद होना अत्यंत गंभीर विषय है क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों के आने-जाने का प्रमुख साधन एच0आर0टी0सी0 की बस सेवा ही है। उस क्षेत्र में आना-जाना पूरी तरह से बाधित हो गया है। आज माननीय उप-मुख्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं इसलिए संसदीय कार्य मंत्री यह विषय हैंडल कर रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इलैक्ट्रिक बसें भी भेजी गई थीं लेकिन वे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच ही नहीं पाईं। वे बसें रास्ते में ही खड़ी हो गईं। मेरे पास इसकी वीडियो भी है। लोग धक्का देकर उन्हें चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद बस आगे का सफर तय नहीं कर रही थी और पीछे की ओर चल रही थी। अगर हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं तो

श्री बी0एस0द्वारा जारी

02.09.2026/1430/बी.एस./डी.सी.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

अगर हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है तो क्या इलैक्ट्रिक बसों को खरीदने का यह निर्णय एकतरफा फैसला नही है?

हम इस बात से सहमत हैं कि आप सरकार में आए हैं। मुख्य मंत्री जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि अब इसके बाद इनका राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। क्या आपने इस बात को लेकर विचार नहीं किया कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि

कहीं ऐसी स्थिति न आ जाए कि हम डीजल की गाड़ियों से सीधे इलैक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो जाएं और इलैक्ट्रिक व्हीकल चले ही न? उस सूरत में क्या करेंगे?

आपने बहुत बड़ा फ्लीट खरीद लिया है। उसके पीछे मंशा जो आप बता रहे हैं वह आपकी मंशा से हटकर कुछ और मंशा भी है। एक बस अध्यक्ष महोदय लगभग तीन गुना महंगी पड़ती है। इलैक्ट्रिक व्हीकल की बस लगभग थ्री टाइम्स महंगी पड़ती है। उसके बावजूद भी आपने खरीदी। कोई बात नहीं खरीद ली आप चाहते हैं कि पर्यावरण बचे लेकिन उसके बावजूद न पर्यावरण बचा पाए और न ही आप सवारियों को मंजिल तक पहुंचा पाए। ऐसी सूरत में यह आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट होगा जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा।

हमारे सामने भी सारी चीज को लेकर प्रस्ताव आया था कि व्यवहारिक चीजें सोचनी चाहिए जो की जा सके और इन चीजों में धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, क्लैरिफिकेशन के लिए ही चार मिनट का समय लग गया है।

श्री जय राम ठाकुर : मेरी बात से बहुत परेशानी होती है और मुख्य मंत्री जी आपको तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, यह नियम-62 की क्लैरिफिकेशन है कृपया समाप्त करें।

02.09.2026/1430/बी.एस./डी.सी.-2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हम धीरे से बोलें तो परेशानी और ऊंचे बोलें तो परेशानी।

मैं चाह रहा हूं कि इस बात को लेकर के आप स्पष्ट करें। जो इलैक्ट्रिक बसें आपने खरीदी हैं उन बसों को ऐसे रूट्स पर चलाया जा रहा है जहां टेरेन बहुत स्टीप है और दुर्गम इलाका है। वहां पर वे डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पा रही हैं तो उसका आप क्या जवाब देंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चार मिनट की क्वेरी है और जब आप प्रश्न पूछते हैं तो नौ मिनट लग जाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।

अपके चार मिनट के सवाल में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमने पहले बजट में यह घोषणा की थी कि हम प्रदेश को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इलैक्ट्रिक की तरफ जाएंगे। मुझे खुशी है कि उप-मुख्य मंत्री और हम सब लोगों ने मिलकर इलैक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है।

आज वे सदन में उपस्थित नहीं है लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कहीं भी कोई भी इलैक्ट्रिक बस अगर फंसी होगी तो कहीं गड्ढे में फंसी होगी ...(व्यवधान)... सुनो-सुनो-सुनो तो सही। जो आप सोशल मीडिया पर ज्यादा भी विश्वास करते हैं यही सबसे बड़ा धोखा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं इसकी 12 साल तक की मैंटेनेंस है और सारी रिपेयर उनकी होगी। ...(व्यवधान) कृपया सुनो। जो बसें दिल्ली सरकार ने खरीदी है उससे कम कीमत की हमने खरीदी हैं और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इलैक्ट्रिक बसें यू0डी0 डिपार्टमैंट, केंद्र सरकार में आदरणीय खट्टर जी भी खरीद रहे हैं। उनसे भी हम इलैक्ट्रिक बसें ले रहे हैं।

मेरा मानना यह है कि जो बसें खरीदी हैं एक-आधी बस अगर कहीं रह गई होगी जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन इससे जहां हमारी डीजल बसों की प्रति किलोमीटर एवरेज 70 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से आ रही थी वहीं सारे खर्चे मिलाने के बाद

02.09.2026/1430/बी.एस./डी.सी.-3

इलेक्ट्रिकल बसों की लागत 36 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से आ रही है। हमें पर्यावरण की दृष्टि से भी इसका लाभ मिलेगा।

मैं आपको कहना चाहूंगा कि एच0आर0टी0सी0 को आपने भी कोई पांच वर्ष में 3,500 करोड़ रुपये की ग्रांट दी है और बसों का रेवेन्यू अलग से आया है। तीन हजार बसों के लिए पांच वर्ष में सात हजार करोड़ रुपये देना यह कहीं की इक्नॉमिक्स नहीं बैठती है।

इसलिए हमें इलेक्ट्रिकल बसों की ओर जाना है और सारे फ्लीट को एक शॉर्ट फ्लीट करके हम इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं। हम एक हजार इलेक्ट्रिकल बसों के साथ-साथ 200 हाइड्रोजन बसें खरीदने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम एच0आर0टी0सी0 को भी आत्मनिर्भर बना सकें और देश के पर्यावरण में भी स्वच्छ हवा दे सकें। निश्चित रूप से वर्ष 2027 में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से भी हम आगे बढ़ सकें और यही कार्य प्रदेश में हो रहा है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

02.09.2026/1435/DT/DC-1

विधायी कार्य
सरकारी विधेयकों की पुरः स्थापना

अध्यक्ष : अब लोक निर्माण मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब लोक निर्माण मंत्री हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करेंगे।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 16) पुरःस्थापित हुआ।

02.09.2026/1435/DT/DC-2

विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐतिहासिक बिल है और मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार किया जाए।

इस पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं फिर इसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री महोदय देंगे। माननीय रणधीर शर्मा जी की तरफ से इसमें एक अमेंडमेंट मुझे प्राप्त हुई थी, जो प्रपोज हुई थी, लेकिन वह हमारे रूल्स के अम्बिट में नहीं है। However, Hon'ble Member Shri Randhir Sharma is allowed to take part in the discussion and he can place his viewpoint on the Bill.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026 का विधेयक संख्या 10 माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधान सभा में प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार सरकार कुछ संशोधन लेकर आई है। उन संशोधनों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं चाहे वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हो चाहे सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी हो चाहे तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर हो चाहे कृषि बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय हो चाहे अटल आयुर्वेदिक अनुसंधान विश्वविद्यालय मंडी हो, इन सभी विश्वविद्यालयों में जो रिक्रूटमेंट प्रोसैस है और जो वहां फाइनेंस कमेटी हैं, उनसे संबंधित संसोधन सरकार इस सदन में लेकर आई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे देश में यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन (यू0जी0सी0) के अंतर्गत पूरे देश में

02.09.2026/1435/DT/DC-3

विश्वविद्यालय संचालित किए जाते हैं। उन विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन के ही नियम चलते हैं तथा उन्हीं नियमों के आधार पर सभी विश्वविद्यालय काम करते हैं। यू0जी0सी0 हर विश्वविद्यालय को ग्रांट भी देती है। कंडीशन यही रहती है कि विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस रहे तथा उनकी स्वायत्तता बरकरार रहे।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

02.09.2026/1440/एच.के.-एन.जी./1

श्री रणधीर शर्मा......... जारी

सभी विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 के मानकों एवं दिशा-निर्देशों के आधार पर कार्य करें, यह यू0जी0सी0 की अपेक्षा भी रहती है। लेकिन सरकार जो ये संशोधन लेकर आई है, मैं कहना चाहता हूं कि एक तरह से ये विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर कड़ा प्रहार है। इन संशोधनों से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता ही समाप्त हो जाएगी। इन संशोधनों में मुख्य रूप से दो विषय हैं। पहला विषय, वित्त समिति (Finance Committee) की अध्यक्षता का है। पहले विश्वविद्यालय की वित्त समिति की अध्यक्षता उप-कुलपति (Vice-Chancellor) करते थे। हम सब जानते हैं कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति (Chancellor) महामहिम राज्यपाल महोदय होते हैं और विश्वविद्यालय के उप-कुलपति नियुक्त किए जाते हैं। चाहे Executive Council हो, चाहे Academic Council हो या Finance Committee हो, इन सभी की अध्यक्षता उप-कुलपति करते हैं। इन समितियों में सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं और वित्त सचिव भी होते हैं। लेकिन अब सरकार यह कहकर कि प्रदेश सरकार भी विश्वविद्यालयों को अनुदान देती है, इसलिए यह व्यवस्था कर रही है कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति के अध्यक्ष उप-कुलपति नहीं, बल्कि वित्त सचिव होंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करने की दिशा में पहला प्रयास है। केवल प्रदेश सरकार के अनुदान से विश्वविद्यालय नहीं चलते। विश्वविद्यालयों को यू0जी0सी0 से भी अनुदान मिलता है और कई विश्वविद्यालय अपने स्तर पर भी संसाधन जुटाते हैं। वित्त समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव को देने से

प्रोटोकॉल की भी दिक्कत होगी। महामहिम राज्यपाल के बाद विश्वविद्यालय में उप-कुलपति का महत्वपूर्ण पद होता है।

02.09.2026/1440/एच.के.-एन.जी./2

ऐसे में उप-कुलपति वित्त समिति में अध्यक्ष के बजाय केवल एक सदस्य के रूप में बैठें और वित्त सचिव उसकी अध्यक्षता करें—यह प्रोटोकॉल की दृष्टि से भी उचित नहीं लगता। Executive Council में उप-कुलपति अध्यक्षता करेंगे और शिक्षा सचिव मेंबर होगा, लेकिन वित्त समिति में व्यवस्था को उलट कर वित्त सचिव को अध्यक्ष और उप-कुलपति को सदस्य बनाया जा रहा है। इस प्रकार से यह प्रोटोकॉल की दृष्टि से भी गलत है। इसके अलावा जो स्वायत्तता की बात है, वह भी इससे समाप्त होने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, बिल के अंदर लिखा गया है कि विश्वविद्यालयों में कुप्रबंधन या वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए यह संशोधन किया जा रहा है। लेकिन मेरा यह कहना है कि उसको रोकने के लिए तो पहले से ही ऑडिट की व्यवस्था है। विश्वविद्यालयों का ऑडिट प्रदेश सरकार का ऑडिट विभाग और उसके अधिकारी ही करते हैं। यदि कहीं वित्तीय कुप्रबंधन होता है, तो उसे चैक करने का पूरा सिस्टम मौजूद है। इसलिए केवल वित्त समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव के करने से ही वित्तीय कुप्रबंधन समाप्त हो जाएगा—यह तर्क उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हम इस संशोधन का इस आधार पर विरोध करते हैं। मैंने अपने संशोधन में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रावधान की आवश्यकता नहीं है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। यह प्रावधान सभी विश्वविद्यालयों पर लागू करने की बात कही गई है, इसलिए इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

दूसरा विषय विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया का है। अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय में चाहे टीचिंग फैकल्टी हो या नॉन-टीचिंग स्टाफ हो, उनकी भर्ती के लिए विश्वविद्यालयों

की अपनी स्वायत्त व्यवस्था होती है। क्योंकि विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस संस्थान हैं, इसलिए वे यू0जी0सी0 की गाइडलाइंस के अनुसार ही भर्ती करते हैं।

02.09.2026/1440/एच.के.-एन.जी./3

आज तक हिमाचल प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 की गाइडलाइंस के अंतर्गत ही भर्ती प्रक्रिया अपनाते रहे हैं। यू0जी0सी0 की गाइडलाइंस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सिलेक्शन कमेटी का गठन "the Selection Committee shall be constituted by the Vice Chancellor or by his nominee, nominee from UGC, subject expert and nominees of Government" अर्थात उसमें प्रदेश सरकार का भी नॉमिनी रहता है, चांसलर का भी नॉमिनी रहता है और यू0जी0सी0 व विषय विशेषज्ञों के भी एक्सपर्ट्स होते हैं। यही कमेटी सिलेक्शन करती है और

पी0बी0 द्वारा......जारी

02.09.2026/1445/HK/PB/1

श्री रणधीर शर्मा...जारी

और विश्वविद्यालय में टीचिंग फैकल्टी की जो चयन प्रक्रिया है, वह केवल असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर नहीं होती बल्कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर लेवल पर भी चयन होता है। अब उस चयन प्रक्रिया को आप यह कह रहे हैं कि हम इसे राज्य चयन आयोग या हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे देंगे। इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता तो समाप्त होगी परंतु विश्वविद्यालय में जिस एक्सपर्टाइज की आवश्यकता होती है, वह केवल ऐसा नहीं है कि एक विषय का ही अध्यापक चाहिए। सब्जैक्ट के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होती है। उसमें यह देखा जाता है कि संबंधित कैंडिडेट के कितने थीसिस हैं, उसने कितने पेपर प्रेजैंट किए हैं, उसका पी0एच0डी0 वर्क कैसा है और उसने कितने एम0फिल0 करावाये हैं। प्रोफेसर लेवल पर तो यह भी देखा जाता है कि उसने कितनी

पी0एच0डी0 करावाई हैं। इन सभी बातों का आकलन करने के बाद ही कैंडिडेट का चयन होता है।

क्या राज्य चयन आयोग या हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यह सब कर पाएगा? क्या यह उनके अधिकार क्षेत्र में है? क्या वहां के सभी सदस्य प्रोफेसर रैंक से ऊपर के हैं? क्या वे उन सभी सब्जैक्ट्स के एक्सपर्ट हैं? इसलिए यहां अनेक प्रश्न उठते हैं। इस अमेंडमैंट के माध्यम से यह जो व्यवस्था लाई जा रही है कि रिक्रूटमैंट राज्य चयन आयोग या हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। यह यू0जी0सी0 के प्रावधानों के भी विरुद्ध है और नई शिक्षा नीति जिसमें विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता बनाए रखने का प्रावधान है, उसके भी विरुद्ध है। विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए सब्जैक्ट एक्सपर्टाइज, चांसलर नॉमिनी, यू0जी0सी0 नॉमिनी और गवर्नमैंट नॉमिनी सहित एक बोर्ड तथा सेलेक्शन कमेटी बनती है, जिसके माध्यम से उनकी चयन प्रक्रिया होती है। यह यू0जी0सी0 की गाइडलाइंस में भी लिखा है और नई शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान है। परंतु इन सभी प्रावधानों को साइड में रखते हुए अब आप तानाशाहीपूर्ण रवैये से जल्दबाजी में पता नहीं किस भावना से यह अमेंडमैंट लेकर आए हैं। आपसे इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि आप इस विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं। आप विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता की लड़ाई लड़ते रहे हैं। हम इकट्ठे मिलकर एजिटेशन करते रहे हैं कि विश्वविद्यालयों का ऑटोनॉमस स्टेटस बरकरार रहे। कई बार हम

02.09.2026/1445/HK/PB/2

लोगों ने मिलकर आंदोलन किए हैं। आज आप मुख्य मंत्री जी की कुर्सी पर हैं। आपसे उम्मीद थी कि आप विश्वविद्यालयों को कुछ नए तोहफे देंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा दी जाने वाली ग्रांट में बढ़ोतरी करेंगे और कुछ नए मॉडर्न व्यवस्था के अनुसार सब्जैक्ट देंगे। परंतु आप तो विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता ही समाप्त करने पर लग गए हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी कल-परसों एक चुटकुला सुना रहे थे, वह यहां बड़ा फिट बैठता है। ...(व्यवधान) मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। ...(व्यवधान) वह भवानी सिंह जी को ही अच्छा लगता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी क्या भावना है और आपका क्या उद्देश्य है, मुझे नहीं पता। परंतु विश्वविद्यालय के हित में और प्रदेश के हित में आप विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता को बरकरार रखें। इन दो विषयों को लेकर जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, इन दोनों को वापिस लें और इस बिल को वापिस लें ताकि विश्वविद्यालय की स्वायत्ता बनी रहे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनों शायद कृषि विश्वविद्यालय में वी0सी0 की नियुक्ति को लेकर भी एक बिल अमेंडमैंट लाई गई थी, परंतु वह कोर्ट में नहीं टिक पाई। इसलिए ये अमेंडमैंट्स भी आप मेजॉरिटी में हैं और यदि एडामैंट रहेंगे तो आप उन्हें पारित कर लेंगे। लेकिन इसके खिलाफ एजिटेशन तो आज से ही शुरू हो गया है। आप उस एजिटेशन को तो फेस करें। साथ में अदालती केस अगर आपने बढ़ाने हैं तो वह आपकी मर्जी है। परंतु मेरा आपसे यही निवेदन है कि in the interest of the universities विश्वविद्यालयों, हिमाचल प्रदेश की जनता और यू0जी0सी0 की गाइडलाइंस के मुताबिक इन अमेंडमैंट्स को वापस लेकर विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता को बरकरार रखा जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यही निवेदन है।

अध्यक्ष : नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

02.09.2026/1450/वाई0के0-ए0पी0/-01

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक माननीय सदन में प्रस्तुत किया है। यह बहुत ही ऐतिहासिक बिल है जो भविष्य की दिशा को तय करेगा। यह बात सही है जो माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने कहा कि विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता है उसको

बरकरार रखने की जरूरत रहती है। यह कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें थी जिन्होंने शुरू में भारतवर्ष में ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन जैसे आई0आई0टी0, आई0सी0, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाई और स्टेट यूनिवर्सिटीज ने भी वही फॉलो किया। लेकिन स्वायत्तता के नाम पर इनका बहुत दुरुपयोग भी हुआ है। इस बात को भी मानने की जरूरत है। आज जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, वे एक राजनीतिक शरणस्थली बन चुके हैं। मेरिट को इग्नोर करके राजनीतिक रिकमेंडेशन के आधार पर नियुक्तियां होती आई हैं। ऐसे आरोप प्रदेश विश्वविद्यालयों पर भी लगे हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर भी लगे हैं। मैं नाम के साथ कोट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन उसमें भी ऐसे मामले आते हैं। (माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी की बात का उत्तर देते हुए।) मैं इस माननीय सदन में डॉ0 वाई0एस0 परमार यूनिवर्सिटी, सोलन के बारे में कहना चाहूंगा। एक बड़े अच्छे और मेरिट के आधार पर डॉ0 एस.सी. शर्मा, जो वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट भी हैं। जब पिछली बार हमारी सरकार थी, वह वहां के वाइस चांसलर बने थे। उस समय जब उनकी सिलेक्शन हुई तो हमारे मुख्य मंत्री, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, ने मुझे बुलाया और कहा कि ये आपकी विधान सभा क्षेत्र से हैं, वह कैसे व्यक्ति हैं? मैंने कहा, सर, बहुत अच्छे हैं और एक रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। उस समय टी0जी0 नेगी जी भी वहां पर थे। उन्होंने कहा, सर, मैंने इतना इम्प्रेसिव सी0वी0 आज तक किसी व्यक्ति का नहीं देखा है। लेकिन वही वाइस चांसलर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। एक दिन मुझे उनका कॉल आया कि डॉ0 वाई0एस0 परमार यूनिवर्सिटी, सोलन में दो अप्लिकेंट्स ऐसे थे, जिनको मैंने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट भी नहीं किया था। हालांकि उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा विरोध का सामना भी करना पड़ा था। क्योंकि वह एक विचारधारा और संगठन से संबंधित राजनीतिक व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और उन्होंने कहा कि मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वही कैंडिडेट आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगे हैं। एच0पी0 यूनिवर्सिटी के अंदर भी पिछले तीन-चार साल पहले जो रिक्रूटमेंट्स हुई। उसके बारे में मीडिया में बहुत सारी बातें हुई थी। एजीटेशन तो उस समय भी हुआ था। माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी, आप

02.09.2026/1450/वाई0के0-ए0पी0/-02

एजीटेशन की बात कर रहे थे। क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन जहां भी इन्वॉल्व होगी, वहां एजीटेशन होना तो स्वाभाविक है। जो लोग अच्छे पढ़े-लिखे हैं, मेरिट के हिसाब से वे

डिजर्व करते हैं। वे संगठन नहीं बना पाएंगे, वे बेचारे पढ़ने, शोध करने और इस बात पर ध्यान देने में लगे रहते हैं कि किस तरह से हम रिसर्च करें और कुछ नया करें। आज इस बारे में जो सोच बनी है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यू0जी0सी0 के नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यू0जी0सी0 के नॉर्म्स को भी इग्नोर करके, उन्हें वायलेट करके भर्तियां हुई हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी नॉर्म्स को वायलेट करके भर्तियां हो रही हैं। एन0आई0टी0 हमीरपुर, यह ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट था। लेकिन बीच में एक दौर ऐसा भी आया, जब किसी इलाहाबाद के डायरेक्टर को वहां पर लगाया गया। वे क्लास-3 और क्लास-4 के व्यक्ति भी साथ ही लेकर आए। उनकी रिकमेंडेशन कहां से होती थी, इसकी बड़ी चर्चा उस समय होती थी।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

02.09.2026/1455/AT/YK/01

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी…….

मैं यह नहीं कहूंगा कि नागपुर से होती थी, लेकिन ऐसा बोलते थे कि नागपुर से जिनकी रिकमेंडेशन होती है वहां उनको लगाया जाता है। इस कारण इतना भट्टा बैठा…(व्यवधान)मैं सच्चाई व्यक्त कर रहा हूं।

आज वहां क्लास थ्री और क्लास फोर के एम्प्लॉयी लगे हैं। पहले NIT हमीरपुर में ये लोग लोकली लगते थे, जबकि प्रोफेसर जरूर बाहर के होते थे। जिस NIT की NIRF रैंकिंग में 17 नंबर पर थी, उनके समय में वह 80वें-85वें रैंक पर पहुंच गई थी। अब वे रैंकिंग दोबारा इम्प्रूव हुई है। आज हम यह भी देखें कि हमारी HP यूनिवर्सिटी या प्रदेश के अंदर जो हमारी अन्य यूनिवर्सिटीज हैं उनकी वर्ल्ड लेवल को तो भूल जाइए लेकिन नेशनल लेवल पर रैंकिंग क्या है? आज आप अपने लाइफटाइम में देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में जितनी मेजर इन्वेंशंस हुई हैं, जो लाइफ चेंजिंग हैं और जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया है, चाहे वह इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, LED लाइट्स हों जो भी नई इनोवेशन हुई है,

आप देखिए कि उसमें इंडिया कहां स्टैंड करता है और हिमाचल कहां स्टैंड करेगा। आज वर्ल्ड की जो टॉप 200 इंस्टिट्यूशंस हैं, उनमें इंडिया का नाम नहीं आ रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि सरकारी यूनिवर्सिटीज के अंदर सब जगह राजनीतिक तौर पर नियुक्तियां होती हैं। आज हमें उसको एक सेंटर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन बनाना पड़ेगा, तभी देश का भला होगा। आज मेरिट को हर जगह इग्नोर किया जाता है। यह जो बिल माननीय मुख्य मंत्री जी ने लाया है, इसकी प्योरली मंशा अगर पॉलिटिकल होती, तो सबसे आसान तरीका था कि अपने आदमी को फिट कर दो जैसे आप लोगों ने किए है। मैं कहना नहीं चाहूंगा पर जो वाइस चांसलर यहां रहे उनको बड़ा रिवार्ड दिया गया है, वह किसलिए दिया गया? वह चीज करना आसान है। हमारी सरकार भी वह कर सकती है, लेकिन हमारी मंशा सिर्फ यही है कि जो लोग मेरिट पर आएं हम उस मेरिट को ऑनर करें। वही देश के हित में है, वही समाज के हित में है।

02.09.2026/1455/AT/YK/02

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, से यह जरूर कहना चाहूंगा कि एक बात में मैं सहमत हूं आपसे। असोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती अगर सर्विस कमीशन से न हो क्योंकि थोड़ा एक्सपर्ट्स का विषय है, तो उसके लिए कोई अलग एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा। लेकिन एंट्री लेवल की जो पोस्टें हैं वे जरूर सर्विस कमीशन के माध्यम से ही होनी चाहिए।

मैं इस मंच के माध्यम से इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। आदरणीय जय राम जी, ने भी कदम उठाया था कि सर्विस कमीशन में जो भर्तियां होती हैं, उसमें 70 प्रतिशत वेटेज रिटन एग्जाम की होगी। लेकिन पता नहीं किस दबाव की वजह से इन्होंने उसे वापस ले लिया था। वर्तमान के मुख्य मंत्री जी ने उसी तरह का फैसला लिया है। आज मेरिट को ऑनर करने के लिए 70 प्रतिशत वेटेज रिटन एग्जाम को दी जाती है और 30 प्रतिशत पर्सनल इंटरव्यू को रखा गया है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मेरिट पर लोगों को कैसे सिलेक्ट करेंगे? और जब मेरिट पर सिलेक्ट ही नहीं होंगे तो कोई रिसर्च नहीं होगी, कोई इनोवेशन नहीं होगी। हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? हम जितने मर्जी नारे लगाएं उन नारों को लगाने से कुछ नहीं होने वाला। हम जितना मर्जी बोलें कि भारत

विकसित होगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, जब तक हम मेरिट को ऑनर नहीं करेंगे। जो लोग मेरिट पर डिजर्व करते हैं उनको आगे नहीं लाएंगे, तब तक यह संभव नहीं होगा।

जो राज्य चयन आयोग में क्लास थ्री और क्लास फोर की पोस्टों की बात है तो आपकी ही केन्द्र में सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर एक फैसला लिया था कि क्लास थ्री और क्लास फोर की पोस्टों के लिए पर्सनल इंटरव्यू कोई नहीं होगा। वह प्योरली मेरिट पर होगा। तो HP यूनिवर्सिटी में क्यों हम उनको एक्सक्लूड करें? इसलिए राज्य चयन आयोग बनाया गया है। भाजपा सरकार ने तो यह भी स्टेप लिया कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी नियुक्ति भी कॉलेजियम के माध्यम के बजाय एक अलग सिस्टम के माध्यम से हो। यह अलग बात है कि वह सिरे नहीं चड़ी। उनकी मंशा भी यही होगी कि जो लोग मेरिट पर डिजर्व करते हैं, उनको आगे लाएं। यही मंशा हमारी सरकार की और माननीय मुख्य मंत्री जी की है कि जो लोग डिजर्व करते हैं उनको उस पोस्ट पर लाना चाहिए।

02.09.2026/1455/AT/YK/03

मैं तो अनुरोध करूंगा कि जो बाकी भी हमारे कमीशन्स हैं, बोर्ड हैं, यहां तक कि हाई कोर्ट का भी जो रिक्रूटमेंट है उसको भी ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। जो क्लास थ्री और क्लास फोर की वहां पोस्टें भरी जाती हैं उनमें भी ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है और जब हमारे पास एजुकेटेड सिलेक्शन एजेंसीज हैं तो उनके थ्रू हमें भर्ती करनी चाहिए और मेरिट को ऑनर करना चाहिए। यही कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद सर।

02.09.2026/1455/AT/YK/04

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार।

श्री विपिन सिंह परमार: अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026, जो उन्होंने प्रस्तुत किया है उसके संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी नीयत

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी....

02.09.2026/1500/av/ag/1

श्री विपिन सिंह परमार-------- जारी

और विज़न क्या है, जोकि इसमें स्पष्टतया नज़र नहीं आ रहा और जब स्पष्टतया नज़र नहीं आ रहा तो यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय महसूस होता है। उसका जिक्र माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने किया है; जिन्होंने अमेंडमैंट मूव की है। इन्होंने ठीक कहा है कि आज हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय बिना नियमित वी0सी0 के चल रहा है। तदर्थ व्यवस्था की जाती है और वरिष्ठतम को एक्टिंग वी0सी0 बना दिया जाता है। कुछ महीने बाद वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इंतजार करते हैं कि हाई कोर्ट कोई फैसला देगा। वह फैसला राज्य सरकार ने इसी विधान सभा के अंदर ड्राफ्ट किया था और वह ड्राफ्ट जो अपने अनुकूल फ्रेम किया गया था क्योंकि हमने तो उस समय भी उसका विरोध किया था। परंतु आपके पास बहुमत है और बहुमत के कारण आपने वह पारित करवा दिया। लेकिन अंत में माननीय हाई कोर्ट के निर्णय से वह पूरे-का-पूरा बिल धराशायी होकर समाप्त हो गया। मुझे लगता है कि कई बार हमारी नीयत ठीक होती है परंतु नीयत के साथ-साथ क्या स्टैक होल्डर्ज के साथ विचार-विमर्श किया जाता है, क्या उनसे बातचीत की जाती है? ऐसा तो किया नहीं जाता, केवल 'वन मैन आर्मी' के रूप में फैसला लिया जाता है जोकि अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ में बाधा बनता है। विशेषकर हमारे विश्वविद्यालयों में

जहां पर भविष्य तैयार होता है, अगर वहां पर हैड ऑफ द इन्स्टिच्यूशन यानी वी0सी0 न हो तो ऐसा दंश हमारा पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय पिछले पौने चार वर्षों से झेल रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उसका आधार भी हम नहीं अपितु सत्ता पक्ष है। हमारा कृषि विश्वविद्यालय तो उस दौर से भी बाहर निकलकर आया जब कहा गया कि हम वहां पर एक टूरिज्म विलेज बना देंगे। हम माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि वे हर मामले में निष्पक्षता तथा हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर निर्णय लेते हैं। आखिर हिमाचल प्रदेश की सरकार कृषि विश्वविद्यालय की तीन करनाल जमीन को किसी अलग काम को देने के लिए योजना बना रही थी। इसलिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी आभार प्रकट करना चाहते हैं। हम तो इस संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री जी से भी मिले तथा विधान सभा में भी विरोध किया था। हम आज यहां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहते हैं।

02.09.2026/1500/av/ag/2

यहां पर कहा गया कि आपने भी समरहिल विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है, वह भी इसी एक्ट के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी, टैक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर, डॉ0 वाई0एस0 परमार यूनिवर्सिटी नौणी, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और प्रदेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी भी इसी के अंतर्गत आएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब ये विश्वविद्यालय बनते हैं तो ये विश्वविद्यालय अलग-अलग एक्ट के अनुसार बनते हैं। ये विश्वविद्यालय किसी एक ही एक्ट के अंतर्गत नहीं बनते और ये विश्वविद्यालय जिस एक्ट के अंतर्गत बनते हैं वहां उस विश्वविद्यालय का क्या रोल रहेगा तथा वहां पर कौन-कौन से सब्जैक्ट पढ़ाए जाएंगे, फाइनेंसिंग व सैल्फ फाइनेंसिंग तथा उसकी स्वायत्तता से संबंधित भी उस एक्ट में प्रावधान किए जाते हैं। अब आप जो यह नया शगूफा लेकर आए हैं

टी सी द्वारा जारी

02.09.2026/1505/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री विपिन सिंह परमार .... जारी

मुझे पता है कि आपका बहुमत है और आप इसे पारित करवा लेंगे। परंतु उस बड़े दरबार में, उस न्यायालय में, जहां हर निर्णय में आपको मुंह की खानी पड़ रही है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। लोग अपने अधिकार के लिए न्यायालय में जा रहे हैं और इसका परिणाम यह है कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय वहां स्ट्रक ऑफ हो रहे हैं, अल्टिमेटली इस एक्ट का भी यही अंजाम होगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां कहा जा रहा है कि इससे निष्पक्षता होगी तो क्या आज जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं और वहां जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें कोई निष्पक्षता नहीं होती? क्या यह निष्पक्षता वर्ष 2023 के बाद ही शुरू हुई? इस बीच में आपने इसके प्रमाण या इस प्रकार के कोई मामले निकालकर देखे हैं? आपकी भावना ठीक हो सकती है परंतु सबसे पहले जो स्टेकहोल्डर्स और विश्वविद्यालय से संबंधित लोग हैं, उनसे भी विस्तार में चर्चा होनी चाहिए। यह प्रपोज्ड बिल पूरी तरह से विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी को समाप्त कर देगा क्योंकि जिन विश्वविद्यालयों के मैंने यहां पर नाम लिए हैं, वे अलग-अलग एक्ट और प्रावधानों के अधीन संचालित होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयों में नियुक्ति की प्रक्रिया के ऊपर हमारे मंत्री जी ने भी बहुत से प्रश्न खड़े किए हैं। विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में केवल 20 प्रतिशत मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं और शेष 80 प्रतिशत मार्क्स उसके प्लस टू, बी0एस0सी0, एम0एस0सी0, नेट, जी0आर0एफ0 की मेरिट और सैट के होते हैं। इन सभी की मेरिट जुड़ने के बाद कुल 80 प्रतिशत मार्क्स बनते हैं। इसमें सिफारिश की गुंजाइश कहां है? ...(व्यवधान) मैं यह बात जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। हो सकता है कि आपके साढ़े तीन-पौने चार वर्ष के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ होगा परंतु मैं जो बात कह रहा हूं वह जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह बात रिकॉर्ड की जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में एकेडमिक रिकॉर्ड यानी 80 प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें उसका एकेडमिक

रिकॉर्ड कैसा है, प्लस टू, बी0एस0सी0 और एम0एस0सी0 में उसके कितने अंक हैं यह सब इसमें शामिल होता है। इसमें नेट, सेट और यू0जी0सी0 की मेरिट भी शामिल है। शेष

02.09.2026/1505/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

20 प्रतिशत अर्थात 20 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं। इसके लिए इंटरव्यू बोर्ड बैठता है। यू0जी0सी0 से नॉमिनेटेड प्रोफेसर्ज भी इसके लिए वहां पर आते हैं और उसी आधार पर ये नियुक्तियां होती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं। परंतु आपने भी पिछले दिनों में जो अपॉइंट की हैं उनमें कौन-कौन अपॉइंट किए गए? मैं आपकी रिकमेंडेशन की बात करुंगा और उनके नाम लूंगा तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आपने इस पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंट किए हैं? ...(व्यवधान)

02.09.2026/1505/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन-से आदमी हैं जिन्हें मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन में रिकमेंड किया है? हमने तो पब्लिक सर्विस कमीशन में वाय-वाय भी बंद कर दिया है। पहले वाय-वाय में रिटन एग्जामिनेशन के नंबर नहीं लगते थे? किसी युवा साथी ने रिटन एग्जामिनेशन मेरिटोरियस रूप से पास कर लिया। उसके रिटन एग्जामिनेशन के नंबर के हिसाब से चाहे वह पहले नंबर पर हो यानी सौ की मेरिट में नंबर वन पर है, मैं यह बात बड़े सरल तरीके से समझाना चाहता हूं। ...(व्यवधान) मैं आपके एलिगेशन्स का जवाब देना चाहता हूं। आप सुनिए। ...(व्यवधान) नहीं-नहीं, थोड़ा सुनिए। आप लड़ो मत ...(व्यवधान) गुस्सा मत हो। मैं प्यार से ही बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमने क्या किया कि रिटन एग्जामिनेशन में सौ बच्चे सिलेक्ट हुए जो टॉपर पहले नंबर पर था

एन0एस0 द्वारा जारी ...

2-9-2020/1510/NS-AS/1

मुख्य मंत्री-----जारी

और पब्लिक सर्विस कमीशन में जब वायवा होता था तो पहले नंबर वाला सलैक्ट नहीं हो सका और 100वां नंबर वाला सलैक्ट हो गया क्योंकि उसने रिटन एग्जाम में जो नंबर लिए वे उसके साथ नहीं जुड़े। हमने एक व्यवस्था परिवर्तन किया क्योंकि हम युवा साथियों, पढ़े-लिखे बच्चों जो दिन-रात पढ़ते हैं और मेहनत करके मैरिट पर आते हैं उन्हें किसी राजनीतिज्ञ के पास न जाना पड़े, हमने उस दृषिट से उनके पर्सनल इंटरव्यू और रिटन दोनों के नंबर जोड़ने की व्यवस्था की। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन में यह व्यवस्था परिवर्तन किया है। माननीय सदस्य ने बिल के बारे में जो कहा है उसको मैं आगे बताऊंगा। आपने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया था इसलिए मैंने जवाब दिया।

अध्यक्ष : माननीय विपिन सिंह परमार जी, I will request all the Hon'ble Members to be very brief because issues are being repeated.

श्री विपिन सिंह परमार : सर, मैं इस विषय से हटकर कोई गारंटियों की बात नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष : नहीं, आप विषय पर रहिए। कई विषय रिपीट हो रहे हैं because some issues have been raised by Hon'ble Member Shri Randhir Sharma.

श्री विपिन सिंह परमार : जो मैं बोल रहा था मुख्य मंत्री जी ने उस विषय को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ दिया। मैं यह कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मैम्बर्स भी तो रिकमेंडेशन के माध्यम से ही लगते हैं। अभी पिछले दिनों जितने मैम्बर लगे हैं उनकी सूची मेरे पास है। उनका संबंध किस दल से रहा, पुराने विद्यार्थी जीवन से वे किसके साथ रहे, राजनीतिक सफर में कौन सुख-दुःख का साथी बना, आप राजनीति में आ गए और वे प्रोफैसर बन गए, जो भी बने। ...(व्यवधान) आपको मौका मिलेगा तो आप अपनी बात रखना। मैं यह कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता,

अकाउंटेबिलिटी, वित्त प्रबंधन और ऐसे सारे पहलुओं तथा क्वालिटी को ध्यान में रख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इससे पहले जो सरकारें थीं, क्या उन्होंने क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया? उन्होंने भी क्वालिटी की तरफ ध्यान दिया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश

2-9-2020/1510/NS-AS/2

पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस पैमाने के ऊपर पास होने के बाद इंटरव्यू होते हैं उन सारी बातों का ध्यान रखा गया है। तभी तो ये हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर मैं चौधरी सरवण कुमार हि0 प्र0 कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर की बात करूं तो हिंदुस्तान के 65 कृषि विश्वविद्यालयों में 25वें नंबर पर है और यह विश्वविद्यालय शानदार काम कर रहा है। उसी तर्ज पर अन्य विश्वविद्यालय भी बढ़िया काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी, आप इस बिल के संबंध में जो अलग-अलग विश्वविद्यालयों के अकैडेमिशियन्स हैं उनसे पहले चर्चा जरूर कर लें। जो शोध करने वाले हैं उनसे चर्चा जरूर कर लें। यू0जी0सी के तहत क्या नॉर्म्ज हैं वहां पर जरूर चर्चा कर लें। यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है और अल्टीमेटली यह निर्णय आप यहां पर पारित करवा सकते हैं परंतु जब लोग इस पारदर्शिता के लिए जाएंगे तो यह एक्ट या जो भी आपने कानून बनाया है, यह गिर जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं। हमारा अधिकार है इसीलिए हम अपनी बात यहां पर रख रहे हैं। अब आप मानें या न मानें, हमारी बातों को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे यह मुझे पूरी तरह से स्पष्ट है। हमारे मित्रों ने बहुत-सी बातें यहां पर रख दी हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो संशोधन लाया गया है मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, नौणी विश्वविद्यालय भी एडहॉक व्यवस्था से चल रहा है। चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,पालमपुर इतना बड़ा विश्वविद्यालय है और वहां कई एक्टिंग वी0सी0 आए और चले गए। आपकी जो जिद्द थी कि नहीं, हम जो अमेंडमैंट लाए हैं और जो एक्ट बना है उसके अनुसार हम वी0सी0 लगाएंगे। उसके भी चार वर्ष बीत गए हैं। इस संशोधन का मैं अपनी ओर से विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष -----आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

02.09.2026/1515/RKS/As-1

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) पर अपने विचार रखने और इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि मुख्य मंत्री ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक विधेयक है। मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में ही यह ऐतिहासिक विधेयक है। पिछले 12 वर्षों के दौरान जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और श्री नरेन्द्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने तब से एक विशेष विचारधारा के तहत ये हमारे देश की विभिन्न संस्थाओं का भगवाकरण करने में तुले हैं और विश्वविद्यालय भी इस विचारधारा से अछूते नहीं रहे। इस विचारधारा ने जो हमें नुकसान पहुंचाया है, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, इलेक्शन कमीशन हो, ज्यूडिशरी हो या ई0डी0 और सी0बी0आई0 जैसी संस्थाएं हों, इन्होंने किसी भी संस्था को नहीं छोड़ा है। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी ऐसे व्यक्ति को वी0सी0 नियुक्त किया जो उस पद के लिए क्वालिफाइड ही नहीं था। वहां इन्होंने पूरा रंग रचा और अपनी विचारधारा के लोगों को बिठाया। बाद में उन्हें इसका इनाम देकर राज्यसभा भेज दिया। अध्यक्ष महोदय, ऑटोनॉमी के नाम पर किसी भी संस्था को बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। ऑटोनॉमी तभी तक उचित है जब उसका उपयोग संस्थान में किसी विशेष विचारधारा को स्थापित करने के लिए न किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा संविधान के अनुरूप सभी को साथ लेकर चलने तथा देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने की विचारधारा है। इनकी विचारधारा धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने वाली है। अब तो इन्होंने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में भी लड़ाई शुरू करवा दी है। ...(व्यवधान) मैं बिल पर ही आ रहा हूं।

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री जी कृपया अपने विचार विधेयक तक ही सीमित रखें।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के संदर्भ में ही अपनी बात रख रहा हूं। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये हमें बोलने ही नहीं देते हैं। ...(व्यवधान) जब श्री विपिन सिंह परमार और श्री रणधीर शर्मा जी अपने विचार रख रहे थे तब हमने इन्हें बीच में इंटरप्ट नहीं किया। ...(व्यवधान) जितना बोलने का

02.09.2026/1515/RKS/As-2

अधिकार इनका है, उतना ही अधिकार हमारा भी है। ...(व्यवधान) ये सच्चाई नहीं सुन सकते। जिस तरह से पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने जो विश्वविद्यालय का सत्यानाश किया उसे सुधारने के लिए यह विधेयक सही समय पर लाया गया है। अभी श्री विपिन सिंह परमार यह कह रहे थे कि उनका हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग पर पूरा विश्वास है। यदि ऐसा है तो फिर इस व्यवस्था पर आपको क्या आपत्ति है? जब आप मानते हैं तो फिर वहां से नियुक्तियां होने दीजिए। ...(व्यवधान) आपके समय में विश्वविद्यालय में इंटरव्यू कौन ले रहा था? वहा वह कनिष्ठ पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वरिष्ठ पदों के अभ्यर्थियों का इंटरव्यू ले रहा था। यही इनकी व्यवस्था थी। अब यदि हम इस व्यवस्था को सुधारते हुए यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से हों तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? इसमें कहां कमी है और उनकी ऑटोनॉमी पर कहां आंच आती है? वहां भी तो एच0पी0एस0सी0 के माध्यम से चयनित एच0पी0एस0 अधिकारी और पुलिस अधिकारी आते हैं। क्या वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? आपने जो कमेटियां बनाई हैंउनमें अधिकांश लोग आर0एस0एस0 की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आज हिन्दुस्तान की विभिन्न यूनिवर्सिटियों में जितने भी वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं, वे आर0एस0एस0 की विचारधारा के लोग हैं।... (व्यवधान)

श्री बी0एस0द्वारा जारी

02.09.2026/1520/बी.एस./डी.सी.-1

राजस्व मंत्री जारी...

...(व्यवधान) विश्वविद्यालय में एस0सी0-एस0टी0 का रोस्टर नहीं लगाया जाता था। बिल बन जाने के बाद रोस्टर ठीक से लगेगा ताकि एस0सी0, एस0टी0, ओ0बी0सी0 और जो वंचित लोग हैं तथा दलित लोग हैं उनको नौकरियों में मौका मिलेगा। ये चाहते हैं कि सिर्फ इनकी विचारधारा के लोग ही हर चीज का लाभ उठाएं।

यह बहुत बढ़िया बिल है हमारे जो दलित,एस0टी0 और ओ0बी0सी0 वर्ग के लोग हैं उनका संवर्धन करेगा। आप बताइए कि यूनिवर्सिटी में हमारे कितने प्रोफेसर हैं? कितने हमारे एच0ओ0डी0 हैं? यह बढ़िया बिल आया है जो इनको चुभ रहा है कि इस बिल के आने के बाद इनकी विचारधारा को समाप्त कर दिया गया है। आप बताइए कि इसमें क्या तकलीफ है? मेरे से पूर्व आदरणीय धर्माणी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता मैं अपने को उसमें संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आपकी सारी बातें आ गई हैं।...(व्यवधान)

राजस्व मंत्री : हिमाचल में हायर एजुकेशन में व्यवस्था परिवर्तन लाने और पारदर्शिता लाने के लिए है तथा वंचित जनजातियों को भी इसमें मौका मिले इसके लिए यह बेहतरीन तरीका है। मैं इस बिल का भरपूर समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

02.09.2026/1520/बी.एस./डी.सी.-2

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे।

श्री जय राम ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं कि वर्तमान सरकार के हमारे मुख्य मंत्री जी सारी चीजों पर इतना वज़ीद क्यों हुए पड़े हैं और क्यों उस प्रदेश का (***)सत्यानाश करने जा रहे हैं। नाम तो व्यवस्था परिवर्तन है। ...(व्यवधान) जब राजस्व मंत्री जी ने बोला, यह शब्द अनपार्लियामेंटरी नहीं है।

अध्यक्ष : **(***) will not be a part of the record। मैंने वहां भी आपत्ति दर्ज कर दी है।**

श्री जय राम ठाकुर : इस शब्द की जगह सत्यानाश कर देते हैं।...(व्यवधान) आपको ये अच्छे शब्द लगते हैं? इसको जोड़ दीजिए। आप कार्यवाही से क्या-क्या निकालेंगे? कहां-कहां निकालेंगे? और कब तक निकालेंगे?

अध्यक्ष महोदय, इस माननीय विधान सभा की गरिमा तब है जब चुनकर सभी माननीय सदस्य यहां पर आए हैं। विधान सभा का नाम इसलिए रखा गया है कि यहां विधायी कार्य होंगे। कानून बनेगा और उस कानून के आधार पर प्रदेश चलेगा तथा व्यवस्थाएं चलेंगी। उस कानून को कानून की नजर में हाईकोर्ट में भी सम्मान दिया जाएगा।

कितनी मर्तबा हो गया? कितनी बार ऐसा हो गया कि इस विधान सभा के अंदर जोर-जबरदस्ती से सत्ता के बल के बहुमत के कारण बिल पारित कर रहे हैं और हाईकोर्ट उनको रद्द कर रहा है तथा उड़ा रहा है। सीरीज ऑफ इन्सिडेंट्स, मुख्य मंत्री जी आपने बाद में जवाब दे देना।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, कृपया मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लेना।

श्री जय राम ठाकुर : मुख्य मंत्री जी कृपया बैठ जाइए, I am not yielding. अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं तो ठीक है।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

02.09.2026/1520/बी.एस./डी.सी.-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता जी को असत्य बोलने की आदत जैसी लगी है। असत्य और सत्य की जब लड़ाई होती है तो सत्य ही जीतता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले तो ये बताइए कि इस विधान सभा से पारित ऐसे कितने बिल हैं? और कौन से बिल ऐसे हैं जो हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन किए हैं? अगर जानकारी आपके पास है तो आप बताइए?

आप विपक्ष के नेता हैं और पूर्व मुख्य मंत्री हैं। हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन शब्दों में इस तरह कहना गलत बात है। हमारे आधे बिल तो गवर्नर के पास फंसे हुए हैं। आप हमें बताइए कि यहां बहुमत से कितने बिल पास होते हैं और हाईकोर्ट उन्हें स्ट्रक डाउन करता है, ऐसे बहुत ज्यादा बिल नहीं हैं। जिस बिल की आप बात कर रहे हैं और विशेषकर यूनिवर्सिटी के विषय की जो बात कर रहे हैं उसमें अभी हाईकोर्ट ने रूल्स के प्रोविजन्स पर बात की है। यूनिवर्सिटी का एक्ट बंद नहीं किया गया है नहीं तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को ही बंद कर देना था।

इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप थोड़ा प्रूडैंटली थिंक करके बोलें। मेरी आपसे यही रिक्वैस्ट है। आप बोलिए, यह आपका अधिकार है। मैं तो चाहता हूं कि आप ज्यादा बोलें।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

02.09.2026/1525/DT/DC-1
मुख्य मंत्री जारी...

मेरी एक गुजारिश है कि आप बोलें। आपका अधिकार है। मैं तो चाहता हूं कि आप ज्यादा बोलें-आप बोलते भी हैं। आप अपने विधान सभा क्षेत्र में ऐसा बोलते हैं कि मुख्य मंत्री ही ऐसा बोलते हैं लेकिन आपको बोलने से पहले सत्यता का पता कर लेना चाहिए। । झूठ बोलने के कारण आपके खिलाफ पांचवां प्रिविलेज हो गया है।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि ज्यों-ज्यों वक्त बीत रहा है और वक्त बीतने के साथ-साथ सरकार का कार्यकाल भी पूरा होने की दिशा में जा रहा है

इसलिए इसका इम्पैक्ट इनकी याददाश्त पर भी आ रहा है। रेरा से संबंधित बिल भी इस सदन में वर्तमान सरकार ने पास किया था। उसका क्या हुआ?

वर्तमान सरकार द्वारा वॉटर सैस का प्रावधान भी किया था, उसका क्या हुआ? नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी आप मुझे इसका जवाब दीजिए। जहां आज आप हैं वहां मैं भी पांच वर्ष रहा हूं और मैने भी इन सारी चीजों को देखा है और आप लोगों को भी झेलकर भी आया हूं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा इस सदन में यूनिवर्सिटीज से संबंधित संसोधन बिल इस सदन में प्रस्तुत किया है। वर्तमान सरकार ने ही यूनिवर्सिटीज के रूल्स में अमेंडमेंट से संबंधित बिल भी लाया गया था। उसमें क्या हुआ; हाईकोर्ट ने क्या कहा? आखिरकार हाईकोर्ट ने उसे टर्नडाउन कर दिया। फजीहत-दर-फजीहत हो रही है यानी हर जगह फजीहत हो रही है। बार-बार फजीहत हो रही है। उसके बावजूद भी सरकार बाज नहीं आ रही है। हैरानी तो इस बात को लेकर हो रही है। मुख्य मंत्री जी आप जिद करिए लेकिन अच्छे काम के लिए जिद करिए। हो सकता है अगर आपकी अच्छी जिद् होगी तो हो सकता है कि हम ही उसमें आपको साथ दें। हो सकता है हम ही आपके समर्थन में बोलें कि आपकी यह जिद प्रदेश के हित के लिए और समाज के हित के लिए है, इसलिए यह करना जरूरी है।

सरकार ने प्रदेश में पंचायत के चुनाव टालने का फैसला कर दिया। लेकिन उसके बाद उस प्रकरण में भी हाईकोर्ट ने आपको आदेश दिया कि आप चुनाव

02.09.2026/1525/DT/DC-2

कराइए। आपने हाईकोर्ट के आदेश पर भी टिप्पणी की और हाईकोर्ट के ऊपर भी टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने पहले डेट को लेकर फैसला दिया क्योंकि सरकार तो चुनाव ही नहीं करवाना चाहती थी इसलिए हम हाईकोर्ट में गए क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था।

आप सत्ता बल के नीचे हमको दबाना चाह रहे हैं। आपका बहुमत है इसलिए आपका बिल पारित हो जाता है और आपका फैसला हां-जी हां में रह जाता है। लेकिन आखिरकार

उसके बाद हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास कोर्ट और कानून का रास्ता है। वह तो हमारे लिए है ही और बाकी के लिए भी है। हम हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव करवाइए। आप हाईकोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट की जजमेंट के खिलाफ आपने टिप्पणी की और गंभीर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 मई से पहले आप चुनाव करवाइए। आपने उसके बाद बीच में रोस्टर लगा दिया और डिप्टी कमिश्नर को अधिकार दे दिए कि पांच प्रतिशत रिजर्वेशन का रोस्टर आपके माध्यम से लागू होगा। उसको भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे फैसले इतने हो गए हैं और आखिरकार एक फैसला आप और जोड़ने जा रहे हैं। आखिरकार जो फैसला आप करने जा रहे हैं और जो अमेंडमेंट आप लाए हैं उसको यहां बहुमत के आधार पर पारित तो कर देंगे लेकिन क्या यू0जी0सी0 के नॉर्म्स के मुताबिक जब सारी चीजों को लेकर लोग हाईकोर्ट में जाएंगे तो क्या यह बिल वहां टिकेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कानून बनकर इस विधान सभा से पारित होता है और हाईकोर्ट उसको स्टेक डाउन कर देता है तो बेइज्जती किसकी होती है, बदनामी किसकी होती है और बुरा नाम किसका होता है? इससे इस माननीय सदन की गरिमा को ही ठेस पहुचती है। यह सरकार का ही नहीं बल्कि पूरे सदन का अपमान होता है और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं कहूंगा कि आपका संरक्षण भी उस तरफ से होना चाहिए। और मैं टेक्निकल

Speaker: It is the constitutional power vested with the High Court & the State Legislature. So we are similar. Hon'ble High Court can scrutinize it. But there is nothing as such if it is struck down by the High court then it is against the State Legislature Assembly. That is the prerogative of the High Court. We have constitutional prerogatives and we are exercising these prerogatives. Assembly has right to frame the Bills.

02.09.2026/1525/DT/DC-3

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने यहां पर बहुत टेक्निकल चीजों को लेकर विस्तार से अपनी बात कह दी है। लेकिन आखिरकार मुख्य मंत्री जी आप यह बिल क्यों पारित करना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस इंस्टिट्यूशन है और उसकी

ऑटोनॉमी को आप ऐसे ही रहने दीजिए। आप बार-बार इस बात के लिए आमादा क्यों हुए हैं कि you want to run the Universities like Government Departments. आप यूनिवर्सिटी को सरकार के एक महकमे की तरह चलाना चाह रहे हैं? आपके फाइनेंस सेक्रेटरी

श्री एन0जी0द्वारा जारी.......

02.09.2026/1530/एच.के.-एन.जी./1

श्री जय राम ठाकुर......... जारी

का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है और इसके बारे में मुझे मालूम है क्योंकि मैं स्वयं भी इसका सदस्य रहा हूं। जब फाइनेंस सेक्रेटरी यह कह देते हैं कि सरकार की सहमति इस विषय पर नहीं है, तो वह प्रस्ताव वहीं रुक जाता है। सामान्यतः प्रक्रिया यही रहती है। प्रदेश सरकार पैसा देती है, बजट देती है, ग्रांट देती है—यह बात समझ में आती है। लेकिन प्रदेश सरकार विश्वविद्यालयों को नहीं चलाती। विश्वविद्यालयों को यू0जी0सी0 की ग्रांट भी तो मिलती है और अलग-अलग माध्यमों से भी विश्वविद्यालयों को फण्ड्स प्राप्त होते हैं। उसके लिए आप फाइनेंस सेक्रेटरी को इस प्रकार के अधिकार देकर विश्वविद्यालय को पंगु बनाने की दिशा में कदम क्यों उठा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह हर दृष्टि से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर बहुत बड़ा प्रहार है। इसलिए इस प्रावधान को रोका जाना चाहिए। हम सब छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री भी छात्र राजनीति में रहे हैं और हम भी रहे हैं। जब हम विश्वविद्यालय में छात्र थे, तो धरने पर बैठते थे, नारे लगाते थे, वॉल राइटिंग करते व पोस्टर लगाते थे और उस समय हम यही बात कहते थे कि विश्वविद्यालय के मामलों में सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। आज मुख्य मंत्री जी सरकार में हैं और सरकार में आकर आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों के सभी मामलों में सरकार का ही दखल होना

चाहिए। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर पा रहे हैं? मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तब सही थे, जब आप विद्यार्थी थे या आप आज सही हैं, जब आप मुख्य मंत्री बन गए हैं?...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, आप तब भी गलत थे और अब मुख्य मंत्री बनने के बाद तो पूरी तरह से गलत हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें उचित नहीं हैं।

02.09.2026/1530/एच.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वह एक संवैधानिक संस्था है और उसके प्रति हम सभी के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। वहां पर पारदर्शिता से काम हो, इस बात को सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी विशेष नियुक्ति के संदर्भ में आप इस प्रकार के फैसले कर रहे हैं? इस प्रकार की बातें भी हमारे सामने आती हैं। आपने चुनावों के समय भी एक पंचायत के लिए रूल ही बदल दिया। आपके वहां पर एक कैंडिडेट था और उसे रोकने के लिए आपने नियमों में बदलाव कर दिया। आपने प्रावधान किया कि एंक्रोचमेंट के कारण जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है, उसके दायरे में बहू नहीं आएगी क्योंकि आपने एक महिला विशेष को चुनाव से बाहर करना था और आपने इस प्रकार का फैसला लिया, जोकि चर्चा का विषय है। क्या इस बिल में भी ऐसा कुछ है?...(व्यवधान) आपके ही विधान सभा क्षेत्र का जिक्र हो रहा था। हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो आपके बारे में अंदर की जानकारी देते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन सारी तकनीकी बातों को लेकर बहुत लंबी चर्चा नहीं करना चाहता। मेरा आग्रह है कि आप विश्वविद्यालयों को पंगु मत बनाइए। आप उन्हें ऑटोनॉमस रहने दीजिए। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को बनाए रखिए। आप जो इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं, वे उचित नहीं हैं। कहीं ऐसा न हो कि बाद में यही निर्णय माननीय उच्च न्यायालय में जाकर फिर से एक फजीहत का कारण बने, इसलिए मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि इस बिल को वापस ले लीजिए। यदि आपको विश्वविद्यालयों के संबंध में कोई

बेहतर व्यवस्था लानी है, कोई अच्छा संशोधन लाना है, कोई सुधार करना है, तो उसका हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे। लेकिन यह संशोधन किसी भी दृष्टि से उचित नहीं लगता।

02.09.2026/1530/एच.के.-एन.जी./3

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से फिर आग्रह करूंगा—मुख्य मंत्री जी, हमारी तरफ देखिए। आप पता नहीं कहां देख रहे हैं? कहां खो गए हैं?...(व्यवधान) मैं झूठ नहीं बोलता। मैं सत्य बोलता हूं। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि कभी-कभी जिद्द छोड़ देनी चाहिए। यह जिद्द अच्छी नहीं है। हर बात में यह सोच ठीक नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं, वही ठीक है और जो मैं कर रहा हूं, वही ही ठीक है। ऐसा नहीं है। पूरे प्रदेश में इस विषय को लेकर बहुत बड़ा बवाल होगा। आखिकार चुनाव भी बहुत दूर नहीं हैं। इसलिए इस बवाल से बचिए। अपने आपको भी बचाइए, अपनी पार्टी को भी बचाइए और अपनी सरकार को भी बचाइए। अन्यथा, जो आप कर रहे हैं, उससे हमारा काम जरूर सरल हो रहा है, आसान हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, कई बार हमें दया का भाव भी आता है। हम पहाड़ के लोग हैं, देवी-देवताओं को मानने वाले लोग हैं इसलिए मन में दया का भाव आता है। आज दया का भाव आ रहा है और इसलिए कह रहा हूं कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री सुरेश कुमार भाग लेंगे।

श्री सुरेश कुमार -------------पी0बी0 द्वारा......जारी

02.09.2026/1535/HK/PB/1

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी जो हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) लाये है, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक में फाइनेंस कमेटी तथा शिक्षक भर्ती नियमों में संशोधन की बात की गई है। जहां तक फाइनेंस कमेटी में बदलाव की बात है तो इसमें मात्र इतना प्रावधान है कि फाइनेंस कमेटी की अध्यक्षता वाइस चांसलर के बजाय फाइनेंस सेक्रेटरी करेंगे। मेरा यह मानना है कि जैसा कि पहले के वक्ताओं ने भी कहा है कि विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस है और यू0जी0सी0 की ग्रांट से चलाया जाता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा देखने में आया है कि यू0जी0सी0 की ग्रांट बहुत कम आ रही है और प्रदेश के विश्वविद्यालय प्रदेश सरकार पर ही अधिक निर्भर हो रहे हैं। ऐसे में राज्य को यह देखना है कि प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को दी जा रही राशि का सही इस्तेमाल हो और उसका उचित रख-रखाव हो। मैं विश्वविद्यालय की एग्जिक्यूटिव कमेटी का मेम्बर भी हूं। पिछले दिनों देखने में आया था कि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने हड़ताल की क्योंकि उन्हें वेतन नहीं मिला था। जब हम इसकी तह तक गए कि वेतन क्यों नहीं मिला तो यह पाया गया कि प्रदेश सरकार की ओर से कर्मचारियों के वेतन के लिए जो ग्रांट सैंक्शन हुई थी उसे किसी और मद पर खर्च कर दिया गया था और इसमें सरकार की बेइज्जती भी हुई थी।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि को विश्वविद्यालय अन्यत्र खर्च कर देता है। इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। यदि फाइनेंस कमेटी की अध्यक्षता वाइस चांसलर करते हैं तो भी कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता और यदि उसकी अध्यक्षता फाइनेंस सेक्रेटरी करते हैं तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि उस राशि का सदुपयोग होगा।

02.09.2026/1535/HK/PB/2

दूसरा, सभी सदस्यों ने सदन में शिक्षक भर्ती पर अपनी बात रखी है। मैं यह मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से इस सदन के कई माननीय सदस्य निकले हैं। मैं स्वयं विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप भी शायद वहीं से पढ़े हैं और नेता प्रतिपक्ष जी तथा माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी भी वहीं पर पढ़े हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का अपना एक नाम रहा है और अपना एक इतिहास रहा है। इस विश्वविद्यालय का नाम अन्य राज्यों में भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और इस विश्वविद्यालय से बहुत सारी ऐसी विभूतियां निकली हैं जिन्होंने प्रदेश और देश में नाम रोशन किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए एक छात्र अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने। ऐसा इस विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है। इसलिए इस विश्वविद्यालय के बारे में चिंता करना हम सबकी एक जिम्मेवारी बनती है।

आज यदि हम इस विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं स्वयं बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। पिछली सरकार के दौरान वहां पर जो भर्तियां हुई हैं और उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगे हैं तथा वे मामले कोर्ट में भी गए हैं। उससे इस विश्वविद्यालय के स्तर के प्रति लोगों की सोच बदली है। इसके बारे में भी हम सभी को चिंता करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक ऑटोनॉमस बॉडी की बात है तो यह सही है कि जो भी विश्वविद्यालय बने हैं, वे स्वायत्त होते है। जब इस एक्ट के तहत इन विश्वविद्यालयों को बनाया गया था तो उनका उद्देश्य यही था कि विश्वविद्यालय को सीधे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा चलाया जाएगा। लेकिन आज जो राजनीतिक परिवेश बना है उसमें यह स्वायत्तता पहले-से ही खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से आज अलग-अलग राज्यों के राज्यपाल का विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप बढ़ा है उससे इन विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता अपने आप क्षीण हुई है। बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

02.09.2026/1540/वाई0के0-ए0पी0/-01

श्री सुरेश कुमार जारी .....

लेकिन राज्यपाल महोदय उन्हें अपने पास रख लेते हैं। इसलिए वे निर्णय नहीं हो पाते हैं। विश्वविद्यालय के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो स्वायत्त होने चाहिए थे लेकिन वे राज्यपाल के माध्यम से चलाए जाते हैं। कहीं-न-कहीं विश्वविद्यालय की स्वायत्तता से आज पूरे देश में एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। आज बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां ये चीजें बहुत देखने को मिल रही हैं। केरल जैसे राज्य ने विश्वविद्यालय के लिए अपना अलग एक्ट बना दिया है, पंजाब ने अपने लिए अलग एक्ट बना दिया है। दूसरे कई राज्य भी हैं, जिन्होने ऐसा कर दिया है। क्योंकि राज्यपाल का पद केंद्र द्वारा सीधे नामित किया जाता है और केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप करती है। इससे यह स्थिति उत्पन्न हुई है और हम सबके लिए यह सोचने का विषय है कि इस परिस्थिति से हम कैसे बचें। आज जहां तक मेरिट की बात है, हम विश्वविद्यालयों में मेरिट के साथ समझौता नहीं कर सकते। आज देखने को यह मिलता है कि किसी से भी पूछ लो कि सबसे आसान नौकरी प्राप्त करना अगर कहीं है तो वह विश्वविद्यालय में है। वहां न कोई इंटरव्यू देना पड़ता है और न ही मेरिट देखी जाती है। आज ऐसे-ऐसे लोगों को विश्वविद्यालय में भर्ती किया जा चुका है, जो प्लस-टू तक पास नहीं कर सकते थे। मैं उदाहरण के साथ कह सकता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति इस विश्वविद्यालय से रिटायर होकर गया है, जो प्लस-टू के एग्जाम में कभी पास नहीं हुआ था। लेकिन बाद में उसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लगा और अब रिटायर हो चुका है। यह बात ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जो व्यक्ति प्लस-टू का छोटा-सा टेस्ट पास नहीं कर सकता। वह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर लग जाता है, क्योंकि यहां मेरिट को नहीं देखा जाता और यहां पर सरकारों का सीधा हस्तक्षेप रहता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी जिस विधेयक को लेकर आए हैं, इसके पीछे सरकार की मंशा यह है कि यूनिवर्सिटी में मेरिट आए और मेरिट के साथ कोई समझौता न हो सके।

क्या होगा अगर हर जगह रिटन टेस्ट हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? अगर रिटन टेस्ट से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर आता है तो इसमें क्या बुराई है? आज

02.09.2026/1540/वाई0के0-ए0पी0/-02

जो हमारे जेन-जी है, वह भी यही चाहते हैं। वह भी पारदर्शिता ही चाह रहे हैं। हमें उन्हें पारदर्शिता देनी पड़ेगी। हमें जेन-जी की बात को मानना पड़ेगा। आज हमें शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। आज हमें जवाबदेही फिक्स करनी पड़ेगी और विश्वविद्यालय का जो हाल आज हो रहा है, वह ज्यादा अच्छा नहीं है। यह तो प्रदेश विश्वविद्यालय की बात हो रही है। आज अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बहुत बुरा हाल है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीधा हस्तक्षेप केंद्र सरकार का है। हमारे धर्मशाला के केंद्रीय विश्वविद्यालय में सैकड़ों ऐसी अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। एक वाकया उसमें ऐसा है जो ऑन रिकॉर्ड है। एक व्यक्ति जो जर्नलिज्म में ग्रेजुएट था, उसको वहां प्रोफेसर लगा दिया गया और जो ग्रेजुएट व्यक्ति था, वह पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ा रहा था। बाद में जब बात उजागर हुई तो उसे रिजाइन देना पड़ा। वह भारतीय जनता पार्टी के अखबार 'पांचजन्य' का संपादक था, यही उसकी योग्यता थी। ऐसी बहुत सारी बातें और बहुत सारे ऐसे वाकये देखने को मिलते हैं। आज अगर रिटन टेस्ट होगा और पब्लिक सर्विस कमीशन उस टेस्ट को करवाएगा तो उसमें योग्य बच्चे आएंगे, जो मेरिट में आएंगे, इसमें कौन-सी बुराई है? इसमें कौन-सा बुरा काम है? मुख्य मंत्री जी की मंशा स्पष्ट है कि मेरिट को इग्नोर नहीं किया जाएगा। मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलेंगी और विश्वविद्यालय के कार्यों में पारदर्शिता रहेगी और विश्वविद्यालय का नाम भी बरकरार रहेगा। आज हमारी जो यह प्रणाली है जिससे विश्वविद्यालय के अंदर राजनीतिकरण देखने को मिल रहा है। उसका नतीजा यह हुआ है कि जे0एन0यू0 जैसी टॉप यूनिवर्सिटी जो पूरे हिंदुस्तान में टॉप 20 यूनिवर्सिटियों में थी। आज उसका रैंक 555वां है। आज जे0एन0यू0 555वें नम्बर पर पहुंच गया है। इसका मात्र कारण यह है कि उसमें राजनीति घुसी है और उसके शैक्षणिक ढांचे को खत्म करने का प्रयास किया गया है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

02.09.2026/1545/AT/YK/01

श्री सुरेश कुमार जारी...

है और उसमें एक विशेष विचारधारा को घुसाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसा ही हर विश्वविद्यालय में हो रहा है। आज मेरिट को इग्नोर करके एक विशेष विचारधारा को शिक्षा के इन संस्थानों में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे हमारे शिक्षा के स्तर में भी गिरावट आ रही है और जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनकी ऑटोनॉमी और स्वायत्तता का स्वरूप है उसके ऊपर भी आक्षेप हो रहा है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी, जो यह विधेयक लेकर आए हैं मैं इसके पक्ष में हूं। इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः काफी है, बहुत डिस्कस हो गया। ...(व्यवधान) बिल के ऊपर तो वही रिपीटिशन हो रहा है, फायदा क्या है? कोई नई चीज आए, तब तो मानूं। ...(व्यवधान) This is what I am requesting to everybody. So let the Hon'ble Chief Minister reply to the discussions. ...(व्यवधान) एक नहीं, अगर आप बोलेंगे तो दो-तीन हाथी यहां भी खड़े होंगे। ...(व्यवधान) बहुत है। इसलिए, I request you all, क्योंकि जो आप सबकी मंशा थी वो तो सबने अपने विचारों के माध्यम से अभिव्यक्त कर दी है। इसलिए अब माननीय मुख्य मंत्री जी रिप्लाई दें। ...(व्यवधान) संजय रत्न जी त्यार है, इधर से चंद्रशेखर त्यार हैं, उधर से केवल सिंह पठानिया जी त्यार हैं। ...(व्यवधान) Let the Party decide कि वहां से कौन बोलेगा और यहां से कौन बोलेगा। एक-एक आदमी का नाम दे दो। विपक्ष से माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी और सत्तापक्ष से श्री हरीश जनारथा जी बोलेंगे।

श्री त्रिलोक जम्वालः अध्यक्ष महोदय, जो हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026 और विधेयक संख्यांक 10 का जो बिल यहां आए हैं, उसमें मैं बोलने के लिए और उसकी चर्चा में अपने आपको सम्मिलित करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल में तीन अमेंडमेंट्स लाई गई हैं और इन अमेंडमेंट्स के अनुसार ऐसा लगता है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जो अमेंडमेंट्स लेकर आई है उनमें सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है।

सरकार इस अमेंडमेंट्स के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं...(व्यवधान)

02.09.2026/1545/AT/YK/02

(सभापति, श्री संजय रत्न पदासीन हुए।)

सभापतिः माननीय अध्यक्ष, श्री त्रिलोक जम्वाल जी, माइक ऑन करो।

श्री त्रिलोक जम्वाल : माननीय सभपति जी, इस बिल में सरकार जो तीन अमेंडमेंट्स लाई गई हैं उन अमेंडमेंट्स से बिल्कुल साफ है सरकार इस अमेंडमेंट्स के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी जो ऑटोनॉमी है, उसको अपने हाथ में लेना चाहती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को लेकर घूमते थे आज उसी संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था या उन व्यवस्थाओं को तार-तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उसमें भी इतनी जल्दबाजी में यह नहीं देखा जा रहा है कि जो अमेंडमेंट लाए गए हैं, उनका प्रभाव क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी।

अब आप देखिए कि यहां जो पहली अमेंडमेंट आई है, वह Constitution of Finance Committee के संबंध में है। जहां पहले Finance Secretary उस कमेटी का मेंबर था, अब वह उस कमेटी का चेयरमैन होगा और Vice-Chancellor इसका मेंबर होगा। और Vice-Chancellor कौन है? जो Chancellor का नॉमिनी है, जो वहां बैठे हैं। Chancellor means Governor. जो गवर्नर साहब की पावर है, उसके ऊपर जो सेक्रेटरी बैठेगा, वह सेक्रेटरी डिकटेट करेगा कि क्या होगा। यह बिल पास होगा, यह फाइनेंस मिलना चाहिए यूनिवर्सिटी को।

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी....

02.09.2026/1550/av/ag/1

श्री त्रिलोक जम्वाल-------- जारी

या नहीं मिलना चाहिए; मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस तरह से गवर्नर साहब के ऊपर बिठा रहे हैं। इस अमेण्डमैंट की इम्प्लीमैंटेशन की इम्प्लीकेशन्ज क्या होंगी? फिर ई0सी0 की मीटिंग होगी। वाइस चान्सलर ई0सी0 का हैड होता है, वहां उसको चान्सलर के द्वारा बिठाया जाता है और उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी मेंबर होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं कि पहले एक कमेटी की मीटिंग में मंत्री जी चेयर पर बैठेंगे और सचिव नीचे बैठेगा तथा दूसरी कमेटी की बैठक में सचिव मीटिंग लेगा और मंत्री जी नीचे बैठेंगे; क्या ऐसे सम्भव हो सकता है?

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा जल्दी-जल्दी में आए और मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। मैं यह कह रहा था कि पहली अमेण्डमैंट without application of mind है। आप जिस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरी को हैड बना रहे हैं, इससे हमारी सभी यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। अभी हमारे सारे विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस है क्योंकि इनके अपने ऑर्डिनेंस, स्टेट्यूट्स, गवर्नेंस इत्यादि हैं। लेकिन जैसे ही यह एक अमेण्डमैंट आएगी; ये सारे खत्म हो जाएंगे। जिस प्रकार से मनुष्य की ऑक्सीजन पाईप हटाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार से यदि आप इन विश्वविद्यालयों के फाइनेंस के ऊपर बैठकर अपना पूरा कंट्रोल कर लेंगे तो ये संस्थाएं कभी भी स्वायत्त नहीं रह सकतीं।

इसी प्रकार से जो स्टाफ की रिक्रूटमैंट की बात की गई है और जिस प्रकार से माननीय मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने बड़े तर्क देकर कुछ विषयों को इंगित भी किया, इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कैसे वी0सी0 थे। आपने उनका जिक्र भी किया और कहा कि बाद में उनको सांसद भी बनाया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के उन वी0सी0 पर कोई एलीगेशन नहीं लगा था और न ही कोई

02.09.2026/1550/av/ag/2

एलीगेशन लगा पाया। परंतु अभी आपके डॉ0 वाई0एस0 परमार यूनिवर्सिटी में जो वी0सी0 हैं, वे सी0बी0आई0 की चार्जशीट में फ्रेम्ड हैं जबकि वे सीटिंग वी0सी0 हैं। माननीय श्री जगत सिंह नेगी, वह आपकी ही यूनिवर्सिटी है क्योंकि होर्टिकल्चर डिपार्टमैंट आप देखते हैं। आपकी नाक के तले सब कुछ हो रहा है और आप अंगुली दूसरों की तरफ उठा रहे हैं।

इसमें दूसरी अमेण्डमैंट ये एसिस्टेंट प्रोफैसर, एसोसिएट प्रोफैसर और प्रोफैसर के बारे में लेकर आए हैं। लेकिन जो काम हमारी यूनिवर्सिटी नहीं कर पाई वह कार्य हमारे कुछ ऐसे लोगों ने कर दिया है जिसके लिए उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। मैं अपनी होर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूंगा। पहले सेब पहाड़ और ठण्डे एरिया में पैदा होता था। यहां पर सम्माननीय मंत्री बैठे हैं, मेरे बिलासपुर में एक गांव के दस-बारह कक्षा तक पढ़े हुए व्यक्ति ने बता दिया कि गर्म इलाके में सेब कैसे पैदा किया जा सकता है। यह काम हमारी यूनिवर्सिटी नहीं कर पाई। हमारे एसिस्टेंट प्रोफैसर, एसोसिएट प्रोफैसर और प्रोफैसर की पोस्ट्स उनकी योग्यता, स्पेशलिटी, इनोवेशन्ज इत्यादि तभी विश्वविद्यालय स्तर पर तय होती हैं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं जा सकते। अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने की बात करते हैं तो वह व्यक्ति तो दस या प्लस टू पास था, वह कैसे जाता? वहां तो आपको बी0एस0सी0 (एग्रीकल्चर) या बी0एस0सी0(होर्टिकल्चर) चाहिए थे। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्गों ने एसिस्टेंट प्रोफैसर, एसोसिएट प्रोफैसर और प्रोफैसर की पोस्ट्स के लिए जो निश्चित किया है; वह सोच-समझकर किया है। हमारा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट-1971, डॉ0 वाई0एस0 परमार यूनिवर्सिटी नौणी एक्ट-1985, कृषि विश्वविद्यालय एक्ट-1978 में बना। यहां जो व्यवस्था सन् 1970 से चल रही है और इस हॉल में जिन लोगों ने उस दौरान चर्चा की होगी, क्या उन्होंने अपना माइंड अप्लाई नहीं

किया होगा? वे हमारे से ज्यादा बुद्धिजीवी थे जिन्होंने ये एक्ट्स बनाएं और उस व्यवस्था को चलते हुए 57 वर्ष हो गए हैं।

टी सी द्वारा जारी

02.09.2026/1555/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
श्री त्रिलोक जम्वाल ... जारी

मैं हैरान था जब माननीय सदस्य श्री सुरेश जी तथा माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी कुछ बातें कर रहे थे, वे बता रहे थे कि इस यूनिवर्सिटी से कितने इंटेलेक्चुअल निकले हैं। वे स्वयं इसका उदाहरण दे रहे थे कि इस हाउस के अंदर मैं भी इस यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं। आज एडवोकेट जनरल साहब भी आए हैं। हम दोनों क्लासमेट तथा बैचमेट भी हैं और एक होस्टल में रहे हैं। इसलिए यहां कितने लोग हैं जो उस विश्वविद्यालय से निकले हैं। ये सभी लोग वे हैं जिन्हें उन्हीं टीचरों ने पढ़ाया था और उन्हीं टीचरों ने शिक्षा दी थी लेकिन आप कह रहे हैं कि जो व्यवस्था चल रही थी वह ठीक नहीं थी। आज हमें एकाएक 57 वर्षों बाद ख्याल आया कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है और इसे रातों-रात चेंज कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जो ऑटोनॉमस इंस्टिट्यूशन्ज हैं उनकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। यहां हाईकोर्ट का भी जिक्र आया। हमारे जो ए0डी0जे0 लगते हैं उनका हाइकोर्ट टैस्ट लेता है। जो हाइकोर्ट के जज लगते हैं उनका चयन कोलेजियम करता है, जो सुप्रीम कोर्ट में जज लगते हैं उनका चयन भी कोलेजियम करता है। यह केवल परंपरा नहीं है, यह संविधान में डिफाइंड व्यवस्था है। जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जो ऑटोनॉमस इंस्टिट्यूशन हैं उनके संबंध में कह रहे थे कि भाजपा वाले इन्हें खत्म कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब से देश आजाद हुआ है, तब से देश उसी संविधान के अनुसार चल रहा है। भाजपा को तो अभी 12 वर्ष हुए हैं। कांग्रेस बताए कि वह कितने वर्षों तक सत्ता में रही और उस दौरान क्या-क्या हुआ? अभी इस प्रदेश में सरकार को केवल साढ़े तीन वर्ष हुए हैं और अब जाने का समय आ गया है। जब जाने का समय आ गया है तो देख रहे हैं कि जाते-जाते कौन-कौन सी अमेंडमेंट की जा सकती हैं?

पिछले तीन वर्षों में जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में रिक्रूटमेंट हुई तब इस अमेंडमेंट का ध्यान नहीं आया। जब नौणी यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट हो रही थी तब भी इस अमेंडमेंट का ध्यान नहीं आया। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किसके लग गए और किसके लगने वाले हैं जिनको रोकने के लिए कहीं यह अमेंडमेंट तो नहीं लाई गई है? अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार की मंशा किसी को लगाने की नहीं है, किसी को रोकने की जरूरज है, ऐसा मुझे इस एक्ट की अमेंडमेंट से लगता है।

02.09.2026/1555/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिल पर कम बोल रहे हैं और भाषण ज्यादा दे रहे हैं। Please confine yourself to the Bill.

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, जो उधर से प्रश्न आया था मैं उसका जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए यूनिवर्सिटी में जो हमें ग्रांट मिलती है उसके संबंध में मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हमें केवल हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रांट नहीं देती बल्कि यू0जी0सी0 भी ग्रांट देती है। हमें यू0जी0सी0 की गाइडलाइंस भी माननी पड़ती हैं और हमारे जो इंटर्नल बिजनेस रेगुलेशन हैं उनको भी मानना पड़ता है। यू0जी0सी0 के साथ-साथ हमारे जितने विश्वविद्यालय हैं उनको भी हम इसे लीड देते हैं। अब क्या होगा कि अगर यूनिवर्सिटी में यह टैस्ट होगा तो क्या यह तीनों यूनिवर्सिटी में होगा या अलग-अलग होगा या इनके एक्सपर्ट एक होंगे? दूसरे क्या कॉलेजों से प्रमोशन होकर लोग यूनिवर्सिटी में आएंगे? क्या हम उस चैनल को मानेंगे? क्या हम यह मान लें कि ये यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस रहेंगी या गवर्नमैंट के अंडर रहेंगी? क्योंकि आप चांसलर की पावर को नहीं मान रहे हैं और कह रहे थे कि राज्यपाल महोदय इंटरवीन कर रहे हैं। राज्यपाल तो हमारी विधान सभा को चलाने के लिए पहले दिन वही आते हैं। उनके संबोधन के साथ ही विधान सभा चलती है। बजट सेशन जब आता है तो उनके द्वारा ही सरकार का वक्तव्य पढ़ा जाता है। जब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कोई भी बड़ा काम होना हो तो चांसलर आते हैं तो क्या यह सरकार की यह मंशा है कि चांसलर की पावर को काट दिया जाए या चांसलर के इंटरफेरेंस को इन संस्थाओं में कम कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए? इसलिए अध्यक्ष

महोदय, यह जो अमेंडमैंट आई है वह किसी और मोटिव से है। इसलिए मैं इस अमेंडमैंट का किसी भी बेस पर समर्थन नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि सरकार को इस अमेंडमैंट को विड्रॉ कर लेना चाहिए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री हरीश जनारथा जी अपनी बात रखेंगे। ये इस अमेंडमैंट पर बोलने वाले लास्ट वक्ता है।

02.09.2026/1555/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

श्री हरीश जनारथा : अध्यक्ष महोदय, जो यह अमेंडमैंट यूनिवर्सिटी बिल के संबंध में लाई गई है वह इस समय की एक जरूरत थी। मैं इसे दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे भी लगभग नौ वर्ष हो गए हैं। जैसाकि अध्यक्ष महोदय ने कहा भी है कि मैं ईसी0 का मैंबर हूं। मेरा एक कार्यकाल पहले ही पांच वर्ष का हो चुका था और इस कार्यकाल के भी चार वर्ष हो गए हैं। मैं एफ0सी0 का मैंबर भी लगभग नौ वर्ष से हूं। इसलिए वहां की रोजमर्रा की वर्किंग हम देख रहे हैं। जहां तक इस अमेंडमैंट की जरूरत का प्रश्न है, I think this was the need of the day.

एन0एस0 द्वारा ... जारी

2-9-2020/1600/NS-AS/1

श्री हरीश जनारथा -----जारी

जिस अमेंडमैंट के लिए यहां चर्चा हो रही है कि इससे improvement in educational system होगा। जो लोग असिस्टेंट प्रोफैसर, एसोसिएट प्रोफैसर और प्रोफैसर के पदों के लिए आ रहे हैं तथा सलैक्ट हो रहे हैं उनके लिए योग्य और क्वालिफाइड व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि वहां हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं और हम सभी की नैक्स्ट जनरेशन पढ़ रही है इसलिए यह बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप ध्यान देंगे तो वर्ष 2023 में जब हम विधायक चुनकर आए थे तो उस समय भी बजट सत्र के दौरान सदन में यह प्रश्न उठा

था और उस समय हमने यूनिवर्सिटी रिक्रूटमैंट और यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ था उसमें अपनी ही गवर्नमैंट से विजिलैंस इंक्वायरी की मांग की थी। यहां पिछला रिकॉर्ड उपलब्ध होगा कि वहां क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से किया गया? हम यह चाहते हैं कि इस समय यूनिवर्सिटी की जो अमेंडमैंट लाई गई है और जिसे हम यू0जी0सी0, कमीशन या स्टेट कमीशन के माध्यम से करवाना चाह रहे हैं तो इसका मकसद केवल इतना है कि इसमें ट्रांसपैरेंसी रहे और अच्छे-से-अच्छा क्वालिफाइड व्यक्ति आए। इससे हमारे यंगस्टर्स के भविष्य के लिए भी एक स्कोप खुलेगा कि कोई डिसपैरिटी न हो और जिस तरीके से वहां व्यवस्था चल रही है, उस चीज को रोका जाए तो उन्हें भी चांस मिल सकता है कि वे वहां क्वालिफाई कर सकें क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट बॉडी और अपेक्स बॉडी जोकि कमीशन है उसके माध्यम से यह चैनलाइज हो सकता है। इसको ज्यादा लम्बा खींचने की आवश्यकता नहीं है। अभी काफी लोगों ने जो कुछ भी बोला है उसमें वे इस व्यवस्था को शील्ड करने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। अगर मैं इसके पिछले टैन्योर में जाऊं तो पहले जो वाइस चांसलर थे वे हमारे राज्यसभा के सांसद हैं और वे इस माननीय सदन में नहीं हैं तथा मुझे उनका नाम लेना ठीक नहीं लग रहा है। We respect him. लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वहां सारा सिस्टम चलाया उसके कारण भी एक मजबूरी बन गई कि हमें यह अमेंडमैंट लानी पड़ी। I think that is the main cause कि हमारे लिए यह अमेंडमैंट लाना बहुत जरूरी हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, अगर आपको याद होगा तो पिछले टैन्योर में एक पी0आई0एल0 हुआ था। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसने यह माानीय हाई कोर्ट में सबमिट किया था कि he did not qualify, वाइस चांसलर बनने की रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं थी परन्तु फिर भी उनको वाइस चांसलर बनाया गया। वह हाई

2-9-2020/1600/NS-AS/2

कोर्ट से भी केस जीतकर आया परन्तु दुर्भाग्यवश उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया। He carried on serving as the Vice-Chancellor of the University. हाई कोर्ट का डिसीजन, न्यूजपेपर कटिंग और सब कुछ उसमें आया हुआ है अगर उसको कहीं रिव्यू करेंगे तो उसमें भी यह बात सामने आ जाएगी। उसके बावजूद वहां जिस तरीके से रोस्टर्स

बदले गए, जिस तरीके से एडजस्टमैंट की गई और कई अन्य चीजें की गईं, वे भी गंभीर विषय हैं। अभी माननीय त्रिलोक जम्वाल जी भी इस विषय पर बात कर रहे थे। मैं माननीय जय राम ठाकुर जी से भी मिला था और आप ही के लोगों के साथ मिला था। ठाकुर साहब, if you remember आपसे भी बात हुई थी और आप ही के लोगों के साथ बात हुई थी। मेरा इससे पहले भी विधायक का एक टैन्योर रह चुका है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे they were nowhere in the line. यह सच्ची बात है। जूनियर ऑफिसर्स ने सीनियर पोस्टों के लिए वहां इंटरव्यू लिए, ऑन-कॉल किए गए और जिनकी सलेक्शन करनी थी उनको सलैक्ट किया गया। वहां इस प्रकार के कई उदाहरण हैं। हम तो यह भी कहते हैं कि जैसे एस0पी0यू0 में एक टी0जी0टी0 साइंस का मामला था। मैं जो बोल रहा हूं it can be inquired, please inquire also और उसको सीधे ए0पी0 लगाया गया without incomplete qualification I ...(व्यवधान) सर, ऐसा है। मैं जो बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। I will speak and you can inquire that. It should be inquired also. मैं आज भी इस बात पर खड़ा हूं और मैं यह चाहता हूं कि इसमें विजिलैंस इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं अभी भी इसकी मांग कर रहा हूं। कोई बड़ी बात नहीं है चाहे जो भी गवर्नमैंट हो लेकिन इन चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। ई0डब्ल्यू0एस0 की सीटें क्रिएट की गईं और फिर उनको बंद किया गया तथा एक सब्जैक्ट में शिफ्ट किया गया। जब वह शिफ्टिंग होती है which is not possible. हम मानते हैं कि यू0जी0सी0 के अपने नॉर्म्स हैं और यू0जी0सी0 के अपने प्रावधान हैं लेकिन यू0जी0सी0 की ग्रांट्स प्रोजैक्ट-वाइज, परफॉर्मैंस-वाइज भी आती हैं और डवलपमैंट प्वाइंट ऑफ व्यू से भी आती हैं। दूसरी बात हमने एच0पी0 यूनिवर्सिटी में डवलपमैंट क्या करनी है? लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये तो तनख्वाह पर खर्च हो रहे हैं। वहां तीन एक्सिअन हैं। कोई सीनियर एक्सिअन बनना चाहता है। वहां 6 एस0डी0ओ0 लगे हुए हैं, 12 जे0ई0 हैं और बेलदार एक भी नहीं है। आप इसका पता करवाइए। उनकी पूरे वर्ष की तनख्वाहें 5 से 7 करोड़ रुपये बनती हैं और काम वहां एक करोड़ रुपये का भी नहीं हुआ है। So these are something which we should inquire. आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

02.09.2026/1605/RKS/AS-1

श्री हरीश जनारथा जारी....

मैं यह थोड़ा out of line में बोल रहा हूं। लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद, when your Vice-Chancellor resigned because he was supposed to fight the election. उसके तीन दिन बाद भी वहां पर फाइलों पर कार्रवाई होती रही और कई आउटसोर्स वर्कर्ज का करियर समाप्त कर दिया गया। अनेक लैक्चरर, असिस्टेंट प्रोफैसर और प्रोफैसर के मामलों में वे लिफाफे खोले गए जिन्हें सामान्यतः ई0सी0 में खोला जाता है। हमारे कार्यकाल में ऐसा एक भी लिफाफा नहीं खोला गया है। जिन परिणामों के आधार पर ये नियुक्तियां हुईं, वे विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि घरों में तैयार किए गए परिणामों के अनुसार हुई। I am not blaming anybody or any government for that मैं किसी व्यक्ति या किसी गवर्नमैंट पर आरोप नहीं लगा रहा हूं परंतु यह निश्चित रूप से इनक्वायरी का विषय है which should be inquired. वहां ऐसे लोगों की नियुक्तियां की गईं जिनकी योग्यता का आधार शैक्षणिक उपलब्धियां नहीं थीं। No hard feeling against any Government or any party for that matter. उनकी प्रमुख योग्यता केवल यह थी कि वे किस समय से किस पद पर, किस स्थान पर और किस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए थे तथा उन्होंने कितने शिविर लगाए हुए हैं। These were some qualifications which must be enquired. हमारे अनेक बच्चे अवसर से वंचित रह गए और योग्य होने के बावजूद क्वालिफाई नहीं कर पाए। वहां पर कितनी शिकायतें और कितने धरने-प्रदर्शन हुए यह किसी से छिपा नहीं है। आज भी यदि कोई व्यक्ति वहां जाए तो उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति प्रोफैसर, असिस्टेंट प्रोफैसर या एसोसिएट प्रोफैसर कैसे बन गया? You don't feel like respecting them, but with designation you have to respect them. वहां पर किसी को बातचीत करने की तहजीब नहीं है। ऐसे लोग विद्यार्थियों को क्या शिक्षा देंगे? वे स्वयं विद्यार्थियों के स्तर पर समानांतर हो चुके हैं। वहां हमारी apex body है। वह हमारा लास्ट स्टेज का मंदिर है। वह सबसे ऊँची जगह है और हमें विश्वास है कि वहां हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन लेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि यह संशोधन अच्छा कदम है। यह बहुत ही जरूरी स्टेप था। मैं ठाकुर साहब आप से भी एक व्यक्तिगत आग्रह करना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का संशोधन सेंटर गवर्नमैंट भी करने जा रही है? यदि यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो फिर आप क्या कहेंगे? यह अंदर की बात है और इस बात का आपको भी पता है और हम भी जानते हैं कि इस विषय पर विचार चल

02.09.2026/1605/RKS/As-2

रहा है। I think this amendment is coming on Central level also that this may be given as a nationwide. यह एक रूल बन जाएगा कि जो यूनिवर्सिटिज में नियुक्तियां होनी हैं, they will go through Commissions. परंतु इसके लिए वातावरण अवश्य बन रहा है। यह बिल आए या नहीं पर इस पर विचार चल रहा है। सबकी सोच में यह बात आ गई है और जैसे श्री सुरेश कुमार जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में नौकरी प्राप्त करना सबसे आसान है। हमारा वहां एक कंडक्टर नियुक्त हुआ था। बाद में उसने पी0एच0डी0 कर ली और अब वह स्वयं को असिस्टेंट प्रोफैसर नियुक्त करने की मांग कर रहा है। How can that be done? इसके लिए कोई नियंत्रण होना चाहिए और वह नियंत्रण यही है कि नियुक्तियां कमीशन के माध्यम से हों। अध्यक्ष महोदय, एक अन्य विषय वित्तीय संशोधन से संबंधित है which is amendment for the finances. आप भी उस दौरान धर्मशाला में थे। उस समय मैं ई0सी0 का सदस्य था और पर्यटन विभाग से भी जुड़ा हुआ था। मेरा अनुमान है कि वर्ष 2013 या वर्ष 2014 में विधान सभा के अंतिम दिन तत्कालीन मुख्य सचिव, श्री बाल्दी जी एक फाइल लेकर आए थे। उसी के माध्यम से हमारे अधिनियम में धारा 28-ए का संशोधन किया गया जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की वित्तीय शक्तियां लगभग समाप्त होकर सीधे वित्त विभाग के अधीन चली गईं। Anything related to finance, creation of post, anything related to any financial aspects, चाहे पेंशन में वृद्धि हो या किसी भी प्रकार का वित्तीय निर्णय हो वह वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना संभव नहीं रहा। उस समय मैं स्वयं सदस्य था और मैंने इसका विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए परंतु वह संशोधन पारित हो गया और नियम बन गया। यह व्यवस्था वर्ष 2013 से लागू है। आज स्थिति यह है कि वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना वहां कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। मैं स्वयं इसका प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं। मैं खुद वहां मेम्बर हूं। हम सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए वहां जाते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? वित्त से संबंधित जो धारा 28(ए) है उसमें अमेंडमैंट हुई है। यह चीज बहुत पहले हो चुकी है। लगभग 12-13 साल पहले ही इसमें अमेंडमैंट हो चुकी है। इसलिए आज इसको लीगलाइज करने के लिए जो भी अमेंडमैंट लाई गई है, वह आपको ठीक लगे या न लगे, उसके मुताबिक पास कर सकते हैं। लेकिन मेरा सदन से सिर्फ इतना आग्रह है कि पिछली सरकार के कार्यकाल के

कार्यों की विजिलेंस इंक्वायरी जरूर खोली जानी चाहिए क्योंकि इसमें कहीं-न-कहीं इतना कुछ हो चुका है कि after resignation also files were signed.

श्री बी0एस0द्वारा जारी

02.09.2026/1610/बी.एस./डी.सी.-1

श्री हरीश जनारथा जारी...

ई0सी0 का कोई नाम ही नहीं था। कागजात घर में खुलते थे। एजेंडा आपका जाता था और वहीं साइन होता था। किसी चीज का कोई डर ही नहीं था।

उस समय हजारों लोग मुख्य मंत्री जी से मिले और बहुत लोग आपसे भी मिले। जब मैं मेंबर था तो मैं खुद मिला हूं लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। हमारी हम्बल रिक्वैस्ट है कि अभी अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो I think let's all get together and इस बिल को पास कर लें, धन्यवाद।

अध्यक्ष : इससे पहले कि मुख्य मंत्री जी सारी चर्चा का उत्तर दें। ठाकुर साहब ने जो कहा है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हमने चौदहवीं विधान सभा में 99 बिल पास किए हैं और 99 में से 90 पर हमें असैंट मिल गई है और केवल 9 ऐसे बिल हैं जिन पर अभी तक presidential or governor assent नहीं मिली है और एक-आध ऐसा बिल है जिसको हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है। This is one exception. अब मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे सारी चर्चा का उत्तर दें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने कुछ टिप्पणियां की हैं। मैं पहले उनका जवाब देना चाहूंगा। आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं और विधायक दल के नेता हैं तो आपसे ही शुरू करना उचित रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री ने कहा कि जब आप स्टूडैंट्स थे तब ठीक थे या जब मुख्य मंत्री हैं तब ठीक है? मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं स्टूडैंट था तब भी ठीक था

तभी तो मुख्य मंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। आज मैं मुख्य मंत्री हूं तब भी ठीक हूं और आगे भी ठीक रहूंगा। जैसे लंबा इतिहास रहा है वह आपके सामने आ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इनके जो भी साथी हैं वे सच्चे दिल से इनके साथी नहीं हैं। कितने बिल स्ट्रक डाउन हो गए और कितने बिल यहां खड़े हो

02.09.2026/1610/बी.एस./डी.सी.-2

गए। मैं आपकी बुराई नहीं कहना चाहता लेकिन जब आप बोल देते हैं कि नहीं आप तो अपनी ही सुनते हैं यह आपका एक तकिया कलाम है कि आप अपनी ही सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं।

मैं आपकी सुनकर जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि ये सारे कोर्ट में स्ट्रक डाउन हो गए। पहले तो आप प्रदेश के हित की बात नहीं सोचते हैं।

अध्यक्ष महोदय, रेरा का बिल भी कोर्ट में स्ट्रक डाउन हो गया। रेरा के बिल के लिए भारत सरकार से असैंट है जिसमें मैम्बर की नॉमिनेशन की पावर हम चीफ सैक्रेटरी को दे रहे हैं। यह किसी एक गवर्नमैंट के लिए नहीं है। रेरा के चेयरमैन भी अपॉइंट हो गए और सब कुछ अपॉइंट हो गया था। यह किसी एक गवर्नमैंट के लिए नहीं है। इसलिए पहले इस स्थिति को आपको समझना चाहिए। ऐसे ही कह देना यह छठा प्रिविलेज बनता है। यह प्रिविलेज की तैयारी है।

जब असैंट आएगी तब उसके बाद हाई कोर्ट की तैयारी होगी। अभी तो वह ऐक्ट है। बिल बनेगा फिर असैंट आएगी और उसके बाद यह होगा। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने आपको क्लैरिफाई भी किया है। यहां वॉटर सैस की बात है। अध्यक्ष महोदय अगर प्रदेश हित की बात भी हो रही हो तो उसमें बड़े चाव से लेते हैं कि वॉटर सैस स्टे हो गया। जहां प्रदेश को 1,800 करोड़ रुपये आता है उस बिल से आप उस पर उदाहरण जोड़ते हैं। यह बड़ी दुखद बात है।

हम क्या करते हैं हम आपको बताना चाहते हैं। आप चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक बातें करते हैं। अपनी वीडियो रील बनाकर भेजते हैं केवल चुनाव जीतने के लिए और हम क्या करते हैं? हम हिमाचल की जनता की सेवा के लिए व्यवस्था परिवर्तन करते हैं।

02.09.2026/1610/बी.एस./डी.सी.-3

कह रहे हैं कि बहुत कम समय रह गया है। सवा साल रह गया है। समय वे लोग देखते हैं जिनको अपनी कुर्सी की चिंता होती है। हम समय नहीं देखते हैं। हम यह देखते हैं कि जनता की सेवा में आज कोई अच्छा फैसला लिया जा सकता है तो उसको आज ही कर देना चाहिए।

आपने तो 5,000 करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांटी हैं। कुर्सी का मोह उन लोगों को होता है जो कुर्सी से प्यार करते हैं। हम लोगों को कुर्सी का मोह नहीं है। हमें हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा का मोह है।

श्री जय राम ठाकुर : क्या बात है।

मुख्य मंत्री : यह अच्छा है कि आपने मेरी बात पर क्या बात तो बोली।

इसलिए यह चीज भी तय है कि वर्ष 2032 तक इस प्रदेश को आत्मनिर्भर तो बनाना ही है और इसे समृद्धशाली तथा अमीर राज्य भी बनाना है। उस दिशा में हमें आगे जाना है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

02.09.2026/1615/DT/DC-1

मुख्य मंत्री जारी...

अब वर्ष 2032 तक इस प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्धशाली राज्य भी बनाना है। उस दिशा में तो जाना ही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने इस प्रदेश के लिए क्या किया। मैं बिल में ही बोल रहा हूं लेकिन मुझे नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणियों जो सरकार पर की गई है, उस पर भी बोलना होगा। पूर्व सरकार ने इस प्रदेश के लिए क्या किया है और हमने क्या किया है वह तो बताना पड़ेगा।

आज इस बिल का जिस प्रकार विपक्ष विरोध कर रहा है वह इस प्रदेश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। विपक्ष बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या प्रदेश का कोई युवा केवल राजनेताओं की चाहत पर ही प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा? हम इस बिल के माध्यम से रिटन एग्जामिनेशन का प्रावधान करके प्रदेश के जितने भी युवा हैं उनके साथ न्याय करने जा रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं। मैंने नेता प्रतिपक्ष जी कई बार बोला है कि हम जिद्दी नहीं हैं बल्कि जनूनी हैं क्योंकि यह प्रदेश हित की बात है। इसलिए मैंने आपको यह कहा कि जो आपने किया है- वैसे तो आपने पांच वर्ष तो मजे ही लूटे हैं, (***) है। यह मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन यह सत्य है। आपने प्रदेश की संपदा को लुटाया और आपने बोला कि यह विपिन जी देख लेंगे, अनील जी देख लेंगे और ये देख लेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार के उदाहरण आप दे रहे थे हमने कोई गलत काम नहीं किए हैं।

आप हमें सत्यनाश को बोल रहे हैं लेकिन (***) तो अच्छा शब्द है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, (***) वाली बात कार्यवाही से हटा दी जाये।

Speaker : The word (***) will not be the part of the record. ...(व्यवधान) इसको हटा दिया है।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

02.09.2026/1615/DT/DC-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार ने जिस प्रकार का अन्याय राज्य के साथ किया है। उसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी- बिल्कुल माफ नहीं करेगी। कैसे? आज भी विपक्ष होने के बावजूद अन्याय कर रहे हैं क्योंकि हम अच्छा काम करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि नहीं जो हमने बुरे काम किए हैं उनका हिसाब भी दो। आपने बुरे काम किए हैं। सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर लीक हुए, आपने आंखें बंद करके रखीं और इन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करवाई। ...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने 11 दिसम्बर को शपथ ली थी और पेपर लीक 22 दिसम्बर को हुआ और उस समय आपकी सरकार थी, बात वहीं से शुरू हुई।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष मैं इसके बाद आपको समय दे दूंगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 22 दिसम्बर को तो वे लोग पकड़े गये थे। पेपर लीक कब हुआ यह जानकारी नेता प्रतिपक्ष को नहीं है। इसलिए जो पेपर लीक हुए उसकी जांच तो करवानी पड़ेगी। ...(व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष आप कृप्या बैठ जाइए मेरी बात सुन लिजिए। मैं आपको बोलने का पूरा मौका देता हूं आप भी मुझे बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक मेरे समय में नहीं हुआ वह वर्तमान सरकार के समय में ही हुआ है।

Speaker : Hon'ble Leader of Opposition we will examine that part and then calrify it कि यह कब हुआ और क्या यह रिकार्ड का पार्ट रखने के योग्य है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसको क्लेरीफाई कर देता हूं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

02.09.2026/1620/एच.के.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री……… जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 11 दिसम्बर, 2022 को शपथ लेता हूं। हमारी सरकार की तत्परता तो देखिए कि दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 को पेपर लीक होने का पता लगता है और जब हम रिकॉर्ड जब्त करते हैं तो पूर्व सरकार के समय में कितने पेपर लीक हुए व कितने पेपर बेचे गए, उनके गुनाहगारों का पता करके सभी को जेल के अंदर डालते हैं। हमें एक क्लू मिला था और अगर वह क्लू न मिलता तो जो पिछले पेपर हुए, उनके रिजल्ट हमने कैंसिल किए तथा उनके गुनाहगारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। यह हमारी सरकार ने किया। आज यदि कोई भी राज्य चयन आयोग से पेपर लीक करवाएगा तो उसके मन में भय होगा क्योंकि पिछले गुनाहगार अभी तक नहीं छूट पाए हैं। पूर्व सरकार के समय में जब पेपर लीक हुए तो ये (माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर की ओर ईशारा करके कहा) आंखें बंद करके रहे। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान) ठीक है, मैं आप को नहीं बोलता, आपकी सरकार को बोल रहा हूं। आपकी सरकार आंखें बंद करके रही। आपको व्यक्तिगत तौर से मैं नहीं बोलूंगा पर आपकी सरकार आंखें बंद करके रही। आपके समय में जो पेपर लीक हुए, उनको मुझे कैंसिल करना पड़ा और सब-ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को भंग करना पड़ा। आज प्रदेश का एक भी युवा यह नहीं कह सकता कि जो भी नियुक्तियां हो रही हैं, उनमें पेपर बेचे जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं या किसी प्रकार की धांधली हो रही है।...(व्यवधान)

Speaker : Please, please confine the debate to the Bill only. …(Interruption) Please confine the debate to the Bill. …(Interruption) Hon'ble Chief Minister please continue your reply.

मुख्य मंत्री : मुझे बोलने दीजिए। आप मेरे बाद बोल लेना।...(व्यवधान) श्री जय राम ठाकुर जी, आप मेरी लय मत तोड़िये।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, फिर हमने क्या किया कि...(व्यवधान) बिल पास करवाना है।...(व्यवधान)

02.09.2026/1620/एच.के.-एन.जी./2

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।)

Speaker : Please, please ...(Interruption) I will peruse the record, the things which are not related to the Bill will not be a part of the record. I will peruse the record. ...(Interruption) Please, please ...(व्यवधान) चलिए ठीक है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर, आप बोलिए।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

अध्यक्ष : मैंने आपको बोलने का समय दिया है। ...(Interruption) Please take your seats. ...(Interruption) Please take your seats now.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ गए।)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोग जाने के मूड़ में तो नहीं हैं? अगर हैं तो फिर इस चर्चा का क्या फायदा?

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हम जाने के मूड़ में नहीं हैं।

अध्यक्ष : अगर बैठना है, तब तो ठीक है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी पिक्चर पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि हमने उन लोगों को संरक्षण दिया, जिन्होंने पेपर लीक किए। आपकी सरकार बनने व शपथ ग्रहण होने के बाद, 11 दिसंबर को आपने शपथ ली और 22 दिसंबर को पेपर लीक हुआ, जिसकी खबर पूरे प्रदेश में आई। अब आप यह कहेंगे कि हम तो इसके लिए दोषी नहीं हैं।

02.09.2026/1620/एच.के.-एन.जी./3

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, इस दौरान क्या कोई पेपर हुआ भी है? 11 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में तो कोई पेपर ही नहीं हुआ।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, 22 दिसम्बर को पेपर लीक होने की बात सामने आई।...(व्यवधान)

Speaker : Please, please ...(Interruption) चलिए, चलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपनी बात कहिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो सच्चाई है, उसे स्वीकार करना चाहिए। मुख्य मंत्री जी लगातार एक ऐसी पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जोकि पूरी तरह सही नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 11 दिसंबर को आपने शपथ ली और 22 दिसंबर को पेपर लीक हो गया जोकि अभी हुआ नहीं था। उस समय सरकार किसकी थी? जय राम ठाकुर तो उस समय सत्ता में नहीं था।

पी0बी0 द्वारा......जारी

02.09.2026/1625/HK/PB/1

श्री जय राम ठाकुर ...जारी

सत्ता में माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी थे यानि आपके कार्यकाल में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब मैं मुख्य मंत्री बना था और मुझे सत्ता में आए हुए लगभग ढाई से तीन महीने ही हुए थे, तब शिमला में पानी का संकट उत्पन्न हो गया था। कांग्रेस पार्टी के लोग खाली बाल्टियां लेकर मेरे निवास पर उन्हें बजाते हुए आए थे। यदि मैं यह कहूं कि उस पानी के संकट के लिए मैं दोषी था तो यह उचित नहीं होगा क्योंकि मुझे सत्ता में आए हुए केवल दो महीने ही हुए थे। उस पानी के संकट के लिए मैं दोषी नहीं था। इसके बावजूद यदि यह कहा जाए कि पानी का सारा संकट मेरे कारण हुआ था तो यह भी उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी पुलिस भर्ती का भी जिक्र कर रहे हैं। जिस समय पुलिस भर्ती का पेपर लीक होने की जानकारी मुझे रात को मिली तो अगले दिन सुबह 8.30 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रैंस करके सबसे पहले घोषणा की कि पेपर रद्द किया जाता है। इसके साथ ही एस0आई0टी0 गठित करने की घोषणा की गई। उसके बाद तीसरे दिन मुझे लगा कि पुलिस भर्ती का पेपर पुलिस विभाग ही कंडक्ट करवा रहा है क्योंकि इस परीक्षा को कंडक्ट करने का जिम्मा पुलिस विभाग के पास था। हमने कहा कि इस जांच में पारदर्शिता नहीं होगी तो मैंने इसकी जांच सी0बी0आई0 को सौंप दी। सी0बी0आई0 ने जांच की और जांच के बाद चार अधिकारियों के खिलाफ आरोप पाए गए तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया। इसके बावजूद उन अधिकारियों को प्रमोशन दी गई और प्राइम पोस्टिंग्स दी गई। मुख्य मंत्री जी आपका इस बारे में क्या कहना है?

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूं। पुलिस भर्ती का पेपर आपकी सरकार के दौरान हुआ। आपकी सरकार के समय मास चीटिंग हुई। वहां सी0सी0टी0वी0 कैमरे फाड़ दिए गए और उसका रिकार्ड ही रहने नहीं दिया गया। यदि पुलिस भर्ती की इस घटना की भी जांच सी0बी0आई0 से कराई जाती तो आपको सारी वास्तविकता मालूम पड़ती। इस मामले को रफा-दफा किया गया लेकिन आने वाले समय में इसकी जांच होकर रहेगी क्योंकि वे बच्चे हमारे पास आए हैं और उन्होंने लिखित रूप से अपनी शिकायत दी है। इसके साथ-साथ वे इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी अपना पक्ष रखने के लिए गए हैं। आप इस विषय

02.09.2026/1625/HK/PB/2

के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। मास चीटिंग क्या होती है? मास चीटिंग भी पेपर लीक से कम नहीं है बल्कि यह भी पेपर लीक ही है।

अध्यक्ष महोदय, हम पर बार-बार जो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं उनके संबंध में हमारा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि आपने जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई की है उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करें। हम भी कह रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए। यह अच्छी बात है लेकिन पेपर लीक का विषय केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है। जहां-जहां आपकी सरकारें हैं वहां भी पेपर लीक हुए है। झारखंड में आपकी सरकार है। वहां क्या हो रहा है और क्या हुआ? राजस्थान में 22 पेपर लीक हुये और छत्तीसगढ़ में 18 पेपर लीक हुये। उस सारी स्थिति का भी जिक्र होना चाहिए।...(व्यवधान) इसलिए जब यहां यह कहा जाता है कि इतने पेपर लीक हुए हैं तो हमने पूछा था कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कितने मामलों में अभी तक परिणाम नहीं निकले थे तथा कुछ स्थानों पर नियुक्तियां भी नहीं हुई थीं। पेपर लीक के जितने मामले हुए हैं उनके बारे में जानकारी मांगी गई थी लेकिन जानकारी दी नहीं गई।

मैं समझता हूं कि जो गलत पक्ष आप बार-बार रख रहे हैं उसके बजाय आप इस बिल तक फोकस कीजिये। आपने जो बिल लाया है उसके एक्ट के प्रोविजन्स पर बोलिए, सेक्शन पर बोलिए और सब-सेक्शन पर बोलिए तो उचित रहेगा। हम वकील नहीं हैं और हमने कानून नहीं पढ़ा है। आप कानून पढ़े हुए व्यक्ति हैं और कानून के बहुत ज्ञाता हैं। इसलिए हमारा भी मार्गदर्शन कीजिए। यदि हमसे कहीं गलती हुई है तो हम भी सारी चीजें दुरुस्त करेंगे लेकिन आप सही बात को सही तरीके से कहेंगे तो हम उसे सुनेंगे।

02.09.2026/1625/HK/PB/3

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी आपका रिकार्ड स्पष्ट हो गया है। अब इस चर्चा में माननीय मुख्य मंत्री जी भाग लेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने तीन प्रश्न किये हैं उनका उत्तर तो मुझे देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि झूठ को साबित करने के लिए आप उसे बार-बार बोलते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि मैंने इन्हें कई बार कहा है कि आप तनाव में मत रहिए और परेशानी में मत रहिए। 22 दिसंबर को पेपर लीक हुआ। मुझे जैसे ही पेपर लीक होने का पता चला, उसकी इनक्वायरी हुई और इनक्वायरी के बाद जो पेपर लीक हुये थे तथा जो पेपर बेचे गए थे उन सभी पेपरों को मैंने तुरंत रद्द करवा दिये। उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 भी दर्ज की गई। नेता प्रतिपक्ष जी आपका सलाहकार बहुत डेंजरस है। मुझे लगता है कि आपके किसी गुट ने उसे खिला-पिला दिया है। वह आपको गलत सूचनाएं देता रहता है।

दूसरी बात, आपकी बात को मैं ज्यादा सीरियसली

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

02.09.2026/1630/वाई0के0-ए0पी0/-01

मुख्य मंत्री जारी .....

आपकी बात को मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। इन्होंने जो बात बोली है उसके रिप्लाई के बाद मैं बिल पर बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह भी विचित्र घटना है कि सी0बी0आई0 लोगों को उठाकर ले जाती है, लेकिन यहां के अफसरों को उठाकर नहीं ले गई। अगर ऐसी बात होती तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मांगती कि हमने अफसरों को अरेस्ट करना है। स्टेट गवर्नमेंट कभी रुक जाती? भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कमिटमेंट जीरो टॉलरेंस की है। अगर सी0बी0आई0 उन ऑफिसर को ले जाती तो ले जाती हम उन्हें दे देते। तीसरी बात, मैं माननीय सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर कोई गलत करेगा और मेरे ध्यान में अगर कोई बात आएगी तो हम उन उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। यह सरकार की कमिटमेंट है। आपने एक बात कही की मास चीटिंग हुई है। अगर आप उस जगह का मुझे प्रूफ देंगे तभी मैं कार्रवाई कर पाउंगा। शब्दावली में क्या है

अगर आप कोई प्रूफ देंगे, तभी तो मैं कार्रवाई करूंगा। अपना माननीय सदन में कागज रखें, मैं इन्क्वायरी करवाता हूं। ये तीन बातें थीं। अब मैं बिल पर आ जाता हूं। अध्यक्ष महोदय, श्री विपिन सिंह परमार जी दूसरे सीनियर मोस्ट सदस्य हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में इन्होंने बात की थी। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी अभी मेंबर नॉमिनेट हुए हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। एक रिटायर्ड आई0ए0एस0 ऑफिसर हैं जो बेचारी दलित से संबंधित थी क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसी कि ओर लोगों की राय रहती थी। उनको हमने पी0सी0एस0 का मेंबर बनाया है। दूसरे प्रदेश के आई0एफ0एस0 ऑफिसर और तीसरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जो थ्रूआउट लाइफ गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे। यह ट्रांसपेरेंसी होती है, जिनको हमने लगाया है वह कोई कार्यकर्ता नहीं है। हम ईमानदारी से वहां काम चाहते थे। जब इंटरव्यू होता हैं और जो मेंबर के साथ इंटरव्यू लेते हैं। वे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। उनके साथ बैठकर इंटरव्यू लिए जाते हैं। यही यू0पी0एस0सी0 का नियम भी है। हमारे सदस्य श्री जय राम ठाकुर जी ने एक और बात कही कि हमारे जो बिल थे, कोई इनके समय के बिल दो। हमारा तो एक बिल स्ट्राइक डाउन हुआ और उसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय भी गये थे। क्योंकि प्रदेश की (***) को लूटने नहीं दिया जाएगा और प्रदेश के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अगर मैं संपदा बोलता हूं तो यह शब्द अनैतिक कैसे

02.09.2026/1630/वाई0के0-ए0पी0/-02

हुआ? गलत शब्द कहां से हुआ? अध्यक्ष महोदय, ये तो फिर शब्दों पर ही प्रतिबंध लगा देंगे। आपके समय तीन एक्ट स्ट्राइक डाउन हुए थे। उनमें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021, नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन (एन0जे0ए0सी0) एक्ट और सेक्शन-60A ऑफ-द-आई0टी0 एक्ट स्ट्राइक डाउन हुआ था। ये आप अपने समय में भूल जाते हैं और दूसरों की बात करने लग जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री रणधीर शर्मा जी, श्री विपिन सिंह परमार जी हमारे साथी हैं। यूनिवर्सिटी के समय से हम इकट्ठे चले हैं। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस बने यही बात हमने हमेशा की है। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस रहे, यह हमारी सरकार का कृतसंकल्प है। आपने भी विश्वविद्यालय में छह-सात साल बिताए है, हमने भी विश्वविद्यालय में छह-सात साल बिताए है। श्री जय राम ठाकुर जी ने किसी और विश्वविद्यालय में समय बिताया होगा, लेकिन हमने एक ही विश्वविद्यालय में छह-सात

साल का समय बिताया है। निश्चित तौर पर उस समय यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती थी। नेशनल लेवल पर, राजनीतिक तौर पर भी और टॉप लेवल पर भी यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी ग्रेडिंग हुआ करती थी। वहां से राजनेता भी निकले हैं। मैं मुख्य मंत्री बना, माननीय श्री जे0पी0 नड्डा जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर बने, श्री आनंद शर्मा जी केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे हैं। कई नेता बने हैं। इस विधान सभा क्षेत्र से भी कोई मंत्री बने हैं। भविष्य में वर्ष- 2032 में अगर नंबर आएगा, तो कोई एक-आध बन जाएगा तो वह भी हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने किसी भी यूनिवर्सिटी में यू0जी0सी0 की गाइडलाइन को तोड़ा-मरोड़ा नहीं है। जो यू0जी0सी0 की गाइडलाइन है, उसके अनुसार ही ये नियम बनाया गया है। Section 34 appointment of teachers and other employees. Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in the statute or ordinance made thereunder, all recruitments of teachers in the University by direct recruitment shall be made through the Himachal Pradesh Public Service Commission in accordance with such qualification standards and selection procedures as specified by the University Grants Commission.

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

02.09.2026/1635/AT/YK/01

मुख्य मंत्री जारी....

तो सेक्शन 34 स्पष्ट रूप से इंडिकेट करता है कि UGC के किसी भी नॉर्म्स को तोड़ा नहीं गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सोच रहा था कि आप सब लोगों का हमें साथ मिलेगा। जो बच्चे यूनिवर्सिटी में लगना चाहते हैं, वे किसी सिफारिश पर निर्भर नहीं रहेंगे। वे किसी क्रिएशन और पोस्ट पर निर्भर नहीं रहेंगे। वे सिर्फ यह सोचेंगे कि पहले हमें पढ़कर आना है और NET/SET की क्वालिफिकेशन के बाद, जब हम पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पास करेंगे, तो यूनिवर्सिटी में हमारी मेरिट होगी। वाइवा 20 नंबर का होगा। 20 नंबर में अगर उनको कोई 5 नंबर भी देता है लेकिन उनकी मेरिट अच्छी होगी, तो वे भी सेलेक्शन प्रोसेस में आ जाएंगे।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है। मैंने इसलिए कहा कि हिमाचल की जनता के हित में जो फैसले लिए जाएंगे, वे चाहे थोड़े समय के लिए आंवले के स्वाद की तरह कड़वे हो सकते हैं लेकिन उनकी मिठास लोगों को मिलना शुरू हो चुकी है। आप सिर्फ कुर्सी के लिए चिंता करते हैं बस आना है, जाना है। आना-जाना चलता रहता है। कुर्सी आती रहती है, जाती रहती है। हम तो स्टेट की टॉप पोस्ट पर रहे हैं। हमारी कुर्सी कई बार आई, कई बार गई है। ये वे लोग सोचते हैं, जिनको सत्ता का मोह होता है। हमें जनता की सुविधाओं का मोह है, जनता की सेवा का मोह है।

दूसरा, नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी ने भी एक बात कही कि जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर हैं उनकी नियुक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी नियुक्तियां यूनिवर्सिटी ही करेगी। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। त्रिलोक जम्वाल जी, ने भी कहा था कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्तियां यूनिवर्सिटी ही करेगी। दो-तीन चीजें और बताना चाहता हूं। मेडिकल कॉलेजों में जब असिस्टेंट प्रोफेसर और सुपर स्पेशलिस्ट प्रोफेसर भी पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देकर आते हैं तो HP यूनिवर्सिटी, चौधरी सरवन कुमार विश्वविद्यालय और इनमें क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा उससे? वे असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट देकर एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं और उसके बाद प्रोफेसर बनते हैं। अगर हम उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, तो अभी हम सुपर स्पेशलिस्ट के लिए बोल रहे हैं कि वॉक-इन इंटरव्यू करो। क्योंकि तीन साल की PG, तीन साल की SRship और फिर दो-तीन साल सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए लगाना, तो 12 साल तक एक

02.09.2026/1635/AT/YK/02

डॉक्टर पढ़ता ही रहता है। फिर उसके बाद उसको क्या मिलता है? वह टेस्ट के थ्रू आता है। उसने आज तक कोई उंगली नहीं उठाई। आज हमारे पास भी हमारी स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन के लोग आए थे। वे भी यही कह रहे थे। मैंने भी उन्हें कहा। मेरे पास कुछ और लोग भी आए और उन्होंने कहा कि हमारी ऑटोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ऑटोनॉमी पर कोई फर्क नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने क्या किया? यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने सिर्फ यूनिवर्सिटी में जो वित्तीय जवाबदेही है, UGC से जो लगभग 130 करोड़ रुपये की ग्रांट आती है, उससे यूनिवर्सिटी चलती नहीं है। अगर वहां से ग्रंट आती तो आप सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जो मंडी में खोली गई है उसको ठीक करिए। जितना फंड आता है वह रिसर्च वर्क के लिए आता है, रिसर्च वर्क भी तभी होगा, आपके पास अच्छे क्वालिटी के शिक्षक हैं, लेकिन जब और अच्छी क्वालिटी के टीचर आएंगे, तब अच्छा रिसर्च वर्क होगा।हमने सिर्फ यह कहा कि जो फाइनेंशियल कमेटी है उसका चेयरमैन हमारा फाइनेंशियल सेक्रेटरी होगा। वे बैठेंगे और वि0सी0 का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। उसके बाद वित्त सचिव से जो रिकमेंडेशन फाइनेंस कमेटी को जाएगी, जब वह रिकमेंडेशन जाएगी तो वह फिर एग्जीक्यूटिव में जाएगी, जिसकी अध्यक्षता हमारे वाइस चांसलर करेंगे। वहां यह तय होगा कि इसे करना है या नहीं करना है।

यह सिर्फ फाइनेंस मैटर में किया गया है। पहले तो यह स्पष्ट कर दूं कि यह केवल फाइनेंस के मामले में है। एकेडमिक मैटर्स में हमने कोई चेंज नहीं किया है। कौन-सा सिलेबस चलाना है, कौन-सा सब्जेक्ट चलाना है, कौन-सी चीज शुरू करनी है, कितनी फीस बढ़ानी है, क्या करना है ये सब यूनिवर्सिटी ही तय करेगी। हम तो यह भी नहीं तय कर रहे कि कहां एग्जामिनेशन करवाना है, कौन-सा एग्जामिनेशन सेंटर बनना है। ये सब अधिकार उन्हीं के पास हैं। सिर्फ फाइनेंशियल मैटर और रिक्रूटमेंट में हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार है, हम वाइस चांसलर लगा दें और हम कहें कि जो हमारे लोग हैं, जैसा कि पीछे होता रहा है, पिछली सरकार में हुआ, वही हम भी कर दें। हम चाहते हैं कि मेरिटोरियस बच्चे इस यूनिवर्सिटी में टेस्ट के थ्रू आएं और गाइडलाइन्स के थ्रू आएं। हमने बस इतना कहा है।दूसरा, मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि

श्रीमती ऐ0वी0 द्वारा जारी....

02.09.2026/1640/av/ag/1

मुख्य मंत्री -------- जारी

हम इसकी स्वायत्तता के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर रहे। सरकार द्वारा विधेयक में उनके शिक्षण, अनुसन्धान, पाठ्यक्रम अथवा अन्य शैक्षणिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय पढ़ाने के लिए होता है या सिर्फ अपने लोगों को ऑब्लाईज करने के लिए होता है। हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हमारा वी0सी0 आ गया या आपकी पार्टी सत्ता में आई तो आपका वी0सी0 आ गया। किसी को नौकरी लगा दी कि वह मेरे साथ चला इसलिए उसको नौकरियां देनी हैं और मैरिटोरियस बच्चा सड़क पर खड़ा रह जाता है। वह वहां पर नारे लगा रहा है या हमारे पास सिफारिश के लिए आ रहा है। कोई वी0सी0 का रिश्तेदार है और कोई किसी दूसरे का रिश्तेदार है। अगर हम आज इस प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, विरोध तो होता है परंतु अच्छे काम का भी विरोध हो; मुझे भारतीय जनता पार्टी से इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। आप लोगों को इस बिल का समर्थन करना चाहिए। अगर आप लोग भी आज इस बिल का समर्थन करते हैं तो यह आपके लिए भी बहुत अच्छी बात होगी।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम सभी राजनीतिक जीवन में हैं और मैं राजनीतिक जीवन का एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे एक मंत्री जी की बेटी थ्रूआउट टॉप थी। अगर किसी मंत्री की बेटी किसी भी पार्टी की सरकार के समय में लग जाए और वह थ्रूआउट टॉप है तो उसके ऊपर अंगुली उठ जाती है कि पता नहीं राजनीतिक परिवार के बच्चे ही नौकरी लग सकते हैं। अगर हम इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं तो सभी रिटन टैस्ट के थ्रू आएंगे और कोई किसी पर अंगुली नहीं उठा सकता। हम पारदर्शिता केवल भर्ती में चाह रहे हैं। सब कुछ तो एग्जैक्टिव काउंसिल ने करना जिसका चेयरमैन वी0सी0 होता है, उसको पावर दे दी है। फाइनेंशियल कमेटी तो सिर्फ यह देखेगी कि यहां पर कितनी पोस्ट्स की जरूरत है। इसी प्रकार से एक यूनिवर्सिटी के बारे में स्टडी की गई और मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बोलना चाहता। लेकिन वहां बच्चे केवल तीन और प्रोफैसर चार हैं। वे क्यों ऑब्लाइज्ड हुए? क्योंकि सरकार बदली, मेरे साथ उसने नारे लगाए और मैंने उसके लिए पोस्ट क्रिएट कर दी तथा उसको वहां पर लगा दिया। अगर ऐसी ही व्यवस्था लानी है तो हमें इस प्रकार से सुधार करने की जरूरत नहीं हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस बिल के समर्थन में हम सब लोगों को खड़ा होना चाहिए और ये

02.09.2026/1640/av/ag/2

पारदर्शिता और क्वालिटी एजुकेशन की ओर बढ़ते हुए कदम हैं। इसका फायदा निश्चित तौर पर हमारे पी0एच0डी0, एम0फिल0, नैट-सैट क्वालिफाई करने वाले युवाओं को होगा। जब मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़-लिखकर टैस्ट देने को तैयार हैं तो यूनिवर्सिटी में क्यों न हो?

अध्यक्ष महोदय, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए परंतु मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि क्लास-iii या क्लास-iv की नियुक्तियां चाहे हाई कोर्ट में हों या विधान सभा में की जाएं; हमारे पास जब रिक्रूटमैंट चैनल बना है तो उसके थ्रू होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जज के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है क्योंकि ज्यादा नोलेज एक्सपीरियंस से होती है। परंतु हम क्लास-iii और क्लास-iv की भर्ती रिटन टैस्ट के थ्रू कर सकते हैं तथा हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए।

इस बिल के अतिरिक्त मैं एक और बात कहना चाहता हूं। यहां पर इतनी ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बच्चे तो टैस्ट के थ्रू आते हैं। हम आने वाले समय में इसमें भी एक व्यवस्था परिवर्तन करने की सोच रहे हैं कि कम-से-कम इनका इग्जाम एक मोडल यूनिवर्सिटी करवाएं ताकि मैरिटोरियस बच्चे आगे आएं। हमने यूनिवर्सिटीज खोल दी हैं। उनके अपने सर्टिफिकेट्स और डिग्रियां हैं। जब उनके नम्बर्ज के बारे में पता किया तो पता चला कि प्लस टू में तो उनके 50-50 प्रतिशत हैं और बी0टैक0 में 80 प्रतिशत नम्बर आए। बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेकर आते हैं। हम इसके संदर्भ में भी एक बिल लाने बारे विचार कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रदेश हित में कार्य कर रही है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस बिल का समर्थन करें। मैं खासकर नेता प्रतिपक्ष जी से यह अनुरोध करूंगा क्योंकि हम सब लोग भी विश्वविद्यालय से निकले हैं। हमने भी विश्वविद्यालय का समय देखा है, यहां बैठै लगभग सभी यूनिवर्सिटी से निकले हैं। इसलिए मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध रहेगा कि इस बिल का समर्थन करें। हमने पहले वाली रिक्रूटमैंट्स तो कर दी हैं, जो हमारे

हाथ में हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज की रिक्रूटमैंट में पारदर्शिता लाई जाए, मैं यही कहना चाहता हूं।

टी सी द्वारा जारी

02.09.2026/1645/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

अध्यक्ष : इस विधेयक पर काफी विस्तृत विचार-विमर्श हो चुका है और लगभग पौने दो घंटे तक विधेयक पर चर्चा हुई है। अब विधेयक को पारित करने का समय आ गया है।

अतः अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खंड 2 से 21 तक विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार

खंड 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 और 21 तक विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

02.09.2026/1645/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

" हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 10) पारित हुआ"

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) पर विचार किया जाए।
अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) पर विचार किया जाए।
इस पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं जिसका माननीय मुख्य मंत्री उत्तर देंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, फिर मैं वही बात दोहराता हूं। जब किसी फैसले को हम सोच-समझकर नहीं करते हैं तो बाद में किए गए गलत फैसले पर विचार करना पड़ता है और मजबूरी में उसको वापस लेना पड़ता है या उसमें बदलाव करना पड़ता है। इस सदन में जब यह बिल लाया गया था जिस आज आपने इसे वर्ष 2026 का विधेयक संख्या 13 के रूप में लाया है। उस वक्त भी हमने कहा था कि जो इंक्रीज हो रही है वह बहुत एक्सॉर्बिटेंट इंक्रीज हो रही है और इस पर विचार करना चाहिए तथा इसे थोड़ा कम करना

चाहिए लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। आज आप उसी बिल को फिर से लेकर आए हैं। इसका मतलब यही है कि जो हमने कहा था, उसे कभी-कभी आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। जो विपक्ष कहता है, उसे कभी सुन लिया करो और सुन ही नहीं लिया करो बल्कि मान लिया करो। आखिरकार उस फैसले पर विचार करने के बाद आप इस बिल को लेकर आए हैं कि सचमुच में यह ज्यादा था और यह पैसा कम करना

02.09.2026/1645/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि काश अगर आपने उस वक्त हमारी बात, जो हमने यहां बोली थी, सुनी होती और हमारी बात मानी होती तो इस बिल को पुनः लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

तो प्रश्न यह है कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अध्यक्ष : बिल पर विचार समाप्त हुआ।

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे .....

एन0एस0 द्वारा ... जारी

2-9-2020/1650/NS-AS/1

अध्यक्ष-----जारी

अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) को पारित किया जाए?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

" शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 13) पारित हुआ"

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

2-9-2020/1650/NS-AS/2

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए।

माननीय सदस्य बोल सकते हैं और माननीय मुख्य मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे। कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोलना चाहता है।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2-4 विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) को पारित किया जाए।

2-9-2020/1650/NS-AS/3

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) को पारित किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

" हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 14) पारित हुआ"

नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी

अब नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदन में "युवाओं के लिए रोजगार सन्दर्भित गारंटी के कार्यान्वयन बारे" जो विषय चर्चा में है उस पर आगे चर्चा होगी। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी से लगभग आठ माननीय सदस्यों के नाम प्राप्त हो चुके हैं और कांग्रेस विधायक दल से अभी कोई नाम प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषय पर अब तक साढ़े पांच घंटे चर्चा हो चुकी है और अभी 10 मिनट का समय बचा है क्योंकि 5 बजे तक हाउस की बैठक है unless we have to extend it. माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री : इस विषय की चर्चा बहुत लंबी है और बहुत सारे सदस्य बोल भी चुके हैं। 8 माननीय सदस्य विपक्ष से और 7 माननीय सदस्य सत्ता पक्ष से हैं। यदि दोनों पक्षों से एक-एक या दो-दो सदस्यों को बुलाकर आज रिप्लाई करवा लें तो ठीक है।

(विपक्ष के माननीय सदस्य सहमत नहीं हुए।)

फिर ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। रिप्लाई कल दे देंगे।

अध्यक्ष : क्योंकि कल आखिरी दिन है और उसमें कुछ बिल भी शामिल हैं। आज भी बिल इंट्रोड्यूस हुए और कल भी बिल चर्चा में रहेंगे और कल लास्ट डे है इसलिए कल तक एक्सटेंड करना ठीक नहीं है। आज ही इसका रिप्लाई हो जाए तो अच्छा है चाहे इसके लिए हमें आज हाउस एक-डेढ़ घंटा एक्सटेंड करना पड़े। अभी दोनों पक्षों से कुल 16 सदस्य बोलने वाले हैं। यदि 5 मिनट भी बोलेंगे तो डेढ़ घंटा लगेगा।

आर0के0एस0 द्वारा ------जारी

02.09.2026/1655/RKS/As-1

अध्यक्ष जारी...

माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर जी ने कल चर्चा में भाग लेते हुए अपने विचार रखे हैं। सभी माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की है। अब मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे अपने विचार 5 से 7 मिनट के भीतर समाप्त करें। मैं माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएं। माननीय सदस्य इससे पूर्व कि आप बोलना प्रारम्भ करें मैं इस माननीय सदन बैठक का समय बढ़ा देता हूं ताकि बीच में कोई बाधा न हो। आप बताएं कि इस सदन की बैठक एक घंटा बढ़ाई जाए या डेढ़ घंटा?

माननीय सदस्यगण : सर, इस सदन की बैठक डेढ़ घंटे के लिए बढ़ा दी जाए।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक सायं 06.30 बजे तक बढ़ाई जाती है। अब माननीय सदस्य अपनी बात रख सकते हैं।

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री रणधीर शर्मा जी, श्री सुधीर शर्मा जी, डॉ0 हंस राज जी, श्री राकेश जम्वाल जी और श्री जीत राम कटवाल जी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इस पर मैं भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बनी सरकार ने जो लोगों को रोजगार देने की गारंटी दी है उसी विषय पर यह चर्चा हो रही है। मुख्य मंत्री जी सदन से बाहर जा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस चर्चा को सुनते तो अच्छा होता क्योंकि यह विषय आपसे जुड़ा हुआ है। Periodic Labour Force Survey के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कुल बेरोजगारी दर 4.5 प्रतिशत है जबकि भारत में यह 3.1 प्रतिशत है। यानी हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 60 प्रतिशत अधिक है। 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग में बेरोजगारी दर हिमाचल प्रदेश में 19.8 प्रतिशत है जबकि भारत में यह 9.9 प्रतिशत है। यानी लगभग दोगुनी है। महिला बेरोजगारी दर हिमाचल प्रदेश में 4.0 प्रतिशत है जबकि भारत में 2.1 प्रतिशत है। यानी हिमाचल प्रदेश में यह लगभग 90 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर हिमाचल प्रदेश में 18.3 प्रतिशत है जबकि भारत में 6.4 प्रतिशत है। यानी

02.09.2026/1655/RKS/As-2

यह लगभग तीन गुना अधिक है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवा बेरोजगारी की है क्योंकि रोजगार के बाजार में आने वाला लगभग प्रत्येक पांचवां 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग का युवा बेरोजगार है। अध्यक्ष महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और भी है जो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है। वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश का Labour Force Participation Rate 60.5 प्रतिशत था जबकि भारत का 45.1 प्रतिशत था।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य यह स्टैटिस्टिक्स का टेबल कौन-सी रिपोर्ट से लिया गया है?

श्री बिक्रम सिंह : सर, यह सारा विवरण मेरे पास है हालांकि मैंने इसकी पूरी डिटेल नहीं ली है बल्कि केवल मोटे तौर पर आंकड़े लिए हैं। दूसरी तरफ यदि हम हिमाचल प्रदेश की लायबिलिटीज़ पर दृष्टि डालें तो वर्ष 2022-23 में ये 76,651 करोड़ रुपये थीं। वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर 85,311 करोड़ रुपये हो गईं और अब इन वर्षों के दौरान यह लगभग 1,10,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इसलिए सरकार के पास प्रत्येक बेरोजगार युवा को सरकारी नौकरी प्रदान करने की फिस्कल कैपेसिटी नहीं है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

02.09.2026/1700/बी.एस./डी.सी.-1

श्री बिक्रम सिंह जारी...

इसलिए हमने जो सिस्टम पकड़ा हुआ है उससे हटना होगा। जिस तर्ज के ऊपर केंद्र सरकार भर्ती करती है उसी तर्ज के ऊपर हम अपने प्रदेश के अंदर भी भर्ती करते हैं। वहां से हमें हटना होगा और प्राइवेट सेक्टर की तरफ हम लोगों को जाना होगा लेकिन उस तरफ हम किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं।

इंडस्ट्री मिनिस्टर यहां बैठे हैं। हम बार-बार प्राइवेट इंप्लॉयमैंट के ऊपर जोर देते हैं। सरकार का इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 95 प्रतिशत इंडस्ट्रियल यूनिट्स एम0एस0एम0ई0 की हैं और 600 प्लस जो हैं वे फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं। एक मजबूत हमारा इकोसिस्टम है। राज्य में फार्मा सेक्टर जो है वह लगभग 10 हजार करोड़ एनुअल एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है। 450 से अधिक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को लगभग 9,800 करोड़ इन्वेस्टमैंट के साथ अप्रूवल मिली हुई थी। यानी अगर हम एम0एस0एम0ई0 की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर है लेकिन हमें उस नंबर से क्या लेना-देना है? हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या बेरोजगारों को उन एम0एस0एम0ई0 में नौकरी मिलती हैं?

क्या केवल और केवल हम यही बताने के लिए हैं कि करोड़ों रुपये की इन्वेस्टमैंट हिमाचल प्रदेश के अंदर है लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री के

अंदर जो नौकरी की गिनती है वह बड़ी कम है? और दूसरा जैसा यह प्रश्न के माध्यम से यह बताया भी गया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर दिनांक 26 अगस्त, 2025 को प्रश्न लगा था। उसमें मंत्री जी ने जवाब दिया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 115 इकाइयां बंद हो गईं। यह आपके प्रश्न का उत्तर है। यहां पर इंडस्ट्री क्यों नहीं टिक रही है?

इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश के अंदर उस प्रकार का एनवायरनमैंट नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्री यहां पर नहीं टिकेगी। इंडस्ट्री बंद हो रही है जबकि इंडस्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए थी और मैं बार-बार बोलता हूं और निवेदन भी करता हूं मुख्य मंत्री जी कि जब इंडस्ट्री की बात आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमैंट की बात आती है तो उनके दिमाग में केवल और केवल इंडस्ट्री के प्रति भ्रष्टाचार की बात होती है।

02.09.2026/1700/बी.एस./डी.सी.-2

(श्री संजय रत्न, सभापति पदासीन हुए)

वे बोलते हैं कि नहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन धरातल के ऊपर यह सच्चाई है कि अगर हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो जो एम0एस0एम0ई0 हमारे पास आती है उसे हम लोगों को कमिटमैंट लेनी पड़ेगी कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार को वह रोजगार दे।

वह कमिटमैंट तभी पूरी होगी जिस समय इस प्रदेश के अंदर आने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हमें अच्छा व्यवहार करेंगे। हम उस इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई बताएंगे कि हमारी स्टेट आपको क्या देगी। लेकिन इस सरकार ने पिछले पौने चार वर्षों के अंदर कोई ऐसा वातावरण नहीं बनाया जिसके कारण से हम यह बात बोल सकें कि यह जो इंडस्ट्री है वह यहां पर आएगी।इंडस्ट्री बंद हो रही है। मंत्री महोदय, इंडस्ट्री यहां से जा रही है। इन्वेस्टमैंट कम हो रही है और कम एफिशिएंसी के ऊपर हमारे प्लांट्स चल रहे हैं। इसलिए जो बेरोजगारी की हम बात करते हैं मुझे लगता है कि उस तरफ यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है और इस फैक्टर की तरफ ध्यान देना चाहिए।

कल यहां पर मेरे मित्र बात कर रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे इंप्लॉयमैंट के बारे में सभापति महोदय, हमने किया क्या है? हमने सत्ता में आने के लिए बोल दिया कि पांच साल के अंदर पांच लाख नौकरियां देंगे और हिमाचल प्रदेश के अंदर श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने तो यह भी बोल दिया कि 58 साल की नौकरी पेंशन वाली नौकरी देंगे लेकिन आज आप नौकरी कैसी दे रहे हैं? आप वन विभाग के अंदर वन मित्र को 12,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं। पशुपालन विभाग में पशु मित्र को 5,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं और उससे प्रतिदिन चार घंटे काम ले रहे हैं। जल रक्षक को 6,100 रुपये दे रहे हैं। इसी प्रकार आपने वाटर कैरियर के लिए 6,000 रुपये दे रखे हैं। यही रिक्रूटमैंट आप हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रहे हैं।इसके अलावा आपने कोई ऐसी रिक्रूटमैंट नहीं की है जिसके बारे में चर्चा की जा सके। मित्रों के नाम पर जो रिक्रूटमैंट आप कर रहे हैं उसके माध्यम से आप हिमाचल प्रदेश के नौजवानों का शोषण कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का नौजवान पढ़ा-लिखा है। हिमाचल प्रदेश के नौजवान के पास डिग्री है और डिग्री लेने के बाद उसके साथ क्या हो रहा है?

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

02.09.2026/1705/डीटी/डीसी-1

श्री बिक्रम सिंह जारी....

हिमाचल प्रदेश का नौजवान पढ़ा-लिखा है, उसके पास डिग्री है, लेकिन डिग्री प्राप्त करने के बाद उसे बिजली मित्र जैसी नौकरियों में लगाया जा रहा है। उस बिजली मित्र को 10,000 रुपये या 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। 10,000 रुपये या 12,000 रुपये की नौकरी देकर सरकार अपनी पीठ स्वयं थपथपा रही है, ऐसा क्यों है? बिजली मित्रों की भर्ती का भी प्रस्ताव आया है और उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। यानी सरकार 10,000 रुपये, 12,000 रुपये या इससे भी कम वेतन वाली नौकरियां दे रही है और उसके बाद सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य यह कहकर प्रसन्न हो रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा राज्य चयन आयोग के माध्यम से होने वाली रिक्रूटमैंट लगातार कम होती जा रही है। दिनांक 21 अगस्त के एक प्रश्न में जिसे डॉ0 जनक राज तथा श्री सुधीर शर्मा ने लगाया था। सरकार ने स्वयं अपने उत्तर में यह

जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 725 व्यक्तियों की रिक्रूटमैंट की है तथा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन बोर्ड के माध्यम से 927 व्यक्तियों की रिक्रूटमैंट की गई है। इसके अतिरिक्त जितनी भी रिक्रूटमैंट की बात की जाती है वह अधिकांशतः आउटसोर्स आधार पर की जा रही है। प्रश्न यह है कि इस प्रकार की आउटसोर्स रिक्रूटमैंट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बार तो सरकार ने हद ही कर दी है। लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन प्रक्रिया में सफल होने वाले बच्चों को भी जो नौकरी मिल रही है वह आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से दी जा रही है। इससे अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है कि एक बच्चे ने अधीनस्थ सेवाओं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उसके बाद उसकी नियुक्ति किसी एजेंसी के माध्यम से की जाए। हम अपने नौजवानों के साथ कितना बड़ा अन्याय और धोखा कर रहे हैं। यही सरकार नौजवानों के हितों की सबसे अधिक बात करती थी। भारतीय जनता पार्टी के समय में जो लोग आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किए गए थे उन्हें बाहर कर दिया गया। दूसरी ओर, आज यहां बिल पास किया जा रहा है कि रिक्रूटमैंट में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए तथा भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए।

02.09.2026/1705/डीटी/डीसी-2

अभी थोड़ी देर पहले यह विषय आ रहा था कि जिसमें काफी बहस हो रही थी। पेपर लीक मामले में काफी चर्चा हुई। जब पेपर लीक की घटनाएं होती हैं तो जिन बेरोजगार युवकों ने कठिन मेहनत की होती है उन्हें अत्यंत पीड़ा और निराशा का सामना करना पड़ता है। परंतु जब सरकार की ओर से इस विषय पर पक्ष रखा गया तब यह कहा गया कि हम लोग तो बिल्कुल साफ-सुथरे हैं और ऐसा सब कुछ आपके समय में हुआ था। मेरे पास दिनांक 04 मार्च, 2024 का एक पत्र है, जो Director General of Police, Himachal Pradesh तथा CBI Investigation, case RC 09/03/2024, ACB Chandigarh से संबंधित है। इस पत्र में हिमाचल प्रदेश गवर्नमैंट को चार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की गई है। उन अधिकारियों के नाम श्री अतुल कुमार, श्री गौरव सिंह, श्री लोकेन्दर सिंह नेगी तथा श्री जे0पी0 सिंह हैं।यह 12 पृष्ठों की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अधिकारी उक्त मामले के लिए जिम्मेदार हैं। यदि ये अधिकारी वास्तव में जिम्मेदार हैं तो मुख्य मंत्री,

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू की सरकार इनके ऊपर मेहरबान क्यों है? इनके विरुद्ध आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? इसलिए इस विषय पर सरकार को सदन के समक्ष स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। ये लोग खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग रखते हैं। इसलिए ये कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं। इसी कारण मैं बार-बार कहता हूं कि यह सरकार सदन के पटल पर झूठ बोलती है। इतना अधिक और बार-बार झूठ बोलती है कि व्यक्ति को लगने लगता है कि शायद यह सच बोल रहे हैं जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। मैं यह बात तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। जो बातें मैं रख रहा हूं वे संबंधित पत्र में स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। आप कह रहे हैं कि हम नौजवानों का बहुत ध्यान रख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यहां उपस्थित शिक्षा मंत्री महोदय यह बताएं कि उन बच्चों का क्या कसूर है, जो टी0जी0टी0 आर्ट्स भर्ती में चयनित हुए हैं। 414 अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और उन्हें परिणाम घोषित हुए 75 दिनों से अधिक समय हो चुका है लेकिन आप उनकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं।

श्री एन0जी0......द्वारा जारी

02.09.2026/1710/एच.के.-एन.जी./1

श्री बिक्रम सिंह......... जारी

मैं पूछना चाहता हूं कि इनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल रहे हैं? यह फाइल मुख्य मंत्री जी के पास लम्बित पड़ी है। सभापति महोदय, आप तो मेरे मित्र हैं। हम स्वयं देखते हैं कि सारी-की-सारी चीजें केवल और केवल मुख्य मंत्री जी के आस-पास ही घूमती हैं। जब भी सदन में कोई प्रश्न आता है, किसी मंत्री को उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा जाता है—चाहे वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हों, उद्योग मंत्री हों या शिक्षा मंत्री हों—लेकिन हाथ मुख्य मंत्री जी खड़ा करते हैं। हर समय उन्हें लगता है कि जवाब मुझे ही देना है। यही कारण है कि आपकी सरकार का पतन होने वाला है। यह जो वन मैन आर्मी है, इसके कारण ही आप लोगों का नुकसान होने वाला है। मेरा मानना है कि प्रत्येक मंत्री को यह अधिकार होना चाहिए कि उसके विभाग से संबंधित प्रश्न का जवाब वह स्वयं दे।

लेकिन मंत्रिगण यहां पर डर के साय में रहते हैं। वे बोलते नहीं हैं। शायद उन्हें लगता है कि अभी डेढ़ साल का समय काटना है, इसलिए किसी तरह समय निकल जाए। लेकिन इन मंत्रियों के हालात बहुत बुरे हैं। जिस प्रकार का वातावरण आज सदन में दिखाई दे रहा है, वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जब भी प्रश्नकाल होता है, माननीय मुख्य मंत्री हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े हो जाते हैं और उनके उत्तरों में सच्चाई कम तथा झूठ बोलना ज्यादा होता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और विशेष रूप से माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे 414 बच्चे, जिन्होंने टेस्ट क्वालीफाई कर लिया है, उन्हें जल्दी-से-जल्दी नियुक्तियां दी जाएं। इसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवादी रहूंगा।...(घण्टी)... सभापति महोदय, एक और महत्वपूर्ण विषय है। हमारे माननीय उद्योग मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं। यदि सरकार वास्तव में गंभीर है, मैंने यह बात पहले ही कह दी है कि हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। सरकारी नौकरी मिलना कठिन है।

02.09.2026/1710/एच.के.-एन.जी./2

हमारी सरकार ने मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की थी। लेकिन आप लोगों ने मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना का गला घोंट दिया है। आपने इस योजना को लगभग समाप्त कर दिया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां बना दी गई हैं कि जिन लोगों ने इस योजना के तहत आवेदन किए हुए हैं, जिन्होंने पैसा खर्च कर दिया है, आज वे लोग परेशान होकर माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। मंत्री महोदय, आपके विभाग के खिलाफ लोग माननीय न्यायालय जा रहे हैं। मैं तथ्यों के साथ यह बात कह रहा हूं। हमारे समय में मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिन प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति दी गई, उनकी संख्या लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच थी। लेकिन आपके समय में लगभग 2 हज़ार से अधिक

मामलों का निपटारा किया गया है। हमारे समय में इस योजना के माध्यम से लगभग 6,500 इकाइयां स्थापित हुईं, जबकि आपके समय में यह संख्या केवल 1700 के आसपास रह गई है। हमारे समय में इस योजना के माध्यम से 18,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला, जबकि आपके समय में यह संख्या 6,000 से भी कम है। मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना की यह स्थिति आपके समय में है। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो माननीय मंत्री मुझे बताइए। जिन योजनाओं के माध्यम से हम हिमाचल के नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकते थे, उन योजनाओं को कमजोर करके हमने उन्हीं नौजवानों के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आपकी सरकार ने प्रदेश के नौजवान को फ्रस्ट्रेटेड कर दिया है, वह परेशान व दुःखी हो गया है और न्याय के लिए कोर्ट की तरफ जा रहा है।सभापति महोदय, बार-बार जब यह बात आती है तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, यह ठग व्यवस्था परिवर्तन है। पूरे प्रदेश के साथ ठगी की जा रही है। किस प्रकार से प्रदेश में आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्तियां की जा रही हैं, किस प्रकार लोक सेवा आयोग में नियमित भर्ती नहीं हो रही है और सबऑर्डिनेट सर्विसिस के माध्यम से भी पर्याप्त भर्ती नहीं हो रही है—इन सबके कारण प्रदेश का नौजवान परेशान है और जब हम बार-बार सुनते हैं कि यह व्यवस्था परिवर्तन है, मैं कहता हूं कि यह ठग व्यवस्था परिवर्तन है। इसके अलावा

02.09.2026/1710/एच.के.-एन.जी./3

यह कुछ नहीं है। आज प्रदेश का नौजवान परेशान है। यहां मेरे कई मित्रों ने कहा कि हमने दूध पर सब्सिडी दी है, हम तो हल्दी बड़ी महंगी बेच रहे हैं और हमने गेहूं व मक्की के लिए बहुत बड़ा समर्थन मूल्य दिया है।...(घण्टी)...

Chairman : Please wind-up.

श्री बिक्रम सिंह : सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी अपनी किसी योजना का ऑडिट करवाया है?

पी0बी0 द्वारा......जारी

02.09.2026/1715/HK/PB/1

श्री बिक्रम सिंह ...जारी

आप किसी का ऑडिट करवाकर देखिए और जो नौजवान यहां से पढ़-लिखकर निकलकर आ रहा है, उसके लिए भी आज रोजगार की स्थिति चिंताजनक है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पॉलिटैक्निक कॉलेज जंडोर है, जिसमें 300 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। वहां 300 से अधिक बच्चे होने के बावजूद इलैक्ट्रिकल विषय का कोई अध्यापक नहीं है। मैंने यह बात पहले भी सदन में कही थी। आज नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जी सदन में नहीं हैं। उस कॉलेज में स्वीपर तक नहीं है। सरकार पॉलिटैक्निक कॉलेज के अंदर एक स्वीपर तक उपलब्ध नहीं करवा सकती है। इस तरह से आपकी सरकार वर्ष 2027 में रिपीट नहीं होगी। इसके लिए लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लोग आपकी ऐसी-तैसी फेरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आप ऐसे ही खुश न होते रहिए। महिलाएं 1,500 रुपये की तरफ देख रही हैं कि क्या हो रहा है। सरकार ने 1,500 रुपये देने की बात करके उस योजना को दस बार बदल दिया लेकिन महिलाओं को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला और नौजवानों को कुछ नहीं मिला। इसके विपरीत जिन्हें रोजगार मिला हुआ हैं उनके साथ भी किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है?

Chairman : Please wind-up.

श्री बिक्रम सिंह : सभापति महोदय, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के हालात तो बहुत खराब है। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक लड़के की बात है जो आई0पी0एच0 में काम करता है। वहां पर किस प्रकार का माहौल है, हमें यह भी देखने की आवश्यकता है। वह लड़का जल शक्ति विभाग में है, जिसका नाम अनिल कुमार पुत्र सूबेदार रमेश चंद जी है। सूबेदार रमेश चंद जी शहीद हुये थे। उनको कारगिल में

गोली लगी थी और उसके बाद ऑपरेशन रक्षक के दौरान बारामुला में वह शहीद हो गये थे। उनके बेटे को नौकरी मिली है। उनका बेटा या उनके परिवार की हमारे वहां के नेता के साथ सैटिंग नहीं है, इस कारण उसकी दो बार ट्रांसफर हो गई है। उसे आज अपने घर से 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। उसकी मां ने इस संदर्भ में सरकार से आग्रह भी किया है। मैं आपके माध्यम से इस सदन में मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार नेताओं को खुली छूट क्यों दी हुई है? मेरे विधान सभा क्षेत्र के हालात तो इतने ज्यादा खराब हैं कि यदि किसी की ट्रांसफर हो जाती है तो उसे अपने एडजस्टमैंट के लिए

02.09.2026/1715/HK/PB/2

किस प्रकार के पापड़ बेलने पड़ते हैं, आप वह हालत जानते हैं। इसके बारे में आप सभी को पता है। जब हम सब इकट्ठे बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं तो यह बात सामने आती है किकैसे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और कैसे रिश्वत ली जा रही है। सभापति महोदय, मैंने जो आउटसोर्स भर्तियों की बात की है उसमें मैं चाहता हूं कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या यह सच्चाई नहीं है कि आउटसोर्स एजैंसियों के माध्यम से स्टाफ नर्सें रखी जा रही हैं और उनसे लाखों रुपये लिए जा रहे हैं?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जो आरोप लगा रहा हूं, इसकी इन्वैस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर यह सच्चाई है तो उन लोगों को, जिनके बारे में मुख्य मंत्री जी बार-बार यहां खड़े होकर कहते हैं कि उन्हें सलाखों के पीछे ले जाना है। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे ले जाइए। आप उन राजनेताओं के ऊपर लगाम लगाइए जो इस प्रकार के काम करते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने प्रदेश की जनता से और नौजवानों के साथ जो वादा किया है, उसकी वादा खिलाफी हुई है। नौजवानों का शोषण हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर नौजवानों की जो स्थिति है वह पूरे देश के अंदर किसी की भी नहीं है।

आज हिमाचल प्रदेश का नौजवान नौकरी के लिए प्रदेश के बाहर दर-दर भटक रहा है। इसलिए मैं इस सरकार को यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार की आपकी

पॉलिसीज और प्रोग्राम हैं। जिस प्रकार से आप समाज के हर वर्ग को ठगने की कोशिश कर रहे हैं और जिस प्रकार से पूरा समाज दुखी है तो आपके आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं। इसलिए आज ही इस बात की कोशिश कीजिये कि अपनी पॉलिसीज और जो आपने वादे किये हैं, उनके ऊपर काम करने के लिए ध्यान दें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद।

02.09.2026/1715/HK/PB/3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा जी भाग लेंगे।

श्री हरदीप सिंह बावा : सभापति महोदय, नियम-130 के तहत सदन में जो चर्चा पिछले दो दिन से चल रही है उसमें मुझे भी अपने विचार रखने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

यह चर्चा रोजगार गारंटी योजना के ऊपर हो रही है और इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। हम लोग जिस वर्ग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यह वह नौजवान वर्ग है जो हमारी तरफ आंखें टिकाकर देख रहा है। मुझे अपने विधान सभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से विधायक बने हुए अभी केवल दो वर्ष ही हुए हैं। मैंने तीन बार चुनाव लड़ा और तीसरे चुनाव में मुझे सफलता प्राप्त हुई। बहुत सारे नौजवानों के सहयोग और बहुत सारे नौजवानों के समर्थन और आशीर्वाद के चलते

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

02.09.2026/1720/वाई0के0-ए0पी0/-01

श्री हरदीप सिंह बावा जारी .....

मैं आज यहां इस सदन में पहुंचा हूं। आज वह नौजवान पीढ़ी, जो शिक्षित है, पढ़ी-लिखी है और हर इलेक्शन में हमें सहयोग करती है। उन्हें हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं। आज उन्हीं के विषय पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि जहां हम एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं, वहीं चुनाव के समय प्रदेश की सरकार ने रोजगार

देने के लिए जो वादे किए थे। जैसे विपक्ष के लोग कह रहे हैं हमारी सरकार ने पांच लाख नौकरी देने का वादा किया गया था। ऐसे ही हम भी कह रहे हैं कि जब केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी तो बारह वर्ष पहले, उन्होंने हर साल दो करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था, जोकि पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से आरोप-प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन नौजवानों की जो उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं, उनको किस तरीके से पूरा किया जाए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। माननीय श्री बिक्रम सिंह जी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, इंडस्ट्री और लेबर मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हर व्यक्ति, हर नौजवान को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है और यही सत्य है। लगातार देश की आबादी बढ़ रही है और हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। हालांकि हर व्यक्ति यह उम्मीद रखता है कि उसे सरकारी नौकरी मिले, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। फिर भी किस तरीके से इन नौजवानों के लिए हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढें। एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप न करें। हम यहां चुनकर आए हैं। यहां बैठकर हम कोई पॉलिसी बनाएं, कोई नीति बनाएं ताकि आने वाले समय में हम प्रदेश और देश के युवाओं को अच्छा भविष्य दे सकें। इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की बात यहां पर अभी माननीय श्री बिक्रम सिंह जी ने कही है। मैं खुद बी0बी0एन0 क्षेत्र से हूं और बी0बी0एन0 क्षेत्र जो बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़, जिला सोलन की औद्योगिक नगरी है। यहां बड़े-बड़े उद्योग हैं। कोई ऐसा औद्योगिक घराना नहीं होगा जो यहां पर स्थापित नहीं हुआ है। यहां प्राइवेट नौकरियों के तहत बहुत बड़ा रोजगार मिला है। जैसा माननीय पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे, काफी फार्मा और नॉन-फार्मा यूनिट्स यहां पर लगी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को यहां नौकरियां मिली हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों को

02.09.2026/1720/वाई0के0-ए0पी0/-02

भी नौकरी मिली और हिमाचल प्रदेश के अन्य कोनों से आए हमारे युवा साथियों को भी यहां नौकरी करने का मौका मिला है। यहां तक कि प्रदेश से बाहर के लोगों को भी आज बी0बी0एन0 क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में कई जगह, जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहां नौकरी करने का मौका मिला है। आज हिमाचल प्रदेश में उन लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अब, बिक्रम जी,

मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं। क्योंकि आप लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी रहे हैं। मैंने आपके साथ भी काम किया है। जब आप चेयरमैन थे उस समय मैं बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 वेलफेयर बोर्ड का अध्यक्ष भी रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट जॉब भी आज हमारे लोगों के लिए रेगुलर नहीं हैं। हमारे ही देश की सरकारों ने और खास तौर पर, आप बुरा न मानिएगा, लेकिन मोदी सरकार ने चार लेबर कोड बनाए हैं। मैंने पहले भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया था। 44 श्रम कानून थे, जिनके तहत हम श्रमिकों की मांगों और उनके हकों की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में भी अध्यक्ष रहा हूं। उन 44 लेबर कानूनों को जिसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू किए था, उन्हें खत्म करने का काम किया गया और चार नए लेबर कोड बनाए गए। माननीय श्री बिक्रम सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो चार नए लेबर कोड बने हैं, उनमें आज प्राइवेट सेक्टर में भी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था चालू कर दी गई है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि किसी भी उद्योग में जहां कोई व्यक्ति जॉब लेगा, अगर वह आज जॉब पर लगा है, तो दो-से-तीन साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तीन साल बाद कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अगर उसे वापस भी रखना पड़ेगा तो नए तरीके से, दोबारा नई फ्रेश अपॉइंटमेंट करके ही उसे रखा जाएगा। उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी।

श्रीमती ए0वी0 द्वारा जारी .....

02.09.2026/1725/av/ag/1

श्री हरदीप सिंह बावा-------- जारी

कभी जो कन्टीन्यूटी ऑफ सर्विसिज हुआ करती थी, वह आज खत्म हुई है। केंद्र सरकार ने चार लैबर कोड्ज जारी किए। मैं क्योंकि नालागढ़ विधान सभा क्षेत्र से हूं, हर रोज़ लगभग सौ बच्चे रोज़गार लेने के लिए मेरे द्वार पर आते हैं। ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनको हमने 7-8 वर्ष पहले इण्डस्ट्रीज में रोज़गार दिलाया है परंतु हम उनको नियमित नहीं करवा पा रहे क्योंकि इण्डस्ट्रीज में रेगुलेराइजेशन की कोई पॉलिसी नहीं है। हम लोगों को एकत्रित होकर इसके विरुद्ध भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इन चार लैबर कोड्ज को खत्म करना

पड़ेगा अन्यथा आने वाले समय में जॉब गारण्टी की बात तो आप भूल ही जाइए, प्राइवेट सेक्टर में किसी को भी रेगुलर जॉब देना पॉसिबल नहीं होगा। मैं यह तथ्य पर आधारित बात बोल रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उस विधान सभा क्षेत्र से हूं जहां पर आज लाखों बेरोज़गार युवक रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं। मुझे तो कई माननीय मंत्रियों और अपने साथी सदस्यों के जॉब के लिए लगातार फोन आते हैं। उसमें चाहे आई0टी0आई0, डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर हैं। वे बच्चे मेरे तक पहुंचते हैं और मेरा प्रयास रहता है कि हमारे ज्यादा-से-ज्यादा बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिले। परंतु हम नियमित जॉब नहीं दे पा रहे जोकि एक बहुत ही दुःखद बात है। एक वह समय भी था जब हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद यहां पर सरकारों ने कार्य करना शुरू किया। उस समय देश में केवल पब्लिक सेक्टर को जाना जाता था। उस समय बहुत बड़े-बड़े पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइजेज चाहे बी0ए0एल0सी0ओ0, एस0ए0आई0एल0, जी0ए0आई0एल0, बी0एच0ई0एल0, बी0एस0एन0एल0, एच0एम0टी0 वॉचिज, एच0एम0टी0 बीयरिंग्ज, हिन्दुस्तान केबल्ज, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड; यहां तक कि एन0एफ0एल0 जैसे प्रोफिट मेकिंग पी0एस0यूज0 जहां पर श्री बिक्रम ठाकुर जी ने भी अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे-ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद या मर्ज कर दिए गए या प्राईवेटाईज कर दिए गए जिससे देश के लाखों नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। इन प्रोफिट मेकिंग एंटरप्राइजेज को प्राइवेट सेक्टर में देने से देश के युवाओं के साथ कहीं-न-कहीं बहुत बड़ा धोखा हुआ। ये पब्लिक सेक्टर देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद था। पब्लिक एंटरप्राइजेज को प्राइवेटाईज करने से हमारे देश के युवाओं का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम तो अब यह भी सुन रहे हैं कि रेलवे

02.09.2026/1725/av/ag/2

को भी प्राइवेटाईज किया जा रहा है। इस तरह से तो अब रेलवे की नौकरी भी पक्की नहीं रहेगी। रेलवे की नौकरी तो छोड़िए, पहले 'जय जवान, जय किसान' एक बहुत ही प्रतिष्ठित नारा लगाया जाता था। पहले पंजाब में यह नारा लगता था क्योंकि पहले सारा पेप्सू एरिया था। अगर किसी के दो बच्चे होते थे तो यह कहा जाता था कि एक जवान होगा और एक किसान होगा। लेकिन अब दुःख से कहना पड़ रहा है कि वर्तमान भारतीय जनता

पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा जहां किसानों के साथ बहुत बड़ा आघात किया गया क्योंकि उनके खिलाफ तीन-तीन काले कानून लाए गए जिसे लगभग हजारों किसानों की शहीदी के बाद केंद्र सरकार को विड्रॉ करना पड़ा। केंद्र की मोदी सरकार ने 'जय जवान, जय किसान' के नारे को डाइल्यूट करने का काम किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब आर्मी की भर्ती खुलती थी तो हमारे बच्चे कई बार तो अपने घर से बिना बताए झोला उठाकर रामपुर जाते थे क्योंकि उस समय भर्ती आमतौर पर रामपुर में हुआ करती थी। उस समय बच्चे कई-कई किलोमीटर्ज तक दौड़ लगाते रहते थे कि आर्मी की भर्ती है। आज भी हमारे युवा साथी आर्मी में सेवाएं दे रहे हैं। हमारे यहां ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां 25 से 30 प्रतिशत युवा आर्मी में न हो। परंतु आपने अग्निवीर नामक नयी योजना लाकर आर्मी की भर्ती का बंटाधार कर दिया और 'जय जवान, जय किसान' नारे को डाइल्यूट करने का काम किया।

टी सी द्वारा जारी

02.09.2026/1730/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री हरदीप बावा .... जारी

आज यहां कहने को तो बहुत कुछ है, माननीय विक्रम जी आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रहे थे। मैं स्वयं पूर्व की कांग्रेस पार्टी की सरकार में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के समय बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 वेल्फेयर बोर्ड (Building and Other Construction Workers' Welfare Board) का अध्यक्ष रहा हूं। उस समय हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब मैं उस बोर्ड का चेयरमैन था तब बोर्ड में कार्यरत आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों ने आग्रह किया था कि उन्हें नियमित किया जाए। वह बोर्ड एक ऑटोनॉमस बॉडी थी और पैसे की कोई कमी नहीं थी। हमने बोर्ड की मीटिंग में कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव रखा। उस समय हमारे एक उच्च अधिकारी जो सेक्रेटरी थे उनके द्वारा कहा गया कि क्लीयर-कट विजिलेंस का केस बन जाएगा। इस प्रकार हमें डरा दिया गया। वे कर्मचारी उस समय से आज तक आउटसोर्स से नियमित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं परंतु हम उनकी मदद नहीं कर पाए।

सभापति महोदय, प्रदेश में हजारों युवा साथी तथा हमारे बच्चे-बच्चियां आज विभिन्न डिपार्टमैंट्स में आउटसोर्स के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। चाहे पूर्व की श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार रही हो, चाहे धूमल साहब की सरकार रही हो, चाहे वीरभद्र सिंह जी की सरकार रही हो या आज की सरकार हो, सभी सरकारों के समय आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी कार्य करते रहे हैं। इसलिए क्यों न हम सभी इकट्ठे बैठकर कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं और क्यों न विधान सभा की कोई कमेटी बनाई जाए जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी सीनियर विधायक तथा नेता प्रतिपक्ष और मुख्य मंत्री शामिल हों। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ऐसी कमेटी का गठन किया जाए जो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई नीति बनाने का काम करे। हमें इस विषय पर गंभीर होना पड़ेगा। आउटसोर्स का मसला न केवल हमारे समय का है और न आपके समय का है बल्कि सभी सरकारों के समय का है। सभी सरकारों ने इस पर अपना-अपना काम किया है। इन्हें नियमित करने के लिए हमें कुछ-न-कुछ करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, इसलिए हम लोगों को चुनकर यहां भेजने का काम हमारे क्षेत्र के लोगों और नौजवानों ने किया है। आशा वर्कर्स की बात भी यहां हुई है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 2003 से वर्ष 2007 की कांग्रेस सरकार के समय आशा वर्कर्स की

02.09.2026/1730/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

नियुक्ति की गई थी। वर्ष 2007 में सत्ता परिवर्तन हुआ और भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में इन सभी आशा वर्कर्स को बाहर का रास्ता दिखाया गया। पांच वर्ष तक इन आशा वर्कर्स ने संघर्ष किया। ये आशा वर्कर्स मेरे और मेरे संगठन के साथ रहीं। हम हाइकोर्ट से केस जीते और हाइकोर्ट ने उस समय की धूमल साहब की सरकार को आदेश किया कि तीन महीने के अंदर इनको री-इन्स्टेट किया जाए। मैं स्वयं उस समय मुख्य मंत्री धूमल साहब से मिला और मुझे कहा गया कि इन्हें री-इन्स्टेट नहीं किया जाएगा। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। उस समय कहा गया कि न सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न इनको लगाएंगे क्योंकि ये कांग्रेस के लोग हैं। वर्ष 2012 में सत्ता परिवर्तन

हुआ और पहली कैबिनेट मीटिंग में आशा वर्कर्स को रीइन्स्टेट करने का काम यदि किसी ने किया तो वह वीरभद्र सिंह की सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया।

इसके बाद प्रदेश में जल शक्ति विभाग के माध्यम से लगे वाटर कैरियर के लिए भी उस समय की सरकार ने पॉलिसी बनाई। लगभग 7,000 लोग हमारे संगठन और इंटेक के साथ जुड़े थे और उन 7,000 लोगों के लिए पॉलिसी बनाने का काम किया गया। आज वे सभी लोग रेगुलर हैं।

सभापति महोदय, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय कम है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी सीनियर सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई स्थायी नीति बनाने की दिशा में गंभीरता से विचार किया जाए। एक-दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय आउटसोर्स के लिए कोई नीति बनाएं तथा अपने प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने और पक्की नौकरी देने का काम करें ताकि आने वाले समय में हमारे लोगों और प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुनहरा हो।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

02.09.2026/1730/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

सभापतिः धन्यवाद। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री आशीष शर्मा जी हिस्सा लेंगे। माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जो समय निर्देशित किया गया है उसका कृपया ध्यान रखें।

2-9-2020/1735/NS-AG/1

श्री आशीष शर्मा : इससे पहले सभी ने समय लिया है तो 10-15 मिनट तो ज्यादा लगेंगे।

सभापति : तभी मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि इसको थोड़ा संक्षेप में बोलें।

श्री आशीष शर्मा : सभापति महोदय, नियम-130 के तहत जो प्रस्ताव माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी और अन्य माननीय सदस्यों ने रखा है उसमें मुझे भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं।

आज बेरोजगारी प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है। सभापति महोदय, Periodic Labour Force Survey वर्ष 2024-25 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग की बेरोजगारी दर बढ़कर 19.8 प्रतिशत हो गई है जबकि राष्ट्रीय औसत दर 9.9 प्रतिशत है और प्रदेश की दर उससे दुगनी है और यह गंभीर चिंता का विषय है।

मुझसे पहले भी माननीय सदस्यों ने यहां बेरोजगारी के ऊपर अपनी-अपनी बात आंकड़ों सहित रखी है। कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तो साल में 1 लाख पक्की नौकरी और 5 वर्ष में 5 लाख नौकरी देने के वायदे के साथ आई थी लेकिन आज स्थिति यह हो चुकी है कि जो डिपार्टमैंट्स हैं उनमें पद नहीं भरे जा रहे हैं। जिस तरह से यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने आंकड़े रखे हैं कि हजारों की संख्या में सारे पद खाली पड़े हुए हैं। प्रदेश के युवाओं के हालात बिगड़ चुके हैं और सरकार केवल और केवल आंकड़ों में युवाओं को उलझाने में लगी हुई है। पिछले चार वर्षों में लगभग हर कैबिनेट मीटिंग के बाद एक न्यूज़ फ्लैश की जाती है, चाहे वह समाचार पत्रों के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो कि सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। अभी 4 वर्ष हो गए हैं और मुझे लगता है कि युवा उस पिटारे का इंतजार कर रहे हैं लेकिन युवाओं को केवल और केवल धोखा मिला है।

मैं कहता हूं कि प्रदेश सरकार को युवाओं के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए कि युवाओं को कितनी रेगुलर जॉब्स दी गईं, कितनी परमानैंट अप्वायंटमैंट्स की गईं और वास्तविक एवं सम्मानजनक रोजगार कितने युवाओं को दिया गया? सरकार को प्रदेश के समक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए। आज का युवा नोटिफिकेशन,

2-9-2020/1735/NS-AG/2

एग्जामिनेशन और अप्वायंटमैंट का इंतजार कर रहा है और अगर उसको कुछ मिल रहा है तो केवल और केवल धोखा मिल रहा है तथा उसे आंकड़ों में उलझाकर रखा गया है।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने थोड़ी देर पहले यहां कहा कि हमने हि0 प्र0 कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर को भंग कर दिया क्योंकि पेपर लीक हो रहे थे। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे कान या नाक में दर्द हो तो उसका इलाज किया जाता है, सिर नहीं काटा जाता। कान व नाक का इलाज किया जाता है। लेकिन यहां क्या किया गया? सत्ता में आते ही तुगलकी फरमान दे दिया कि हमीरपुर वाले सर्विस सलैक्शन कमीशन को भंग कर दिया जाए। हम भी उसके पक्ष में हैं कि अगर पेपर लीक हुए हैं और जिसने भी यह जघन्य अपराध किया है तो उसको कड़ी-से-कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसको जो सजा हो सकती है और जो सजा का प्रावधान हो सकता है उसको कड़ी-से-कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में युवाओं के के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न हो। सरकार को चाहिए था कि वहां पर उसी इंस्टीच्यूट को स्ट्रैंथन करती, एक्स्ट्रा मैनपावर देती, एडिशनल मैनपावर देती, सी0बी0टी0 जो कंप्यूटर बेस्ड टैस्ट है वह शुरू करती और नई भर्तियां करती लेकिन सरकार केवल और केवल समय काटती गई, सोती रही। जिन बच्चों ने अढ़ाई वर्ष तैयारी की, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई, जिन्होंने एग्जामिनेशन की कोचिंग ली, उनको क्या मिला? उनको वहां भी 2 वर्षों का इंतजार मिला। उसके बाद अब जाकर पेपर शुरू हुए हैं। यह कहना कि हमने बहुत बढ़िया काम किया है और हमने आते ही इसे भंग कर दिया है, यह कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन होता है उस चीज को स्ट्रेंथन करना। अगर कार्रवाई करनी है तो आप कार्रवाई कीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं।

सभापति महोदय, हम समझ सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र में इतना रोजगार देना संभव नहीं है लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में क्या चल रहा है? सरकार के मंत्रियों ने करीब 22 करोड़ रुपये विदेश यात्राओं पर खर्च किए। आप हिमाचल प्रदेश में कितना एफ0डी0आई0 लेकर आए और कितना विदेशी निवेश आया, आप इसकी जानकारी दें? हालात यह हैं कि मुझसे पहले नालागढ़ के माननीय विधायक ने भी बी0बी0एन0 के बारे में यह बात रखी है।

2-9-2020/1735/NS-AG/3

आज स्थिति यह है कि विप्रो, हिंदुस्तान लीवर और क्लासिक कंटेनर्स जैसी कंपनियां या तो बंद हो गई हैं या प्रदेश छोड़कर चली गई हैं। युवाओं को रोजगार कहां से मिलेगा और ये कंपनियां क्यों चली गई हैं? आपकी कूनीतियां और आपके कुप्रबंधन के कारण

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

02.09.2026/1740/RKS/As-1

श्री आशीष शर्मा जारी....

इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी हो चुके हैं और युवाओं को रोजगार देना तो बहुत दूर की बात है। आज युवा सम्मानजनक रोजगार चाहता है। हम सबको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या 5,000 से 6,000 रुपये प्रतिमाह में कोई युवा सम्मानजनक जीवन-यापन कर सकता है या नहीं, यह हम सबके सोचने का विषय है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित टैक्निकल यूनिवर्सिटी में पिछले 13 दिनों से विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। संबंधित मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। विद्यार्थियों की केवल इतनी मांग है कि वहां रेग्युलर वाइस चांसलर और डीन की नियुक्ति की जाए। पिछले दो वर्षों से वहां वाइस चांसलर नहीं है। बच्चे अपनी समस्याएं किसी के समक्ष व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि वहां होटल मैनेजमैंट के कोर्स में प्रैक्टिकल करने के लिए विद्यार्थियों को आलू, प्याज और टमाटर तक अपने घरों से लाने पड़ते हैं। दूसरी ओर जिस भी वाइस चांसलर को वहां जिम्मेदारी दी गई है वह सैक्रेटरी लैवल का व्यक्ति है और उसके कार्यकाल में 12,50,000 रुपये के गमले लगाए गए लेकिन विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल के लिए धन उपलब्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि इन परिस्थितियों की ओर मंत्री महोदय तथा मुख्य मंत्री को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यह उनका गृह जिला भी है। यदि वहां इस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। श्री सुरेश कुमार जी भी Board of Directors के

सदस्य हैं और इस समय सदन में उपस्थित हैं। मैं इनका भी ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में मैंने एक प्रश्न लगाया था जिसमें मैंने पूछा था कि हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र के कितने युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया गया है? मैंने नाम तथा पते सहित जानकारी मांगी थी। मुझे उत्तर में लगभग 439 व्यक्तियों का आंकड़ा दिया गया जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्ज़, आंगनबाड़ी हैल्पर, पैराफिटर और पंप ऑपरेटर्ज आदि का विवरण शामिल था। मुझे यह आंकड़ा केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे जिले का दिया गया है। यदि यही सत्य है तो यह अत्यंत चौंकाने वाला आंकड़ा है। यदि हमीरपुर जिले में पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान केवल 400 से 500 लोगों को रोजगार मिला है तो पूरे प्रदेश का आंकड़ा कितना होगा? पूरे प्रदेश में यह आंकड़ा 5,000 से 6,000 से अधिक नहीं होगा। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश के युवाओं को केवल गुमराह किया जा रहा है। आउटसोर्स के नाम पर सरकार ने पक्की नौकरियों का पिटारा बंद रखा हुआ है और मुझे लगता है कि अब समय भी बीत गया है

02.09.2026/1740/RKS/As-2

और वह पिटारा बंद ही रहेगा। इसी सत्र के दौरान मुख्य मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में मुझसे कहा था कि "यदि किसी को पीड़ा होती है तो उसका बेचैन होना स्वाभाविक है और जब पीड़ा हुई है तो बेचारे ने सवाल तो पूछना ही है।" मैं माननीय सदन के नेता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दो दिन पहले आपने यह शब्द प्रयोग किया है कि 'बेचारे को पीड़ा होती है।' मुख्य मंत्री जी बेचारा तो वह होता है जिसका कोई सहारा न हो। मेरा सहारा वह नीली छतरी वाला परमात्मा, तीनों लोकों के नाथ विश्वनाथ जी और हमीरपुर की देवतुल्य जनता है जिन्होंने मुझे पुनः यहां चुनकर भेजा है। इसलिए यह कहना कि बेचारे को सहारा नहीं है या जो भी उन्होंने कहा है, वह उचित नहीं है। जहां तक पीड़ा की बात है उसके लिए मैं मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि पीड़ा तो उन्होंने पूरे प्रदेश को दे रखी है। पीड़ा उन्होंने प्रदेश के युवाओं को दी है, माताओं को दी है और महिलाओं को दी है। पीड़ा तो उससे पूछिए जो आज हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है और वहां उसका हिमकेयर कार्ड नहीं चल रहा है। पीड़ा तो उससे पूछिए जो कैंसर पेशेंट है और बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसे सहारा योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। वास्तविक पीड़ा तो वह झेल रहा है। मुझे भी इन्होंने कुछ पीड़ा अवश्य दी है लेकिन ईश्वर ने मुझे उस पीड़ा को सहन

करने की शक्ति भी दी है। पीड़ा देना इनके हाथ में हो सकता है परंतु उसे सहन करने की ताकत परमात्मा देता है। उसी परमात्मा ने मुझे वह शक्ति और आयु प्रदान की है और हमने वह पीड़ा सहन भी की है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगर आने वाले समय में इन्हें किसी प्रकार की पीड़ा हो तो भगवान इन्हें उससे उबरने की शक्ति दे। सद्बुद्धि के लिए तो हम हर समय प्रार्थना करते ही हैं।

सभापति : माननीय सदस्य कृपया वाइंड-अप करें।

श्री आशीष शर्मा : सभापति महोदय, अभी तो केवल 9 मिनट ही हुए हैं। मुझसे पहले श्री हरदीप सिंह बावा जी ने 15 मिनट तक अपने विचार रखे हैं। हम सभी विधायक जनता द्वारा चुनकर यहां आए हैं। दो दिन पूर्व श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने भी इस सदन में अपना वक्तव्य रखा था। सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर निरंतर कार्य करते हैं तथा दिन-रात जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं। सभापति महोदय, चाहे विधान सभा के भीतर की बात हो या बाहर की अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं। हम लोग भी

श्री बी0एस0द्वारा जारी

02.09.2026/1745/बी.एस./ए.एस.-1

श्री आशीष शर्मा जारी...

सभापति महोदय, हम लोग भी अपने-अपने क्षेत्र के लिए जनता की सेवा और परमात्मा की सेवा के उद्देश्य से चले हैं अगर आज का युवा राजनीति में आया है तो वह किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं आया है। वह जनता की सेवा के लिए आया है और दिन-रात जनता की सेवा के लिए तत्पर है।

सभापति महोदय, मैं यहां सभा पटल पर अपने पिछले चार वर्षों का बैंक स्टेटमैंट भी रखता हूं। मुझे आज दिन तक 1.4 करोड़ रुपये वेतन मिला है। मैंने एक-एक रुपया टी0ए0 और डी0ए0 अलाउंस भी जनता की सेवा में और उनके चरणों में अर्पित किया है।

हालांकि यह बात अलग है। अगर इसकी भी बिजनैस जांच करवानी हो तो इसकी भी जांच करवा लें। हालांकि मैं मुख्य मंत्री जी की तरह इतन दानी नहीं हूं इन्होंने 51 लाख रुपये दिए और कहा कि मैंने पूरे जीवन का जो पैसा है वह जनता को समर्पित किया है। लेकिन जितना सामर्थ्य और सहयोग हमसे हो सकता है उतना हमने जनता की सेवा में और हमीरपुर विधान सभा क्षेत्र की जनता की सेवा में लगाया है। जिस दिन तक हम राजनीति में हैं उस दिन तक इसी उद्देश्य से आए हैं कि जनता की सेवा कर सकें।

सभापति महोदय, एक चीज और इस सदन में देखने को मिलती है। अब तो मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं नया-नया आया हूं। अब तो दूसरी बार का विधायक हूं। मेरा सौभाग्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से यहां चुनकर आया हूं।

लेकिन एक चीज जरूर देखने को मिली है कि अगर आप सौ बार असत्य को सत्य बोलेंगे तो वह सत्य हो जाएगा। कोई तथ्यों के ऊपर बात करे तो उसको चुप करा दिया जाता है। हम नए-नए जरूर आए थे लेकिन अब दूसरी बार के विधायक हैं। इसलिए आज मुझे मौका मिला है तो मैं अपनी बात जरूर बोलूंगा।

सभपति महोदय, अभी दो दिन पहले प्रश्न लगा था। यहां उप-मुख्य मंत्री महोदय भी बैठे थे और वे इतने आत्मविश्वास के साथ यहां असत्य बोल रहे थे कि मुझे बैकफुट पर होना पड़ा। मुझे लगा कि वाकई अगर जमीन ली गई है और जो भी एक्वायर की गई है तो इसमें क्या झूठ है?

02.09.2026/1745/बी.एस./ए.एस.-2

हम पब्लिक फिगर हैं। मुख्य मंत्री जी और सभी विधायक भी पब्लिक फिगर हैं। इसलिए सबके चिट्ठे खुलने चाहिए कि किसने क्या किया। अगर सरकारी कोष से पैसा लिया गया है तो उसके बारे में भी तथ्य सामने आने चाहिए। 18 लाख रुपये सरकारी कोष से लिए गए हैं। मुख्य मंत्री जी यहां खड़े होकर कहते हैं कि मैंने तो 10 बीघा जमीन दी है। मैं यह बात सभा पटल पर रखना चाहता हूं कि एक कनाल 18 मर्ले यानी एक बीघा से कम भूमि एक्वायर की गई और उसके लिए 18 लाख रुपये लिए गए।

सभापति : माननीय सदस्य, आप प्रस्ताव पर बोलें।

श्री आशीष शर्मा : सभापति महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं युवाओं पर आ रहा हूं, युवाओं की बात पर आ रहा हूं। 18 लाख रुपये उस भूमि के लिए लिए गए और उप-मुख्य मंत्री जी यहां कहते हैं कि यह तो बीजेपी के समय में हुआ है। वह बात भी मैं सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

30 दिसंबर, 2022 को डिप्टी कमिश्नर, हमीरपुर द्वारा कहा गया कि उस पैसे को जारी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, 11 दिसंबर, 2022 को मुख्य मंत्री जी ने शपथ ली थी। यह सोचने का विषय है कि पहले ओ0पी0एस0 दिया गया था या यह पैसा लिया गया था। यह भी सोचने वाला विषय है।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी की ईमानदारी के ऊपर कोई प्रश्नचिह्न नहीं करता हूं। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और मैं भी उनकी कद्र करता हूं। लेकिन जब लोग हमारे पास कागज दिए जाते हैं तो मुझे यह लगता है कि ये कागज झूठे हैं या मुख्य मंत्री जी यहां झूठ बोल रहे हैं।

सभापति : माननीय सदस्य, विषय पर बोलिए।

श्री आशीष शर्मा : इसलिए अध्यक्ष महोदय, पूरे समाज के सामने यह कहना कि हमसे बढ़िया और हमसे बेहतर कोई नहीं है तथा दोहरा चरित्र दिखाना गलत बात है। जो सत्य है उसको कोई नहीं छिपा सकता है। सत्य कोई-न-कोई दिन प्रतिबिंब के रूप में आपके समक्ष आकर खड़ा होता ही है।

02.09.2026/1745/बी.एस./ए.एस.-3

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश का युवा और प्रदेश की जनता आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। दुर्गा सप्तशती में एक स्तोत्र और मंत्र है:-

"यं यं चिन्तते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चिता।"

और यह प्रदेश की जनता के दिमाग में चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं वे आने वाले समय में किस तरह के होने वाले हैं।

सभापति महोदय, अंत में एक शेर बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगाः-

"लश्कर भी तुम्हारा है,सरदार तुम्हारा है,
तुम झूठ को सच लिख दोअखबार तुम्हारा है।"
इस दौर के फरियादी जाएं, तो कहां जाएं?
कानून तुम्हारा है और दरबार तुम्हारा है।
सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती।
सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती।
एक मोम के पुतले-सा किरदार तुम्हारा है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अब देखिए कि मुख्य मंत्री जी आ गए हैं तो थोड़ी-सी पीड़ा इनको भी हो गई है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, हर-हर महादेव।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

02.09.2026/1750/DT/HK-1

मुख्य मंत्रीः सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो विधायक जी बोल रहे हैं उनको तकलीफ तो होगी ही। अभी तो थोड़ी-सी स्टार्ट हुई है। यह एक बात बार-बार बोलतें हूं कि ऐसा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस केस की ये बात करते हैं उसमें एक कनाल या एक बीघा जमीन जो भी जगह ली गई है- माननीय सदस्य आप तो दस बीघा बोल रहे हैं- जितनी भी जगह ली गई है, आपने यह नहीं बताया कि हमने कोर्ट में स्टे लिया था कि यह जगह हम देना नहीं चाहते क्योंकि बिक्रम ठाकुर जी ने उस समय इसका उद्घाटन करना था और आधा टैंक वहां बना दिया गया था। पहली बात तो यह है। उसके साथ ही उसको कोर्ट से स्टे मिला और जब कोर्ट से स्टे मिला कोर्ट तो कोर्ट के ऑर्डर माने गए हैं।

माननीय सदस्य आप कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री 11 दिसंबर को गए, ढाई लाख रुपये आए या तीन लाख रुपये आए, अगर आप को ऐसा लगता है तो आप कानून का सहारा लो। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य को नॉलेज की कमी है और अगर ज्यादा नॉलेज न हो तो नॉलेज ले लेनी चाहिए। इस मामले में कोर्ट में स्टे हुआ और छह महीने तक स्टे रहा। कोर्ट के बाद भाई साहब का एक शेर मेरे पास था। इस प्रकार की बातें आपने करनी हैं और इस प्रकार के फैक्ट्स रखने हैं तो फैक्ट्स रखो न कि कोर्ट में केस था और कोर्ट से स्टे हुआ है। ...(व्यवधान) बस नॉलेज की है। ...(व्यवधान) वैसे मैं विधायक जी की नॉलेज पर भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोर्ट में जल शक्ति विभाग का वकील गया होगा जब यह मामला कोर्ट में गया तो उनके विभाग से उनका वकील खड़ा होगा। उनके वकील ने बोला होगा कि यह जगह चाहिए हमको। हमने तो जगह के खिलाफ स्टे लिया है। वहां पैसे का मूल्य तय हुआ होगा कि आप पैसा दोगे कि नहीं दोगे। कोर्ट में हम स्टे लेने गए हैं कि हमारी जगह पर टैंक बना दिया है। हमें इसका कब पता लगा जब वहां के लोगों ने हमें बोला। वहां तो आप माइनिंग के किंग हैं। आपको तो पता है कि वहां कितना रेता है और भुट्टो का क्रेशर वहां साथ ही में लगा है। भुट्टों के क्रेशर में हमारी जमीन से ही रेता निकला जाता है। आपके जिस मित्र श्री ज्ञानचंद जी को अरेस्ट करवाया गया था एक साल के लिए वह जेल में रहे उस समय इस जमीन की भी पैमाइश हुई। अब इनके कुकर्मों की सजा इनको मिल रही है। हम उसके फैक्ट्स ला रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट से हारे और हाई कोर्ट में हारे। हमनें इनके साथ लीनीऐंसी रखी लेकिन इन्होंने अपने भाई और चाचा को ही अंदर करवा दिया। जब इनके चाचा और भाई अंदर हुए तो हमने बोला

02.09.2026/1750/DT/HK-2

इनको ज्यादा अंदर क्यों करना है और वे बेचारे चौदह दिन अंदर रहे। इनको लोअर कोर्ट से इनको सजा हुई। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि आप जिस मर्जी एजेंसी से जांच करवा लीजिए, हम जो लोग हैं हम कभी भी राजनीतिक विरोध से कार्य नहीं करते हैं परंतु प्रदेश की संपदा को लूटने भी नहीं देंगे। एक बात और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बार-बार इस बात को कहते रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि बार-बार बात करने की बजाय आप इसे क्लैरिटी से बताएं कि यह केस कोर्ट में चला था और कोर्ट ने फैसला किया है। यह राजनीतिक तौर पर बदनाम करने की कोशिश की है और कहते

हैं कि हम दाह करेंगे। आप जितना मर्जी कर लीजिए। हमनें राजनीति में अपने आप को बिल्कुल ईमानदार और पारदर्शी रखा है। हम पर उंगली वह उठाए जो ईमानदार हो। आप क्या से क्या बन गये वह हम जानते हैं। धन्यवाद।

सभापति : अब इस प्रस्ताव चर्चा करेंगे माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन जी। ...(व्यवधान) आशीष जी, इस इश्यू पर बहुत बार चर्चा हो गई है। इसी सत्र के दौरान भी इस इश्यू पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। कृपया प्रस्ताव को आगे बढ़ने दें। मलेन्द्र राजन जी। ...(व्यवधान) प्लीज, आशीष जी। मलेन्द्र जी आप बोलें।

श्री मलेन्द्र राजन श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

02.09.2026/1755/एच.के.-एन.जी./1

सभापति के पश्चात......... जारी

श्री मलेन्द्र राजन : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव रोजगार से संबंधित विषय में इस माननीय सदन के अंदर लाया गया है, उस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, निश्चित तौर पर यह हिमाचल प्रदेश के युवाओं से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। पिछली बार भी जब स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा हुई थी और हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा चर्चा लाई गई थी, उस समय भी मैंने अपील की थी कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार—ये तीनों विषय हिमाचल प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें इस प्रकार की महत्वपूर्ण चर्चाओं में विषय से भटकना नहीं चाहिए। हम यहां हिमाचल प्रदेश के युवाओं की बात कर रहे हैं। पिछले साढ़े तीन वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा और माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू के द्वारा हिमाचल प्रदेश के युवाओं के हित में, जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, जो फैसले लिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर वे युवाओं के हित में हैं। आज हिमाचल प्रदेश के

युवाओं की पैरवी करने के लिए प्रदेश को एक ऐसा मुख्य मंत्री मिले हैं, जो हर कमजोर वर्ग के बारे में सोच रहे हैं, हर गरीब व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं और गांव में बैठे उस व्यक्ति के बारे में भी सोच रहे हैं कि किस प्रकार उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि रोजगार के इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें राजनीति करने के बजाय सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। यदि हमारे विपक्ष के साथी इस विषय पर सरकार को कोई सकारात्मक सुझाव दें, जिससे हमारे नौजवानों का भला हो, तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा उचित होगा।

02.09.2026/1755/एच.के.-एन.जी./2

सभापति महोदय, मुझसे पूर्व विपक्ष के कुछ साथियों ने अपनी बातें रखीं, जिन्हें मैंने बड़े गौर से सुना। उन्होंने यहां पर बहुत सी बातों का जिक्र किया। मेरे आदरणीय साथी श्री प्रकाश राणा जी भी पिछले कल बोल रहे थे। वे अच्छा बोलते हैं और अच्छे सुझाव भी देते हैं। लेकिन रोजगार के इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने भी ऐसा कोई ठोस और सकारात्मक सुझाव नहीं दिया, जिससे हिमाचल प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार कोई बेहतर व सकारात्मक कदम उठा सके। उन्होंने यहां पर सत्ता पक्ष को कहा कि विपक्ष को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन विपक्ष के साथियों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके नेता, जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, आज़ादी के बाद हिन्दुस्तान को शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने सत्ता में आते ही यह बात कही थी कि हम लोग कांग्रेस पार्टी, जोकि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री पद पर बैठते ही यदि कोई यह कहे कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को पूरी तरह समाप्त कर देंगे तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। इसलिए विपक्ष के साथियों को हमारे नेताओं के बारे में बात करने से पहले अपने नेताओं के ऐसे बयानों की तरफ भी देखना चाहिए।

सभापति महोदय, आज प्रदेश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा हमारे युवाओं की बेरोजगारी का है। जब हम अपने युवाओं की बात कर रहे हैं और जो प्रदेश की आर0डी0जी0 बंद हुई है, तो मैं समझता हूं कि उससे भी प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान वित्तीय तौर पर तो हुआ ही है लेकिन रोजगार के साधनों को उत्पन्न करने के प्रयासों को भी झटका लगा है। इसलिए हमारे विपक्ष के साथियों को इस पहलू पर भी अपनी बात रखनी चाहिए।

02.09.2026/1755/एच.के.-एन.जी./3

सभापति महोदय, यहां पर बार-बार गारंटियों की बात हो रही है। इसके अलावा इस बात का भी जिक्र आया कि केंद्र सरकार ने दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। यदि हम इस आंकड़े को हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में देखें, तो देश की कुल आबादी में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 0.57 प्रतिशत बनती है। अगर 2 करोड़ रोजगार

पी0बी0 द्वारा......जारी

02.09.2026/1800/पीबी/वाई के0-1

श्री मलेंद्र राजन जारी...

मिलता तो आज यह आंकड़ा लगभग 14 करोड़ तक पहुंचता है और उसमें हिमाचल प्रदेश का हिस्सा लगाया जाए तो मेरा मानना है कि अब तक प्रदेश के युवाओं को लगभग 12 से 14 लाख नौकरियां केंद्र सरकार के माध्यम से मिल जानी चाहिए थीं। जबकि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा ही लगभग साढ़े 6 लाख के करीब है। मेरा मानना है कि एक-दूसरे पर दोषारोपण करने या टीका-टिप्पणी करने के बजाय यदि हम समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से अनेक सकारात्मक परिणाम सामने

आएंगे और युवाओं का भी भला होगा। सभापति महोदय, हम भी सामान्य परिवारों से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं और हमने भी बेरोजगारी की मार झेली है। हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां अधिकांश परिवार मध्यम वर्ग से संबंध रखते हैं। हमारे माता-पिता हमें पढ़ाते-लिखाते हैं और उनकी भी यही अपेक्षा होती है कि उनके बच्चे सरकारी नौकरी प्राप्त करें तथा अपना भविष्य सुरक्षित बनाएं। जब मैंने गवर्नमैंट पॉलीटैक्निक हमीरपुर से डिप्लोमा किया और उसके बाद बी0टैक की पढ़ाई पूरी की तब मेरे माता-पिता की भी यही इच्छा थी कि मैं सरकारी नौकरी प्राप्त करूं। उस समय हम रोजगार की तलाश में थे लेकिन नौकरी नहीं मिली। भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। आज इंदौरा विधान सभा क्षेत्र की सम्मानित जनता के आशीर्वाद से मैं इस विधान सभा में पहुंचा हूं। सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश जब से अस्तित्व में आया है केंद्र सरकार पर काफी हद तक निर्भर रहा है। आज केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है उसने उन संस्थानों को कमजोर किया है जो पूरे देश में युवाओं को सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाते थे। रेलवे विभाग ऐसा ही एक प्रमुख विभाग था जो बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देता था। आज उसकी स्थिति क्या कर दी गई है? इसी प्रकार देश के एयरपोर्ट भी निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। कुछ समय पूर्व मैं पार्टी कार्यों के सिलसिले में लद्दाख गया था। लेह से लद्दाख तक लगभग चार घंटे की यात्रा के दौरान मेरे पास बी0एस0एन0एल0 तथा एयरटेल, दोनों कंपनियों की सिमें थीं लेकिन लेह से पद्दुम जगह तक किसी भी कंपनी का नेटवर्क उपलब्ध नहीं था। जानकारी लेने पर पता चला कि वहां केवल जियो का नेटवर्क कार्य कर रहा है। सभापति महोदय, जब हम अपने उन सरकारी संस्थानों को जो हमारे युवाओं को सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, बंद करके निजी हाथों में सौंपना प्रारंभ कर देंगे तो मैं समझता हूं

02.09.2026/1800/पीबी/वाई के0-2

कि हम अपने प्रदेश के युवाओं का और न ही देश के युवाओं का भला कर पाएंगे। प्रदेश के संदर्भ में मैं कुछ और बातें भी सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। आज यहां अनेक उद्योगों का उल्लेख किया गया है। मैं विशेष रूप से अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा और मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वर्ष 2023 में हमारे विधान सभा क्षेत्र में इन्होंने पेप्सिको की एक बड़ी वेवरेज कम्पनी का शिलान्यास किया । आज वह कंपनी वहां पर

कार्य कर रही है और लगभग 1,000 युवा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उस पेप्सिको कंपनी में कार्य कर रहे हैं। पिछले साढ़े तीन वर्षों में हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंदर लगभग 23 इंडस्ट्रीज़ और भी स्थापित हुई हैं तथा वहां युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लेकिन मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में समय-समय पर मेगा जॉब फेयर

श्री ए0पी0द्वारा जारी

02.09.2026/1805/वाई0के0-ए0पी0/-01

श्री मलेन्द्र राजन जारी .....

और स्किल-टू-जॉब कैंप लगाए जाएं। इसके साथ-साथ जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सिस्टम हैं, उनको भी सुदृढ़ किया जाए। कई बार हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर लोगों की जरूरत होती है। अगर उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से रोजगार दिया जाए तो इससे भी युवाओं को काफी लाभ मिल सकता है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के युवाओं का एक डेटा कलेक्ट किया जाए, जिसमें यह पता हो कि किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से युवा हैं और वहां पर किस तरह की इंडस्ट्री का स्कोप है। उसी हिसाब से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की मैपिंग की जाए। इससे भी हम काफी हद तक युवाओं का भला कर पाएंगे। मेरा सरकार से यह भी आग्रह है कि रोजगार के लिए डिस्ट्रिक्ट और कंस्टीट्यूएंसी एम्प्लॉयमेंट एक्शन प्लान तैयार किया जाए। जिसमें यह स्पष्ट हो कि कितने युवा बेरोजगार हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका स्किल प्रोफाइल क्या है, किस सेक्टर में रोजगार की संभावना है, कितने युवाओं को ट्रेनिंग दी गई और कितनों को वास्तव में रोजगार मिला। इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं स्पष्ट रूप से यह भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल के युवा हमारी सरकार की सबसे बड़ी ताकत हैं। हमें ऐसा हिमाचल का निर्माण करना है, जहां युवा नौकरी के लिए लाइन में खड़े न हो बल्कि अफसर उसके दरवाजे तक पहुंचे। जहां हमारा युवा मजबूरी में प्रदेश से बाहर न जाए बल्कि दूसरे राज्यों के युवा हिमाचल में अवसर तलाशने आएं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगा -

च्हुनरमंद हाथों को जब अफसर का साथ मिलेगा,

हिमाचल का हर युवा अपने पैरों पर खड़ा मिलेगा।छ

इसी सोच के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी प्रदेश में दिन-रात कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे विपक्ष के साथियों को राजनीति करने के लिए बहुत से विषय मिलेंगे, लेकिन ये जो संवेदनशील विषय हैं - चाहे हिमाचल प्रदेश के युवाओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो - इसमें हम लोगों को सकारात्मक

02.09.2026/1805/वाई0के0-ए0पी0/-02

सहयोग एक-दूसरे का करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज बेरोजगारी के साथ युवाओं को नशे से दूर रखना है, नशे से बचाना है। उस दिशा में भी मुख्य मंत्री जी प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस विधान सभा के हमारे प्रत्येक सम्मानित साथियों को इस मसले पर भी प्रदेश सरकार और मुख्य मंत्री जी के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर खड़ा रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

02.09.2026/1805/वाई0के0-ए0पी0/-03

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह (निक्का) जी हिस्सा लेंगे।

श्री रणवीर सिंह (निक्का) : सभापति महोदय, आपने मुझे नियम-130 के अंतर्गत चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। सदन के अंदर रोजगार के ऊपर जो चर्चा लगी है, उसमें मैं अपने नूरपुर की बात कहूंगा। नूरपुर में लगभग 1,76, 525 के करीब आबादी है, जिसमें 15-से-29 वर्ष के हमारे युवा लगभग 47,500 के करीब हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 17 लाख 17 हजार के करीब हमारे युवा हैं। पूरे प्रदेश में 35 प्रतिशत भागीदारी हमारे युवाओं की है। प्रदेश की सरकार ने सत्ता हासिल करने से पहले प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि पांच साल के अंदर पांच लाख रोजगार और पक्की नौकरियां देंगे और एक साल के अंदर

एक लाख नौकरियां देंगे। मगर पौने चार साल का समय बीत गया और प्रदेश का नौजवान नौकरी के इंतजार में है।

श्रीमती ए0वी0 द्वारा जारी .....

02.09.2026/1810/av/ag/1

श्री रणवीर सिंह (निक्का) क्रमागत

सरकार का पौने चार वर्षों का कार्यकाल बिल्कुल विफल रहा है। प्रदेश में युवा नशे की ओर बढ़ रहा है परंतु प्रदेश सरकार उनको बचाने में असमर्थ साबित हो रही है। यहां तक कि प्रदेश सरकार के अनेकों कर्मचारी नशा सप्लाई करने में संलिप्त पाए गए। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को रोज़गार देने की बात तो छोड़िए उलटा नौजवानों का ध्यान भांग की खेती की तरफ आकर्षित किया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं के ऊपर अनेकों मामले दर्ज किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का ध्यान बेरोज़गार युवकों को रोज़गार देने की ओर न होकर लॉटरी की तरफ है। प्रदेश का युवक तो पहले से बेरोज़गार है। परंतु सरकार द्वारा उनको रोज़गार देने की तरफ कदम उठाने की जगह यहां पर लॉटरी खोलकर वह युवाओं का ध्यान भटकाकर उनको बेरोज़गारी की तरफ धकेल रही है, जिसकी मैं निन्दा करता हूं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में काम किया। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को रोज़गार देने के उद्देश्य से मुख्य मंत्री 'स्वावलम्बन योजना' शुरू की थी। प्रदेश में युवाओं को ट्रैक्टर, शटरिंग, वैल्डिंग, कार-पैंटर इत्यादि के नाम पर मुख्य मंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत सब्सिडी पर लोन दिया जाता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने वह योजना बंद कर दी और अब हमारे लोगों को रोज़गार तथा सब्सिडी नहीं मिल रही है।

अगर मैं प्रदेश में स्थापित उद्योगों की बात करूं तो वर्ष 1980 में जिला सिरमौर में राजवन में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया के द्वारा एक उद्योग लगाया गया था। उसके बाद जिला

बिलासपुर के बरमाणा में ए0सी0सी0 द्वारा वर्ष 1984 में सीमेंट का प्लांट लगाया गया था। इसी तरह से जिला सोलन के दाड़लाघाट में अम्बुजा कम्पनी द्वारा वर्ष 1995 में सीमेंट प्लांट लगाया गया था, जिसकी परमिशन वर्ष 1990 में मिली थी। वर्ष 1990 के बाद अब वर्ष 2026 समाप्त होने वाला है परंतु सरकार प्रदेश में कोई उद्योग लेकर नहीं आई। अगर जिला सोलन की बात की जाए तो वहां पर इण्डस्ट्रीज लगने से हमारे प्रदेश के अनेकों युवाओं को रोज़गार प्राप्त हुआ है। सोलन में उद्योग लगने से वहां के बहुत से लोगों को ट्रांसपोर्टर्ज का काम मिला। इसी प्रकार से हमारे जिला चम्बा में भी स्कोप है। अगर प्रदेश सरकार वहां सीमेंट का प्लांट लगाती है तो हमारे चम्बा जिला के लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का कार्य मिलेगा। वहां पर एक बहुत बड़ा

02.09.2026/1810/av/ag/2

क्लंकर का पहाड़ है, सरकार उसकी ऑक्शन करे। उससे हमारे जिला चम्बा के लोगों को कई क्षेत्रों में रोज़गार मिलेगा।

केंद्र सरकार ने प्रदेश के लोगों को 'वी0बी0-जी0 राम जी' योजना के अंतर्गत 125 दिनों का रोज़गार दिया है। मैं यहां पर अपने नूरपुर विधान सभा क्षेत्र की बात भी करना चाहूंगा। नूरपुर तीन राज्यों का कॉर्नर है। जिस प्रकार से इन्दौरा में काफी इण्डस्ट्रीज लगने से वहां के लोगों को रोज़गार मिला है उसी प्रकार नूरपुर में भी इण्डस्ट्रीज लगनी चाहिएं। वर्तमान में बद्दी-बरोटीवाला से इण्डस्ट्रीज पलायन करके जम्मू-कश्मीर जा रही है। हमारी प्रदेश सरकार को बिजली की दरों को कम करके इण्डस्ट्रीज को यहां से पलायन करने से रोकना चाहिए। यहां पर बिजली और माइनिंग इत्यादि पर अलग-अलग तरीके से सैस लगाए जा रहे हैं जिसके कारण इण्डस्ट्रीज दूसरे राज्यों में पलायन कर रही हैं।

हिमाचल प्रदेश में जितने भी उद्योग लगे हैं

टी सी द्वारा जारी

02.09.2026/1815/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
श्री रणवीर सिंह (निक्का).... जारी

उनमें लगभग 50 से 60 प्रतिशत अन्य प्रदेशों के लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमैंट की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि 90 प्रतिशत रोजगार हिमाचलियों को और 10 प्रतिशत रोजगार बाहर से आए हुए लोगों को मिले ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पी0पी0पी0 मोड के माध्यम से प्रदेश में अनेक रोजगार उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। बाहर की कंपनियां आती हैं और बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगाती हैं लेकिन रोजगार बाहर के प्रदेशों के लोगों को मिलता है। यदि पी0पी0पी मोड पर प्रदेश सरकार हमारे लोगों को सहायता करना चाहें तो हमारी पंचायतों के अंदर किसानों की बहुत-सी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं। चाहे डीसी लैंड हो या फॉरेस्ट लैंड हो यदि पी0पी0पी मोड पर हमारे किसानों को छह से आठ कनाल जमीन दी जाए तो वे अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं।

आजकल हमारे इलाके में पॉपुलर, सफेदा और चंदन की खेती हो रही है। अगर पॉपुलर और सफेदा की बात करें तो पहले मार्किट में इसका रेट 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल था लेकिन आज इसका रेट 700 से 800 रुपये प्रति क्विंटल है। इससे हमारे लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। पी0पी0पी0 मोड में हमारे लोग सीमेंट प्लांट लगा सकते हैं । पर्यटन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में छोटी-छोटी चाय की दुकानें और छोटे-छोटे रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं तथा होमस्टे के माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिल सकता है।

इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में राजस्थान से बहुत-सारा स्टोन आ रहा है। टाइल की बात करें तो गुजरात से अनेक ट्रक भर-भरकर टाइल हिमाचल प्रदेश आ रही हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में ऐसी-ऐसी खदानें हैं, यहां जिला कांगड़ा में चाइना स्टोन जैसा पत्थर भी उपलब्ध है। यदि सरकार इस ओर ध्यान दे तो छोटे श्रमिकों को कट स्टोन के यूनिट लगाने की परमिशन दी जा सकती है।

02.09.2026/1815/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

आज ईंट का भाव कितना महंगा हो गया है। पंजाब की ओर से हिमाचल प्रदेश में अनेक ट्रक ईंटों के आते हैं। पुराने जमाने में हमारे घर पत्थर की चिनाई से बनते थे। इससे घर ठंडे, सुरक्षित और मजबूत रहते थे। सरकार इन कार्यों की ओर ध्यान दे और कट स्टोन जैसे छोटे-छोटे यूनिट लगाने की हमारे लोगों को परमिशन दे ताकि उन्हें रोजगार मिल सके।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं तहेदिल से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय भारत।

02.09.2026/1815/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

सभापति : माननीय सदस्य निक्का जी, आपका भी धन्यवाद जो आपने समय से अपना वक्तव्य समाप्त किया। अब इस चर्चा में अगले सदस्य माननीय श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) जी हिस्सा लेंगे।

श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) : सभापति महोदय, विषय युवाओं का है और इस पर नियम-130 के तहत चर्चा की जा रही है जिस पर आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, विडंबना इस बात की भी है कि आज युवाओं पर चर्चा हमारे ओपोजिशन के लोगों द्वारा मांगी गई है और वे इस विषय को लेकर आए हैं तथा लंबी-चौड़ी चर्चा भी कर रहे हैं। सभापति महोदय, आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने हमारे युवाओं के साथ बर्ताव किया और जिस तरीके से उनके साथ धोखा किया गया, उसके बाद अचानक इन्हें युवाओं की याद आना यह इनका अपना मुद्दा नहीं लगता। कहीं-न-कहीं इनके ऊपर प्रैशर आया है कि युवाओं की बात की जाए। आज युवाओं की बात कौन कर रहे हैं, जिन्होंने जंतर-मंतर पर हमारे युवाओं के ऊपर पानी बरसाया तथा पैलेट गन से उनके ऊपर वार किया। यहां तक कि कई राज्यों में हमें यह भी देखने को मिला कि ए0के0-47 के माध्यम से भी युवाओं को डराया गया और हमारे कई युवा घायल हुए।

एन0एस0 द्वारा .. जारी

2-9-2020/1820/NS-AS/1

श्री सुदर्शन सिंह बबलू -----जारी

युवाओं की चिंता वे लोग कर रहे हैं जिनकी माननीय सांसद जो मंडी से हैं हमारे युवाओं को गट्टरछाप बता रही हैं। आज इन्हें अचानक युवाओं की याद इसलिए भी आई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का देहरादून और पुणे वाला युवाओं की गूंज का कार्यक्रम गौर से देख लिया है।

सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि आज जिस तरीके से ये हिमाचल प्रदेश में युवाओं के रोजगार बारे चर्चा की मांग कर रहे हैं जिन्होंने अपने समय में युवाओं के साथ धोखा किया। पुलिस पेपर लीक किये, नीट का पेपर लीक हुआ और नीट के पेपर लीक होने के बाद जिन बच्चों ने प्रोटैस्ट किया और जब हमारे युवा प्रोटैस्ट के लिए गए तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उसके बाद जिन बच्चों ने सुसाइड किया आज उनके परिवार के लोगों ने भी वहां प्रोटैस्ट किया। जब वहां युवा प्रोटैस्ट करने के लिए गए तो जिस तरीके का प्यार बी0जे0पी0 के प्रति और इनके बाकी संगठनों के प्रति युवाओं ने दिखाया है उससे ये डरे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज मित्रों से सीधे फ्रेंड्स पर आ गए वह यह दर्शाता है कि युवाओं के प्रति इनका प्यार और युवाओं को याद करना इनकी मजबूरी है। आज जो डर इन्हें सामने नजर आ रहा है वह यह है कि युवा किस तरीके से इन्हें अपना प्यार दर्शा रहे हैं?

सभापति महादेय, आज मैं यह देख रहा था कि जिन बच्चों ने उस प्रोटैस्ट में भाग लिया और प्रोटैस्ट खत्म होने के बाद जिन राज्यों में बी0जे0पी0 की सरकारें थीं वहां उन बच्चों को ढूंढ-ढूंढकर उनके घरों से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया गया, उनको जेल में डाला गया और उन छोटे-छोटे बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। एक 6 वर्ष के बच्चे के ऊपर भी एफ0आई0आर0 दर्ज की गई जो प्रोटैस्ट कर रहा था। एक 15 वर्ष की बच्ची आज सोशल मीडिया में आकर प्रधानमंत्री जी को बोल रही है कि उसे किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। आज इनकी मंशा युवाओं के प्रति सामने देखने को मिल रही है।

(श्री संजय रत्न, सभापति महोदय पदासीन हुए)

2-9-2020/1820/NS-AS/2

मैं यह समझता हूं कि युवाओं के प्रति इनकी जो संवेदना और एक किस्म की सोच है उस सोच को बदलकर यदि आज आप युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि आज पूरे देश के युवा सड़कों पर आ गए और केंद्रीय मंत्री जी को इस्तीफा भी देना पड़ा।

सभापति जी, आज हमारी गारंटियों की बात की जा रही है। राकेश जम्वाल जी यहां बैठे हैं और कल मैं इनका वक्तव्य सुन रहा था। इन्होंने बोला कि हमारी बी0जे0पी0 सरकार और बीजेपी की पार्टी कोई भी ऐसा वायदा नहीं करती जो पूरा न हो सके। मैं आज आपसे इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने कौन-सा वादा पूरा किया है, वह सदन में बताएं? आपकी जब केंद्र में सरकार आई थी उस समय आपने क्या घोषणा की थी? वर्ष 2014 में आपने बोला था, "बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार बी0जे0पी0 की सरकार" उस समय आपने लोगों को अपनी सरकार लाने के लिए भ्रमित किया। आपने पेट्रोल और डीजल की बात की थी, आपने युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, आपने काला धन वापस लाने की बात की थी, आपने 15-15 लाख रुपये देने की बात की थी, आपने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, आपने बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी और आपने गंगा की सफाई की बात की थी। ...(व्यवधान) महोदय, मैं यह बात बोलना चाहूंगा कि इन्होंने गंगा की सफाई की बात कही थी लेकिन गंगा की सफाई तो नहीं हुई लेकिन राम मंदिर की सफाई करके चले गए। इन्होंने जिस तरीके से राम मंदिर को लूटा है, जो राम के नाम से सत्ता में आए थे आज इन्होंने उस भगवान और मंदिर को भी नहीं छोड़ा। वहां इन्होंने पैसा तो चोरी किया ही किया।

सभापति : माननीय सदस्य आपने बिहार के गया में भी सफाई की बात की थी।

श्री सुदर्शन सिंह बबलू : जी सर, उस समय हम आपकी अध्यक्षता में उस टूअर में गए थे। हम मंदिरों के दर्शनों के लिए गए थे और गया जी में भी गए थे तो वहां पर मैंने अपना एक सबमिशन दिया था। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि भगवान राम जी का पैसा तो

इन्होंने चुराया ही है इन्होंने भगवान राम जी की चप्पलें तक नहीं छोड़ीं और उनको भी चुरा कर लेकर गए। जिन्होंने भगवान राम जी का रथ चुरा लिया उनकी

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

02.09.2026/1825/RKS/As-1

श्री सुदर्शन सिंह बबलू जारी....

200 करोड़ रुपये की चोरी आज सामने आई है। चोरी और जांच करने वाले लोग भी इन्हीं के ही हैं। यदि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो यह चोरी केवल 200 करोड़ रुपये तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि कम-से-कम 2,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। जिन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, वे हिमाचल को भी कभी नहीं छोड़ेंगे। जो भगवान राम के नहीं हुए, वे हिमाचल की जनता के भी नहीं हो सकते। ...(व्यवधान) जो भगवान राम से नहीं डरे वे हिमाचल की जनता से भी डरने वाले नहीं है। ...(व्यवधान) मैं रोजगार के विषय पर ही अपनी बात रखना चाहता हूं। श्री राकेश जम्वाल जी मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। आपने यहां कहा था कि हमारी पार्टी झूठी गारंटियां नहीं देती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी घोषित गारंटियों में से कौन-सी गारंटी पूरी हुई है? आपने कहा था कि काला धन वापस लाया जाएगा लेकिन काला धन वापस नहीं आया। स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा धनराशि बढ़ी है। आपने लोगों को 15-15 लाख रुपये देने का सपना दिखाकर गुमराह किया। आज जब हिमाचल प्रदेश सरकार की गारंटियों की चर्चा की जाती है तो मैं मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी पहली मंत्रिमण्डल बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री एक साधारण परिवार से निकलकर आए हैं। उन्होंने 'सुख आश्रय योजना' के माध्यम से उन बच्चों और युवाओं के चेहरे में रौनक लाई है जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया था। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाकर उन बच्चों को चाइल्ड ऑफ द स्टेट का दर्जा देने का कार्य किया गया। जब इनकी डबल इंजन सरकार थी तब धर्मशाला में एक इन्वेस्टमैंट सम्मेलन आयोजित किया गया जिस पर हिमाचल प्रदेश की जनता के करोड़ों रुपये खर्च किए गए। मैं जानना चाहता हूं कि उस

सम्मेलन के बाद प्रदेश में कितनी नई इंडस्ट्री स्थापित हुईं। यदि इनकी सरकार के कार्यकाल में कोई इन्वेस्टमैंट आया हो तो उसका विवरण सदन के समक्ष रखा जाए। मैं स्वयं एक छोटी इंडस्ट्री का संचालन करता हूं। हमारी इंडस्ट्री तभी सफलतापूर्वक चल सकती है जब कच्चा माल उपलब्ध हो या उत्पाद के लिए बाजार भी मौजूद हो। उद्योग चलाने को यह एक रूल है। इनके राज में नई इंडस्ट्री आने के बजाय स्थापित उद्योग बंद होते चले गए। यदि मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र चिंतपुरनी की बात करूं तो वहां राष्ट्रीय सरिया क्रश स्टील का बड़ा प्लांट था जो

02.09.2026/1825/RKS/As-2

इनकी सरकार के समय बंद हो गया। हिम अलॉय नामक प्लांट में जो कामधेनू सरिया बनता था वह भी बंद हो गया। हिम सिलेंडर फैक्ट्री भी बंद हो गई। इसके अतिरिक्त गगरेट विधान सभा में स्थित ल्यूमिनस का प्लांट भी इनके कार्यकाल में स्थानांतरित होकर देहरादून चला गया। ये लोग प्रदेश की मौजूदा इंडस्ट्री को भी संभाल नहीं पाए। जब जी0एस0टी0 पूरे देश में लागू किया गया तब हिमाचल प्रदेश में भी उसे उसी प्रकार लागू कर दिया गया। लेकिन हमारे जैसे पहाड़ी राज्य के लिए विशेष औद्योगिक नीति लाने की आवश्यकता थी। इस दिशा में कभी गंभीर प्रयास नहीं किए गए। केंद्र में मंत्री रहे नेताओं ने भी हिमाचल के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की। उन्होंने केवल लोगों को गुमराह करने का कार्य किया। इनके कार्यकाल में चलती हुई फैक्ट्रियां बंद होती रहीं और दूसरी ओर इन्वेस्टमैंट के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए। यहां शिक्षा मंत्री जी भी बैठे हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने के साथ-साथ शिक्षा विभाग में लगभग 15,000 नौकरियां प्रदेश की जनता को दी हैं। इसके साथ-साथ अगर मैं अलग-अलग विभागों की बात करूं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हमने वन मित्रों की भर्ती की है। हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में सी0एच0ओ0 और स्टाफ नर्सों की भर्ती की है। हमने हर विधान सभा क्षेत्र में कई युवाओं को नौकरियां दी हैं।

सभापति : माननीय सदस्य मुझे व्यवस्था देनी है, कृपया आप एक मिनट बैठिए। अभी इनके अलावा आठ लोग बोलने वाले हैं। अगर माननीय सदन की इजाजत हो तो सदन की बैठक एक घंटे के लिए बढ़ा दी जाए।

(माननीय सदन की बैठक सायं साढ़े सात बजे तक बढ़ाई गई)

श्री बी0एस0द्वारा जारी

02.09.2026/1830/बी.एस./ए.एस.-1

श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने हमारे किसानों के अदरक और हल्दी के रेट बढ़ाए हैं। दूध का मूल्य बढ़ाया है और प्राकृतिक खेती की ओर हमारे किसानों को लेकर गए हैं। आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मुख्य मंत्री जी ने बेहतरीन सुधार किया है।

मैं अपनी चिन्तपुरनी विधान सभा की बात करूं तो टूरिज्म के प्वाइंट ऑफ व्यू से मेरी माता चिन्तपुरनी जी का बहुत बड़ा स्थान है जहां बहुत लंबे समय से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। मैं इस माननीय सदन में यह बताना चाहूंगा, सभापति महोदय आपकी ही अध्यक्षता में हमें सभी मंदिरों का एक बार दर्शन करने का मौका मिला तो उसी समय मैंने मुख्य मंत्री जी से बात की कि देश में बहुत बड़े-बड़े मंदिर हैं जिनके बहुत बड़े भवन बने हुए हैं। हमारी माता चिन्तपुरनी जी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा आस्था का केन्द्र है। इसलिए उसके लिए भी भवन बनाने और सौंदर्यीकरण के लिए पैसे दिए जाएं।

मैं आज इस माननीय सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने लगभग 225 करोड़ रुपये हमारे मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए जारी किए हैं। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद।

टूरिज्म के प्वाइंट ऑफ व्यू से उस मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वहां हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और इसके साथ-ही-साथ गग्गल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करना भी मुख्य मंत्री जी की सोच है कि यहां पर टूरिज्म के प्वाइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इसे बढ़ाया जाए।

02.09.2026/1830/बी.एस./ए.एस.-2

इसके साथ-ही-साथ मैं यह बात बोलना चाहूंगा कि आज हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने और हिमाचल प्रदेश के वीरों ने हमारे इस देश के लिए शहादत दी है।

आज हमारी आर्मी और हमारी सेना को खत्म करके उसके ऊपर अग्निवीर लेकर आना इससे हमारे युवाओं का मोरल डाउन हुआ है। हम अपने मोहल्ले और अपने गांव की बात करें तो पहले एक-एक गांव में कम-से-कम सैकड़ों लोग आर्मी में जाते थे।

आज मैं इस सदन के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में आर्मी के अंदर कितनी भर्तियां हुई हैं? हमारे जो युवा रोज सुबह उठकर दौड़ लगाते थे और एक्सरसाइज करते थे उनके अंदर यह जोश था कि हमें देश की सरहदों पर जाकर अपने देश की रक्षा करनी है। आज उन देश के युवाओं के साथ भी अग्निवीर लाकर धोखा किया गया है और उसके साथ-ही-साथ हमारे देश के अंदर बेरोजगारी भी बढ़ी है।

मैं इस माननीय सदन में बोलना चाहूंगा कि हॉर्टिकल्चर के अंदर मुख्य मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारे हॉर्टिकल्चर में जिस तरीके से हमारे ऑर्चिड को बढ़ावा दिया जा रहा है वह सराहनीय है।

अगर मैं अपनी विधान सभा की बात करूं तो वहां ड्रैगन्स और अमरूद के बगीचे लगाकर हमने 'शिवा प्रोजेक्ट' के तहत पहले फेज में लगभग 3,000 हेक्टेयर जमीन को इसमें शामिल किया है। हमारी सरकार ने 'शिवा प्रोजेक्ट' के तहत सैकड़ों युवाओं को इसमें रोजगार दिया है।

इसके साथ-साथ सभापति महोदया, मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा में दो-तीन जगहों पर और नगर पंचायत आम्ब में मैंने आज मुख्य मंत्री जी से बात की है कि बरसात में जैसे लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। मुख्य मंत्री जी ने वहां चैनलाइजेशन के लिए 7.5 करोड़ रुपये दिए थे। मैं उसका धन्यवाद करूंगा। उसका काम भी लगभग कम्प्लीट हो गया है।

लोगों के घरों में पानी घुस जाता था उस पानी की निकासी के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये का आश्वासन दिया है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा।

02.09.2026/1830/बी.एस./ए.एस.-3

इसके साथ-साथ सर, मेरे साथी श्री विनोद सुल्तानपुरी जी ने कल यहां पर रोजगार देने के संबंध में मेरे बारे में बोला था। मैंने छोटी-सी इंडस्ट्री से काम शुरू किया था। मैंने एक फैक्टरी के अंदर नौकरी करते-करते काम शुरू किया था। आज सर, मेरी दो इंडस्ट्री हैं जिनको मैं चला रहा हूं। लगभग 200 लोग मेरे पास काम कर रहे हैं। यह काम सर, हमने बहुत छोटी-सी शुरुआत से शुरू किया था और आज उसी के परिणामस्वरूप लगभग 200 लोगों को रोजगार देने का अवसर मिला है।

यह युवाओं के लिए एक प्रेरणा भी होगी कि जिस फैक्ट्री के अंदर मैं नौकरी करता था आज उसी प्लांट को मैं खुद रन कर रहा हूं। इससे युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी कि सरकारी नौकरी से ऊपर हमें अपने स्किल को ढूंढकर उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपने साथी श्री विनोद सुल्तानपुरी का धन्यवाद करूंगा।

अंत में मैं यह बात बोलना चाहूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने कल टिप्पणी के माध्यम से मुझे कहा था कि आप बबलू से बड़े हो जाओ। नेता प्रतिपक्ष आज इस सदन में नहीं है लेकिन आज इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मुझे मेरी विधान सभा की एक लाख जनता ने चुनकर भेजा है और मुझे खुशी है तथा मैं गर्व से बोलता हूं कि मेरी पूरी विधान सभा के लोग मुझे बबलू के नाम से संबोधित करते हैं। वह नाम मेरे लिए सम्मान की बात है।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

02.09.2026/1835/DT/HK-1

श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) जारी...

मुझे मेरी विधान सभा की एक लाख जनता ने चुनकर भेजा है और मेरे नाम को लेकर मुझे खुशी है तथा मैं गर्व से बोलता हूं कि मेरी सारी विधान सभा के लोग मुझे बबलू के नाम से

संबोधित करते हैं। जब मैं पैदा हुआ और जब मैंने अपने होश संभाले तब से यह नाम मैंने अपने माता-पिता के मुंह से सुना है। आज मेरे परिवार के साथ-साथ पूरी चिंतपुर्णी विधान सभा परिवार के सभी लोगों के मुंह से मैं अपना नाम बबलू ही सुनता हूं। उन लोगों ने मुझे चुनकर यहां भेजा है इसलिए मैं अपनी सम्मानित जनता का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि किसी-न-किसी बहाने आप हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। यह आवाज मेरी नहीं है। यह आवाज चिंतपुर्णी की एक लाख जनता की है। यह आवाज माता चिंतपुर्णी जी की जनता की है और इस आवाज को दबाने की कोशिश न करें क्योंकि यह आवाज न दबेगी और न हम इसे दबने देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए माननीय सभापति महोदय आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिंद, जय हिमाचल, जय माता चिंतपुर्णी।

02.09.2026/1835/DT/HK-2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय श्री विनोद कुमार जी।

श्री विनोद कुमारः सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री रणधीर शर्मा जी जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, उसमें मैं भी खुद को शामिल करता हूं। आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, मुझसे पूर्व वक्ता यहां गारण्टीज को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे और इन्होंने बुलेट ट्रेन को लेकर भी बात कही। मैं देश के प्रधान मंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अगर भारत की वंदे भारत नाम से चौथी ट्रेन अगर कहीं चली है तो दिल्ली से हिमाचल के ऊना के लिए चली है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। साथ में यहां पर जो और बातें कही गईं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि गंगा की सफाई होगी तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर सफाई हो रही है। जब आपने इतने वर्षों तक इस प्रदेश में राज किया और 60 वर्ष से भी अधिक का जो गंद था वह एक समय में समाप्त नहीं हो जाएगा। उसको हमारी सरकार के माध्यम से ठीक किया जा रहा है।

उसके साथ-साथ यहां पर गारण्टीज को लेकर बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं। मुझे आज भी ध्यान में है कि वर्ष 2012 में मैंने विधान सभा का पहला चुनाव लड़ा था। माननीय सभापति महोदय, आप भी वर्ष 2012 में पहली बार चुनकर आए थे और हमारे साथ ही आए थे। उस वक्त आपके ही घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। उस वादे का क्या हुआ? आपने भी वर्ष 2012 में हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात की थी। क्या वह रोजगार मिल गया? उसके साथ-साथ आपने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाली हर बेटी को, हर बहन को और हर मां को 1,500 रुपये आपकी सरकार की ओर से दिए जाएंगे। यह भी कहा था कि जिस घर में एक बेटी होगी तो 1,500 रुपये दिए जाएंगे। जिसमें दो बेटियां होंगी तो 3,000 रुपये दिए जाएंगे, तीन बेटियां होंगी तो 4,500 रुपये दिए जाएंगे और चार बेटियां होंगी तो 6,000 रुपये दिए जाएंगे। मेरा प्रश्न आज ही लगा था मैंने पूछा था कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में कितनी बहनों और माताओं को इस योजना के तहत पेंशन दी गई

02.09.2026/1835/DT/HK-3

है। आपकी सरकार की ओर से उत्तर आया है कि पैंतीस हजार छह सौ सतासी बहनों को इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत पेंशन दी गई है और ये वही बहनें हैं जिनको जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय 1,250 रुपये पेंशन दी जाती थी। इसके साथ-साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सत्ताईस लाख अठानवें हजार आठ सौ से भी अधिक हमारी माताएं और बहनें रहती हैं। आपने उन बहनों को...

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

02.09.2026/1840/वाई.के.-एन.जी./1

श्री विनोद कुमार......... जारी

ठगने का काम किया है। सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं।

सभापति : माननीय सदस्य, रोजगार पर बोलिए। रोजगार कैसे क्रिएट होगा, इस पर अपने प्वांइट्स रखिए।

श्री विनोद कुमार : सभापति महोदय, इससे पहले की मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं, मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूंः-

तख्त बदल जाते हैं, ताज बदल जाते हैं,
वक्त आने पर अंदाज बदल जाते हैं,
जिन्होंने अपने किए हुए वायदे पूरे नहीं किए,
वक्त आने पर उन (***) के अंदाज बदल जाते हैं,
जो सरकार युवाओं की आवाज नहीं सुनती,
लोकतंत्र में उन (***) के राज बदल जाते हैं।

सभापति : इस (***) शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री विनोद कुमार : सभापति महोदय, मुझे आज भी ध्यान में है कि वर्ष 2022 के विधान सभा चुनावों के समय कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र में कहा गया था कि युवाओं को 58 साल वाली नौकरी दी जाएगी। आपके नेताओं ने कहा था कि 58 साल वाली पक्की नौकरी दी जाएगी। आपके नेताओं ने कहा था कि पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। मैं आज सरकार से पूछना

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

02.09.2026/1840/वाई.के.-एन.जी./2

चाहता हूं कि अब तक हमारे कितने बेरोजगार युवाओं को 58 साल व पेंशन वाली पक्की नौकरी दी गई है? आज प्रदेश का हर बेरोजगार युवा इस बारे में जानना चाहता है। जब इस संबंध में सदन में प्रश्न लगाया जाता है, तो उत्तर आता है कि सूचना एकत्रित की जा

रही है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि यह सूचना सत्ता पक्ष के पास कभी भी नहीं आएगी। इसके अलावा चुनाव के समय यह भी कहा गया था कि सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में एक लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और पांच साल में पांच लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन सभापति महोदय, आज वही बेरोजगार नौजवान जब हमारे माननीय उप-मुख्य मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री के पास जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इस बात की शुरूआत की थी और उस समय इन वादों को बड़े जोर-शोर से, चींख-चींख कर और चिल्ला-चिल्ला कर कहा था कि पांच लाख पक्की व 58 साल वाली नौकरियां देंगे, तो आज ये उन बेरोजगार युवाओं को मुख्य मंत्री जी के पास भेज देते हैं। ये उन्हें कहते हैं कि मैं तो मुख्य मंत्री बन नहीं पाया लेकिन मेरे जिस दूसरे साथी ने कहा था, आप उनके पास जाइए। अब युवा लोग उनके पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि मुख्य मंत्री बनने की मेरी सम्भावना तो थी नहीं इसलिए मुझसे गलती से बोला गया।

सभापति महोदय, ऐसे कब तक चलेगा? चुनावों के समय युवाओं से बड़े-बड़े वादे किए गए थे। उन्हें कहा गया था कि सरकार बनेगी तो आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन आज वास्तविक स्थिति क्या है? आज हिमाचल प्रदेश के लाखों शिक्षित युवा हाथों में डिग्रियां लेकर दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से रोजगार नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश के लाखों युवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा की तैयारी करते-करते एक साल हो गया, दो साल हो गए, तीन साल हो गए और अब चौथा साल भी बीतने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है।

02.09.2026/1840/वाई.के.-एन.जी./3

सभापति महोदय, जहां तक भर्ती प्रक्रिया का सवाल है, भर्तियां तो निकलती हैं, लेकिन समय पर परीक्षा नहीं होती। यदि परीक्षा हो भी जाती है, तो उसके परिणाम महीनों तक लंबित रहते हैं। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार की यह स्थिति हो गई है। मैं निश्चित

तौर पर कहना चाहता हूं कि आज युवाओं का भविष्य सरकार की फाइलों में बंद होकर रह गया है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में हजारों-लाखों की संख्या में पद खाली चल रहे हैं। स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के डिग्री कॉलेज

पी0बी0 द्वारा......जारी

02.09.2026/1845/पीबी/Aपी-1

श्री विनोद कुमार जारी....

माननीय सभापति महोदय, मेरे डिग्री कॉलेज बासा में प्रिंसिपल के साथ-साथ 10 असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हैं। आप बताइए कि डिग्री कॉलेज कैसे चलेगा? मेरा प्रश्न लगा था। मैंने मंत्री जी से बात की है लेकिन उन बातों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह स्थिति आज प्रदेश में बनी हुई है। आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं और पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं है। आपको ध्यान में होगा कि हेल्थ को लेकर यहां चर्चा की गई थी। हमने कहा था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं हो रहा है। लेकिन मंत्री जी ने कहा कि जिसके पास कार्ड है उसका इलाज हो रहा है। मुख्य मंत्री जी ने भी इस बारे में कहा था। लेकिन आज की मैं एक घटना बताना चाहता हूं। मैं मंत्री जी के पास गया था। एक व्यक्ति गरीब है और वह अपनी हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर गया था। उसको कहा गया कि आपकी एंजियोग्राफी होगी। उसकी एंजियोग्राफी भी कर दी गई। जब एंजियोग्राफी कर दी गई तो कहा गया कि आपको स्टेंट डलेगा। जब उसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया तो उसने कहा कि मेरे पास कार्ड है आप इलाज करवा लो। माननीय सभापति महोदय, उस गरीब व्यक्ति से आज आपके चमियाणा में पैसे मांगे जा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम जीत राम है और वह चमियाणा में फोर्थ फ्लोर पर बेड नंबर 6 पर है। आपने फोन किया लेकिन अभी भी वहां पर आपके डॉक्टर उससे पैसे मांग रहे हैं कि आप 1,20,000 रुपये जमा कराओ नहीं तो आपको यहां से जाने नहीं देंगे। यह स्थिति प्रदेश की है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने यहां से कहा था कि जिसके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड होगा और हिमकेयर योजना का कार्ड होगा उसका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। आपने यहां से स्टेटमेंट दी थी। लेकिन आपके कहने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज और

आपके चमियाणा हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे कहने के बाद मंत्री जी इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दें। आपने कहा था कि हर कार्ड वाले का निःशुल्क इलाज होगा लेकिन उस व्यक्ति का इलाज निःशुल्क क्यों नहीं हो रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि इस विषय को लेकर मंत्री जी बताएं और हाउस के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करें कि क्या उस व्यक्ति का इलाज निःशुल्क होगा? यहां कहा गया कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। हमने पूछा कि बताइए इसे कैसे मजबूत करेंगे? इन्होंने कहा कि नौजवान पशुधन पालें और खेती का काम करें। खेती के लिए इन्होंने कहा कि हल्दी और अदरक की खेती के माध्यम से युवाओं को

02.09.2026/1845/पीबी/Aपी-2

रोजगार देंगे। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने यह भी कहा कि आप पशुधन पालिए। आपसे हम दूध खरीदेंगे और कहा कि भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर तथा गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उस बेरोजगार युवा ने बैंक से लोन लेकर

श्री ए0पी0 द्वारा जारी

02.09.2026/1850/ए0जी0-ए0पी0/-01

श्री विनोद कुमार जारी .....

दो-तीन लाख रुपये की गाय और भैंसें ले ली हैं। लेकिन जब आज दूध लेने की बात आती है तो सरकार कहती है कि हम केवल 20 लीटर दूध ही लेंगे। अब वह बेचारा बेरोजगार साथी क्या करे? वह बैंक की किस्त दे, परिवार का खर्च चलाए, गाय के लिए चारा लेकर आए या खुद खाए?

Chairman: Please wind up.

श्री विनोद कुमार : यह स्थिति आज प्रदेश के उस युवा की बनी हुई है और इस बात को मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, यह सरकार रोजगार देने की बात कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कोरोना काल में आउटसोर्स के तहत मेडिकल कॉलेज में जो स्टाफ रखा था, उस स्टाफ को इस सरकार ने आते ही बाहर कर दिया।

Chairman: Please don't disturb. Please wind up.

श्री विनोद कुमार : जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए अस्पताल के अंदर अपनी सेवाएं दी हैं। उन बेरोजगार युवाओं को निश्चित तौर पर नौकरी मिलनी चाहिए, यह मेरा इस सदन के माध्यम से निवेदन रहेगा। लोगों के बच्चे कोचिंग सेंटरों में जाकर कोचिंग ले रहे हैं और उनके माता-पिता और वे बच्चे दोनों परेशान हैं। दो-तीन-चार साल हो गए हैं उन्हें कोचिंग लेते हुए। लेकिन आपकी सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाला समय कांग्रेस पार्टी की सरकार के लिए नहीं होगा। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा किया है, आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा तो परिणाम ठीक नहीं होगा। ज्यादा लंबी बातचीत न करते हुए, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद।

02.09.2026/1850/ए0जी0-ए0पी0/-02

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री विवेक शर्मा (विक्कू) जी।

श्री विवेक शर्मा (विक्कू) : सभापति महोदय, धन्यवाद। नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव लाया गया है उस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे सभी साथियों ने काफी चर्चा की लेकिन मैं एक चीज देख रहा था कि विपक्ष के हमारे साथी लगातार बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं और अपनी तरफ से प्रदेश की जनता के साथ पूरा भाव रखते हुए बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी कम हो और पूरे प्रदेश में रोजगार बढ़े। मैं इस चर्चा में एक बात कहूंगा कि आज अगर हिमाचल प्रदेश में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने लोगों से वायदा किया है तो हमने उन वायदों को

पूरा भी किया है और लगातार उन वायदों को पूरा करने पर काम कर रहे हैं। तीन वर्षों में रोजगार को प्राथमिकता देते हुए मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में रोजगार के नए साधन उत्पन्न किए गए हैं। मैं देख रहा था कि विपक्ष के साथी बात कर रहे थे कि वे अपने समय में बड़ी-बड़ी योजनाएं लेकर आए और मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना की बन योजना की बात कर रहे थे। मैं गारंटी से इस बात को कह सकता हूं कि जिन-जिन लोगों ने इस योजना के तहत लोन लिया, उनमें से ज्यादा नहीं तो कम-से-कम 80 प्रतिशत लोग बैंक के डिफॉल्टर हुए। क्योंकि वह लोन बिना गारंटी के था और उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं थी। उस योजना के तहत जो लोग काम करने वाले थे आज उन लोगों की प्रॉपर्टियां भी बैंक में लगी हुई हैं। इस तरह की योजना ये लेकर आए थे। दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी ने ई-टैक्सी के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना लाई, जिसमें जिस बेरोजगार साथी को काम करना था, उसको टैक्सी भी लगवाई गई और उस टैक्सी को विभाग में भी लगाया गया। उस व्यक्ति की परमानेंट इनकम के बारे में सोचा गया। ऐसी योजनाएं होती हैं, जो युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं। आपने देखा कि इन तीन वर्षों में प्रदेश में लगातार हर वर्ग में भर्तियां की गई हैं।

श्रीमती ए0वी0 द्वारा जारी .....

02.09.2026/1855/av/ag/1

श्री विवेक शर्मा----- जारी

हमने यहां पर मल्टी टास्क वर्कर्ज रखें। केंद्र सरकार ने तो अग्निवीर बना दिए जहां उस अग्निवीर को यह भी पता नहीं चलता कि उसकी नौकरी कब शुरू और कब खत्म हो गई। हमारी सरकार ने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग इत्यादि हर विभाग में मल्टी टास्क वर्कर्ज लगाए और जितने भी लोग लगे उनका हर वर्ष मानदेय भी बढ़ाया गया। हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि यह एक ऐसा रोज़गार है जिसमें बहुत कम सैलरी दी जाती है। परंतु मैं अपने साथियों को याद करवाना चाहता हूं कि इनके समय में ही आउटसोर्स पर नौकरियां दी गईं और उसके तहत इनके द्वारा सैलरी के नाम पर 3-3, 4-4 हजार रुपये दिए जाते थे। आज श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खु जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी

की सरकार द्वारा उस मानदेय को हर वर्ष बढ़ाया जा रहा है ताकि हमारे युवाओं को उसका फायदा मिले। वर्तमान सरकार द्वारा हर विभाग में भर्तियां की जा रही हैं। आपने खुद पढ़ा होगा कि हिमाचल प्रदेश पहले शिक्षा के क्षेत्र में 24वें स्थान पर था अब हम तीसरे स्थान पर आ गए हैं। यहां पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत लगातार भर्तियां की जा रही हैं। पहले स्कूल्ज में अध्यापक नहीं थे लेकिन अब टी0जी0टी0 (आर्ट्स), टी0जी0टी0(मेडिकल) और टी0जी0टी0(नॉन मेडिकल) की भर्ती करके वहां अध्यापक दिए जा रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो।

हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने से पहले सबसे बड़ा वायदा ओ0पी0एस0 देने का किया था। हमारी सरकार ने वित्तीय स्थिति ठीक न होने के बावजूद भी अपने उस वायदे को निभाते हुए ओ0पी0एस0 को बहाल किया है। मुझे यह समझ नहीं आता कि विपक्ष इस बात को बार-बार कैसे बोल रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है।

यहां सदन के अंदर स्वास्थ्य के ऊपर भी काफी चर्चा हुई है। मैंने पहले भी अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताया था कि वहां पहले डॉक्टर्ज नहीं थे परंतु अब वहां काफी डॉक्टर्ज हैं। स्वास्थ्य विभाग में 590 एम0ओज0 की भर्ती की गई और 416 एम0ओज0 और भर्ती किए जाएंगे। हमारी सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग में लगभग 4500 लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। इसी तरह दूसरे विभागों में भी नौकरियां दी

02.09.2026/1855/av/ag/2

जा रही हैं परंतु विपक्ष सच्चाई नहीं बोलना चाहता। यहां पर विपक्ष द्वारा लगातार यही बोला जा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा। हमारा प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में कहीं-न-कहीं आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार द्वारा यहां आने वाले पर्यटकों को अनेक सुविधाएं देने की कोशिशें की जा रही हैं। यहां यह कोशिश की जा रही है कि बाहर से जो पर्यटक आते हैं, उनको एक अच्छा माहौल मिले तथा उनको यहां पर एक अच्छी कानून-व्यवस्था के तहत रखा जाए।

यहां पर विपक्ष के साथियों द्वारा बार-बार भांग की खेती और लॉटरी शुरू करने की बात की जा रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हिमाचल में तो अभी लॉटरी शुरू ही नहीं हुई, अभी तो उस बारे में केवल चर्चा हो रही है। लॉटरी तो पंजाब में भी है और जिस व्यक्ति ने लॉटरी खरीदनी है, वह तो पंजाब से खरीदकर ले आएगा। अगर आप यह कहते हैं कि लॉटरी शुरू करने से हिमाचल प्रदेश के युवक भटक जाएंगे तो इस बात का कोई औचित्य नहीं बनता। यहां पर पूर्व सरकार द्वारा रोज़गार देने के बहाने ऐसे-ऐसे लॉन देने की कोशिश की गई कि उनका पूरा परिवार आज बैंक्स की देनदारियों में लगा हुआ है। हमारे पास भी बहुत सारे युवक आते हैं जिनके इस प्रकार के खाते खुलवाए गए थे। यहां पर अभी माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार खुद ही आंकड़े दे रहे थे कि प्रदेश में कितनी महिलाओं को 15-15 सौ रुपये मिले। परंतु इसमें सोचने वाली बात यह है कि 15-15 सौ रुपये प्रदेश की कुछ महिलाओं को तो मिले। आप हमें यह बताइए कि केंद्र सरकार की ओर से 15-15 लाख रुपये कितने लोगों को मिले, आप हमें उसका आंकड़ा भी दीजिए। केंद्र सरकार दो करोड़ रोज़गार देने की बात कर रही थी। आप हमें बताइए कि हिन्दुस्तान में कितने लोगों को नौकरियां दी गईं? आप प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो आप हमें यह बताइए कि ऐसा कौन-सा विभाग है जहां पर भर्तियां नहीं की गईं? यहां पर पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, शिक्षा विभाग और वन विभाग में भर्तियां हुईं। परंतु आप हमें यह भी बताइए कि पूर्व में आपकी पार्टी की सरकार द्वारा किस-किस विभाग में भर्तियां की गई थीं? प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को एक सच्ची राह पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि हमारे युवा साथी जो नशे की तरफ भटक रहे थे, उन युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसके द्वारा चिट्टे के खिलाफ इतना बड़ा अभियान छेड़ा गया है। **टी सी द्वारा जारी**

02.09.2026/1900/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री विवेक शर्मा... जारी

और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि यदि आपके परिवार या सोसाइटी में चिट्टे का सेवन करने वाला कोई व्यक्ति मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नशे का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने के

साथ-साथ उसे गिराया भी गया है। इन कठोर फैसलों को लेने के लिए दम चाहिए होता है और हिमाचल प्रदेश की सरकार तथा मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू द्वारा ये फैसले लिए गए हैं। मुख्य मंत्री जी स्वयं इस बात को कह चुके हैं और बार-बार यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार एक व्यवस्था के तहत काम कर रही है। यहां वोट की राजनीति नहीं हो रही है कि कौन कब आएगा या कौन नहीं आएगा। जो आएंगे वे अपने आप आएंगे और जनता स्वयं इसका निर्णय करेगी।

सभापति महोदय, हमने संगठन में तकरीबन 27-28 वर्ष तक काम काम किया है। उस समय जब भी विधान सभा का सत्र होता था तो यहां सैकड़ों की तादाद में लोग नारे लगाते हुए आते थे और हर वर्ग यह कहता था कि आज हमें पूछा नहीं गया। आज यहां धरने-प्रदर्शन क्यों नहीं होते? इसका कारण यह है कि आज वह वर्ग खुश है और उसे पता है कि वर्तमान सरकार उसके बारे में सोचती है और उसकी बात सुनी जा रही है।

हिमाचल प्रदेश में हम सभी वे लोग हैं जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से आए हैं। कौन-सा ऐसा घर था जहां खेती-बाड़ी नहीं होती थी। यह ठीक है कि आज लोग समय के साथ अलग-अलग दिशाओं में चले गए हैं लेकिन आज लोगों को किसानी के साथ जोड़ने के लिए लगातार योजनाएं लाई जा रही हैं। आज दूध का रेट बढ़ाया गया है तो लोग रोज दूध बेच रहे हैं और जिन परिवारों में कोई व्यक्ति 20 किलो दूध बेचता था, आज उसको उससे भी ज्यादा आमदन आ रही है। इसी प्रकार जहां कनक और मक्की की खेती होती है, उससे भी किसानों को आमदन हो रही है।

सभापति महोदय, यही कारण है कि लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश समृद्ध होगा तथा हम आर्थिक रूप से मजबूत होकर

02.09.2026/1900/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

आगे बढ़ेंगे। लोग हर बार सरकार को इसलिए वोट देते हैं कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो उनकी बात सुनेगी और उनकी समस्याओं पर काम करेगी। आज से पहले किसी सरकार ने इस बारे में कभी सोचा कि यदि कोई अनाथ बच्चा है तो उसका पालन-पोषण कैसे होगा? यह पहली सरकार है जिसने सुख आश्रय योजा बनाकर उन बच्चों के बारे में

सोचा और उन्हें 'चिल्ड्रन ऑफ दि स्टेट' का दर्जा दिया गया। आज ये चीजें केवल बोली नहीं जा रही हैं बल्कि धरातल पर हो रही हैं। यदि ये चीजें धरातल पर हो रही हैं तो कहीं-न-कहीं विपक्ष इस बात को सहन नहीं कर पा रहा है।

सभापति महोदय, बेरोजगारी की दर लगातार गिर रही है। मैं विपक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जब देश में दो करोड़ नौकरियों की बात की गई थी तब देश के प्रधानमंत्री बार-बार यह कहते थे कि जो रेडी लगा रहा है, वह भी हमारी श्रेणी में आता है और जो पकौड़ा बेच रहा है, वह भी हमारे रोजगार के आंकड़ों में आता है। आप बताइए कि पकौड़ा तलने वाले लोगों को सपने दिखाने वाली सरकार अपने वादों पर खरी उतरी है या जो सरकार आज ई-टैक्सी के माध्यम से बेरोजगार युवा को 50,000 रुपये दे रही है, वह सरकार लोगों के हित में है। उसकी गाड़ी भी लगाई जा रही है और उसे फाइनेंस भी करवाया जा रहा है तथा हर महीने पैसा उसके खाते में भी डाला जा रहा है। यही योजनाएं आज हिमाचल प्रदेश के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं।

सभापति महोदय, आज जो लोग यह कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ हमेशा खिलवाड़ हुआ । पूर्व के समय में बैक डोर एंट्री के माध्यम से नौकरियां दी जाती थीं आज उस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। विश्वविद्यालय में जिस तरह से पुराने समय में भर्तियां होती रही हैं उसके विपरीत आने वाले समय में युवा साथी यह सोच सकेगा कि यदि उसने पढ़ाई-लिखाई की है तो उसे नौकरी मिलेगी और उसे बैक डोर एंट्री के लिए लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा। यहां पहले क्या होता था और क्या नहीं होता था यह सभी लोगों ने देखा है। आज देश के युवाओं के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ है, उस पर भी विचार करना आवश्यक है। आज 2500 युवाओं ने सुसाइड किया है और पेपर लीक के मामले भी सामने आए हैं। आज हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो हिमाचल में जो लोगों ने इस तरह की हरकतें करते थे, आज वे लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं।

02.09.2026/1900/टी0सी0वी0/ए0जी0-3

इसलिए सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हिमाचल प्रदेश प्रगति की राह पर है और हिमाचल का युवा यह देख रहा है कि कौन-सी सरकार उसके हित में काम कर

रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार लोगों को रोजगार मिल रहा है और लोग इस सरकार से खुश हैं, तभी आज यहां बाहर आपको प्रांगण खाली नजर आ रहा है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय श्री त्रिलोक जम्वाल जी।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

02.09.2026/1905/NS/As-1

श्री त्रिलोक जम्वाल : माननीय सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो चर्चा शुरू हुई है, मैं उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, यहां हम रोजगार की बात कर रहे हैं और युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में हमारे पढ़े-लिखे युवा नौकरी की तलाश में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक युवा जब अपनी दसवीं कक्षा पास करता है, प्लस टू पास करता है, कोई आई0टी0आई0 में किसी ट्रेड में एडमिशन लेता है और अपनी आई0टी0आई0 पास करता है, कोई बी0टैक0 करता है या प्रोफेशनल कोर्स करता है तो अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद उसको एक उम्मीद होती है कि कहीं-न-कहीं उसको सरकारी नौकरी मिलेगी या वह अपना रोजगार करेगा। जब सरकारी नौकरी की बात आती है और युवा नौकरी की तलाश करता है तो जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो युवा नौकरी की तलाश में हैं उनके बेरोजगारी के आंकड़े लगभग 17 लाख के आसपास हैं। 17 लाख के आसपास युवा अगर नौकरी की तलाश में हैं तो उनको लुभाने और भटकाने का काम वर्तमान प्रदेश सरकार ने किया है। आप वर्तमान प्रदेश सरकार का वर्ष 2012 का मैनिफेस्टो निकालिए। उस समय इस सरकार ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक बेरोजगार को हम नौकरी देंगे और अगर हम नौकरी नहीं दे पाए तो 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। सरकार बनी, युवाओं को ठगा और उसके बाद क्या हुआ? सभापति महोदय, वह दौर गुजर गया। दूसरी बार सरकार नहीं बना पाए लेकिन जब वर्ष 2022 का चुनाव आया तो फिर सरकार ने वादा किया। इस बार सरकार ने या कांग्रेस की जो रणनीति थी उसके

तहत फिर वादा किया और हिमाचल प्रदेश के युवाओं को (***)और फिर ठगा। जब ठगने की बात आई तो कांग्रेस कमेटी की एक बड़ी मैनिफेस्टो कमेटी बनी और उस कमेटी ने एक दस्तावेज जारी किया, 'हिमाचल, हिमाचलियत और हम कांग्रेस प्रतिज्ञा-पत्र 2022 जिसमें लिखा गया कि हम वचन निभाएंगे।

सभापति : (***) शब्द को कार्यवाही से निकाला जाए।

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

02.09.2026/1905/NS/As-2

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के 17 लाख बेरोजगार युवाओं में से 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और उन्हें 58 साल वाली पक्की नौकरी देंगे। साथ ही यह भी कहा कि यह निर्णय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा। सभापति महोदय, इससे पहले जब यह विषय आया था तब अध्यक्ष जी ने मंच से यह मैनिफेस्टो पढ़ा था। यह आपका मैनिफेस्टो है। ...(व्यवधान) मैं यह आपको दिखा रहा हूं। ञहिमाचल, हिमाचलियत और हम—प्रतिज्ञा पत्रछ, पेज नंबर 12 में है।इस पेज नंबर 12 पर आपने क्या लिखा है? एक लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा। यह आपका मैनिफेस्टो है। 58 साल वाली पक्की नौकरी दी जाएगी। ठगते-ठगते यह कांग्रेस पार्टी फिर कहां तक चली गई?, सभापति महोदय, इन्होंने लिखा कि सरकार के सभी विभागों में सभी फंक्शनल पदों को तीन महीने के अंदर-अंदर प्राथमिकता के आधार पर भर दिए जाएंगे। जो लोग सत्ता में आए उन्होंने मैनिफेस्टो में झूठ लिखा। महिलाओं से एक प्रपत्र भराया गया जिसमें वही बात लिखी थी जो हमारे नोट पर और करेंसी पर लिखी होती है कि मैं धारक को इसे अदा करने का वचन देता हूं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और असत्य बोलने वाली कांग्रेस पार्टी प्रदेश और देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं हो सकती।

श्री आर0के0 एस0 द्वारा जारी

02.09.2026/1910/RKS/As-1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी.....

सभापति महोदय, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल हुआ। CWP 7474/ 2022, Bal Krishan Versus State of Himachal Pradesh मामले में एफिडेविट फाइल किया गया और उसमें वर्तमान प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से क्या-क्या कहा है, वह देखना आवश्यक है। उस एफिडेविट में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कुल स्वीकृत पद 3,36,542 हैं जिनमें से 1,07,466 पद खाली हैं। अब इस सरकार का आईना देखिए। अभी हाई कोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश में 1,07,466 पद खाली हैं। जिस सरकार के पास 1,07,466 पद खाली हों वह सरकार कैसे काम कर सकती है? आप कह रहे हैं कि हमारे पास पद नहीं हैं। आपके पास 1,07,466 पद खाली हैं। आप युवाओं को मौका दीजिए, आप कमीशन निकालिए और आप लोक सेवा आयोग को नौकरी निकालने के लिए कहिए लेकिन आप तो मित्रों के चक्कर में फंसे हुए हैं।टेम्परेरी नौकरी में भी आपने क्या किया? कांग्रेस की करनी और कथनी में कितना अंतर है, यह भी देखिए। 23 अक्टूबर, 2024 को आपने एक नोटिफिकेशन जारी की है और उस नोटिफिकेशन में आपने कहा कि दो वर्षों से जो भी पद खाली हैं उन्हें डीम्ड एबोलिश्ड समझा जाएगा। जब आपने 1,58,000 पद एबोलिश कर दिए उसके बाद भी आपके पास 1,07,466 पद खाली हैं। अब आप बताइए कि आपकी उस नोटिफिकेशन के अनुसार किसी डिपार्टमैंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछने तक की आवश्यकता नहीं है और सारी पोस्टें फोर्थविथ खत्म हो गईं। आप युवाओं को रोजगार कैसे देंगे? आपने लगभग 1,58,000 पद समाप्त किए हैं तो उसके बाद भी आपके पास 1,07,466 से अधिक पद खाली हैं। इसमें भी जब विभिन्न विभागों से जवाब आया तो उसमें 60 प्रतिशत फील्ड स्टाफ की कमी बताई गई है। क्या इससे प्रदेश का विकास होगा? जल शक्ति विभाग में पानी छोड़ने के लिए लोग नहीं हैं लेकिन आप नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। एच0पी0एस0ई0बी0 में फ्यूज लगाने के लिए, ट्रांसफार्मर के पास जाने के लिए आपके पास स्टाफ नहीं है लेकिन आप नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। पी0डब्ल्यू0डी0 में आपने सब कुछ ठेकेदारी प्रथा पर दे दिया। आपके पास डेली वेजर लोग नहीं हैं, आप बेलदारी में लोग नहीं रख रहे हैं। आप सरकारी नौकरी कहां से देंगे? आज युवा आपकी तरफ देख रहा है। उन 17 लाख युवाओं ने कांग्रेस पार्टी के उस वादे पर

विश्वास किया था जिसके तहत कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि सत्ता में आने पर हम 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। यह बात मैंने आपको पढ़कर

02.09.2026/1910/RKS/As-2

बताई है। जब आप नियुक्तियां करने लगे तो देखिए कितनी पीड़ा है। एक मिस्त्री, जिसे हम दिहाड़ी देते हैं और जिसे राजमिस्त्री कहते हैं, वह 1,500 से 2,000 रुपये दिहाड़ी लेता है। वह मिस्त्री हमें प्रति माह लगभग 60,000 रुपये में पड़ता है। लेकिन वर्तमान कांग्रेस सरकार ने तो सारी हदें पार कर दीं। आपने एक एम0बी0बी0एस0 डॉ0 या पी0जी0 करने वाले को नहीं बल्कि एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कहा जिसके पास तीन वर्ष का अनुभव है कि हम आपको 1000-1200 रुपये दिहाड़ी या 34 हजार रुपये प्रति माह देंगे। यह कांग्रेस सरकार का आईना है। एक मिस्त्री जो केवल अपनी कारीगरी के ऊपर आता है, जो पढ़ने-लिखने नहीं जाता, वह दस पास है, आठ पास है या बारह पास है और बारह पास करके साठ हजार रुपये ले रहा है लेकिन इस वर्तमान कांग्रेस की सरकार में 34 हजार रुपए देकर एक सुपर स्पेशलिस्ट को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस एजुकेशन सिस्टम का और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के प्रोफेशनिस्ट, MBBS डॉक्टर्ज, इंजीनियर उनका और क्या हो सकता है। वर्तमान कांग्रेस

श्री बी0एस0द्वारा जारी

02.09.2026/1915/बी.एस./ए.एस.-1

श्री त्रिलोक जम्वाल जारी...

वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जॉब ट्रेनी कह दिया। फिर कहते हैं कि डॉक्टर हमारे पास टिक नहीं रहे हैं। 34,000 रुपये में कौन-सा डॉक्टर टिकेगा? आखिर प्रदेश सरकार क्या करना चाहती है?

केवल और केवल युवाओं को ठगा गया है। केवल और केवल बेरोजगारों को ठगा गया है। इतना ही नहीं सभापति महोदय, जब आपने 3,000 से ज्यादा इंस्टिट्यूशन बंद कर दिए इस प्रश्न का जवाब पहली बार आया है यह वर्ष 2025 का जवाब है जिसमें आपने

माना है कि 2,500 इंस्टिट्यूशन बंद किए गए हैं। अब वर्ष 2026 हो गया है अगर 3,000 इंस्टिट्यूशन में 20 लोग भी काम करते होते तो 60,000 लोगों को रोजगार मिलता। आपने वह रोजगार भी खत्म कर दिया।

आपने युवाओं को क्या दिया है? मेरे बिलासपुर में आपने हरलोग की उप-तहसील बंद कर दी। कुठेड़ा में आई0पी0एच0 का सब-डिवीजन बंद कर दिया। पी0एच0सी0 बरमाणा बंद कर दी। हेल्थ सब-सैंटर बंद कर दिया। एम्स को पानी देने के लिए आई0पी0एच0 का जो डिवीजन था उसको बंद कर दिया। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो मैंटेनेंस सर्कल बिलासपुर में चलता था उसको बंद कर दिया।

चंद दिन पहले तक हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमैंट मेरे बिलासपुर में चलता था। वह वर्ष 1980 से वहां चल रहा था। उसको वहां से उठाकर नादौन ले गए और कहा कि वहीं जरूरत है। आप नया तो क्रिएट कर नहीं सकते थे।

इतना ही नहीं आपने कितनी लड़कियों की आई0टी0आई0 भी बंद कर दी ताकि वे प्रोफेशनल पढ़ाई न कर सकें। मेरे बिलासपुर कॉलेज में तो एक ऐसा विषय है जो पूरे वर्ष पढ़ाया ही नहीं गया। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पूरे साल नहीं पढ़ाया गया और दो दिन में पढ़ाकर उसका असैसमैंट भी दे दिया गया। ऐसा मेरा पी0जी0 कॉलेज है।

सभापति महोदय, आप युवाओं के साथ हर स्टेज पर धोखा कर रहे हैं। धोखा ही नहीं किया है बल्कि युवाओं को आपने बहुत कुछ दिया है। मैं मानता हूं कि आपने युवाओं को मौका दिया है। आपने युवाओं को मौका दिया कि जुआ खेलो। आपने युवाओं

02.09.2026/1915/बी.एस./ए.एस.-2

को मौका दिया कि लॉटरी लगाओ। आपने युवाओं को मौका दिया कि भांग की खेती करो।

आज हम चिट्टे की महामारी से गुजर रहे हैं। चिट्टा एक अभिशाप बनकर हमारे युवाओं में दौड़ रहा है। लेकिन आपकी सरकार ने सारी हदें और सारी मर्यादाएं भंग करते

हुए भांग की खेती को लीगलाइज करना शुरू किया है। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है इससे चिट्टे के और केस बढ़ेंगे।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री त्रिलोक जम्वाल : सभापति महोदय, लॉटरी आपने प्रदेश के युवाओं को दी, जुआ दे रहे हैं। भांग पियो और जुआ खेलो। यही कांग्रेस सरकार का नारा होना चाहिए। आखिर आप युवाओं को क्या देना चाह रहे हैं? क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं? प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? सभापति महोदय, मुझे लगता है कि शायद मुख्य मंत्री जी को भी इन लोगों ने एडवाइज किया होगा कि भोलेनाथ की बूटी है इसलिए प्रदेश के युवाओं को भांग के रूप में दे दो।

इतना ही नहीं लॉटरी जैसी कुप्रथा ने हमारे समाज को अंदर से खोखला कर दिया है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहां कई प्रकार की चीजों में कमी आई है। मैं आपके साथ एक आंकड़ा साझा करना चाहता हूं। वर्तमान प्रदेश सरकार के संदर्भ में मैं हिमाचल प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 का उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें टेबल संख्याः 24 एवं 25 है और पेज नंबर 393 पर सारे मुख्य मंत्रियों के कार्यकाल में कितने प्रतिशत बेरोजगारी बढ़ी है और कितने प्रतिशत बेरोजगारी कम हुई है उसका विवरण दिया गया है।

उस डेटा के अनुसार मैं पिछला जिक्र नहीं करना चाहूंगा लेकिन वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2026 तक का कंपैरिजन जरूर करूंगा।

सभापति महोदय, वर्ष 2018 में हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी में 1,77,388 लोग थे लेकिन श्री जय राम ठाकुर जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद पहली साल में 4,038 अर्थात 1,81,376, वर्ष 2019 में 1,81,400, ऐसे करते-करते वर्ष 2022 में 1,90,000 लोग सरकारी

02.09.2026/1915/बी.एस./ए.एस.-3

नौकरी पर थे। हम इसकी जो ग्रोथ रेट मापते हैं वह हमेशा

पॉजिटिव रही है। केवल कोरोना काल को हम निकाल दें तो उसमें 0.07 प्रतिशत नेगेटिव रहा है। केवल कोरोना काल में ऐसा हुआ है।

लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसका जो आंकड़ा वर्ष 2023 वर्ष 2024 और वर्ष 2025 का है उसमें 1,90,000 का आंकड़ा था। इसमें हम रिटायरमैंट भी काउंट करते हैं और इनपुट भी काउंट करते हैं। इसलिए जो 1,90,000 का आंकड़ा था उसमें पॉजिटिव ग्रोथ 1.2 प्रतिशत थी।

श्री डी0टी0 द्वारा जारी.....

02.09.2026/1920/DT/HK-1
श्री त्रिलोक जम्वाल जारी...

जबकि यह ग्रोथ उससे पिछले साल 3.6 प्रतिशत थी, वह इस सरकार के कार्यकाल में लगभग 8 प्रतिशत डाउन है। यह आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा डिक्रीज़ है। इसलिए अब हिमाचल प्रदेश में 1,75,579 हैं और पिछले वर्ष का जो माइनस है वह 5,221 है। इसलिए मैंने कोड किया कि आर्थिक सर्वेक्षण हिमाचल प्रदेश 2024 की टेबल संख्या 24 के पेज नंबर 393 पर यह आंकड़े दिए गए हैं, यह प्रदेश सरकार का आइना है कि युवाओं के साथ धोखा किया गया। जो कहा था वह किया नहीं और जो रूटीन में पोस्टें निकलनी थीं वह भी इस सरकार ने नहीं। इसलिए मेरे युवा साथी जो नौकरी की तलाश में इस सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे उनके साथ धोखा और विश्वासघात हुआ है क्योंकि सरकार ने कमिटमेंट की थी, रिटन में छाप के मैनिफेस्टो में लिखकर दिया था। इसलिए यह जो सरकार है केवल और केवल असत्य के सहारे चल रही है और इस सरकार के केवल गिने-चुने महीने बचे हैं। यही मैं कहना चाहूंगा।

02.09.2026/1920/DT/HK-2

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय श्री सुरेश कुमार जी।

श्री सुरेश कुमार : सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव के रूप में जो चर्चा आदरणीय रणधीर शर्मा जी लेकर आए हैं मैं उस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं।

सभापति महोदय, रोजगार के ऊपर चर्चा आना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि रोजगार न केवल युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है बल्कि यह इस प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी भी है। इस प्रदेश का जो मुख्य आय का स्रोत है वह सरकारी नौकरी ही है। इसलिए हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के लिए इस बहस का आना अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अच्छा हो कि इस बहस में सार्थक बातें आएं और जो युवाओं को रोजगार देने के सुझाव हों वे आएं तथा किस तरीके से प्रदेश आगे बढ़े और किस तरीके से प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो ताकि रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें और युवाओं को सही दिशा पर लाया जा सके।

सभापति महोदय, सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहां पर सभी की इच्छा होती है कि सरकारी नौकरियां हमें मिलें। लेकिन यह भी सच्चाई है कि सबको सरकारी नौकरी भी नहीं दी जा सकती है। इसके बावजूद हर सरकार का यह प्रयास रहता है कि अपने-अपने तरीके से कोशिश करे कि हम ज्यादा-से-ज्यादा रोजगार दें। उसमें सरकारी नौकरियां भी हों, गैर-सरकारी नौकरी भी हो और स्वरोजगार भी शामिल हो। इस तरीके के प्रयास पिछली सरकारों ने भी किए हैं और निश्चित तौर पर हमारी सरकार भी इस प्रयास को आगे बढ़ा रही है। यह भी सच्चाई है कि हमने पिछले चुनावों के वक्त अपना जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी और उस दिशा में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। अभी मैं विपक्ष के साथियों की बातें सुन रहा था वे लाखों नौकरियों का जो वायदा है उसको बार-बार याद कराते हैं। लेकिन जो दो करोड़ नौकरियां पांच वर्षों में देने का वायदा केंद्र सरकार ने किया था उसको भूल जाते हैं। जो 1,500 रुपये महिलाओं को देने का हमने वायदा किया था उस वायदे को तो आप याद कराते हैं। लेकिन जो 15-15 लाख रुपये प्रत्येक भारतीय के खाते में डालने का वादा आपकी केंद्र की सरकार ने किया था, उसको आप भूल जाते हैं। चलो आपने सच्चाई तो मानी कि 15 लाख रुपये की वायदा भूल जाते हैं।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी--

02.09.2026/1925/वाई.के.-एन.जी./1

श्री सुरेश कुमार......... जारी

और हमें हमारे वादे याद करवाते हैं। इससे अच्छा होता कि आप पहले अपने किए हुए वादों को भी याद रखते।

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में इस समय लगभग 6 लाख लोग अलग-अलग रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं। सरकार अपने वादे के अनुरूप उन्हें रोजगार देने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इसमें सरकारी नौकरियां भी दी जा रही हैं, गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और स्वरोजगार के अवसर भी युवाओं को सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं।

सभापति महोदय, इस संदर्भ में मैं सबसे पहले यह बात कहना चाहता हूं कि नौकरियों के मामले में कोई भी सरकार हो, उसे पारदर्शिता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। हम नौकरी कम दें या ज्यादा दें, लेकिन जो पात्र व्यक्ति है, जो योग्य है और जो सही है, उन्हें नौकरी मिले और भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो—यह सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं विपक्ष के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि आपके समय में नौकरियों की जो स्थिति थी, उसमें पारदर्शिता नहीं थी। हमीरपुर में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, उसके माध्यम से नौकरियां बेचने का काम किया जाता था। जब उसका भांडा फोड़ हुआ, तो हमारी सरकार व माननीय मुख्य मंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हमीरपुर के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को बंद किया। वहां जो लोग घोटाले में शामिल थे, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और भाई-भतीजावाद करते हुए नौकरियों की खरीद-फरोख्त कर रहे थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और वे सभी लोग आज भी जेल में हैं। इसलिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता होना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हमने राज्य चयन आयोग का गठन किया और उसके माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी जा रही हैं।

02.09.2026/1925/वाई.के.-एन.जी./2

सभापति महोदय, यदि हम नौकरियों की बात करें तो आज ऐसा कोई विभाग नहीं है, जिसमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मैं एक छोटा-सा आंकड़ा सदन के सामने रखना चाहता हूं। विद्युत विभाग में 3,783 पद भरे जा चुके हैं। लोक निर्माण विभाग में 2,814 पद भरे जा चुके हैं। राजस्व विभाग में 861 पद भरे जा चुके हैं। वन विभाग में 1,215 पद भरे जा चुके हैं। पुलिस विभाग में 3,200 पद भरे जा चुके हैं। वित्त विभाग में 112 पद भरे जा चुके हैं। सबसे बड़ी छलांग शिक्षा विभाग में लगी है क्योंकि अकेले शिक्षा विभाग में 11,500 पद भरे गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 1,751 पद भरे गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में 175 पद भरे गए हैं। जल शक्ति विभाग में लगभग 6,000 पद भरे गए हैं। यदि मैं पूरी सूची पढ़ना शुरू कर दूं तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी पदों को बड़ी पारदर्शिता और पूरी ईमानदारी के साथ भरने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। कुल मिलाकर, इस समय तक हमारी सरकार ने लगभग 55,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। वहीं गैर-सरकारी क्षेत्र और स्वरोजगार के माध्यम से लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिए हैं। ये आंकड़े सरकार द्वारा दिए गए हैं। यदि विपक्ष यह कहता है कि इस दौरान नौकरियों में कहीं कोई घोटाला हुआ है, कोई भर्ती विवाद हुआ है या किसी प्रकार की अनियमितता हुई है, तो उसे सदन में तथ्य के साथ बताना चाहिए। हमारी सरकार ने रोजगार देने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय, इसके साथ मैं एक और महत्वपूर्ण विषय कहना चाहता हूं। करुणामूलक आधार पर नौकरी मिलना ऐसी बात हो गई थी कि वर्षों पहले जिनके परिजन सरकारी सेवा के दौरान गुजर गए और उनके परिवार के सदस्य नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे रहे, ऐसे हजारों मामले प्रदेश के अलग-अलग विभागों में लंबित पड़े हुए थे। मैं माननीय

मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने करुणामूलक आधार पर मिलने वाली नौकरियों का दरवाजा खोला

पी0बी0 द्वारा......जारी

02.09.2026/1930/AG/PB-1

श्री सुरेश कुमार जारी...

और अभी तक 1,626 लोगों को सरकार ने करुणामूलक आधार पर नौकरियां दी हैं।

सभापति : माननीय सदस्य सुरेश कुमार जी, कृप्या एक मीनट बैठ जाइए। अभी चार सदस्य और हैं जिन्होंने चर्चा में भाग लेना है। अगर पांच से सात मिनट भी एक सदस्य बोलेगा तब हम 8.00 बजे तक क्लोज कर सकते हैं। इसलिए अगर माननीय सदन की इजाजत हो तो इस माननीय सदन की बैठक आठ बजे तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, अब इस सदन की बैठक 8.00 बजे तक बढ़ाइ जाती है।

माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी अब आप बोलिए।

श्री सुरेश कुमार : सभापति महोदय, करुणामूलक आधार पर मिलने वाली नौकरियों में जो इनकम का क्राइटेरिया रखा गया था वह अढाई लाख रुपये तक रखा गया था। इसके कारण बहुत से पात्र लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विषय को समझा और इसकी गंभीरता को देखते हुए इन्कम का क्राइटेरिया अढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया। यही नहीं बल्कि अभी जो तीन लाख रुपये से ऊपर के इन्कम वाले लो हैं, उसके ऊपर भी सरकार विचार करने वाली है ताकि करुणामूलक आधार पर किसी भी व्यक्ति को रोजगार से वंचित न कर सकें। यह इस सरकार का बहुत बड़ा निर्णय है।

सभापति महोदय, जहां तक नौकरियों की बात है कोई सरकार आए चाहे, हमारी सरकार हो या कोई दूसरी सरकार कोई भी सरकार हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है। इसलिए इसके दूसरे विकल्प जो स्व-रोजगार के के हैं उन्हें सरकारों को

खोजना चाहिए। हमारी सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास किए हैं और इन प्रयासों में हमें बहुत जगह पर सफलता भी मिली है।

हमने जो कैंपस प्लेसमेंट सिस्टम को सुदृढ़ करते हुए प्रदेश के जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट हैं, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या हमारे दूसरे संस्थान हैं, इनमें कैंपस

02.09.2026/1930/AG/PB-2

प्लेसमेंट और काउंसलिंग के सिस्टम को बढ़ाया है। आज चाहे आई0टी0आई0 हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटैक्निक हो या दूसरे संस्थान हों, अभी तक हिमाचल प्रदेश में इन कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से 2,396 लोगों को रोजगार मिला है। हमें इस प्लेसमेंट सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है ताकि जो बच्चे इन इंस्टिट्यूट्स में पढ़ रहे हैं उनको वहीं से नौकरी का अवसर मिले और वे अपना स्किल भी वहीं पर दिखा सकें।

इसी के साथ हमारे अन्य प्रोग्राम हैं जिनमें कौशल विकास निगम, बागवानी विकास मिशन है, हिम पुष्प उत्पादन मिशन है, हिम मधु उत्पादन मिशन है तथा खुम्ब उत्पादन मिशन है, इनमें युवाओं को सीधे ट्रेन करके उनको स्व-रोजगार की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। यह भी सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है।

इसी के साथ हमारी सरकार ने राजीव गांधी स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई-रिक्शा और ई-टैक्सी के माध्यम से युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी और आकर्षक योजना लाई है। इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार जो व्हीकल खरीदने वाला नौजवान या बेरोजगार युवा है उसको रोजगार के लिए ई0- व्हीकल खरीदने पर पचास प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी और अगर वे व्हीकल टैक्सी के रूप में लगाए जाते हैं तो उनको सरकारी डिपार्टमेंट में लगाया जाएगा तथा उसकी जो आमदनी होगी वह सरकार की तरफ से उन्हें दी जाएगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक बसिज खरीदने के लिए बहुत बड़ी योजना हमारी सरकार लेकर आई है जिसमें पचास प्रतिशत सब्सिडी हमारी सरकार देगी। जो बसें चलेंगी उनका रूट वे स्वयं तय करेंगे और उनसे जो आमदनी होगी वह भी वे कमाएंगे। इसके अलावा सरकार हर महीने 50,000 रुपये देगी। एक युवा जो इलेक्ट्रिक बस

खरीदेगा उसको सरकार की ओर से हर महीने 50,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। यह बहुत बड़ी योजना है इसलिए इस योजना का लाभ भी युवाओं को उठाना चाहिए।

श्री0पी0 द्वारा जारी..

02.09.2026/1935/ए0जी0-ए0पी0/-01

श्री सुरेश कुमार जारी .....

हर महीने पचास हजार रुपये सरकार देगी। एक युवा जो इलेक्ट्रिक बस खरीदेगा, उसको पचास हजार रुपये सरकार नगद देगी। यह बहुत बड़ी योजना है। इस योजना का लाभ भी प्रदेश के युवा उठा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं अभी चर्चा सुन रहा था कि इस प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ है, वह हमारे मिलिट्री कोटा की भर्ती को घटाने का हुआ है। यह काम केंद्र सरकार ने किया है। आज हिमाचल प्रदेश का जो युवा था, वह बड़े शौक के साथ सेना में जाता था और भर्ती होने के लिए ललायित रहता था। लेकिन केंद्र सरकार ने उस योजना के ऊपर पूर्ण विराम लगाया है। जहां हमारा कोटा कम किया, वहीं अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए। उसी अग्निवीर योजना की वजह से आज हमारे बच्चे सेना में नहीं जा रहे हैं। हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना ये ऐसे जिलों थें कि इन जिलों से सैकड़ों बच्चे, एक परिवार से तीन-से-चार बच्चे सेना में भर्ती होने के लिए जाते थे। आप स्वयं देखते होंगे कि जब हम सुबह जाते हैं, चाहे कांगड़ा के रोड पर निकल जाओ, हमीरपुर के निकल जाओ, ऊना या बिलासपुर निकल जाओ, सवेरे-सवेरे बच्चे सड़कों पर दौड़ लगा रहे होते थे। वे इस उम्मीद के साथ दौड़ते थे कि उन्हें सेना में जाना है और उनका यह सपना भी होता था। लेकिन आज कोई बच्चा आपको सड़कों पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उनके सपने को तोड़ा दिया है। आप अग्निवीर एक ऐसी योजना लेकर आए है जोकि सिर्फ चार वर्ष के लिए है। उसके बाद उनका क्या भविष्य होगा, उनके भविष्य के बारे में आपने नहीं सोचा। आज आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रोजगार को छीनने का काम आपने किया है, आप युवाओं के हितैषी नहीं हो सकते हैं। सभापति महोदय, हमारी सरकार की एक बहुत अच्छी योजनाओवर्सीज प्लेसमेंट है। यह पहली बार हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत हम स्किल्ड बच्चों को विदेशों में भेजने का कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए स्पेशल एक पोर्टल बनाया

गया है। एक डिपार्टमेंट बनाया गया है और उस डिपार्टमेंट के माध्यम से युवाओं को अलग-अलग विदेशों में भेजने का कार्य किया जा रहा है। हमारे बच्चे अगर विदेशों में चले जाते थे तो उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी और उनके साथ धोखा होता था, कबूतरबाजी होती थी। वे किसके साथ जा रहे हैं, कहां रहेंगे और उनका भविष्य वहां पर क्या होगा, इस बात की हमेशा चिंता रहती थी। बहुत से ऐसे मामले आते थे और फिर

02.09.2026/1935/ए0जी0-ए0पी0/-02

सरकारों को पत्र लिखते हैं कि हम फलानी जगह पर फंस गए हैं, हमें वहां से निकालो। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने हमारा ओवर्सीज प्लेसमेंट सिस्टम है, उसको बढ़ाया है। अब जिन बच्चों को यहां से विदेश भेजा जाता है, उनको कम खर्चे पर भेजा जाता है और उनकी स्पेशल ट्रैकिंग भी की जाती है कि वे कहां रह रहे हैं, उनका भविष्य क्या है, उनको सैलरी समय पर मिल रही है या नहीं। इन तमाम बातों का ध्यान इस योजना के अंदर रखा गया है।

Chairman: Please wind up.

श्री सुरेश कुमार : मैं राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की बात करना चाहता हूं। यह ऐसी योजना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के हमारे युवा हैं, उनको अवसर दिया गया है कि वे हमारे वनों के साथ जुड़ें। इसमें महिलाओं और युवाओं को ज्यादातर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और वे अपनी आमदनी का साधन घर बैठे बना सकते हैं। इसी तरीके से जो दूध खरीदने वाली योजना है, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ऐसी योजना को पहली बार सोचा गया है, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा आज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। आज आप इस योजना में लाख त्रुटियां निकाल सकते हैं। आज इस योजना के लिए कई बातें कही जा रही हैं, हमारी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप उस मंशा को देखिए, जिस मंशा के साथ सरकार ने इस योजना को लोगों के लिए लाया है।

Chairman: Hon'ble Member, please wind up.

श्री सुरेश कुमार : आज बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं, जहां महिलाएं अपनी आजीविका कमा रही हैं और अपना रोजगार घर बैठे कमा रही हैं। इसी तरीके से प्राकृतिक खेती की बात भी है। आज प्राकृतिक खेती का भी आप मजाक उड़ा रहे हैं। आज कच्ची हल्दी का रेट 150 रुपये प्रति किलो आपको घर बैठे मिलेगा। आपका लहसुन, अदरक, गेहूं, मक्की, जौ, बाजरा- अगर आप इन चीजों की प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपको घर बैठे गांव में ही आपको स्वरोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, वे इस योजना की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। यह बहुत बड़ी योजना प्रदेश सरकार लाई है। सर, अभी मैं यह कल भी देख रहा था कि हमारे विपक्ष के साथी बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह रहे थे। इनको तो

02.09.2026/1935/ए0जी0-ए0पी0/-03

युवाओं के लिए कहने का अधिकार ही नहीं है । मुझे एक वाकया याद है कि जब इनकी पिछली सरकार थी तो प्रदेश का जो बेरोजगार संघ

श्रीमती ए0वी0 द्वारा जारी .....

02.09.2026/1940/av/ag/1

श्री सुरेश कुमार क्रमागत

वह संघ अपनी मांगों को लेकर विधान सभा के बाहर आया था परंतु उनको बाईपास पर रोक दिया गया। उन पर इनके द्वारा डंडे बरसाए गए। उसमें एक युवा की तो टांग टूट गई थी, आप उस दिन को याद कीजिए। आप युवाओं के कितने हितैषी हो सकते हैं, उस घटना से प्रतीत होता है।

आज आप प्रदेश के युवाओं की बात कर रहे हैं? आप की केंद्र सरकार ने इस देश के अंदर दो करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था। उस बात को 12 वर्ष हो चुके हैं और उस हिसाब से 24 करोड़ नौकरियां बनती हैं। अगर केंद्र सरकार उन 24 करोड़ नौकरियों को ईमानदारी से देती तो उसमें हिमाचल प्रदेश का हिस्सा 45 लाख नौकरियों का बनता है। अगर केंद्र सरकार हमारे राज्य को 45 लाख नौकरियां दे देती तो हमारे प्रदेश की तो जनसंख्या ही कुल 75 लाख है, यहां तो बेरोज़गारी वैसे ही दूर हो जाती। लेकिन आप लोगों

की 'करनी और करनी में अंतर' है। आप लोग युवाओं को ठगने का काम करते हैं। जब केंद्र सरकार से उस दो करोड़ नौकरी का हिसाब मांगा गया तो आपके नेताओं ने कहा कि पकौड़े तलिए, आपकी केंद्र सरकार ने पकौड़े तलने को रोज़गार बना दिया। आपकी युवाओं के प्रति इस प्रकार की असलियत है और आप लोग युवाओं के हितैषी कभी नहीं हो सकते।

सभापति महोदय, ये लोग पारदर्शिता की बात करते हैं। पेपर लीक और जंतर-मंतर पर क्या हुआ, यह पूरे देश ने देखा। देश का युवा अपने भविष्य के लिए चिन्तित है। मगर केंद्र सरकार ने उनके ऊपर पैलेट गन चलाई, उनके ऊपर पानी की बौछारें तथा डंडे बरसाए गए। आज भी उनको घरों से ढूंढ-ढूंढकर प्रताड़ित किया जा रहा है। आपका युवाओं के प्रति इस प्रकार का प्रेम है, आप इस तरह से युवाओं के हितैषी कभी नहीं हो सकते।

पिछले कल यहां पर माननीय श्री प्रकाश राणा बहुत अच्छे प्रवचन दे रहे थे। उनके प्रवचन सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई श्रीमद् भगवद्गीता का पाठ चल रहा है। यहां पर श्रीमद् भगवद्गीता के प्रवचन सुनकर सारे प्रसाद लेकर अपने-अपने घर जाएंगे। वे कह रहे थे कि इस प्रदेश की हालत बहुत खराब है, यहां अपने संसाधन नहीं हैं और सरकार को सच्चाई बता देनी चाहिए। अरे, इस श्रीमद् भगवद्गीता को छोड़कर अच्छा होता कि आप

02.09.2026/1940/av/ag/2

यह बताते कि यहां पर किस तरीके से आमदन के साधन बढ़ेंगे। हमारा प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा और इस प्रदेश के युवाओं को किस प्रकार

रोज़गार दिया जा सकता है। अगर उनके द्वारा इस प्रकार के सुझाव दिए जाते तो हम आपकी बात मानते। परंतु वे तो गीता का उपदेश दे रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के संसाधन किस तरीके से बढ़ेंगे और उस दिशा में हमारी सरकार ने प्रयास किए हैं। हमारी सरकार ने जे0एस0डब्ल्यू का केस जीतकर प्रदेश के खजाने में अढ़ाई सौ करोड़ रुपये की आमदन जोड़ी है। हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस जीतकर प्रदेश के खजाने में 400 करोड़ रुपये की आमदन जोड़ी है। हमने किशाऊ बांध का एग्रीमैंट

किया जिससे हमने प्रदेश के खजाने में 600 करोड़ रुपये की राशि जोड़ी। हम बी0बी0एम0बी0 के शेयर के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हाइड्रो पावर पॉलिसी के लिए अडिग हैं। इसी के साथ हमने चोर दरवाजों को बंद करके हिमाचल प्रदेश की हितों की रक्षा की है और यही हिमाचल प्रदेश की आमदन बढ़ाने का तरीका है। इससे हिमाचल प्रदेश में रोज़गार के साधन बढ़ेंगे और हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा तथा इसी से हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। आज यहां पर इस प्रकार की चर्चा करने की आवश्यकता है परंतु आप यहां पर केवल धोखे वाली बातें कर रहे हैं। आप यहां पर अपने आपको प्रदेश के युवाओं का हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि आपके चेहरे से नाकाब उतर चुके हैं, आप युवाओ के हितैषी नहीं हैं और आपको ऐसी चर्चा में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य के लिए गम्भीर है और हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं को रोज़गार व स्व-रोज़गार इत्यादि सब कुछ दे रही है तथा उनके जीवन को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

सभापति महोदय, मुझे यही कहना था। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज हिस्सा लेंगे।

डॉ0 जनक राज टी सी द्वारा जारी

02.09.2026/1945/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

डॉ0 जनक राज : सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे नियम-130 के तहत इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। अपनी बात शुरू करने से पहले मेरे से पूर्व के वक्ता ने अंतिम समय में कहा कि मुझे इस चर्चा में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस चर्चा को सदन में कौन लाया है? इस चर्चा को सदन में हम लोग लाए हैं और आप इस चर्चा से संबंधित सवालों के जवाब देने से भाग रहे हैं।

पिछले लगभग चार वर्षों से रोजगार, बेरोजगारी तथा इनसे संबंधित आंकड़ों के बारे में जब भी आपसे पूछा गया तो आपने लिखित सूचना दी कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। अब आप कह रहे हैं कि हमें चर्चा में भाग लेने का अधिकार नहीं है।

मैंने लगभग 20 से 22 मिनट की इनकी चर्चा सुनी तो मुझे गांव में कही जाने वाली यह बात याद आ गई कि "सारी रात रामायण सुणी और सुबह पूछा कि सीता कौन थी?" मुझे तो यही पता नहीं लगा कि ये चर्चा किस विषय पर कर रहे थे। ये बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे थे। मुझे बीच में यह भी कन्फ्यूजन हुआ कि कहीं मैं लोक सभा में तो नहीं पहुंच गया हूं? क्योंकि ये अपनी स्पीच में केंद्र सरकार की बात कर रहे थे, अग्निवीर की बात कर रहे थे और 15 लाख रुपये की बात कर रहे थे।

सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी घोषणा पत्र में यह नहीं लिखा गया था कि हम सबको 15 लाख रुपये देंगे। यह एक तुलनात्मक बात कही गई थी। आपने लिखित रूप में जो बात कही थी और जैसे नोट पर लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूं, इनका वह गारंटी का फॉर्म है। उस नंबर पता नहीं जब लोगों ने उस नम्बर को मिलाया और उस पर मिस्ड कॉल की गई तो उसमें कहा जाता है कि Number does not exist. जिस नंबर को आप लोगों ने जारी किया था वह नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है।

सभापति महोदय, इनकी बात से मुझे 1966 में आई एक फिल्म का गाना याद आता है। फिल्म का नाम तीसरी कसम है और उसमें गाना है, ञ्सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।छ मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि मित्रों झूठ मत बोलो। मित्रों की सरकार में बैठे मित्रों झूठ मत बोलो क्योंकि एक साल बाद जनता के पास चुनाव में जाना है।

02.09.2026/1945/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

सभापति महोदय, मैं सीधी और सरल बात करूंगा। मैं राजनीति में नया आया हूं परंतु मेरा मानना है कि हम सभी को तथ्य पर बात करनी चाहिए न कि केवल कुछ न कुछ बोलने के लिए 15-20 मिनट बोलते रहना है क्योंकि पार्टी ने ड्यूटी लगाई है। इसलिए बोलना है, इस तरीके से हमें बात नहीं करनी चाहिए। यह बात मैं सभी लोगों से कहना

चाहूंगा। बिना मतलब के इधर-उधर की बातें करने से हम फर्स्ट टाइमर सदस्यों के लिए समय नहीं बच पाता। हमें पांच-दस मिनट से अधिक बोलने का मौका ही नहीं मिलता।

सभापति महोदय, मैं सत्ताधारी दल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि वे दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्या उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने केवल वोट लेने के लिए हिमाचल के लोगों को ठगा है? पूरे हिमाचल में आपने बेरोजगार यात्रा निकाली गई। आधे हिमाचल में एक शहजादे ने और आधे हिमाचल में दूसरे शहजादे ने यात्रा निकाली तथा छाती पीट-पीटकर कहा कि यह हमारी गारंटी है। अभी मैं कुछ नाम नहीं बोलना चाहूंगा। शायद वह अनपार्लियामेंटरी होगा, अनपार्लियामेंटरी होगा तो आपने काट देना। (***)यह कहा गया कि 58 साल वाली नौकरी देंगे, मेरी गारंटी है। मैं पूछ रहा हूं कि वह नौकरी कहां है? (***)हिमाचल की जनता को दी? मित्रों को मित्र बनाया और मित्रता भी किस प्रकार निभाई गई यह पूरा हिमाचल जान रहा है।

सभापति महोदय, आज पांच हजार रुपये मैं कोई व्यक्ति काम करने के लिए कैसे तैयार होगा? कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि आज बिजली के पोल में फ्यूज़ डालने के लिए कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो रहा हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता स्थिति की गंभीरता को जान रही है और यह भी जान रही है कि हम यहां सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। मैं बार-बार इस बात को दोहराता हूं कि झूठ बोलना, ठगना और कुछ भी कह देना तथा लोगों को गुमराह करना कांग्रेस पार्टी की ट्रैडिशनल पॉलिटिक्स है लेकिन अब उसका जमाना चला गया है। यह डिज़िटल जमाना है और देश का युवा, तरुण तथा नौजवान कही गई प्रत्येक बात का सत्यापन करता है। देश में निजीकरण किसने लाया, देश की व्यवस्थाओं को किसने बदला तथा किसने कब क्या-क्या

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया। एन0एस0 द्वारा ... जारी

02.09.2026/1950/एनएस/As-1

डा0 जनक राज जारी....

किसने देश में निजीकरण लाया? किसने देश में व्यवस्थाओं को बदला? किसने कब क्या-क्या किया यह केवल एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि जिसने देश में लंबे समय तक शासन किया है उसकी इस विषय में अधिक जिम्मेदारी है।सभापति महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव से पहले इन्होंने पांच लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। आप एक बार सोच तो लेते कि हिमाचल में पांच लाख नौकरियों का कैडर ही नहीं है। आज आपका कैडर लगभग दो लाख अस्सी हजार है तो पांच लाख लोगों को आप कैसे नौकरी देंगे? मैं मानता हूं कि नौकरी, सरकारी नौकरी और रोजगार में बहुत अंतर है। कोई भी सरकार, कल हमारी भी सरकार होगी, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। यह न तो केवल भारत की बात है और न ही हिमाचल की बात है, दुनिया की कोई भी सरकार सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। परंतु क्या हम स्वरोजगार के साधन नहीं दे सकते? यह जो परंपरा चली है कि इस सरकार ने कुछ किया तो योजना को बदल दिया, अरे आपने केवल नाम बदलना है, उनके काम करने के तरीकों को मत बदलो। जो हमारे समय में मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना थी उसकी सूची मैं यहां रख सकता हूं जिससे अनेकों लोग आज अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। आप यहां सूची रखिए कि आपकी 'राजीव गांधी स्टार्टअप योजना' से कितने लोग अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और कितने लोगों को आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सब्सिडी दी है? आप यहां आंकड़े रखिए। सभापति महोदय, हिमाचल के लोग भोले-भाले हैं। उन्होंने आपकी बात पर विश्वास कर लिया था। परंतु आज की परिस्थिति देखकर मुझे लगता है कि सत्ता की कुर्सी इतनी ऊंची हो गई है कि उस कुर्सी पर बैठे लोगों को हिमाचल की धरती पर खड़ा युवा बेरोजगार दिखाई नहीं दे रहा है। सभापति महोदय, ये हालात हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हिमाचल के लोग भोले हैं लेकिन मूर्ख नहीं हैं और काठ की हांडी बार-बार आग पर नहीं चढ़ने वाली है। ये कहते हैं कि हम यह करेंगे, हम वह करेंगे और हर मुद्दे को राजनीतिक विषय बनाकर सदन में लाते हैं। इस सदन में मैं केवल इस प्रस्ताव पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं आज उस हिमाचल के प्रतीक युवा की आवाज बनकर खड़ा हुआ हूं जिसके हाथ में डिग्री है जिसकी आंखों में उम्मीदें हैं लेकिन साथ ही निराशा भी है। सोचिए उस युवा की बात जिसकी उम्र पच्चीस-पच्चीस, तीस-तीस वर्ष हो गई है और पढ़ाई करके डिग्रियां लेने के बाद आज अपने पिता से पैसे मांगने

02.09.2026/1950/एनएस/As-2

पड़ते हैं। कितनी शर्मिंदगी उस युवा को होती होगी। यह वह युवा जान रहा है। आप लोग नहीं जानेंगे क्योंकि आप हुक्मरान हैं। अगर मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूं तो मेरे चुनाव क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री नहीं है। मेरे चुनाव क्षेत्र में रोजगार के केवल दो साधन हैं। या तो अपना कोई काम करो या पावर प्रोजेक्ट या सरकारी नौकरी। लेकिन इस सरकार ने रोजगार देने का काम तो किया नहीं बल्कि उल्टा लोगों से रोजगार छीनने का काम किया है। मेरे से पूर्व के वक्ता श्री त्रिलोक जम्वाल जी ने आंकड़ों के साथ जो बात कही है वह भी इसी विषय से संबंधित है। मेरे वहां पावर प्रोजेक्ट चले थे और बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली थीं। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे चुनाव क्षेत्र को छोड़िए पूरे हिमाचल में इस सरकार ने कितने नए पावर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं? इन्वेस्टर भाग रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए हिमाचल में आना नहीं चाहता। यह सरकार की नीतियों की विफलता का इससे बड़ा परिणाम और क्या हो सकता है? चाहे वह बद्दी-बरोटीवाला की बात हो या इंदौरा-नूरपुर की बात हो। मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में एन0एच0पी0सी0 के पावर प्रोजेक्ट शेड्यूल थे, एस0जे0वी0एन0एल0 के पावर प्रोजेक्ट शेड्यूल थे और छोटे माइक्रो-मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी शेड्यूल थे। आपने एक भी पावर प्रोजैक्ट वहां बनने नहीं दिया। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं सभापति महोदय कि हिमाचल के युवा का वर्तमान और भविष्य किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी नेता की राजनीतिक हठ का शिकार नहीं हो सकता। सभापति महोदय, एक गरीब बाप का बेटा मैं भी हूं और अपने बाप की सबसे बड़ी पूंजी मैं हूं। उसने मुझे पढ़ाया-लिखाया और यहां तक पहुंचाया। आज वह गरीब बाप क्या सोचता होगा जब वह अपने सारे जीवन की जमा पूंजी अपने बच्चे पर लगाता है। मां अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने गहने गिरवी रख देती है और यह सोचती है कि मेरा बच्चा पढ़-लिखकर रोजगार करेगा तथा अपने पैरों पर खड़ा होगा। आज हिमाचल के युवा डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी वर्षों तक नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। भर्तियां रुक जा रही हैं और परीक्षाओं में देरी हो रही है। यह मुद्दा केवल बेरोजगारी का नहीं है बल्कि एक गरीब मेहनतकश परिवार की वर्षों की उम्मीदों के टूटने की कहानी है।

Rks cont------

02.09.2026/1955/आर0के0एस0/As-1

डॉ0 जनक राज....

सभापति महोदय, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जून 2025 ने हिमाचल के कुछ आंकड़े बताए हैं। उन आंकड़ों को जब मैंने पढ़ा तो मैं खुद विचलित हुआ। हिमाचल में हर तीन में से एक युवा बेरोजगार है। ये आंकड़े मैंने नहीं बनाए हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। ये एक इंडिपेंडेंट सर्वे एजेंसी के आंकड़े हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो हमें बजट के समय इतनी बड़ी-बड़ी किताब के रूप में दिया गया था उसके आंकड़े भी त्रिलोक जम्वाल जी ने बताए। इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े मैं बताऊं तो शायद इनको जानकारी नहीं होगी कि हिमाचल में इस समय 6,75,671 पंजीकृत युवा बेरोजगार हैं। एक तरफ लाखों लोग रोजगार की तलाश में हैं और दूसरी तरफ सरकारी विभागों में पद खाली हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं वे अत्यधिक तनाव में काम कर रहे हैं। पानी खोलने के लिए फिटर नहीं हैं। बिजली के पोल पर चढ़ने के लिए आदमी नहीं हैं। हफ्ता-हफ्ता गांव अंधेरे में रहते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं। आज हिमाचल प्रदेश का सरकारी कर्मचारी अत्यधिक मानसिक तनाव में काम कर रहा है। कर्मचारी डी0ए0 की तो बात ही भूल ही गए हैं। वह हर पहली तारीख को यही कहता है कि शुक्र है आज तनख्वाह आ गई। ये हालात हिमाचल के हैं। सभापति महोदय, आज अस्पतालों में स्टाफ चाहिए, स्कूलों में शिक्षक और विभागों में कर्मचारी चाहिए। लेकिन सवाल सीधा है कि जब पद खाली हैं तो भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? एक बात कही जाती है कि जल्द भर्ती होगी। यह रटा-रटाया राग अब चलने वाला नहीं है। बेहतर होगा कि आप हिमाचल के युवाओं के लिए इस चर्चा का जवाब देते हुए एक रिक्रूटमेंट कैलेंडर पेश करें।यहां एक बात कही गई कि आउटसोर्स कर्मचारी ठीक से काम नहीं करते हैं। मैंने आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ काम किया है। आउटसोर्स कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर 10,000 रुपये की तनख्वाह में उतना ही काम करता है जितना आपका जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट 80,000-90,000 रुपये की तनख्वाह में काम करता है। क्या आउटसोर्स कर्मचारी को जीने का अधिकार नहीं है? उसके घर में भी परिवार है। उसके परिवार में भी कोई बीमार होता है। उसको भी अपने घर और बाकी चीजों की ई0एम0आई0 भरनी है। सभापति महोदय, बेरोजगारी केवल जेब खाली नहीं करती है बल्कि यह आदमी के उस आत्मविश्वास को भी खाली करती है। आप

चिट्टा की वॉकथॉन कर रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि युवा चिट्टे की तरफ क्यों जा रहा है? वे उस तरफ क्यों ग्रसित हो रहे हैं? आप उस मूल बीमारी को तो

02.09.2026/1955/आर0के0एस0/As-2

पकड़ नहीं पा रहे हैं। हैल्थ सिस्टम में कहा जाता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। अगर आपने उस खालीपन को भरना है तो हिमाचल के युवाओं को सुरक्षित वर्तमान और भविष्य दीजिए। यहां सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को लेकर बात कही गई। मैं आपके माध्यम से पूरे हिमाचल को यह जानकारी देना चाहूंगा कि उस पेपर लीक कांड के सारे कर्मचारी अभी जमानत पर हैं और सरकार मैक्सिमम केसिस में क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड-अप करें। समय होने वाला है नहीं तो मुझे सदन का समय बढ़ाना पड़ेगा।

डॉ0 जनक राज : सभापति महोदय, मैं दो-तीन मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

सभापति : माननीय सदस्य ने उप-मुख्य मंत्री के बारे में एक टिप्पणी की है कि (***) उस टिप्पणी को कार्यवाही से निकाल दिया जाए। ...(व्यवधान)

डॉ0 जनक राज : सर, यह सच्चाई है। ये पब्लिक कह रही है। मैंने तो पब्लिक की बात यहां कही है। सभापति महोदय, एक भी सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के अपराधी का अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ है। हिमाचल की बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली पर लोगों के जख्मों पर नमक तब लगता है जब पेट्रोल-डीजल पर सैस बढ़ा दिया जाता है, जब बिजली पर सैस बढ़ा दिया जाता है और अनेकों प्रकार के कर्ज तथा शुल्क उन पर लाद दिए जाते हैं।मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार की इस वित्तीय बदहाली की हर समस्या का समाधान क्या हिमाचल के आम आदमी की जेब से होगा? सभापति महोदय, सवाल

श्री बी0एस0द्वारा जारी

02.09.2026/2000/बी.एस./ए.एस.

डॉ जनक राज जारी...

हिमाचल के युवाओं के रोजगार का नहीं है। आज हिमाचल के भविष्य का सवाल है। रोजगार नहीं होगा तो युवा पलायन करेगा। युवा पलायन करेगा तो गांव खाली होंगे। गांव खाली होंगे तो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था कमजोर होगी। आज बेरोजगार और निराश युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी प्रभावित होगी।

अंत में मैं सरकार से केवल इतना ही मांग करना चाहूंगा कि सरकार का काम केवल वर्तमान को देखना ही नहीं है बल्कि भविष्य का निर्माण करना भी है। सरकार की लेट-लतीफी की वजह से जो युवा सरकारी नौकरी की आयु सीमा को क्रॉस कर चुके हैं जब सरकार इस चर्चा का जवाब देगी तो मैं मांग करता हूं कि सरकार इन युवाओं के लिए एज रिलैक्सेशन भी दे। सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति : अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार दिनांक 03 सितंबर, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांकः 02 सितम्बर, 2026 **सचिव**